राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तैंतीसवां दिवस   [संख्या : 17

सोमवार

24 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में औद्योगिक विकास

488. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार उपयोजना क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से तहसील मुख्यालयों पर ?

(2) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मजदूरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई उद्योग लगाने की योजनाएं विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) :

(1) किसी स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय उस स्थान की औद्योगिक क्षमता के आधार पर किया जाता है न कि तहसील मुख्यालय होने के आधार पर। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित/प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) राज्य सरकार स्वयं उद्योग नहीं लगाती अपितु उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आवश्यक आधारभूत तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार दिलाने की दृष्टि से वृहत् तथा मध्यम उद्योगों को पांच प्रतिशत तथा लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के प्रथम खण्ड के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षमता का आधार प्रमुख बिन्दु बताया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षमता से क्या अभिप्राय है ?

दूसरा क्या उदयपुर जिले में कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां औद्योगिक क्षमता का आधार हो ? उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील में ग्रीन मार्बल, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, की सबसे ज्यादा खदानें हैं और निकाला जाता है। इसी तरह से धरियावद के लोहागढ़ क्षेत्र में, सलूम्बर के मालपुर क्षेत्र में, कोटड़ा के बास पड़ावली माजरा क्षेत्र में ग्रेनाइट और सोप स्टोन

(श्री महावीर भगोरा)

की सबसे अधिक खदानें हैं और मार्बल का प्रोडक्शन होता है। तो क्या वहां यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किये जा सकते हैं ?

इसी तरह से दूसरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आवश्यक आधारभूत व अन्य सुविधाएं उद्यमियों के लिए उद्योग विभाग क्षेत्र में उपलब्ध कराता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि इन क्षेत्रों, जिन तहसीलों का मैंने वर्णन किया है, में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्योग विभाग विचार रखता है या नहीं ? प्रथम यही प्रश्न है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने पूछा है कि औद्योगिक क्षमता का आधार क्या है। जहां पर उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हों और उनको सब संसाधन प्राप्त हों वही उसकी क्षमता है जहां तक आपने खैरवाड़ा वगैरह का सवाल पूछा है, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं तो हम घोषित कर देंगे, आप उद्योगपतियों को प्रेरित करिये। निश्चित रूप से जितनी आधारभूत सुविधाएं अन्यत्र हैं, वहां भी होंगी।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया में जनजाति लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है और उन क्षेत्रों में औद्योगिक संसाधन उपलब्ध हैं जिनके दोहन के बाद उनको रोजगार दिलाया जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है, जहां तक उद्यमियों का सवाल है, उदयपुर में जाकर के वे उद्योग लगा सकते हैं। यहां का माल निकल करके ठेठ मकराना में जा सकता है। और वहां जाकर के अन्य व्यवसाय, कटिंग और पालिशिंग का काम हो सकता है तो यह कार्य इस क्षेत्र में क्यों नहीं विकसित हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, रोजगार देने का प्रश्न अलग है और उद्योग लगाने का दूसरा प्रश्न है। आपने उद्योगों के बारे में पूछा, मैंने जवाब दिया। रोजगार के सम्बन्ध में खादी बोर्ड की योजनाएं हैं, ग्रामोद्योग हैं। आपने जिन क्षेत्रों के बारे में पूछा है उन्हीं क्षेत्रों में खादी बोर्ड ने सन् 1992–93 में 3643 आदमियों को रोजगार दिया है, 1993-94 में 3014 आदमियों को दिया है, 1994-95 में 3575 को दिया है और अब 1995-96 में 3500 को देने की योजना है। ग्रामोद्योग में 1992-93 में 1530 को दिया है, 1993-94 में 1528 को दिया है, 1994-95 में 1100 को दिया है और 1995-96 में 1150 का लक्ष्य है। मान्यवर, इन आदिवासी क्षेत्रों में जो कार्य किये जा सकते हैं वह भी हमने छांट लिए हैं। ये हैं, बांस की बैंत बनाना, मिट्टी के बर्तन, लोहारी, सुथारी, रेशा उद्योग, चूना उद्योग, टाट पट्टी उद्योग। आप इस सम्बन्ध में यदि सहयोग करें तो जितने आदमियों को आप इन उद्योगों में वहां काम दिलाना चाहेंगे, अगले वर्ष हम उन सबको काम देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

से पूछना चाह रहा हूं कि उदयपुर जिले में गुडली इण्डस्ट्रियल एरिया और डूंगरपुर के सिसोद इण्डस्ट्रियल एरिया में जो आज भी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी हैं, क्या मंत्री महोदय सदन को या मुझे आश्वासन देंगे कि बहुत शीघ्र, इस साल में ही वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे ? गुडली क्षेत्र के उद्योगपति कल ही मुझे मिले थे और उनका एक ज्ञापन पत्र भी मैं लाया हूं, मंत्रीजी को पेश करूंगा. लेकिन मैं चाहूंगा कि निश्चित समय में वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उद्योग मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि यह जो अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति वाली लिस्ट है, इसमें सभी जिलों के नाम हैं लेकिन प्रस्तावित में उदयपुर का कहीं भी नाम नहीं है जबकि हमारी स्थिति यह है कि 52 प्रतिशत ट्राइवल बैल्ट में आने की वजह से हमारा सारा जिला ट्राइबल बैल्ट हो गया है। आप देखियेगा, धरियावद है, सलूम्बर का क्षेत्र है, ऋषभदेव के पास में बावरमाल है, खैरवाड़ा के पास है यहां सारा मार्बल निकल रहा है और मार्बल में ट्राइबल्स के लोग भी मजदूरों की तरह से काम कर रहे हैं। कुछ को-ऑपरेटिव्ज बना करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उद्योग लगाने की, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, ये सारी वहां पर उपलब्ध हों, एक स्ट्रक्चर वहां पर बन सके तो शायद वहां पर उद्यमी आने की कोशिश करेंगे अन्यथा छोटी-मोटी खदानों का जो काम हो रहा है उससे वहां की क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। तो क्या इसको विकसित करने का विचार है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुडली का प्रश्न है वह वैसे इस सवाल (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : वैसे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। इसमें कवर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूं। गुडली में हमने जितने प्लाट्स काटे हैं अभी तक उसमें बहुत कम लोगों ने प्लाट्स अलाट करवाये हैं। हम उस क्षेत्र पर विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। गुडली को विकसित करने के लिए और जितने भी हमको काम करने हैं, वह सारा करने की तैयारी हम लोगों ने की है और सुखेर के पास में जो एक्सटेंशन की बात है, हम उस पर भी पुनः विचार कर रहे हैं कि वह एक्सटेंशन वहां न करके गुडली के क्षेत्र में ही प्लाट्स अलाट किये जायं और वहीं पर मार्बल का मार्केट बने। इसलिए गुडली का क्षेत्र विकसित होगा। उसमें जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, रीको सभी मुहैया करायेगा। अब तक जो की हैं, यदि कमी है तो उसकी पूर्ति भी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन 65 प्लाट्स गुडली में बिक चुके हैं पर वहां आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसलिए नहीं है कि अधूरा है काम। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पड़ा हुआ है जो लोगों ने अलाट नहीं करवाया और हम इस पर लगे हुए हैं कि वहां अधिक से अधिक सुविधाएं लगें ताकि जल्दी से जल्दी हम उसको विकसित करें।

जहां तक उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा उपयोजना क्षेत्र का, यह साधारण राजस्व राजपत्र सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है उसमें उदयपुर की तहसीलें हैं, फलासिया है, खैरवाड़ा है, कोटड़ा है, सराडा है, सलूम्बर है, लताड़िया और गिरवा के 81 गांव हैं जो उसमें शामिल हैं। तो जो बाकी अन्य स्थानों पर सुविधाएं लागू हैं, यहां भी लागू हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

ग्राम राशमी (चित्तौड़गढ़) की पेयजल योजना

489. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में पेयजल हेतु एक छोटी टंकी बनवाकर पेयजल योजना चालू कर रखी है? यदि हां, तो राशमी ग्राम की जनता के लिए क्या उक्त टंकी पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार बड़ी टंकी बनाने के लिए कब तक धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्तसिंह विश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में चल रही पाइप जल प्रदाय योजना राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में 90,000 लीटर क्षमता का भू-सतही जलाशय पहाड़ी पर बना हुआ है व इस जलाशय से ग्रामवासियों को पेयजल वितरित किया जाता है। गांव में सात हैण्ड पम्प भी लगे हैं जो चालू हैं। वर्तमान में इस ग्राम में पेयजल समुचित मात्रा में वितरित किया जा रहा है। इस ग्राम में नयी टंकी बनाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आवश्यकतानुसार भविष्य में संवर्धन हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो टंकी बनी हुई है, क्या वह उस जन-संख्या के हिसाब से पर्याप्त है? वर्तमान में राशमी ग्राम की जनसंख्या 6000 है और 90,000 लीटर की टंकी बना रखी है, 15 लीटर पानी उस टंकी के माध्यम से एक व्यक्ति को मिलता है, क्या यह पर्याप्त है? कितने कनेक्शन के लिए यह टंकी बनायी गयी थी और आज कितने कनेक्शन हैं, यह भी जानना चाहता हूं? पूर्व में मंत्री महोदय को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक नयी टंकी बनायी जाय, प्रस्ताव भेज रखा है और यह कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं आया है। तो मैं यह चाहूंगा कि इस वर्ष, वित्तीय हिसाब को देखते हुए और जनसंख्या को देखते हुए, टंकी बनाने की स्वीकृति दें तो उचित होगा। यह आप मंत्री महोदय से कहलवा दीजिये।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बहुत हद तक सही है। वर्तमान में जो पानी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया जा रहा है, वह 43 लीटर के लगभग एक व्यक्ति को मिलता है जबकि अधिक मिलना चाहिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : 15 लीटर, माननीय, 15 लीटर। छह हजार की जनसंख्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड। मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत हूं, आपने सुझाव दिया है कि एक टंकी और बना दी जाय और वह स्थान का नाम है, आपने कोई सुझाव दिया था, कोई मन्दिर है, माताजी का, तो वहां का आपका ख्याल है कि वहां एक टंकी ऊंचाई पर बन जायेगी तो इस समस्या का समाधान होगा। इसी वर्ष में कोशिश करेंगे हम, इसको बनायेंगे।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : श्रीमन् यह कहिये कि इस वर्ष बनायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहा हूं कि इसी वर्ष में हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं, बिराजिये आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मेरा मतलब इस प्रश्न में भी आप जवाब दे सकते थे कि यह करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहा हूं ना कि इसी वर्ष में बना देंगे। कह रहा हूं, यह कह रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं यही कह रहा हूं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी वर्ष में बनाने की बात कह रहा हूं मैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : आपका काम पूरा हो गया, अब क्या है ?

श्री अर्जुनलाल जीनगर : विधायक कोटे से ट्यूबवैल खोदने के लिए, 1994-95 के लिए मैंने चार ट्यूबवैल के लिए पैसा दिया परन्तु ट्यूबवैल आज तक नहीं लग पाये हैं। क्या इसी प्रकार से ड्रिलिंग डिपार्टमेंट की मशीनें काम करेंगी कि उस क्षेत्र के अन्दर जाकर ट्यूबवैल नहीं लगायें ? यह कब तक करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, ऐसा नहीं करेंगी, फटाफट काम करेंगी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : जी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं करेंगी, फटाफट काम करेंगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह नहीं लगायेंगे, आप हमारे साथ आ जायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

विधान सभा क्षेत्र फलौदी में केरोसिन की निर्धारित दर

490. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या खाद्य विभाग के निर्देश दिनांक 2 फरवरी, 1994 की अनुपालना में फलौदी क्षेत्र में वितरित किये जा रहे कैरोसिन की दरें निर्धारित की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर से आठ पैसे प्रति लीटर अधिक देने पड़ रहे हैं ? क्या सरकार अपने निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) खाद्य विभाग के निर्देश दिनांक 2 फरवरी, 1994 की अनुपालना में फलौदी क्षेत्र में वितरित किये जा रहे कैरोसिन की खुदरा दर 2.92 रुपये से 3.04 रुपये प्रति-लीटर दिनांक 8.2.1995 से निर्धारित की जा चुकी है। सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 1994 की अनुपालना में फलौदी क्षेत्र में वितरित किये जा रहे कैरोसिन की खुदरा दर 2.92 रुपये से 3.04 रुपये प्रति लीटर दिनांक 8.2.1995 से निर्धारित की जा चुकी है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि खाद्य विभाग के निर्देश दिनांक 2 फरवरी, 1994 की अनुपालना में जोधपुर शहर, ग्रामीण क्षेत्र, तहसील-शेरगढ़, ओसियां, बिलाड़ा व भोपालगढ़ में उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले कैरोसिन तेल की खुदरा दर कब निर्धारित की गयी थी ?

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस विभाग को सम्भालने के बाद सामान्य निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पूरे प्रदेश में कैरोसिन के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज में कुछ त्रुटि है। उसको सुधार करके दिनांक, 2 फरवरी, 1994 को कैरोसिन के लिए एक नया आर्डर निकाला गया। चूंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई दिक्कतें थीं और जगह-जगह से बार-बार क्वेरीज आ रही थीं, तो सभी डी.एस.ओज. को यहां बुला कर इस नये आर्डर के बारे में समझाया गया। यहां से जाने के बाद डी.एस.ओ., जोधपुर ने जिन-जिन स्थानों की दूरी की जानकारी थी वहां-वहां के रेट्स निर्धारित कर दिये। जोधपुर के 12 स्थानों में तीन स्थान फलौदी के भी हैं, फलौदी, भाक और लोहावट। यहां तक के रेट्स निर्धारित कर दिये। इससे आगे जो इंटीरियर के गांव थे, चूंकि उनकी दूरी की जानकारी नहीं थी इसलिए तहसीलदार और एस.डी.ओ. से दूरी के बारे में जानकारी चाही गयी। अलग-अलग जगहों से जैसे-जैसे दूरी की जानकारी आयी, वहां के रेट्स निर्धारित कर दिये गये। फलौदी के यहां से जब जानकारी नहीं मिली तो लगातार छह पत्र लिखे गये, उसमें से तीन डी. ओ. लैटर्स हैं और आखिरी पत्र जो लिखा है

(डा. रामप्रताप)

उससे पहले यहां से हमारे एडीशनल फूड कमिश्नर निरीक्षण के लिए वहां गये तो जब यह खामी पायी तो उन्होंने इसको गम्भीरता से लेते हुए कलक्टर से बात की और उसके बाद में डी. ओ. लैटर लिखा गया 19.1.1995 को और वहां से जैसे ही दूरी का हमें पता चला तो नये रेट्स लागू कर दिये गये। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या से कम से कम एक चीज की मैं उम्मीद करता था, मेरे विभाग सम्भालने से पहले पूरे प्रदेश में यह रेट्स लागू थे और तकरीबन दो, तीन, चार, आठ, दस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उपभोक्ताओं से ज्यादा लिये जा रहे थे, मैंने आकर इसको दुरुस्त किया तो मैं यह उम्मीद रखता था कि कम से कम थोड़ी बहुत शाबासी मिलेगी। उसके पेटे इन्होंने इसको दूसरे तरीके से लिया। मेरे विभाग की कोई कमी नहीं है। इसको हमने सुधारा है और इसमें एस. डी. ओ. ने अगर थोड़ी बहुत कोई ढिलाई बरती है तो उसके लिए हम कलक्टर महोदय को जरूर लिखेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह तो बताया ही नहीं कि रेट्स कब निर्धारित कीं, क्या हुआ, इसका तो कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 1994 की पालना में इन्होंने साल भर तक क्या किया, इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो कोई संतोषजनक है ही नहीं। बात तो कुछ इन्होंने बतायी ही नहीं है कि क्या है। मेरा सवाल क्या है और इन्होंने जवाब क्या दे दिया। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बात यह है कि जनता को कितना इससे लॉस हुआ है या सरकार को लॉस हुआ है। किसी न किसी को तो लॉस हुआ ही है इसका। इन्होंने इस बात का तो कुछ खुलासा किया ही नहीं है। इन्होंने तो खाली अपनी बात कह दी और कह दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) देखिये, साहब, बात गम्भीर है, आप इस बात को गम्भीरता से लें। चाहे सरकार को नुकसान हो या जनता को नुकसान हो, किसी न किसी को तो हुआ ही है। आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। यह कोई बात नहीं हुई। साल भर तक क्या किया ? जब खाद्य विभाग का पत्र चला गया था उसके बावजूद भी वहां के रसद अधिकारी ने या जो कोई भी अधिकारी हैं उन्होंने साल भर तक क्या किया, इसका इन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर से आठ पैसे प्रति लीटर अधिक देने पड़ रहे हैं ? इन्होंने लिखा, जी नहीं। कैसे जी नहीं ? आप बता दीजिये, पहले रेट्स क्या थीं, अब क्या है। मैं तो कह रही हूं कि कुछ भी मत बताइये, आप यह बताइये कि वहां डीलर कौन था। यह बता दीजिये। आपका डिस्पेच नम्बर बता दीजिये। आपने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कब किया ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कुछ तो स्पष्टीकरण दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह तो जनता के हित की ही बात है, उसके ऊपर ऐसी कार्यवाही करें या कोई कमेटी बैठा दीजिये। कुछ न कुछ तो करिये। दूसरा प्रश्न है कि अधिक देने पड़ रहे हैं, क्या सरकार अपने निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? मंत्री महोदय का उत्तर है, अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इन्होंने लिखा है, प्रश्न ही नहीं उठता। यह क्या बात हो गयी ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चाहते हैं काम करना मगर यह अधिकारी लोग सही तरीके से जवाब नहीं देकर उलझन में डाल देते हैं और यह अधिकारी लोग ......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बात भूल जायें अधिकारी लोग कि यह कोई कांग्रेस का राज नहीं है। यह भैरोंसिंह शेखावत का राज है। यह भारतीय जनता पार्टी का राज है। जनता के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। यह तो कांग्रेस के राज में होता था इस तरह से भ्रष्टाचार।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है, यह कभी नहीं चाहेंगे कि भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार के साथ ऐसा हो। यह मंत्रीजी से जवाब गलत दिलवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अधिकारियों के कहने से उत्तर नहीं दें। आप देखिये तो सही इसके अन्दर वास्तविकता क्या है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, आप कुछ चाहेंगे तो मैं भी इसका उत्तर देने के लिए सक्षम हूं और दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप पाइंटेडली क्वेश्चन पूछें। बिराजिये आप। **खेतसिंह** जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह जोधपुर में कैरोसिन के बारे में तीसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक-एक साल की बात आ रही है, पहले भी एक साल की बात आयी और उसको बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं, वह पहले भी जवाब दिया है उन्होंने।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात रख रही हूं। आपको खुशी होनी चाहिये, सदन को भी खुशी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

होनी चाहिये कि मैं सही बात रख रही हूं। यह अधिकारी उस कांग्रेस सरकार के आदी हैं इसलिए इनको मजा आता है। मगर यह शेखावत सररकार बरदाश्त करने वाली नहीं है कि जनता के कुछ हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, पांच साल में तो बच्चा पढ़ने चला जाता है, अब कहां कांग्रेस रही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर से विधायकाजी ने जो बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करते हुए कहता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय से पिछले क्वेश्चन में भी यह रिक्वेस्ट की थी कि आप असेम्बली के सत्रावसान के बाद के बाद मेहरबानी करके जोधपुर आइये और एक मीटिंग रखिये जिसमें हम एम.एल.ए. को भी बुलाइये। उन्होंने शक्कर में गड़बड़ की है, उन्होंने कैरोसिन में गड़बड़ की है वह हम आपके सामने फिगर्स रखेंगे और उन फिगर्स को देख कर उनको सुधारिये फिर आपको वाहवाही देंगे। आप तो पहले ही कहते हैं कि मुझे तो आप वाहवाही दे दो, मैंने बहुत बढ़िया काम किया (व्यवधान)। हम आपकी तारीफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सात-सात, आठ-आठ पैसे कम किये, इसके लिए कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए आप तारीख दीजिये और यह कहिये कि मैं उस तारीख को आकर सारे एम.एल.एज. को बुलाकर यह बात करूंगा और डी.एस.ओ., कलक्टर सब होंगे और उसके अन्दर फैसला करेंगे।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही कि यह कांग्रेस का राज नहीं है, यह मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि माननीय भैरोंसिहजी का राज है और उनकी मंत्री परिषद् में मैं भी एक सदस्य हूं और उसी बात के पेटे अगर दो पैसे से लेकर 8-10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पूरे प्रदेश का आप हिसाब लगाओ तो कितने पैसे की कमी हमने निकाली है इसके अन्दर और कंज़ूमर को इससे कितना फायदा हुआ है।

इसके अलावा माननीय सदस्या ने पूछा कि 8 पैसे प्रति लीटर अधिक है, तो यह कोई फिक्स चीज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की जितनी दूरी कम होगी उसके हिसाब से इसका नफा-नुकसान होता है। जहां तक इन्होंने पूछा है कि दूसरी जगह कब-कब किया, तो बालेसर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, जोधपुर और शेरगढ़ में हमने 7.10.1994 से यह आदेश लागू कर दिये। इसमें देरी हुई इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि यह इसके इण्टरप्रिटेशन में बड़ी भारी दिक्कत आ रही थी। अगर माननीय सदस्या खुद इस चार्जेज की रेट लिस्ट देखें तो मेरे ख्याल से 10 दिन तक अकेली इस काम में लगी रहें तो समझ में नहीं आयेगा, यह मैं मानता हूं। उसके बाद में पीछे औसियां रहा, उसको हमने 1.12.1994 से लागू किया। फलौदी में जो देरी हुई उसके लिए 6 लैटर्स मेरे पास हैं, लगातार हमने एस. डी. ओ. को लिखा है।

(डा. रामप्रताप)

निश्चित तौर पर रेवेन्यू स्टाफ ही हमें यह दूरी बतायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मंत्री महोदय, पहले भी आपने यह बताया, माननीय सदस्या ने जो पूछा है उसमें आपने हां भरी है। सरकार ने इतने लैटर्स लिखे। जिसकी आपके ज़िला अधिकारी ने पालना नहीं की उसके लिए आपने क्या किया? आपने लैटर्स लिख दिये। आपने लैटर्स इसलिए लिखे कि आप मान रहे थे कि यह गलती कर रहे हैं। आपने 6 लैटर्स लिखे और उसमें कुछ नहीं किया, उनके विरुद्ध क्या किया आपने?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

डा. रामप्रताप : यह लैटर मेरे जिला अधिकारी के लिखे हुए हैं, एस. डी. ओ. को लिखे हुए हैं। उसके बाद कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो यहां से एडिशनल फूड कमिश्नर गये हैं उनको उन्होंने गम्भीरता से लेते हुए कलक्टर से बात की है। (व्यवधान) यह आपके वक्त के आर्डर्स हैं, जिसको दुरुस्त किया। कम से कम इसका तो ध्यान रखो।

माननीय खेतसिंह जी ने यह बात उठायी है, निश्चित तौर पर मैं जोधपुर जाऊंगा, वहां पर मैं मीटिंग लूंगा उसमें आपको भी जरूर सम्मिलित करूंगा। शक्कर की जो बात कही गयी है ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया बस।

डा. रामप्रताप : बालेसर में शक्कर के जो के. वी. एस. एस. के इन्चार्ज हैं वह माननीय खेतसिंह जी के भाई हैं, अगर वहां कोई कमी है तो मैं उसको भी निश्चित तौर पर देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री उदयलालजी आंजना। बिराजिये आप, हो गया प्रश्न। अब मंत्री महोदय जोधपुर पधारेंगे उसी दिन सारी समस्याओं का निराकरण कराइये। बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इनका जवाब ही नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय उदयलालजी आंजना।

बाड़ी मानसरोवर बांध (निम्बाहेड़ा) का निर्माण

491. **श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा में बाड़ी मानसरोवर बांध का निर्माण कितने वर्ष में पूर्ण कराने की योजना थी?

(2) वर्तमान में बाड़ी मानसरोवर बांध के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है?

(3) क्या बाड़ी मानसरोवर बांध क्षेत्र से प्रभावित काश्तकारों अथवा अन्य मुआवजा हकदारों को मुआवजा राशि का वितरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कितने हकदारों को मुआवजा नहीं दिया गया एवं उन्हें कब तक मुआवजा राशि दे दी जावेगी?

(4) बाड़ी मानसरोवर बांध निर्माण की कुल लागत क्या है तथा अभी तक कितना खर्च हो गया है?

(श्री उदयलाल आंजना)

(5) बाड़ी मानसरोवर बांध के कौन-कौन से कार्य हो गये हैं, किस हिस्से का कार्य बाकी है तथा बांध का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) बाड़ी मानसरोवर बांध का निर्माण कार्य 6 वर्षों में पूर्ण करने की योजना थी।

(2) वर्तमान में बाड़ी मानसरोवर बांध निर्माणाधीन है।

(3) मुआवजे का आंशिक भुगतान किया जा चुका है। 165 हकदारों को उनके मकानों, कुओं व भूमि का मुआवजा भुगतान करना शेष है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है। शेष मुआवजा राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करना प्रस्तावित है।

(4) बाड़ी मानसरोवर परियोजना की संशोधित लागत 1244.7 लाख रुपये है तथा मार्च, 1995 तक 621.39 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(5) परियोजना अभी निर्माणाधीन है। मिट्टी के बांध का 65 प्रतिशत व स्पिलवे एवं नहरों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना मार्च, 1998 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

श्री उदयलाल आंजना : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में बताया गया है कि 6 वर्ष में कार्य पूरा हो जायेगा और खण्ड पांच में बताया गया है कि मार्च, 1998 तक कार्य पूरा होगा। विरोधाभास तो इसी से उत्पन्न हो रहा है कि 9 साल का पीरियड इन्होंने वैसे ही बता रखा है जबकि 6 साल में यह योजना पूरी होनी थी। पिछले एक साल से काम बंद पड़ा हुआ है। गत 31 जनवरी, 1994 को राजस्थान सरकार का आधा मंत्रिमण्डल बांध पर आया, हजारों काश्तकार वहां पर इकट्ठे हुए और सबके सामने घोषणा की थी कि इसी साल इस बांध में पानी भर दिया जायेगा लेकिन जिस दिन से मन्त्रिमण्डल वहां आया उस दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वहां घोषणा यह भी की थी कि मिनी चीफ मिनिस्टर पधारे हैं इसलिए यह काम तो तुरन्त ही पूरा हो जायेगा। लेकिन उसके बाद में स्थिति निराशाजनक है और आज दिन तक काम बंद पड़ा हुआ है। सरकार यह स्पष्ट बताये कि कब तक बांध का काम शुरू करा देंगे ? नोटिफिकेशन का समय दो साल का था। दो साल का समय पूरा हो गया उसके बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। वहां एक काश्तकार का एक कुएं का भुगतान बाकी है और खेत का दे दिया। अधिकारियों को इसीलिए वहां होना चाहिए कि जब वह खेत का मुआवजा दे रहे हैं तो कुएं का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। इसी खेत में वह कुआं है। जो मकान बांध के बाहर एक फर्लांग भी दूर नहीं है अगर काश्तकार की जमीन वहां है तो काश्तकार मकान लेकर वहां रहेगा, लेक पैलेस में जाकर नहीं रहेगा। जहां उसकी खेती होगी वहीं मकान लेकर रहेगा। तो मकान का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले वर्ष मैं स्वयं

(श्री देवीसिंह भाटी)

वहां मौके पर जाकर आया था और काश्तकारों की यह मांग थी और समस्या थी। वाजिब मांग थी। उनकी मांग थी कि आप इर्रिगेशन के बी. एस. आर. के ऊपर हमें मुआवजा दे रहे हैं, यह अनुचित है, हमें पी. डब्ल्यू. डी. के बी. एस. आर. के ऊपर मुआवजा का मुगतान होना चाहिये। उसी वक्त मैंने मौके पर निर्णय लिया और निर्देश दे दिये और उसी के अनुरूप पी. डब्ल्यू. डी. के बी. एस. आर. के आधार पर उन काश्तकारों को भुगतान कर दिया जायगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और जून, 1995 के अन्दर सारा मुगतान कर दिया जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : देरी का क्या कारण है मुगतान का ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह मैंने बी. एस. आर. वाला बताया कि यह झगड़ा पड़ गया था। पहले इर्रिगेशन (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : इर्रिगेशन की बी.एस.आर. और पी. डब्ल्यू. डी. की बी. एस. आर. की बात हो रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : अभी आपने जो उत्तर दिया उसमें आपने साफ कहा है कि मुआवजे का पूर्ण भुगतान कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि जून में करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य, जमीन के भुगतान के बारे में कोई विवाद नहीं था। जमीन का भुगतान कर दिया गया है, कुछ बाकी रह गया है जिसके लिए थोड़ा विवाद था। बाकी कुओं का और मकान के बी. एस. आर. के ऊपर झगड़ा था उसके लिए मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोतीलालजी।

श्री उदयलाल आंजना : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह तो बता दीजिये कि बांध का काम वर्तमान में बन्द पड़ा है....

श्री अध्यक्ष : 1995 तक भुगतान हो जाएगा, माननीय मंत्रीजी ने आश्वस्त किया है।

श्री उदयलाल आंजना : भुगतान तो हो जायेगा लेकिन काम तो शुरू हो। बांध का काम तो बन्द पड़ा है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस बांध के सम्बन्ध में दो प्रकार के इंटरेस्ट हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बांध बने और जिनकी जमीन डूब में आने वाली है वह चाहते हैं कि बांध नहीं बने। बहुत ही कठिनाई से यह बांध मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद में इसमें काम चालू हुआ और काम चालू होने तक इसमें कई बार अवरोध पैदा किये गये कि काम चालू नहीं हो। फिर आया मुआवजा का प्रश्न। इस मुआवजा के प्रश्न को लेकर लोग कोर्ट में जाते रहे और उनकी आज भी इच्छा है कि किसी भी हालत में इसमें जितनी देरी होगी उतने समय जो डूब में आने वाली जमीन है उसमें हम खेती करते रहेंगे। यह एक वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला है। मैं चाहूंगा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटायें। मुआवजा का प्रश्न या

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

किसी प्रकार का प्रश्न हो, क्योंकि उसमें पूंजी बहुत लग गयी है और जो लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं वह बड़े उतावले हो रहे हैं तो उसके कारण से उस जमीन में कोई न कोई कोर्ट के आदेश आ जाते हैं जिसके कारण से काम नहीं होता। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि मौके पर जाकर या किसी को भेज कर इस बात की कार्यवाही जल्दी करवा लें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वहां से जीतने के बाद में आप मुख्य मंत्री बने, आपके रहते हुए अगर अभी तक मुआवजा सैटल नहीं हुआ तो यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। फिर तो सारे मामले का भगवान ही मालिक है। फिर तो आप यही कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उनका दुर्भाग्य तो उसी दिन खतम हो गया जिस दिन मैंने बांध की मंजूरी करवा दी। यह दुर्भाग्य आपके साथ था, 30-35 वर्षों से लगातार लोग कोशिश कर रहे थे कि यह बांध बनना चाहिये, 30-35 वर्षों में बना नहीं। मैं जब विधायक बना वहां से, उस समय मैंने कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम निकला कि यह बांध मंजूर हो गया और उसमें काम चालू हो गया। तो दुर्भाग्य तो 35 वर्ष तक था वह खतम हो गया। इस मामले में जल्दी से जल्दी आपस में समझौता कराकर या किसी प्रकार का विवाद हो या कम्पेनसेशन ज्यादा देना हो या और किसी प्रकार की प्रक्रिया में कम्पेनसेशन देने की बात हो तो करवाने के बाद में, इच्छा हमारी भी है कि इतना समय लग गया, जल्दी से जल्दी बांध बने और लोगों को इसका लाभ मिले।

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी से जल्दी बांध तो आप बनाइये लेकिन जल्दी से जल्दी आप काश्तकारों को मुआवजा दिलायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुआवजा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : जून, 1995 तक के लिए कह दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : 1995 तक के लिए कह दिया और इसीलिए हमने काश्तकारों के साथ अभी 20.3.95 को समझौता करके यह घोषणा कर दी और जून, 1995 के पहले सारा भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : समझौता किस बात का किया गया था ?

श्री देवीसिंह भाटी : काश्तकारों ने विवाद खड़ा कर दिया, काम रोक दिया, जैसा माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं मौके के ऊपर काम रुकवा दिया और हमने यह सारा प्रयास करके, यह समझौता करके तुरन्त यह काम भी शुरू करा दिया और यह सारा भुगतान भी शुरू हो जायेगा। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 492

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल जी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री उगमराज जी। (व्यवधान)।

अब क्या बाकी रह गया ?

श्री उदयलाल आंजना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है कम से कम काश्तकारों से बात करके बांध का काम तो शुरू कर दें। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, उस बात से मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करवा देंगे।

श्री उदयलाल आंजना : कुछ लोगों की जमीन जा रही है लेकिन आज की स्थिति विपरीत है। आज दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि काम शुरू हो लेकिन कोई आकर बात तो करे मौके पर। केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस काम को रोका जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें राजनीति कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें राजनीति नहीं है। बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें लोगों का खुद का इंटरेस्ट है और इंटरेस्टेड हैं वह कोर्ट में जाते हैं।

श्री उदयलाल आंजना : काम जल्दी शुरू हो जाये, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काम जल्दी ही होगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पूछना है? (व्यवधान)।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जो बांध 1984-85 में स्वीकृत हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : बाड़ी बांध के बारे में बात हो रही है, निम्बाहेड़ा है। बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरा निवेदन यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कोई एनसाइक्लोपीडिया लेकर थोड़े ही बैठे हैं। बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इस वर्ष स्वीकृत हुए थे बांध और उनकी दो करोड़ की लागत थी, आज इन्हीं बांधों की जो काम नहीं होने की वजह से ...(व्यवधान) आज आठ-आठ, दस-दस करोड़ रुपया उन पर खर्च हो चुका है, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, थोड़ा उन पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री उगमराज जी मेहता।

पुराना बस स्टैण्ड, ब्यावर की भूमि हस्तांतरण प्रकरण

493. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर परिषद् की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पर पुराने बस स्टैण्ड के किराये की लगभग 23 लाख रुपये की राशि बकाया

(श्री उगमराज मेहता)

है ? यदि हां, तो परिषद् के बार-बार पत्राचार के उपरान्त यह राशि क्यों नहीं दी जा रही है ? अब कब तक यह राशि नगर परिषद् को दे दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुराने बस स्टैण्ड की भूमि का उपयोग निगम नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो इसका हस्तांतरण आज तक नगर परिषद् को क्यों नहीं किया गया ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार) : (1 व 2) ब्यावर नगर परिषद् परिवहन निगम से उक्त राशि पुराने बस स्टैण्ड के किराये हेतु मांग रहा है। किन्तु राशि की गणना निगम को स्वीकार्य नहीं होने से परिवहन निगम और नगर परिषद् में विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसे आपसी चर्चा कर शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा।

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है नगर परिषद् में व निगम में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसे आपसी चर्चा कर शीघ्र निपटा दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् और रोडवेज के बीच में यह विवाद 1964 से चल रहा है। जिस समय उन्होंने लिखकर दिया है वह सिर्फ जहां कंस्ट्रक्शन किया है, उस जमीन का ही किराये के लिए कह रहे हैं, जबकि बस स्टैण्ड है वहां पर और बसें खड़ी रहती हैं। उस प्रिमिसेज के लिए तो यह बिल्कुल डिसएग्री हो रहे हैं, जबकि जनरल मैनेजर राजस्थान स्टेट रोडवेज ने नक्शे पर दस्तखत करके दिये हैं कि इतनी वर्ग गज जमीन हम यूज कर रहे हैं। यह नक्शा है। 77,600 रुपये प्रतिवर्ष किराया है। 1185.78 वर्ग गज भूमि उनके कब्जे में है और आज दिन तक वह किराया नहीं दिया है जो 23,92,677 रुपये होता है। यह 25.2.64 से 25.12.94 तक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कि जो 23 लाख रुपया है वह अण्डर प्रोटेस्ट आप जमा करा दें और स्वायत्त शासन मंत्रीजी और आप दोनों मिलकर के बाद में फैसला दें। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या हाउस टैक्स के भी तीन लाख रुपये आपके 10 वर्ष के अभी तक बकाया हैं ? वह भी आप अभी देना चाहेंगे या नहीं ? कब तक देंगे ?

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने नगर परिषद् को जो रोडवेज द्वारा 23 लाख रुपये किराये के भुगतान करने की बात कही है, इसमें एक्चुअली दोनों विभागों के बीच किराये की राशि को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पत्रावली से सरकार और रोडवेज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने मुझे अवगत कराया है उसके हिसाब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फरवरी, 1964 में रोडवेज को 99 वर्षों की लीज पर 70 × 28½ फीट, यानि 221.67 वर्ग गज भूमि 10 रुपये प्रति वर्ग गज नजराना और पांच पर्सेण्ट उसका वार्षिक किराये पर म्यूनिसिपैलिटी ने प्रस्ताव लेकर रोडवेज को दे दी।

(श्री रोहिताश्व कुमार)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजनल रेट दी है सब्जेक्ट टू दी गवर्नमेंट एप्रूव्ल। इसके बाद में 1974 में स्वायत्त शासन विभाग ने रेट रिवाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह 10 रुपये प्रति वर्ग गज आज जो नजराना है और पांच पर्सेण्ट वार्षिक किराया है, यह वाजिब नहीं है और उन्होंने रेट रिवाइज करके ढाई सौ रुपया प्रति वर्गगज और उसका पांच पर्सेण्ट अरबन असेसमेंट करके किराये का तय कर दिया। अब उसके हिसाब से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कहा कि हमारी तो नगर परिषद् से म्युचुअल अण्डरस्टेण्डिंग थी। म्युचुअल अण्डर स्टेंडिंग नगर परिषद् और रोडवेज के बीच में जो तय हुई, उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसको पढ़ने से स्थिति साफ होगी। इस लैटर में लिखा है, नगर परिषद्, ब्यावर का एक प्रस्ताव है, निश्चय किया गया कि राजस्थान रोडवेज को बस स्टैण्ड पर यानि कि नगर परिषद्, ब्यावर का अपना एक बस स्टैण्ड था उसके ऊपर, $70 \times 28\frac{1}{2}$ फीट नजूल जमीन, उनके अपने बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु 99 वर्षों के लिए किराये पर दे दी जाये। यह जमीन श्री बस्तीराम की होटल व धर्मशाला के बीच में होगी, जिसका नजरी नक्शा आयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा 25 फरवरी, 1964 से फाइल में संलग्न है। चूंकि यह अर्द्ध सरकारी संस्था है, अतः सार्वजनिक नीलाम करने की आवश्यकता नहीं है। इस जमीन की रिजर्व प्राइस या नजराना 10 रुपये प्रति गज निश्चित किया जाता है और उसका वार्षिक किराया उपरोक्त नजराने का पांच पर्सेण्ट निश्चित किया जाता है, जो राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या इतना, इतना दिनांक 09 मई, 1963 के अनुसार हर 15 साल में रिवाइज किया जा सकता है। चूंकि राजस्थान स्टेट रोडवेज को जमीन की फौरन ही आवश्यकता है, अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आशा में जमीन का कब्जा दे दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह नगर परिषद् का प्रस्ताव है और इसमें टोटल लैण्ड की जो बात आयी थी $70 \times 28\frac{1}{2}$, रोडवेज ने किराये के 3648.30 की सैंक्शन जारी कर दी, 1964 से लगाकर 1977 तक। इसके बाद में जैसा कि स्वायत्त शासन विभाग ने जो रेट तय की, उसको भी रोडवेज ने रिकंसीडर कर लिया और उसके हिसाब से रोडवेज ने कहा कि ठीक है। जो अरबन रेट है, उस वक्त ब्यावर में 30 रुपये वर्ग गज के हिसाब से आम रजिस्ट्रियों की रेट थी, उसके हिसाब से इसका असेसमेंट करके, अध्यक्ष महोदय, रोडवेज ने जैसा स्वायत्त शासन विभाग का 332.50 की सालाना दर से जो किराया बनता था इस 4,407.64 का नगर परिषद् को मुगतान कर दिया। यहां तक तो मामला ठीक था। सारे कागजों के हिसाब से कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई लेना-देना नहीं। अब 1986 में वहां एक एस.डी.ओ. आते हैं ब्यावर में जो कि नगर परिषद् के एडमिनिस्ट्रेटड भी थे, उन्होंने न जाने क्या सोच करके जैसा कि नगर परिषद् के प्रस्ताव में था, अध्यक्ष महोदय, जो भी इसमें देने की शर्तें हुई थी उसके बजाय सारे बस स्टैण्ड

(श्री रोहिताश्व कुमार)

का किराया रोडवेज पर थोप दिया, डिस्प्यूट यहां से शुरू होता है। रोडवेज का पूरा करीब 1186 वर्ग फीट के लगभग है, उस सारे के सारे वर्ग गज का दे दिया कि इतना किराया दो और उस हिसाब से जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, 23 लाख के लगभग बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब दो विभागों का इसमें डिस्प्यूट यह है। एक तरफ तो जो मौजूदा पत्रावली है उसमें तो इस जमीन का रोडवेज से कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं, रोडवेज इतना ही पैसा देने को तैयार है जितना कि उनसे एग्रीमेंट हुआ है। सारे पेपर्स पास में हैं। उसके बावजूद भी मैं, माननीय सदस्य और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, रोडवेज के एम. डी., हम सब बैठ जायेंगे और पत्रावली देख लेंगे और अगर यह न्यायोचित है तो निश्चित तौर पर दे दिया जायेगा और न्यायोचित बनता ही नहीं है तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता इतना किराया देने का। इसलिए जो भी फैक्ट्स हैं उन पर हम देने को तैयार हैं और बैठ करके हम फैसला कर लेंगे।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जो 70 × 28½ गज का कह रहे हैं उसमें कन्स्ट्रक्शन है और आप कह रहे हैं कि रोडवेज की दूसरी बसें, प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं। आपके यहां के जनरल मैनेजर का यह लैटर है और उनका यह नक्शा है, इस नक्शे में दर्शाया गया है कि प्राइवेट का पास में दूसरा है और इनके यहां यूज कर रहा है वह अलग है। उनके दस्तखत हैं, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर के दस्तखत हैं इस नक्शे में। रोडवेज के जनरल मैनेजर ने यह पत्र दिया है :—

"I am sending herewith a site plan of the land proposed for construction of Bus Station at Beawar duly signed by me. It is requested that the land in question may kindly be allotted to this department immediately and the price for this land will be paid at the rate which may be fixed by the Local Self Government Department."

इसके बाद डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर को बुला करके तय करने के बाद रेट फिक्स करके देगा। मतलब आज दिन तक रोडवेज के यहां से कोई चिट्ठी नहीं आयी कि इतना पैसा हम आपको देंगे। नया बस स्टैण्ड बन गया उसके उपरांत भी एक पैसा आज दिन तक नहीं दिया, न कब्जा दिया है। अभी तक कब्जा नहीं दिया है। कब्जे की बात कहते हैं तो कहते हैं हमारा कन्स्ट्रक्शन बाकी है उसका तो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं। जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो कब्जा सम्भलाओ।

मैं, माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपस में बैठिये लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रोडवेज वाले, उसके पहले बीस लाख, तेईस लाख जितना भी आप देना चाहें पहले वह रुपया तो हमें दीजिये। बाकी आप आपस में बैठ करके चर्चा कर लें। आज नगर परिषद की हालत यह है कि तनख्वाह नहीं चुका सकते। आप पैसा नहीं देते हो, नया पैसा। तीन लाख रुपये और आप जो बात कह रहे हैं कितने हजार रुपये की, कि हमने पेमेण्ट किया है, इसका नहीं किया है वह। चांद गेट पर बस स्टैण्ड दूसरा है उसका पैसा आपने दिया है।

(श्री उगमराज मेहता)

अभी उसमें भी बाकी है और आप कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। बैठ करके बात कर लें।"

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, आप इसमें इन्टरवीन करिये और पैसा दिलवाइये इनसे। आज नगर परिषद की हालत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं आप मन्त्री जी के साथ बैठें, कमिश्नर साहब को बुला लेंगे और तय कर लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ब्यावर का ही मसला नहीं है। यह रोडवेज नगर परिषद से किराये पर तो ले लेती है और उनको किराये का भुगतान नहीं करती है। इसी तरह गंगापुर नगरपालिका का आपके बस-स्टैण्ड का रोडवेज के ऊपर साढ़े सात लाख रुपया बकाया है। इसके बारे में सदन में मैंने 1985 में भी काफी हंगामा किया था और काफी निवेदन किया था लेकिन आज तक नगर परिषद गंगापुर को पैसा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय पल्लीवाल जी, अभी ब्यावर की बात हो रही है। बिराजिए आप। माननीय मन्त्री जी के पास सारा रिकार्ड नहीं है। बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं यह नहीं कह रहा कि इसका जवाब दें। मैं तो कह रहा हूं कि नगर परिषद को कहीं भी यह रोडवेज किराया देना नहीं चाहती। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : मैं जांच करा लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी मंत्रीजी के पास सारे राजस्थान की सूचना नहीं है, ब्यावर की बात हो रही है। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : स्वायत्त शासन मंत्रीजी के साथ बैठ करके जल्दी से जल्दी निपटाये उससे पहले हमें पैसा दिलवाइये। बीस-पच्चीस वर्ष हो गये (व्यवधान) गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां नगरपालिकाओं के ऊपर बकाया है उनकी सबकी सूचना एकत्रित करके उनका सबका निस्तारण करा दें, सबको निपटा दें। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : और हैंड ओवर करके वह जगह नगर परिषद को दें।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, वह जो जमीन है जहां पुराना बस स्टैण्ड है (व्यवधान) ब्यावर का, मेरा सम्बन्धित क्षेत्र है। वह जमीन है उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, उसका मिस यूज हो रहा है। वहां ताश पत्ती खेली जाती है, लाटरी बेची जाती है, अवैध काम होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी को वह बिल्डिंग हैंड ओवर कर दें। बाकी जो किराया है...

श्री उगमराज मेहता : बिल्डिंग नहीं, जमीन अभी तक नहीं दी है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपके क्या बाकी रह गया, सिरोही का बाकी है ? अभी मात्र ब्यावर की चर्चा चल रही है। विराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष : अब कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी, विराजिये आप। यह नजराना तो होता है, संसदीय भाषा है। राज दरबार में किया जाता था और संसद की तरह किया जाता था।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नगरपालिकाओं की भूमि पर आपके बस-स्टैण्ड बने हुए हैं और यह मामला कई दिनों से चल भी रहा है। मेरा माननीय सदस्यों को यह निवेदन है कि इस विषय पर मैं और जो इस विभाग के मंत्री हैं, बैठ करके निर्णय कर लेंगे। जिसको जो कुछ देना है उसका निपटारा जल्दी कर देंगे।

प्रश्न संख्या 494

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह सिंह जी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नारायण लाल।

जाखम परियोजना, धरियावद की नहरों एवं नहर प्रणाली में ड्रेनेज निर्माण

495. श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई परियोजना जाखम, धरियावाद की नहरों एवं नहर सिस्टम प्रणाली में ड्रेनेज का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने किलोमीटर ड्रेनेज का कार्य पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहरों एवं नहर प्रणाली में सीपेज से जमीनें ऊसर होती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रोकथाम का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी नहीं। ड्रेनेज निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

श्री नारायण लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग दो में जो उत्तर दिया है वह पूर्णतः असत्य एवं तथ्यों से परे है जबकि नहरों से सीपेज हो रहा है। क्या मंत्री महोदय सीपेज को रोकने के लिए कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां,

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(20)

(श्री नारायण लाल)

तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उदाहरण के तौर पर श्रीगुढ़ा, करनाल, गोमणिया, पीपलिया, ददबास, बार्तोला, ओरड़ा, नाग, बिल का बास, माडकलां, साहसपुर आदि गांवों की जमीन में सीपेज हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सीपेज की वहां समस्या है और जैसा कि माननीय सदस्य ने पूर्व में यह जानकारी चाही, इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने 1992-93 में टैण्डर्स भी स्वीकृत कर दिये थे लेकिन दो संगठनों के बीच में विवाद होने से वह कार्य शुरू नहीं हो सका। इस क्षेत्र में पानी का मिसयूज होता है और एक्सेस पानी के यूज की वजह से वह पानी बाहर बहकर जाता है। इसके लिए हमारी ड्रेनेज बनाने की योजना है और करीबन तीस प्रतिशत ऐसा कमाण्ड सिस्टम है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाना है। तो हम इसके अन्दर शीघ्र ही कार्यवाही करके यह ड्रेनेज का सिस्टम चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

विभिन्न जिलों का औद्योगिक विकास

496. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किस-किस जिले में वृहद्, मध्यम व लघु उद्योगों में अब तक कितनी-कितनी पूंजी का निवेश हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ जिलों में विभिन्न कारणों से औद्योगिक विकास अधिक तथा कुछ जिलों में कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास की विषमता को दूर करने के लिए प्रयास करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भामड़ा) : (1) लघु एवं आर्टिजन इकाइयां तथा वृहद् एवं मध्यम उद्योगों का जिलेवार विवरण "अ" एवं "आ", सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि कुछ जिलों में विभिन्न कारणों से औद्योगिक विकास अधिक तथा कुछ जिलों में कम हुआ है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सजग है तथा औद्योगिक विकास की विषमता को दूर करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :—

(अ) उद्योग रहित जिलों एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पांच प्रतिशत (अधिकतम 5.00 लाख रुपये) तथा लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत (अधिकतम 10.00 लाख रुपये) अतिरिक्त पूंजी विनियोजन अनुदान दिया जाता है।

(आ) भारत सरकार द्वारा राज्य के पांच जिलों आबूरोड, बीकानेर, झालावाड़, धौलपुर एवं भीलवाड़ा का ग्रोथ सैण्टर्स के लिए चयन किया गया है। ग्रोथ सैण्टर योजना में विशेष आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(इ) भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1993 से प्रधान मंत्री की रोजगार योजना राज्य में लागू की गयी है। इस योजना के लक्ष्य जनसंख्या के आधार पर सभी जिलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किये गये हैं, जिससे योजना का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से मिल सके।

(ई) ऐसे क्षेत्रों में, जहां उद्यमियों की निवेश में रुचि कम है, खादी तथा ग्रामोद्योगों को विशेष बल दिया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि जो उद्योग रहित जिले हैं और जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जिले आते हैं वहां पर कुछ विशेष प्रयास किये गये। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं राजस्थान में जो कि इन दोनों कैटेगिरीज के अन्दर नहीं आते हैं, जैसे जनजाति क्षेत्र वाले जिले मान लें जहां पर उद्योग नहीं है तो इस प्रकार के जिलों के लिए आप क्या विशेष प्रयास करने जा रहे हैं और आपने अब तक क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

दूसरा उद्योग रहित जिले कौन-कौनसे हैं ? उद्योग रहित जिलों के बारे में आप बता दें क्योंकि किसी न किसी जिले में कुछ न कुछ, कोई न कोई उद्योग तो लगा हुआ है। तो मानदण्ड क्या है ? वह राज्य सरकार का है या केन्द्र सरकार का है कि इतनी राशि तक विनियोजन करने वाले जिले को उद्योग रहित मानेंगे और इतनी राशि तक विनियोजन नहीं हो तो उसको उद्योग सहित मानेंगे ? यह बताने का कष्ट करें।

तीसरा यह कि कब से यह उद्योग रहित जिले वाली पालिसी अपनायी गयी है और यह राज्य सरकार के इनीशिएटिव पर हुआ था या केन्द्र सरकार ने सुओमोटो इनीशिएटिव लिया था ? साथ ही आपने पांच जिले बताये इनमें आबूरोड भी बताया है। आबू रोड जिला नहीं है। तो क्या पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए यह ग्रोथ सेंण्टर की पालिसी एप्लीकेबल है या सिर्फ आबूरोड के लिए है ? कृपया यह भी बताने का कष्ट करें, कुछ जिले जैसे डूंगरपुर, जैसलमेर, धौलपुर, बूंदी हैं और जहां पर बृहद् उद्योगों वाली लिस्ट है उसमें चूरू और जालौर जिले के अन्दर काफी कम विनियोजन हुआ है, तो इन पर्टिकूलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप क्या वहां के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कैम्प वगैरह लगा चुके हैं या लगाने का विचार रखते हैं ?

अन्तिम बात यह बतायें, जैसा आपने यह बताया कि उद्यमियों की निवेश में रुचि कम है, रुचि कम होने का क्या मापदंड रहा ? इस निर्णय पर आप कैसे पहुंचे ? क्या एप्लीकेशंस कम पहुंचीं इस कारण से या आपने वहां पर डिस्बर्समेंट कम किया इस कारण से ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बहुत से सवाल आपने पूछ लिए। पहली बात तो यह है कि उद्योग रहित जिले कौनसे हैं ? यह सूची आपको पूरे राजस्थान के जिलों की दे दी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उद्योग रहित जिले बता दीजिये आप, सभी को जानकारी हो जायेगी।

(22)

श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें एक भी जिला ऐसा नहीं है जो उद्योग रहित है। एक भी जिला नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं पढ़कर सुना देता हूं। जयपुर में लघु एवं आर्टिजन इकाइयों की संख्या 20398 है और पूंजी विनियोजन 24541.02 लाख है। अजमेर में लघु एवं आर्टीजन इकाइयों की संख्या....

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय नहीं गंवाना चाहूंगा। यह पूरी लिस्ट ...

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने पूछा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरे प्रश्न का पहले जवाब दे दीजिये कि उद्योग रहित कौनसे हैं। कुछ न कुछ तो विनियोजन हुआ है। पाइण्टेड प्रश्न है कि सौ करोड़ लगाने को उद्योग रहित मानेंगे, एक करोड़ को मानेंगे, एक हजार करोड़ को मानेंगे? हर जिले में कुछ न कुछ तो विनियोजन हुआ है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने सवाल पूछा है इम्बैलेंस का, असंतुलन का और उसमें आपका आशय यह है कि कहीं पर ज्यादा उद्योग हैं, कहीं पर कम उद्योग हैं। जिन जिलों में बड़ा उद्योग नहीं है कहीं पर कोई भी, छोटे उद्योग हैं, उन जिलों को भी जहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है बड़े उद्योग रहित माना जाता है। बाकी लघु उद्योग सब जगह हैं, कहीं ज्यादा हैं और कहीं कम हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : ऐसा कौनसा जिला है, यह बता दीजिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपके सामने हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें तो 31 जिले उद्योग सहित हैं। सारे जिले उद्योग वाले हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उद्योग मंत्रीजी, क्या सवाईमाधोपुर जिले को आप उद्योग रहित जिला कहेंगे?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इनके साथ मेरा भी है। क्या सवाईमाधोपुर को आप उद्योग रहित जिला कहेंगे? यह जरूर बताया जाना चाहिये, अनुसूचित जाति क्षेत्र का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, क्या आप उसको उद्योग रहित जिला मानेंगे? यह जरूर बतायें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले का इसमें कहा है? दौसा जिले में उद्योग की क्या स्थिति है? कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं दौसा जिले में उद्योगों की क्या स्थिति है?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मंत्री महोदय ने तैयारी नहीं कर रखी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रीजी नहीं बता पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मंत्री महोदय, सारी बात बता रहे हैं। आप....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी जवाब देने

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

में घड़ी में ही 12 नहीं बजा रहे हैं +++

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक सवाल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। अब आपने यह तो बता दिया लेकिन भारत सरकार जिन जिलों में उद्योग कम हैं उनमें 5 साल का इनकम टैक्स का हाली डे करेगी। क्योंकि अब जब लाइसेंस खतम हो गये हैं तब इम्बैलेंस को दूर करने के लिए नयी बेसिक पालिसी उनकी है कि ऐसे जिले जहां उद्योग कम हैं उनको फाइव ईयर टैक्स हाली डे करेंगे। तो राजस्थान के कौनसे जिले उस फाइव ईयर टैक्स हाली डे स्कीम में आने वाले हैं ? नम्बर वन।

नम्बर टू, ऐसे जिले जहां कि एक बड़ा उद्योग लग गया तो उसको हटाकर क्या सरकार .

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता के अधिकार का वंचन हो रहा है। एक प्रश्नकर्ता के अधिकारों का हनन हो रहा है। हम अपने अधिकारों को ऐसे नहीं जाने देंगे। मूल प्रश्नकर्ता के जवाब आते नहीं हैं, उद्योग मंत्रीजी बैठे हुए हैं, उसके बाद में सप्लीमेंट्रीज अलाऊ कर देते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप। प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने दीजिये। आप सब बीच में खड़े हो रहे हैं उससे जवाब देने में कठिनाई होती है। आप सभी खड़े हो रहे हैं। पूरा सुन लें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सदन के सामने इसीलिए वृहत उद्योगों की जो राजस्थान में भिन्न जिलों में....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह 12 बजायेंगे पूरे। घड़ी की बजायेंगे और +++

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके 12 तो बजने ही वाले हैं 5 मिनट बाद। चिन्ता मत करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके 5 मिनट पहले बज गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके हमेशा बजे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये। माननीय, जवाब आने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूची दे देता हूं, यह विवाद का विषय नहीं है। सदन में आप स्वयं तय कर लीजिये, कि किसको उद्योग रहित मानेंगे, और किसको नहीं मानेंगे। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको पूरी सूची दे देता हूं यह जो मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं ? उनका जवाब आने दें। पूरा सुनेंगे तो सही। रामनारायणजी, बिराजें आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(24)

श्री रामनारायण (नैनवां) : सदन जानना चाहता है। पाइण्टेड प्रश्न है, यह मैं कहना चाहता हूं, इसमें बेईमानी हुई है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि यह पालिसी तो इन्होंने निर्धारित कर दी है लेकिन उद्योग रहित जिलों का कोई वर्गीकरण नहीं किया इसी कारण से यह जो सुविधा दिये जाने का सिद्धान्त अपनाया गया है कहीं पर भी कोई .. (व्यवधान) सरकार इसको अवोइड करना चाहती है कोई न कोई जवाब देकर। उद्योग रहित जिला कोई भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक तो पूरी बात सुनें। पूरी बात तो आने दें आप। पूरी बात ही नहीं आती उससे पहले आप, माननीय सदस्य, खड़े हो जाते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, उद्योग रहित जिले केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किये गये हैं और उनमें से चार जिले एक जैसलमेर, एक सिरोही, एक बाड़मेर, एक चूरू को उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सवाईमाधोपुर क्यों नहीं है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाईमाधोपुर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनें। पहले माननीय, पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा एक निवेदन है, सवाईमाधोपुर जिले में सीमेण्ट फैक्ट्री एक मात्र उद्योग था उसके बाद रेलवे लोको कारखाना था, दोनों के दोनों उद्योग वहां से हटा दिये गये, बंद हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनें तो आप। पहले पूरा जवाब आने दें। आप बिराजें। पूरा जवाब आ रहा है। आप पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। लक्ष्मण सिंह जी का मूल प्रश्न है उनका जवाब आने दीजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर को पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए हमने केन्द्र सरकार को निवेदन किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : केन्द्र सरकार करती है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, केन्द्र सरकार ही करती है। अब आपको इसका ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न अनुत्तरित रह गये। क्या यह मानूं कि यह चार जिले हैं वहां पर आप 5 लाख और 10 लाख रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हैं ? क्या यह मानूं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, बिलकुल देते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पंचायत समिति फागी के कैशियर के विरुद्ध दर्ज गबन प्रकरण

492. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति फागी में कार्यरत कैशियर पर पूर्व में गबन का मुकदमा होते हुये भी उसे कैशियर के पद पर लगा रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति ने बीमा एजेन्सी अपनी पुत्री के नाम से ले रखी है जबकि कार्यालय समय में वह स्वयं पंचायत समिति अध्यापकों का बीमा करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति, फागी में कैशियर के पद पर वर्तमान में श्री भगवती लाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं, इनके विरुद्ध गबन का कोई मुकदमा नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में कैशियर पद पर कार्यरत कर्मचारी ने अपनी पुत्री के नाम से कोई बीमा एजेन्सी नहीं ले रखी है और न ही किसी प्रकार का अध्यापक/अध्यापिकाओं का बीमा करता है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के हैण्ड पम्प

494. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु गांवों में कितने हैण्डपम्प/कुए बनाये गये हैं तथा इनमें से कितने बन्द/खराब पड़े हुए हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए आगामी ग्रीष्म काल में ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की जनता को सुनारिया बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा सरकार कब तक इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु ग्रामों में 1408 हैण्डपम्प लगाये गये थे, जिनमें से वर्तमान में 1075 हैण्डपम्प चालू हैं तथा 333 हैण्डपम्प बन्द हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में 9 कुएं बनाये गये। इनमें से सभी कुएं चालू हैं।

(2) वर्तमान में कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की कोई विशेष समस्या नहीं है। (1) में वर्णितानुसार वैसे तो सामान्यत: हैण्डपम्पों का संधारण पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है परन्तु वर्तमान ग्रीष्मकाल में समस्या न हो,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसलिये मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को इस समय चल रहे विभागीय मरम्मत अभियान में ठीक करने का कार्य प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति करने के लिये समस्त प्रयास किये जायेंगे।

(3) कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुनारिया बांध से पेयजल योजना पूर्व में बनायी गई थी परन्तु उसे तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर ही तकनीकी रूप से उचित न मान वापस कर दिया गया था। वर्तमान सूचना के अनुसार कुशलगढ़ शहर के लिए भरतगढ़ एनीकट के पानी को पूर्णतया आरक्षित किये जाने से वर्तमान में सुनारिया बांध से बनायी गयी पेयजल योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नये उद्योगों हेतु प्राप्त प्रस्ताव

718. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति लागू करने के पश्चात् राज्य में नये बड़े उद्योग लगाने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं वे किस स्टेज पर हैं ?

(2) उक्त प्रस्तावों में कुल कितनी पूंजी निवेश एवं कितने रोजगार की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) नई औद्योगिक नीति लागू करने के पश्चात् राज्य में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों के 202 प्रस्ताव राजस्थान के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

राज्य में औद्योगिक नीति, 1994 की घोषणा के पश्चात् 42 वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों ने उत्पादन प्रारम्भ किया है तथा 12 उद्योगों ने भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।

(2) औद्योगिक नीति, 1994 की घोषणा के पश्चात् वृहद एवं मध्यम श्रेणी के जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें 4028.24 करोड़ रुपये का विनियोजन एवं 34041 व्यक्तियों को नियोजन प्रस्तावित है।

नगर पालिका इन्द्रगढ़ (बूंदी) में विभिन्न स्रोतों से आय

719. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगर पालिका इन्द्रगढ़, जिला बूंदी की गत 3 वर्षों में विभिन्न स्रोतों से कितनी-कितनी आय हुई ? आय को किन-किन विकास कार्यों पर प्रतिवर्ष खर्च किया गया ? वर्षवार हुई आय व खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका इन्द्रगढ़ जिला बूंदी की गत 3 वर्षों में विभिन्न स्रोतों से हुई आय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

एवं विकास कार्यों पर किये गये व्यय के विवरण की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

मोहम्मद अली हायर सैकण्डरी विद्यालय, ब्यावर की भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण

720. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के मोहम्मद अली हायर सैकण्डरी विद्यालय की भूमि पर छात्रों के अध्ययन या विद्यालय के अन्य उपयोग हेतु कमरों के निर्माण की कोई स्वीकृति ब्यावर नगर परिषद् द्वारा जारी की गई ? यदि हां, तो स्वीकृति मय स्वीकृत नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विद्यालय द्वारा अपनी भूमि पर "फिरोज खां कामर्शियल काम्पलेक्स" के रूप में व्यावसायिक प्रयोग हेतु दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त निर्माण के लिए नगर परिषद् ब्यावर द्वारा कोई स्वीकृति जारी की गई ? स्वीकृति सदन की मेज पर मय नक्शे के रखें। यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई तो क्यों ? बिना स्वीकृति के निर्माण को रोकने के नगर परिषद् ब्यावर द्वारा क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के प्रशासन ने छात्रों के अध्ययन के लिए कमरों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करके उसकी स्वीकृति के अन्तर्गत वहां कमरों के स्थान पर "फिरोज खां कामर्शियल काम्पलेक्स" नाम से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकानों का निर्माण कराया ? यदि हां, तो इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति मय स्वीकृत नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। विद्यालय द्वारा फिरोज खां कामर्शियल काम्पलेक्स के रूप में दुकानों का अनाधिकृत निर्माण करवाया गया है। दुकानों के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई। कक्षा कक्षों की परिषद् की स्वीकृति के विपरीत अनाधिकृत निर्मित दुकानों को हटाने के लिये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 (11) बी के तहत नोटिस क्रमांक 60 दिनांक 17-10-94 जारी किया गया एवं पुनः नोटिस क्रमांक 71 दिनांक 14-11-94 द्वारा अनाधिकृत दुकान निर्माण हटाने को जारी किया गया।

(3) जी हां। इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को रोकने के लिये समय पर कदम नहीं उठाने के लिये सम्बन्धित

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये नगरपरिषद् को लिखा जा रहा है।

(प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ब्यावर नगर में सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

721. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर नगर में सफाई व्यवस्था के लिये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? पिछले बीस वर्षों में सफाई कर्मचारियों की संख्या में कब-कब, कितनी-कितनी वृद्धि की गई ?

(2) क्या शहर की बढ़ती हुई आबादी तथा जनसंख्या को देखते हुए सरकार सफाई कर्मचारियों की संख्या को पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो सफाई कर्मचारियों की बढ़ोतरी करने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) ब्यावर नगर के सफाई कर्मचारियों को क्या-क्या उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है ? क्या सभी सफाई कर्मचारियों को उनके आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त कर्मचारियों को सफाई उपकरण कब तक उपलब्ध करवा देगी ताकि नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

उत्तर

(1) ब्यावर नगर में सफाई व्यवस्था के लिये तीन स्वास्थ्य निरीक्षक, छः जमादार तथा 333 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछले बीस वर्षों में सफाई कर्मचारियों की संख्या में निम्नानुसार बढ़ोतरी की गई :—

1. 77–78 में 30 सफाई कर्मचारी
2. 79–80 में 30 सफाई कर्मचारी
3. 80–81 में 25 सफाई कर्मचारी

(2) ब्यावर शहर की जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। परन्तु परिषद की आर्थिक स्थिति के अनुसार वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) ब्यावर नगर के सफाई कर्मचारियों को व्हील बेरोज, फावड़े, तगारियां, पिंजर एवं छाजले उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तदनुसार आवश्यक उपकरण आवश्यकतानुसार हमेशा उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

नगरपालिका करौली द्वारा वाहनों से अवैध वसूली

722. **श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका करौली द्वारा नगरपालिका करौली सीमा में प्रवेश करने पर पांच रुपया प्रति वाहन निजी जीप व कारों से वसूल किया जाता है ?

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

(2) यदि हां, तो यह राशि किस नाम से, किस आदेश या अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की जाती है ?

(3) क्या नगरपालिका द्वारा की जाने वाली यह वसूली वैध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। नगर पालिका, करौली द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में प्रवेश करने पर 25 पैसा प्रति यात्री, यात्री कर वसूल किये जाने का प्रावधान है, जिसकी वसूली ठेकेदार के माध्यम से की जाती है। ठेकेदार द्वारा अनाधिकृत रूप से कुछ वाहनों से 5/– रु. प्रति वाहन वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके लिए ठेकेदार को अवैध वसूली हेतु नोटिस दिया जाकर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) नगरपालिका द्वारा यह राशि यात्री कर के नाम से वसूल की जा रही है। यह यात्री कर नगरपालिका अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत नगरपालिका, करौली यात्री कर नियम, 1984 के अन्तर्गत वसूल किया जाता है।

(3) जी हां। नगरपालिका करौली एक तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों के आने से सफाई एवं अन्य सुविधाओं पर नगर पालिका को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु यात्री कर के नियम स्वीकृत किये गये हैं।

किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर में आरक्षित पार्क की भूमि पर अतिक्रमण

723. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर स्थित प्लाट संख्या एच.–29 की भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक पार्क के लिए सुरक्षित घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो उसके मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 में "जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति" का बोर्ड एवं पौधों की सुरक्षा हेतु कुछ ट्री गार्ड्स लगाये गये थे ? यदि हां, क्या तो वे वहां मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो किनके द्वारा हटाये गये हैं ?

(3) क्या यह बोर्ड एवं ट्री गार्ड्स जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना हटाये गये हैं ? यदि हां, तो जनता द्वारा सूचना देने पर भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने के क्या कारण रहे हैं ? यदि रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री भीखा भाई)

(4) क्या गत दिनों में किसी व्यक्ति ने इस सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर उस पर एक कमरा एवं रास्ते की भूमि को कब्जे में करते हुए बाउण्डरी बना ली है ? यदि हां, तो उस दोषी व्यक्ति का नाम क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? अनाधिकृत निर्माण का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या माननीय न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व) जयपुर नगर द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 796/89 रविन्द्र प्रसाद माथुर बनाम चन्दालाल एवं जे. डी. ए. प्रकरण पर अपने निर्णय में इस रास्ते की भूमि पर किसी को अनाधिकृत कब्जा/निर्माण कार्य नहीं करवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को पाबन्द किया गया है ? यदि हां, तो न्यायालय की अवमानना के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या यह सही है कि इस सार्वजनिक पार्क की भूमि पर पूर्व में भी अनाधिकृत निर्माण कार्य हुये थे तथा उन्हें 20 नवम्बर, 1987 एवं 27 अप्रेल, 1994 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया गया था ?

(7) क्या यह सही है कि इस अवैध निर्माण के होते समय जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी इसे तोड़ने हेतु गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम व इसे बिना तोड़े वापस जाने का क्या कारण रहा है ?

(8) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण अब अवैध कब्जे एवं निर्माण कार्य को हटवाने/तुड़वाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किसान मार्ग, बरकत नगर, का एच–29 का कोई भूखण्ड नहीं है। बजाज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की मधुवन दक्षिण/पश्चिम विस्तार योजना का मानचित्र तकनीकी रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें भू. सं. एच–29 को पार्क के लिए सुरक्षित घोषित भूमि में सम्मिलित किया हुआ है।

(2) प्राधिकरण द्वारा जेडीए सम्पत्ति का बोर्ड लगाया गया था, ट्री गार्ड्स विभाग द्वारा नहीं लगाये गये थे। मौके पर मौजूद नहीं है। प्राधिकरण सम्पत्ति का बोर्ड मौके पर से किस व्यक्ति द्वारा हटाया गया इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, परन्तु वर्तमान में श्रीमती मधु शास्त्री ने कब्जा कर रखा है जिसमें न्यायालय के दिनांक 7-3-95 को प्रार्थिनी को समुचित नोटिस दिए बिना एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ध्वस्त नहीं करने के आदेश हैं। न्यायालय के आदेशों की पालना कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) इस प्रकरण में ट्री गार्ड्स व बोर्ड हटाने की प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। श्री रमेशचन्द गुप्ता की शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी को जांच सौंपी गई। जांच से पूर्व ही उपरोक्त वर्णित आदेश जारी हो चुका था। एफ. आई. आर.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दर्ज करने बाबत अभी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ट्री गार्ड्स विभाग द्वारा कीमत लेकर नागरिकों को दिए गए थे जिनकी सुरक्षा एवं रख-रखाव का दायित्व उनका ही था। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) मौके पर एक कमरा व बाउण्डरी-वाल का निर्माण श्रीमती मधु शास्त्री द्वारा किया गया है, श्रीमती मधु शास्त्री द्वारा इस प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में रेफरेन्स दायर किया गया था जिसमें न्यायालय ने दिनांक 7-3-95 को प्रार्थिनी को समुचित नोटिस दिए बिना एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ध्वस्त नहीं करने के आदेश है। न्यायालय के आदेशों की पालना कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूखण्ड का कोई नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया।

(5) यह सही है कि वर्णित वाद में प्राधिकरण को अनाधिकृत कब्जा/निर्माण कार्य न करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। लेकिन प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 7-3-95 के प्रकाश में न्यायालय की अवमानना का प्रश्न ही नहीं उठता है और ना ही कोई अवमानना प्रकरण विचाराधीन है।

(6) यह सही है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाये गये थे।

(7) यह सही नहीं है। लेकिन बाद में श्री रमेशचन्द गुप्ता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी श्री दीपक भटनागर मौके पर मय स्टाफ दिनांक 7-3-95 को गये थे लेकिन इस प्रकरण में अपीलीय अधिकरण का आदेश 4-3-95 को ही हो चुका था जिसे बाद में न्यायालय द्वारा 7-3-95 को ताफैसला स्थाई किया गया था।

(8) न्यायालय के आदेश दिनांक 7-3-95 के अनुसरण में कार्यवाही की जा रही है जो पूरी होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नगर सुधार न्यास, अजमेर की अपूर्ण योजनाएं

724. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर की नगर विकास सम्बन्धी कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में अधूरी हैं और ये योजनाएं कब से क्रियान्वित की जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होने के कारण ये योजनायें बरसों तक चलती रहती हैं और इस कारण विकास कार्यों की लागत में निरन्तर वृद्धि होती जाती है ?

(3) क्या सरकार नगर सुधार न्यासों को योजनाओं की स्वीकृति देने से पूर्व उन योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों

(श्री विष्णु मोदी)

को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब से करा दी जाएगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर की वर्तमान में अधूरी योजनाओं की सूचना परिशिष्ट (1) के अनुसार है, इसमें योजनाओं के प्रारम्भ होने की दिनांक (अधिसूचना धारा 32 (1) की दिनांक), क्रियान्विति की स्थिति तथा पूर्ण क्रियान्विति नहीं होने का कारण अंकित है।

(2) राज्य सरकार द्वारा योजना अधिसूचित होने के बाद योजना निरन्तर क्रियान्वित की कार्यवाही के अधीन रहती है। योजनाओं के माध्यम से नगर का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है तथा इस क्रम में आवश्यकतानुसार समय-समय पर विकास कार्य करवाये जाते हैं। योजना क्षेत्र के भूमिधारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने से योजनाओं के विकास कार्य में विलम्ब होता है ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त कराने का प्रयास किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा योजना को अधिसूचित करते समय उसकी प्रभावशीलता की अवधि भी अधिसूचना में दर्ज होती है लेकिन सर्वे कार्य, भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही एवं न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने से निर्धारित अवधि में क्रियान्विति नहीं होने पर न्यास के निवेदन पर योजनाओं की प्रभावशीलता की अवधि में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधान के अन्तर्गत अवधि विस्तार किया जाता है।

सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।

जयपुर शहर में आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना

725. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में दिसम्बर, 1979 व जनवरी, 1980 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" में राज्य कर्मचारियों ने एक मुश्त भुगतान पर मकान लेने हेतु कितने पंजीकरण करवाये ? इसकी प्राथमिकता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इससे पूर्व इसी श्रेणी के एक मुश्त भुगतान पर मकान आबंटन चाहने वाले कितने राज्य कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र बकाया चल रहे थे ? इसकी प्राथमिकता सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा मध्यम आय वर्ग "ब" और अन्य सभी आय वर्गों में जी-1 से जी-13 तक प्रार्थियों का वर्गीकरण कर रखा था और निर्मित मकानों को अलग-अलग वर्गीकरण में विभक्त कर आबंटन किया जाता था ? यदि नहीं, तो मध्यम आय वर्ग "ब" में प्रतिवर्ष निर्मित मकानों का आबंटन किस आधार पर किया जाता था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महादेव सिंह)

(4) जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग "ब" में वर्ष 1980 से 1990 तक निर्मित मकानों की संख्या प्रतिवर्ष कितनी-कितनी थी ?

(5) प्रश्न के भाग–4 में निर्मित मकानों में से मण्डल के निर्णयानुसार कितने-कितने मकान किराया क्रय-पद्धति, एक मुश्त भुगतान पद्धति, राज्य कर्मचारियों को आबंटन हेतु और राज्य कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान पर आबंटन के लिए विभक्त किये जाने चाहिए थे और वास्तव में इन श्रेणियों में कितने-कितने मकान विभक्त किये गये ?

(6) क्या यह सही है कि मण्डल के निर्णयानुसार मकानों का विभाजन नहीं करने से वर्ष 1979 में पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तियों को 1990 तक एक मुश्त भुगतान पर भी मकान नहीं मिल पाये और बाद में अधिक कीमत का आवंटन-पत्र जारी हुआ ?

(7) क्या मण्डल की गलती के कारण प्रार्थियों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या मण्डल ऐसे व्यक्तियों को 1985 की कीमत पर मध्यम आय वर्ग "ब" के मकान आबंटन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मण्डल में पंजीकरण वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए किया जाता है, जिसमें राज्य/केन्द्रीय/सरकारी संस्थान एवं सभी निजी संस्थानों में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से कोई पंजीकरण नहीं किया जाता है।

वर्ष 1979 एवं 1980 में राजकीय कर्मचारी/केन्द्रीय कर्मचारी व अन्य संस्थानों में वैतनिक कर्मचारियों की मध्यम आय वर्ग "ब" के एक मुश्त भुगतान पर कुल 826 आवेदकों ने पंजीकरण करवाया था। (सूची संलग्न है)

(2) इससे पूर्व इसी श्रेणी के एक मुश्त भुगतान पर मकान चाहने वाले वैतनिक वर्ग में कोई पंजीकरण बकाया नहीं है। क्योंकि ऐसे सभी आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये गये थे एवं जिन्होंने पूर्वग्रहण राशि जमा कराई उन सभी को आवास आबटित कर दिये गये हैं।

(3) हां, सभी आय वर्गों में जी–1 से जी–8 तक आवेदकों का वर्गीकरण कर रखा था और निर्मित मकानों का अलग-अलग वर्गीकरण में विभक्त कर आबंटन किया जाता था।

(4) जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग "ब" के वर्ष 1980 से 1990 तक कुल 3106 मकान निर्मित कर आबंटित किये गये हैं। वर्षवार निर्मित मकानों की संख्या निम्नानुसार है :—

1980–81	105
1981–82	113
1982–83	123
1983–84	140
1984–85	175
1985–86	211
1986–87	319

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1987–88	451
1988–89	431
1989–90	1038
कुल	3106

(5) लाटरी के समय आबंटन हेतु उपलब्ध आवासों में से 40 प्रतिशत आवास वैतनिक वर्ग के आवेदकों को आबंटित किये जाते हैं। इस प्रतिशत के अनुसार वैतनिक वर्ग के आवेदकों के लिए आबंटन हेतु कुल 1243 आवास बनते थे। वैतनिक वर्ग के आवेदकों को वर्ष 1980 से 1990 तक कुल 1658 आवासों का आबंटन किया गया है। इसमें से 392 आवास नकद भुगतान पद्धति में तथा 1206 आवास किराया क्रय पद्धति में आबंटित किये गये हैं, जबकि नकद भुगतान पद्धति एवं किराया क्रय पद्धति के 45 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत कोटे के अनुसार नकद भुगतान पद्धति में 560 एवं किराया क्रय पद्धति में 683 आवासों का कोटा बनता था।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। क्योंकि जैसा कि प्रश्न-5 के उत्तर में बताया है। एक मुश्त भुगतान में मकान लेने के इच्छुक सभी आवेदकों को मकान दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गोपालपुरा बाईपास (जयपुर) पर भूमि अवाप्ति प्रकरण

726. **श्री महादेव सिंह (खण्डेला)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गोपालपुरा बाईपास पर बिरला फार्म की 50 बीघा जमीन कब अवाप्त की गई और इसका कब्जा कब लिया गया ? यदि कब्जा अभी तक नहीं लिया गया तो क्यों ?

(2) शेष भूमि को अवाप्त करने के अदालत में विचाराधीन मामले में क्या निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो जमीन अवाप्त क्यों नहीं की जा रही है ?

(3) इस फार्म में शान्तिनगर कॉलोनी के पास से निकलने वाली जयपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर रोड के लिये भूमि अवाप्त क्यों नहीं की जा रही है ? और सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

(4) क्या प्रश्न के भाग 3 की सड़क जो पूर्व में नक्शे के अनुसार अनुमोदित थी अब रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) इस भूमि में योजनानुसार बनाये जाने वाला अस्पताल सरकारी होगा अथवा प्राइवेट ?

(6) यदि अस्पताल प्राइवेट होगा तो क्या इसका मुख्य द्वार रेलवे लाइन के समानान्तर निर्मित सड़क पर खोला जावेगा और शान्ति नगर कॉलोनी में भी खुलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस अस्पताल की फिर जन साधारण के लिये क्या उपयोगिता रहेगी ?

उत्तर

(1) गोपालपुरा बाईपास पर नेशनल इंजीनियरिंग क० / बिड़ला फार्म की कुल 213 बीघा 2 बिस्वा अवाप्ताधीन भूमि का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

धारा 6 का गजट नोटीफिकेशन दिनांक 20-4-84 को हुआ, जिसके अन्तर्गत 80 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 27-2-85 को प्राप्त कर लिया गया है।

(2) शेष भूमि की अवाप्ति के लिए राज्य सरकार से स्थगन आदेश होने के कारण एवं राज्य सरकार से अन्तिम निर्णय अभी तक न होने से अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी हैं।

(3) प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि पर आने वाली सेक्टर रोडों के लिए अलग से भूमि अवाप्त नहीं की जाती है, अपितु इन समितियों के मानचित्र के अनुमोदन करते समय सड़कों की भूमि को कम से कम 40% सुविधा क्षेत्र में शामिल कर जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित करा ली जाती है। इस सड़क के एक ओर शान्ति नगर व दूसरी ओर बिरला आवासीय योजना प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु लम्बित हैं। अतः इस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में उक्त दोनों मानचित्र के अनुमोदन व विकास शुल्क के जमा होने पर ही कोई निर्णय किया जा सकेगा।

(4) उक्त सेक्टर रोड को रद्द नहीं किया गया हैं।

(5) अस्पताल निर्माण बाबत अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(6) अस्पताल बनाये जाने के निर्णय के अभाव में उत्तर देना सम्भव नहीं है।

हिरणमगरी क्षेत्र (उदयपुर) के सेप्टी टैंक

727. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर शहर में हिरणमगरी सैक्टर नम्बर 14 के "ई" ब्लॉक में हुडको के क्वार्टर्स के निर्माण की योजना कब बनाई गयी थी? इन क्वार्टर्स का निर्माण कब हुआ एवं आबंटन कब किया गया?

(2) इन क्वार्टर्स से कितनी दूरी पर सेप्टी टैंक बनाये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास ने जब "ई" ब्लॉक के आवासीय प्लाटों के आबंटन की स्कीम बनाई थी तो उससे पहले ही सेप्टी टैंक का निर्माण हुआ था?

(4) क्या यह भी सही है कि स्कीम बनने के बाद सेप्टी टैंक का निर्माण किया गया था?

(5) सेप्टी टैंक का निर्माण यदि पहले हो चुका था तो किस आधार पर स्कूल एवं आवासीय प्लाट का आबंटन किया गया है?

(6) क्या यह सही है कि इस सेप्टी टैंक की दुर्गन्ध के आसपास के नागरिक परेशान हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सेप्टी टैंक को यहां से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हिरण मगरी सैक्टर नं. 14 के ब्लॉक "ई" में हुड़कों के क्वार्टर्स की योजना वर्ष 1985 में हुड़कों से स्वीकृत की गई थी क्वार्टर्स का निर्माण वर्ष 1985 में कराया गया एवं आवंटन वर्ष 1986 में किया गया।

(2) क्वार्टर्स से सेफ्टी टैंक की दूरी क्रमशः 325 फीट, 150 फीट एवं 50 फीट है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि स्कीम बनने के पश्चात् सेफ्टी टैंकों का निर्माण कराया गया था क्योंकि मकानों की योजना बाद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई थी।

(5) क्वार्टर्स निर्माण के बाद सेफ्टी टैंक का निर्माण किया गया है। लेकिन विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन सेफ्टी टैंक के निर्माण के बाद किया गया। भूमि का चयन स्वयं आवंटी द्वारा किया गया है।

(6) सेफ्टी टैंक से दुर्गन्ध नहीं आ रही है, अतः नागरिकों के परेशान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सेफ्टी टैंक का निर्माण उस क्षेत्र में मौजूद गहरे खड्ढों में कराया गया है ताकि क्वार्टर्स से पाइप लाइन के जरिये 'सेल्फ क्लीनिंग विलासिटी' सेफ्टी टैंक तक प्राप्त हो सके व लाइने 'चौक' होने की समस्या से बचा जा सके। इस प्रकार की उपयुक्त वैकल्पिक साइट मौके पर आस-पास उपलब्ध नहीं होने के कारण सेफ्टी टैंक हटाने सम्भव नहीं है।

नगर निगम/नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा हटाये गये अतिक्रमण

728. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर निगम एवं नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा पिछले चार वर्षों में कौन-कौन से अतिक्रमण हटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जोधपुर नगर निगम एवं नगर सुधार न्यास, जोधपुर में वर्तमान में अतिक्रमण किये गये स्थानों की सूची बनाई हुई है? यदि हां, तो किन-किन की एवं उन्हें हटाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास एवं नगर निगम, जोधपुर द्वारा 4 वर्ष में हटाये गये अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1994–95 में न्यास क्षेत्र में किये गये अतिक्रमणों की सूची धारा 92 "ए" के अन्तर्गत तैयार की जाकर परिशिष्ट "ब" संलग्न है। इनमें से 80 प्रकरणों की जांच पर अतिक्रमण पाये गये। जिन्हें पुलिस की सहायता से शीघ्र हटा दिया जावेगा। 35 प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों में स्थगन आदेश है जो न्यायालय में विचाराधीन है शेष प्रकरणों में धारा 92 'ए' के तहत कार्यवाही विचाराधीन है जांच पूर्ण होने पर शीघ्र ही निर्णय किया जाकर अतिक्रमण हटा दिया जावेगा। नगर निगम क्षेत्र में किये गये अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है इन्हें हटाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

मांवता–गनाहेड़ा एवं बूढ़ा पुष्कर (अजमेर) के जल स्रोतों से अजमेर को पेयजल व्यवस्था

729. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत कई वर्षों से मांवता–गनाहेड़ा एवं बूढ़ा पुष्कर (अजमेर) के जल स्रोतों का पानी अजमेर में पेयजल के लिए सप्लाई किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तीनों जल स्रोतों से अजमेर शहर को पानी दिये जाने के कारण उन क्षेत्रों के जल स्रोतों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और इसका दुष्प्रभाव उस क्षेत्र में होने वाली खेती बाड़ी पर पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्रों के लोगों की यह मांग है कि बीसलपुर का पानी जब अजमेर शहर को मिलने लगे तब उनके जल स्रोतों से अजमेर शहर को पानी सप्लाई किया जाना बन्द कर दिया जाना चाहिए ?

(4) क्या सरकार ने लोगों की उपरोक्त मांग को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इसी संदर्भ में माननीय विधायक महोदय के कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत पूर्व में ही विभाग के पत्र क्रमांक-एफ 8 (33)/सदन/विस/95/29584 दिनांक 10-4-95 के द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजा हुआ है।

(2) उपरोक्त (1) के अनुसार भेजे गये विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की प्रति प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। (1) के अनुसार।

(4) (1) के उपरोक्तानुसार।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

जिला सवाई माधोपुर की नल योजनाएं

730. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितनी नल योजनाएं चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1991 से 1995 तक कितनी योजनाएं कार्यरत हैं ? कितनी योजनाओं की टंकियों में पानी जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1995 में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कितनी नल योजनाएं वर्ष 1995 में इस क्षेत्र में किन ग्रामों की प्रस्तावित

(38)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है ? इनकी स्वीकृति प्रदान कर कब तक कार्य प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्तमान में जिला सवाई माधोपुर में शहरी क्षेत्रों में 6 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 148 नल योजनाएं, कुल 154 नल योजनाएं चलाई जा रही हैं। वांछित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उल्लिखित क्षेत्र में वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में 17 योजनाएं कार्यरत है। उक्त योजनाओं में से केवल 3 योजनाओं में ही टंकी निर्मित की गई है। दो योजनाओं में टंकियों में पानी दिया जा रहा है तथा ग्राम चिरावड़ा की टंकी में पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि इस योजना का स्रोत विद्युतीकृत किया जाना है। वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(3) उल्लिखित क्षेत्र हेतु वर्ष 95 में 59 हैण्डपम्प स्वीकृत हुवे हैं। सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उल्लिखित क्षेत्र में 13 योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनसे 28 ग्रामों को लाभ मिलेगा। 4 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ भी कर दिये गये हैं। शेष 9 योजनाओं के कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। 2 पम्प एवं टैंक योजनाएं भी प्रस्तावित हैं जिन्हें तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम आसोटा (नागौर) में अवैध कनेक्शन

731. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आसोटा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के पास पैट्रोल पम्प के बराबर बनी हुई होटलों के सामने जसवन्तगढ़ जाने वाली मैन लाइन से पानी के कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा किस-किस व्यक्ति को यह कनेक्शन दिया गया और किस नियम के तहत ?

(2) क्या यह लाडनूं से जसवन्तगढ़ की मैन लाइन होने के कारण चौबीस घण्टे पानी चलता रहता है और यहां पर ट्रकों की धुलाई होती रहती है ? यदि हां, तो मैन लाइन से यह कनेक्शन किस प्रकार से किया गया ?

(3) क्या यह भी शिकायत है कि मैन लाइन से कनेक्शन होने के कारण आगे जसवन्तगढ़ कसुम्बी आदि गांवों में पानी बराबर नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाजायज कनेक्शन हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लाडनूं से जसवन्तगढ़ जाने वाली मैन पाइप लाइन से, पैट्रोल पम्प के बराबर बनी हुई होटलों के सामने पाबोलाव पशु मेला मैदान के पास बनी पी. एस. पी. व खेली से एक जल सम्बन्ध को अस्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति हेतु मेले में आने वाले

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

यात्रियों की आवश्यकता को दृष्टिगत कर पशु "मेले" के दौरान ही जोड़ा गया था। इस प्रकार की अस्थायी जल व्यवस्था करने हेतु विभाग सक्षम है।

(2) (1) के उपरोक्तानुसार उल्लिखित पाइप लाइन में 24 घण्टे पानी चलता रहता है। ट्रकों की धुलाई के सम्बन्ध में अभी विभाग को जानकारी नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) यह योजना 30 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी तत्पश्चात् अन्य ग्रामों को इससे जोड़ने व पेयजल मांग में वृद्धि के कारण अन्तिम छोर के गांव कसुम्बी में अभी निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुरूप जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। विद्युत उपलब्धता एवं पुराने डिजायन पर आधारित होने के कारण एक संवर्द्धन योजना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। (1) में वर्णित अस्थायी जल संबंध को भी शीघ्र ही कटवा दिया जावेगा।

तहसील बौंली एवं बामनवास के गांवों में निर्माणाधीन उच्च जलाशय

732. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बौंली व बामनवास तहसीलों के कौन-कौन से गांवों में पेयजल सुलभ कराने हेतु उच्च जलाशय बनाया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उनमें से कितने निर्माणाधीन हैं ?

(2) क्या सरकार ग्राम बिछोछ, बहणोली, भेडोली, पीपलदा, कोडयाई में उच्च जलाशय का निर्माण कराकर ग्रामवासियों को नल कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बिछोछ को पेयजल सुलभ कराने हेतु यह आश्वासन दिया गया था कि वैकल्पिक योजना तकनीकी जांच प्रक्रिया में है एवं धन उपलब्धतानुसार पेयजल योजना से जोड़ दिया जावेगा ? यदि हां, तो अब तक यह योजना चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) आगामी गर्मी में पेयजल समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा उक्त ग्रामों के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(5) ग्राम फुलवाड़ा, रामसिंहपुरा, भावड़, सुन्दरी, मोरपा जहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है तथा हैण्डपम्पों का पानी खारा व खराब है, क्या सरकार इन ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील बौंली के दो गांवों मित्रपुरा एवं जस्टाना में उच्च जलाशय बनाया जाना स्वीकृत था व इन दोनों उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तहसील बामनवास के किसी गांव में उच्च जलाशय बनाये जाने की स्वीकृति नहीं थी अतः निर्माण का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी नहीं। सरकार ग्राम बिछोछ, बहनोली, भेड़ोली, पीपलदा, कोडयाई में उच्च जलाशय बनाने का विचार अभी नहीं

(90)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रखती है क्योंकि विभाग के वर्तमान निर्धारित मापदण्डानुसार केवल 5000 या अधिक की आबादी होने की स्थिति में ही उच्च जलाशयों का निर्माण कराया जाता है। उल्लिखित ग्रामों की आबादी अभी 5000 से कम है।

(3) ग्राम बिछोछ में पेयजल सुलभ कराने के लिए एक वैकल्पिक संवर्द्धन योजना प्रस्तावित थी। जिसे तकनीकी रूप से सही नहीं पाया गया था। संशोधित योजना बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है।

(4) ग्राम भेडोली, पीपलदा, कोडयाई, बिछोछ में अभी निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुसार हैण्डपम्प लगे हुए हैं एवं चालू हालत में हैं। ग्राम बहनोली में पेयजल समस्या है तथा पानी खारा होने के कारण ग्राम से एक किलोमीटर दूरी पर नीगों नाले पर स्रोत प्रस्तावित करते हुए एक योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

(5) उल्लिखित ग्राम फुलवाडा एवं रामसिंहपुरा को हैण्डपम्पों के पानी की गुणवत्ता निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बरनाला, रामसिंहपुरा से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम भावड़ के हैण्डपम्पों का पानी खारा है। इस ग्राम को भी क्षेत्रीय योजना बरनाला रामसिंहपुरा के स्रोत ग्राम बाटोदा से जोड़ दिया गया है। शीघ्र ही "पाइप लाइन टेस्टिंग" पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जावेगा। इस क्षेत्रीय योजना में पेयजल उत्पादन की कमी को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त नलकूप स्वीकृत है, जिसे इसी ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाना प्रस्तावित है।

अभी ग्राम सुन्दरी एवं मोरपा में हैण्डपम्पों से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन दोनों ग्रामों में भी हैण्डपम्पों के पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है अतः वैकल्पिक स्रोत का सर्वेक्षण कर एक अन्य योजना भी बनायी जानी प्रस्तावित है।

तहसील सोजत (पाली) के गांवों की रीजनल जल प्रदाय योजनाएं

733. श्री माधवसिंह (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की सोजत तहसील में बिलावास, राजोला, रीजनल जल प्रदाय योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से गांव हैं?

(2) क्या यह सही है कि पानी के स्रोत में कमी आ जाने के कारण, उक्त गांवों को पानी पहुंचाने में कठिनाई आ रही है? यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार क्या योजना बनाने का विचार रखती है तथा इस पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले की बिलावास, राजोला रीजनल जलप्रदाय योजना वित्तीय वर्ष 72-73 में बनी थी तथा इसमें कुल 19 गांव सम्मिलित थे जिनका नाम क्रमशः

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बिलावास, लुंडावास, चाडवास, रूपावास, राजोतकलां, माणीया, धागंडवास, बरियाला, नया गांव चोपड़ा, पोटलिया, अबकाई की ढाणी, नयावास, होगावास, गागूडा, बिरावास, अजीतपुरा, धीनावास एवं लाणेश है।

(2) उक्त सभी गांवों में योजना के वर्तमान भूजल स्रोतों में पानी कम हो जाने के कारण वर्तमान में समुचित पेयजल उत्पादन में कमी हो रही है। इस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने हेतु जवाई-हेमावास नहर का पानी देने की एक योजना को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। जोधपुर शहर को लिफ्ट केनाल से पेयजल उपलब्ध कराने की वर्तमान में चल रही योजना पूर्ण होते ही बचने वाले अतिरिक्त जल का ही उपयोग करने के लिए प्रस्तावित योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जावेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति प्रकरण

734. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग ने वर्ष 1994-95 में कुल कितने व्यक्तियों को कनिष्ठ अभियन्ता के पद से पदोन्नत कर सहायक अभियन्ता बनाया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कुल कितने व्यक्ति हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में कुल कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) 94-95 वर्ष में किसी भी कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर क्रमोन्नत कर नहीं लगाया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 1994-95 में 121 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया (सूची संलग्न है)।

(2) क्रमोन्नत किसी भी वर्ग के कनिष्ठ अभियन्ता को नहीं किया गया लेकिन जन. स्वा. अभि. विभाग में 9 अनुसूचित जाति 3 अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के शून्य कुल 12 व्यक्ति सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किये गये। (उत्तर विन्दु संख्या 1 के साथ संलग्न सूची के कालम चार का कृपया अवलोकन करें।)

(3) बाड़मेर जिले में 15 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं। आदेश संख्या 15 एवं 16 दिनांक 20-4-94 (संलग्न है) द्वारा 16 कनिष्ठ अभियन्ता के नियुक्ति आदेश जारी कर मुख्य अभियन्ता जोधपुर को बाड़मेर क्षेत्र की रिक्तियों पर पदस्थापित करने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(सूची एवं आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 735

(स्थगित)

भरतपुर फीडर व गुड़गावां नहरों में यमुना जल

736. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले की भरतपुर फीडर व गुड़गावां नहरों में यमुना जल कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अन्य प्रदेशों से आता है ? यदि हां, तो इन नहरों में गत 5 वर्षों में कितना-कितना पानी किस-किस महीने आया ? वर्षवार सूची आये हुये जल की मात्रा व महीना दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1994 व 1995 में कितना जल मिला है ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न हैं ।

(2) भरतपुर फीडर में वर्ष 1994 में 5047 क्यूसेक डेज व गुड़गावां नहर में 9627 क्यूसेक डेज जल प्राप्त हुआ । वर्ष 1995 से भरतपुर फीडर से मार्च 1995 तक पानी प्राप्त नहीं हुआ किन्तु गुड़गावां नहर से वर्ष 1995 में 496 क्यूसेक डेज जल प्राप्त हुआ है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें ।)

बीसलपुर बांध के विस्थापितों का सर्वेक्षण

737. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर बांध के सारे विस्थापितों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया है ?

(2) क्या सरकार की पुनर्वास नीति इसी सर्वेक्षण पर आधारित है ?

(3) क्या विस्थापितों के पुनर्वास में विस्थापितों की भी कोई भागीदारी रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । परियोजना के विस्थापितों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए मानदण्डों में विस्थापितों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है ।

(3) जी हां । विस्थापितों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास कॉलोनियों में आवासीय प्लाटों एवं कृषि भूमि का आवंटन उनकी सहमति के आधार पर किया जाता है । विस्थापितों की भूमि एवं परिसम्पत्तियों के मुआवजा अवार्ड जारी करने की प्रक्रिया में भी नियमानुसार उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है । इसके अलावा राज्य सरकार ने मार्च, 1995 में आदेश जारी किए हैं कि परियोजना एवं राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी हर महीने विस्थापितों के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण संबंधी बैठक करेंगे जिसकी एक बैठक अप्रेल, 1995 में भी हो चुकी है ।

करणी जी. पी. बी. एन. लिंक नहर का निर्माण

738. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करणी जी, पी. बी. एन. लिंक पर वर्ष 1989 से पूर्व दो करोड़ रुपया लगाकर इस नहर का निर्माण करके 16 नं. कट से जोड़ा गया था किन्तु इस डिप्रेशन नं. 16 में पानी कभी नहीं आया ? यदि नहीं, तो पिछले 16 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस नहर पर लगे दो करोड़ रुपये के व्यय का सदुपयोग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे एवं नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत तखमीने बनाकर इस नहर का निर्माण करवाया उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में करणी जी. पी. बी. एन. नहर को 12 नं. डिप्रेशन से जोड़ने का विचार था ? यदि हां, तो इसे कब तक 12 नं. कट से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो ऊपर के डिप्रेशनों में जहां भरपूर पानी उपलब्ध है वहां से लिंक करने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) करणी जी. पी. बी. एन. लिंक नहर को डिप्रेशन नं. 16 से जोड़ने तथा बुर्जी 24 से 97.900 (टेल) के निर्माण पर वर्ष 1989 तक रुपये 171.83 लाख का खर्चा आया था। इस डिप्रेशन में पिछले 16 वर्षों में दो बार पानी वर्ष 1983 एवं 1988 में आया है। वर्ष 1983 में पानी की मात्रा 0.09 एम. ए. एफ. एवं वर्ष 1988 में 0.127 एम. ए. एफ. थी।

(2) जी हां। यह नहर वर्ष 1989 में बनकर तैयार हुई थी तथा उसके तुरन्त बाद इसका उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया तथा माह 4/89 से 12/89 तक 69190 एकड़ फीट पानी इस नहर में चलाया गया। पानी की उपलब्धि बाढ़ के पानी पर निर्भर करती है। किसी अधिकारी ने गलत तखमीने नहीं बनाये, इसलिये किसी पर कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) जी हां। यह सही है कि इस वितरिका को डिप्रेशन नं. 12 से जोड़ने का विवाद है। इस पर कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसीलों की अपूर्ण सिंचाई योजनाएं

739. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसीलों में विभिन्न सिंचाई योजनाएं (विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत) अधूरी हैं ? यदि हां, तो उनके नाम, सिंचाई क्षमता, अब तक व्यय की गई राशि एवं शेष कार्य पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(५५)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) लम्बे समय तक अधूरी योजनाओं को पूर्ण नहीं कराने के क्या कारण हैं ? क्या ये लघु सिचाई, जवाहर योजना तथा आश्वासित रोजगार योजनाओं से पूर्ण कराई जा सकती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अधूरी योजनाओं को धन के अभाव के नाम पर लम्बे समय से पूर्ण कराने में प्राथमिकता नहीं देने से उनकी लागत निरन्तर बढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष में ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देने का सरकार इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार नई योजनाओं के पूर्व ऐसी योजनाए पूर्ण कराने की नीति को प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार बीसलपुर योजना के नाम पर पूर्व में अधूरी रही योजनाओं को इस वर्ष पुनः रोक हटाकर उस क्षेत्र के किसानों को राहत देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अपूर्ण 13 योजनाओं में से 8 योजनाएं बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण पूर्ण नहीं कराई जा सकीं। अन्य पांच योजनाएं वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं कराई जा सकी हैं। इन योजनाओं की लागत अधिक होने के कारण इन्हें जवाहर रोजगार योजना तथा आश्वासित रोजगार योजना के मद से पूर्ण कराना सम्भव नहीं है। लघु सिचाई योजना मद में इन पांच कार्यों के लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने पर इन योजनाओं की क्रियान्विति प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

(4) जो योजनाएं बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित हैं उनको फिलहाल स्वीकृत करना सम्भव नहीं है तथा अन्य योजनाओं की स्वीकृति हेतु लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं, क्योंकि इन योजनाओं के निर्माण से बीसलपुर बांध में आवक पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

पावली माइनर के निवासियों की सुविधाएं

740. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चक 10 बी. डी., 8 बी. डी. व 3 पी. डब्ल्यू. एम. (पावली माइनर) के निवासियों की सुविधाएं सार्वजनिक उपयोग के लिए यथा हड्डी रोडी व श्मशान भूमि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों के लिए कोई अन्य

(श्री भीमसेन चौधरी)

सरकारी भूमि आबादी विस्तार हेतु रिजर्व भूमि या नर्सरी भूमि में से आबंटन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

उप-निवेशन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि चक 10 बी.डी., 8 बी डी. एवं 3 पी. डब्ल्यू. एम. निवासियों की सुविधार्थ सार्वजनिक उपयोग के लिए यथा हड्डी रोडी व श्मशान भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार आबटन हेतु किया जाता है। वर्तमान में उक्त चकों में श्मशान भूमि आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्राथमिक शाला संडीला एवं हनोत्या (बून्दी) भवन का निर्माण

741. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्राथमिक पाठशाला संडीला एवं हनोत्या (जिला बूंदी) के भवन सही हालत में नहीं हैं तथा टूट-फूट हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भवनों की मरम्मत करवाने बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) उक्त पाठशाला भवनों को कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बून्दी की सूचना के आधार पर प्राथमिक शाला संडीला, पंचायत समिति नैनवा के भवन की हालत सही है एवं प्राथमिक शाला हनोत्या पंचायत समिति तालेडा के भवन की हालत सही नहीं थी। इस कार्य की मरम्मत हेतु वार्षिक योजना जे. आर. वाई. के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में सम्मिलित किया गया तथा वर्तमान में मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(2) प्राथमिक विद्यालय संडीला के भवन की मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है, प्राथमिक विद्यालय हनोत्या के भवन की मरम्मत का आवश्यक कार्य माह जून, 95 तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी की पंचायतों को स्वीकृत राशि

742. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर एवं पंचायत समिति कोटड़ी की पंचायतों में कितनी-कितनी राशि, किस-किस योजना निर्माण कार्यों की कब कब से शेष है ?

(2) जहाजपुर पंचायत समिति तथा कोटड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की 13 पंचायतें जो जहाजपुर क्षेत्र में आती हैं, में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत राशि किन-किन कार्यों हेतु पंचायतों को दी गई है ? योजना, कार्य का नाम मय राशि के, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्णित कार्यों पर कितना-कितना खर्चा हुआ और कितना-कितना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कार्य पूरा होकर उपयोगिता अथवा कम्पलीशन सर्टिफिकेट कब-कब, कितनी-कितनी राशि का दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

ग्राम पंचायत रोडू (नागौर) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

743. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रोडू पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के विरुद्ध शिकायत की जांच कलेक्टर नागौर ने अपने पत्र क्रमांक 12997 दिनांक 30–9–1988 के द्वारा उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना को भेजी थी ? यदि हां, तो यह जांच कब की गई ? शिकायत व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह जांच कब प्रारम्भ की गई तथा कब पूरी हुई ? क्या इस जांच में जो समय लगा वह न्यायोचित है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस सम्बन्ध में जांचकर्त्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार से ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी होने से मामलों के सबूत नष्ट हो जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसी जांच में समय सीमा निश्चित क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच वर्ष 1994 में सम्पन्न की गई। जांच रिपोर्ट व शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला कलक्टर, नागौर को श्री पदम सिंह पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रोडू के विरुद्ध श्री हरजीराम बुरड़क, विधायक द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 20-8-88 को प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्राथमिक जांच उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा सम्पादित करवाकर इस विभाग को भिजवाई जो दिनांक 8-4-94 को प्राप्त हुई। जांच में न्यायोचित अवधि ही लगी है।

(3) जी, नहीं। सबूत लिखित रूप में हैं जिनके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राथमिक जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(47)

पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद की पंचायतों में निर्माण कार्य

744. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समितियों में 1 जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक किस-किस माध्यम से क्या-क्या निर्माण कार्य कौन-कौन सी पंचायतों में करवाया गया व उन पर कितनी लागत आई ?

(2) क्या करवाये गये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में 1 जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक विभिन्न माध्यमों से कराये गये निर्माण कार्यों की स्थिति व लागत एवं कार्य विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) पूर्ण अपूर्ण कार्यों का विवरण तथा अपूर्ण रहे कार्यों का कारण स्पष्ट करते हुए सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

ग्राम तेतरोल (जालौर) की प्राथमिक शाला एवं शिक्षा केन्द्र में अध्यापकों के रिक्त पद

745. डा. रामराय शर्मा (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव तेतरोल, तहसील सांचौर, जिला जालौर में कितने प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा केन्द्र कब से संचालित हैं ?

(2) उक्त में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पद पर कौन-कौन, कब-कब से कार्यरत हैं तथा कौन-कौन सा पद रिक्त है तथा रिक्त होने के कारण क्या हैं ? पदवार रिक्त पद रहने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को अविलम्ब भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांचौर में तेतरोल नाम के दो ग्राम हैं ।

1. तेतरोल राठौडान
2. तेतरोल देवडान

ग्राम तेतरोल देवडान में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है तथा ग्राम तेतरोल राठौडान ग्राम पंचायत आचोली में एक प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1988 से चल रहा है । शिक्षा केन्द्र नहीं है ।

(2) ग्राम तेतरोल राठौडान प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के दो पद स्वीकृत हैं । उन पर श्री चतराम, अगस्त, 1988 व श्री खिमाराम, जुलाई, 1992 से कार्यरत हैं । अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(४८)

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(3) चूंकि स्वीकृत पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं अतः नए सिरे से भरने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला उदयपुर में निगम द्वारा बसों का संचालन

746. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर जिले में वर्ष 1995-96 में नये मार्गों पर बस संचालन हेतु कोई प्रावधान परिवहन विभाग द्वारा किये हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्गों पर एवं कहां से कहां तक ?

(2) परिवहन विभाग द्वारा कौन-कौन से मार्गों पर रोड़वेज की बसें एवं कौन-कौन से मार्गों पर निजी बसों को चलाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) परिवहन विभाग द्वारा प्रावधान वाले मार्गों पर परमिट देने का कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बसों के लिये किसी वर्ष विशेष में नये मार्ग खोलने की कोई योजना अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तावित नया मार्ग निर्धारित करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर मार्ग का विभाग द्वारा सर्वे कराया जाता है। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा मार्ग निर्धारित किया जाता है।

(2 व 3) निजी वाहन चलाने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य अथवा योजना निर्धारित नहीं है। किसी भी मार्ग पर जब कोई वाहन स्वामी आवेदन करता है तो नियमानुसार परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1995-96 में संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार वाहन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

सेवा मुक्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति प्रकरण

747. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1995 की अवधि में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कुछ कर्मचारियों को जिन्हें कि निगम की सेवाओं से पृथक् कर दिया गया था, को पुनः सेवा में मय वेतन अथवा बिना वेतन लेने के आदेश विभिन्न अदालतों ने दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों को अदालतों के आदेश के मुताबिक कितनी-कितनी धनराशि देय है ?

(3) क्या उक्त धनराशि दे दी गई है ?

(4) क्या उक्त धनराशि का प्रावधान निगम के वार्षिक हानि लाभ खाते में किया गया है ?

उत्तर

(1 व 2) ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ") किन्तु अपीलीय अदालतों में प्रकरण अभी भी विचाराधीन होने के कारण धनराशि की गणना नहीं की गई है।

(3 व 4) जी, नहीं। अदालतों से वापस आये कर्मचारियों को भुगतान का खर्चा निगम लेखों में वर्ष में हुए वास्तविक भुगतान के आधार पर ही किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

748. **श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988 से 1994 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सेवाकाल में रहते किस-किस पद के कर्मचारियों/अधिकारियों का निधन हुआ ?

(2) क्या उक्त मृत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को निगम ने नियुक्तियां दे दी हैं ? यदि हां, तो किन-किन को और किस पद पर ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सीकर आगार के चालक स्वर्गीय श्री मोहनलाल पुत्र श्री बालूराम निवासी सुजानगढ़ के आश्रित को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निगम में वर्ष 1988 से 1994 तक की अवधि में विभिन्न वर्गों के कुल 606 अधिकारियों/कर्मचारियों का निधन हुआ। पदवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। 211 आश्रितों को विभिन्न वर्गों में नियुक्ति प्रदान की गई है।

(3) निगम के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

निगम के भरतपुर व लोहागढ़ डिपो द्वारा बसों का संचालन

749. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर व लोहागढ़ नाम के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दो डिपो भरतपुर में कार्यरत हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या इन दोनों डिपो के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम मुख्यालय द्वारा बस की शटल सेवाएं स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत शटल सेवाओं में से कितनी बसें चल रही हैं और कितनी नहीं ?

(50)

(श्री हरिसिंह)

(4) क्या उक्त दोनों डिपो से राज्य से बाहर स्वीकृत बस सेवाओं से अधिक बस सेवाएं चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? माह जनवरी एवं फरवरी, 1995 में चली हुई बस सेवाएं दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । इन दोनों आगारों के अधीन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन हेतु स्वीकृत साधारण सेवाओं की संख्या दर्शाते हुए मार्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–1)

(3) स्वीकृत साधारण सेवाओं में से संचालित हुई साधारण सेवाएं एवं निरस्त रही साधारण सेवाओं को दर्शाते हुए माह जनवरी व फरवरी, 1995 का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–2)

उक्त राष्ट्रीयकृत मार्गों में से कुछ मार्गों पर साधारण सेवाओं के अतिरिक्त लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यीय मार्गों की सेवाएं भी संचालित हैं, जो राजस्थान क्षेत्र में साधारण सेवाओं के रूप में संचालित होकर प्रायः सभी मुख्य-मुख्य स्टेण्डों पर यात्रियों को लेती एवं उतारती हैं ।

(4) जी, हां । यात्रियों की मांग पर समय-समय पर राज्य से बाहर पड़ौसी राज्यों, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित की गयी हैं, जिनका माह जनवरी, फरवरी, 1995 का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–3)

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

निगम द्वारा जयपुर शहर में बसों का संचालन

750. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में बसों के कितने रूट स्वीकृत हैं तथा हर रूट पर कितनी कितनी बसें निजी एवं परिवहन निगम की चलाई जा रही हैं ?

(2) निगम द्वारा संचालित बसों में प्रति माह कितनी आमदनी/घाटा हो रहा है ? माह फरवरी, 1995 तक का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में नगरीय बस सेवा हेतु परिवहन निगम के 34 तथा निजी मिनी बसों के 24 मार्ग स्वीकृत है । वर्तमान में इनमें से निगम के 25 तथा मिनी बसों के 13 मार्गों पर बस सुविधा उपलब्ध है । विवरण क्रमशः परिशिष्ट–"क" व "ख" पर संलग्न है ।

(2) निगम द्वारा संचालित बसों में प्रतिमाह आमदनी घाटे का माह फरवरी, 95 तक का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–ग)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

फलौदी (जोधपुर) में अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

751. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फलौदी क्षेत्र में लोहावट शैतान सिंह नगर जामा रोड के लिये अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1994 में 12 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या उसका उपयोग सही कार्यों में न होकर अधिकारियों द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इसी योजना के अन्तर्गत इसी क्षेत्र में खिचन से शैतान सिंह नगर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसका कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सड़क स्वीकृति नहीं हुई।

(4) वर्तमान में कोई कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला अलवर एवं भरतपुर की कस्टोडियन भूमि का आवंटन

752. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर, भरतपुर जिले में ऐसी कितनी कस्टोडियन भूमि हैं जिनका आवंटन किया जाना है ?

(2) क्या ऐसी भूमि के संरक्षित अधिकार रखने वालों (क्लेमीज) को आवंटन किये जाने हेतु कोई किसी प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा रही है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में 7204.01 बीघा कस्टोडियन भूमि एवं जिला भरतपुर में 178.10 हैक्टेयर कस्टोडियन भूमि आवंटन योग्य है।

(2) अलवर, भरतपुर में संरक्षित अधिकार रखने वाले क्लेमीज के क्लेम बकाया नहीं होने से प्राथमिकता देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

तालेड़ा (बून्दी) स्थित चावल मिल द्वारा क्रय-विक्रय का इन्द्राज

753. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तालेड़ा (जिला बूंदी) की राजस्व सीमा में स्थित चावल मिल द्वारा धान की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड संधारित

(श्री रामनारायण)

किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1993 से अब तक की अवधि में कितना धान क्रय किया गया तथा कितना चावल में परिवर्तित किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मिल द्वारा उक्त अवधि में राइस ब्रान का भी विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो कितने राइस ब्रान का तथा कितना स्टाक में है ? 31 दिसम्बर, 1992 को उपलब्ध स्टाक सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में मिल द्वारा चावल पर लेवी अदा की गई है ? यदि हां, तो कितनी तथा कितनी शेष है ?

(4) बकाया लेवी कब तक प्राप्त कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993 से अब तक (31-3-95 तक) की अवधि में जितना धान क्रय किया गया तथा जितना चावल में परिवर्तित किया गया, का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	धान क्रय किया	चावल में परिवर्तित
1993	96457.65	58681 05
1994	33415.16	28499.31
1995	4250.48	4282.00
	134123.29	91462.36

(2) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 में राइस ब्रान के विक्रय के रिकार्ड को संधारित करना आवश्यक नहीं होने से वांछित विवरण सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(3) उक्त अवधि में संबंधित मिलों द्वारा 2130.6 क्विंटल चावल लेवी के रूप में अदा किया है। बासमती एवं सुपरफाइन चावल को लेवी से मुक्त किया हुआ है। देय लेवी की कोई मात्रा शेष नहीं है।

(4) लेवी की कोई मात्रा जब बकाया ही नहीं है, तो प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जोधपुर की उचित मूल्य की दुकानें

754. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में पिछले दो वर्षों में कितनी उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद कार्यालय द्वारा कई उचित मूल्य की दुकानों को बिना विधिक कार्यवाही के निलम्बित किया गया है और आज भी ये दुकानें लम्बे अर्से से बिना किसी विधिक कार्यवाही के निलम्बित पड़ी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(53)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे कई मामलों में गम्भीर आरोप होने के बावजूद केवल विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई है ? यदि नहीं, तो किन-किन मामलों में जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित कार्यवाही सम्पूर्ण की गई है और किन-किन मे नहीं ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पिछले दो वर्षों (1-4-93 से 31-3-95) में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला रसद-कार्यालय में 431 मामलों में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । अतः किसी अधिकारी को जिम्मेवार ठहराना या उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) यह सही नहीं है कि किसी भी मामले में गंभीर आरोप होने के बावजूद केवल विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । केवल नन्दनवन उपभोक्ता सहकारी भण्डार संख्या 34/206 के विरुद्ध गम्भीर आरोप होने पर जिला कलक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 12-11-94 को बूंदी जिले के ग्राम करवर में आयोजित नसबन्दी शिविर में एक गर्भवती महिला का, बिना जांच किये आपरेशन कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि

(1) मरीज को शिकायत नसबन्दी आपरेशन के एक माह पश्चात् हुई ।

(2) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में प्रथम आपरेशन के समय मरीज की आंतें कन्जस्टेड परन्तु नार्मल थीं ।

(3) मरीज का निःशुल्क उपचार वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा पूर्ण सावधानीपूर्वक प्राथमिकता से किया जा रहा है फिर भी इस मामले की जांच एक मेडिकल बोर्ड गठित कर की जायेगी और किसी भी स्तर पर यदि कोई लापरवाही सिद्ध हुई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्य यदि चाहें तो चिकित्सा विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय इस विषय पर बोल सकते हैं ।

(54)

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की पंचायत समिति खण्डेला के खराब पड़े 182 हैण्ड पम्प ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1991 में स्वीकृत गांव रंगमहल के पास डिप्रेशन पर स्केप बनाये जाने के कार्य को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल बछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में आदिवासी काश्तकारों के अधूरे कुए पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी नगर में ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुण्ड-बावड़ियों का उचित रख रखाव नहीं होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डल के कतिपय गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की नगरपालिका लोसल में रैगर बस्ती के बीच स्थित तालाब में गन्दा पानी इकट्ठा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में चम्बल विकास परियोजना के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर की बह गयी पुलिया के नव निर्माण के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर जिले में भारत सरकार की सीमावर्ती योजनानुसार निर्मित औषधालयों में से ग्राम कोनी के औषधालय की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(10) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के निवारण हेतु लम्बित पेयजल योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में विद्याधर नगर, सैक्टर 4 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित ग्रुप हाउसिंग भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के सम्बन्ध में।

(13) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बोरावड़ की सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 238 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर के वैर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की कतिपय जलदाय योजनाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे के कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(17) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान क्षेत्र लूणकरणसर के सीमान्त सिंचित क्षेत्रों के विभिन्न चकों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र की पार्वती/उटंगन नदी पर 30 वर्ष पूर्व निर्मित पुल पर टोल टैक्स वसूले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री जगदीप धनखड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 तारीख को मैंने आपके सामने दो प्रिविलेज मोशन पेश किये। आपसे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तीन सैशन हो गये इस विधान सभा के और तीनों सैशन में मुख्य मंत्रीजी +++ बोल-बोल कर असत्य वचन कह रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे इस पर आप कुछ रूलिंग तो दिलायें। मैं जाऊं कहां ? +++ सच में जहां कहीं अध्यक्ष महोदय, Where do I go ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ बोला है।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : यह जो +++ शब्द है, माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द असंसदीय है, इसको कागज से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई असंसदीय नहीं है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : यह निर्णय कीजिये कि + + + शब्द असंसदीय कैसे नहीं है।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : जिन शब्दों की सूची दी गयी है उसमें + + + को असत्य माना गया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन पर मैं बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप बहुत दिनों से बाहर थे।.... (व्यवधान) बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : डिप्टी मिनिस्टर इसमें इन्वाल्व हैं, यह दोनों डिप्टी मिनिस्टर इन्वाल्व हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मैं इसको दिखवा रहा हूं और दो-तीन दिन में व्यवस्था जरूर दूंगा। बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?.... (व्यवधान) चिकित्सकों की सुविधाओं के बारे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) यह अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप अभी बिराजिये। मैं देख लूंगा, आप मुझसे चैम्बर में मिल लें। माननीय धनखड़जी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक सनसनीखेज..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आपको बुलवा दूंगा। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इनको बोलने दें।

श्री गोपीराम जाट : मेरे क्षेत्र का मामला है। दो आदमियों की हत्या करके मस्जिद में गाड़ दिया गया। यह बहुत ही सनसनीखेज मामला है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय धनखड़जी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं, कृपया उनको कहिये कि वह बैठें। (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे बोलने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर पर बोलने दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : आपका यह कौन सा विषय है ?

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । इनको बोलने दीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगरू थाने के तहत कालवाड़ गांव में....

श्री गोपीराम जाट : मेरे क्षेत्र का मामला है । मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सदस्य मेरे बाद बोल सकते हैं । पहले मुझे बोलने दीजिये ।.... (व्यवधान) यह मेरे क्षेत्र का मामला है । और मैंने भी आपको सूचना दे रखी है।

श्री कालीचरण सराफ : धनखड़ साहब, इनके इलाके का मामला है, इनको पहले बोलने दीजिये ।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : यह बोल चुके उस पर ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य....

श्री गोपीराम जाट : सांभर तहसील के कोरचीना ग्राम के गुर्जर पिछले बीस सालों से बकरी चराने के लिए कालवाड़ में आया करते थे । यह घटना मेरे क्षेत्र की है ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका अंकित नहीं होने दें, मैं जो बोल रहा हूं वह होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री गोपीराम जाट : आप क्यों बोलेंगे अभी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । पहले आप उठा चुके हैं । आप बोलें, आपको क्या कहना है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी, यह विषय गम्भीर है चाहे कुछ भी हुआ हो, यहां पर तथ्य आने चाहिए । आप स्टेटमेंट दें ।....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्रीजी, आप आज शाम तक या कल तक स्टेटमेंट दे दें । इस विषय में तथ्य सामने आयेंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था करें, आपने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है और वे बीच में बोल रहे हैं ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। जो सदस्य बोल रहे हैं उन्हें बोलने दें आप। (व्यवधान) आपका सबका नाम कट जायेगा, बिराजिये आप ।

श्री गोपीराम जाट : कालवाड़ गांव में, कोरचीना गांव से पिछले बीस साल से बकरी चराने के लिए गुर्जर आते रहे हैं और उस मस्जिद के अन्दर मौलवी ने ...

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय आप कह देते हैं कि अंकित नहीं होगा, आपने मुझे इजाजत दी है (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : विषय मेरा है साहब। मेरे क्षेत्र का मामला है। मौलवी ने उन गुर्जरों को इलाज करने के बहाने से बुला कर ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप भी बोल लेना इस पर। आपको कोई मनाही नहीं है।

श्री गोपीराम जाट : 18 तारीख की रात के 10 बजे उन लोगों को जहरीली चीज खिला कर (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है, सदन में क्या हो रहा है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने धनखड़ साहब का नाम पुकारा है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष आपका अपमान कर रहा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष आपके निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री किशनगोपाल कोगटा : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय जगदीपजी। माननीय सदस्य, धनखड़जी का नाम पुकारा गया है। आप बिराजिये।.... (व्यवधान) अंकित मत करिये। माननीय गोपीरामजी, पहले इन्हें बोलने दीजिये।.... (व्यवधान) अंकित मत करिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप बिराजिये न। (व्यवधान) आपको भी अवसर है;.... आपको भी अवसर (व्यवधान) दोनों एक ही सब्जेक्ट पर बोल लेना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : × × ×

श्री रामनारायण चौधरी : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना गंभीर है, मैं चाहूंगा कि आप गृह मंत्रीजी को सुन लें। इसके बाद में जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, कर लें।.... (व्यवधान).... गृह मंत्रीजी को बोलने दो। आप मामले को गम्भीर मानते हो तो सुनो।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : × × ×

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आई एम ऑन ए पाइंट आफ ऑर्डर ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके माननीय ।.... (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं खड़ा हुआ । हम. नियमों से बंधे हुए हैं । सत्तारूढ़ दल ने पूरी अव्यवस्था की । सत्तारूढ़ दल ने इतनी अव्यवस्था की कि सदन के नेता के आने के बाद ही....

श्री अध्यक्ष : बात आ गयी है, आप दोनों ने बात उठा ली,.... विराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष-जी, उठायी कहां ? मैं तो बोला ही नहीं । मैंने तो कोई बात ही नहीं की । मतलब क्या है ?.... (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मणसिंह : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिपक्ष से इस अधिकार को छीनना चाहते हैं .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये... (व्यवधान)..

श्री जगदीप धनखड़ : आपस में उनको तय करना है तो सदन की आवश्यकता क्या है ?... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह : × × ×

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : इनका उद्देश्य राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है ।.... (व्यवधान) ... इनका उद्देश्य मात्र यह है कि राज्य के अन्दर शांति स्थापित न रहे (व्यवधान) ... अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पहले आप व्यवस्था दीजिये ।.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री किशन मोटवानी : × × ×

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : वे बोलते जा रहे हैं, आप उनको अंकित कराते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि.... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मणसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, विराजिये आप ।.... (व्यवधान).... माननीय, विराजिये आप सभी ।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : मेरी बात सुनिये ।.... (व्यवधान)....

श्री गोपीराम जाट : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(60)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि सभी माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे तो.... (व्यवधान) .. बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर सुनिये आप। रूल 294 के तहत मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। आपने बोलने के लिए कहा, मैं खड़ा हुआ और सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से आवेश में आ गया। .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आप ही को कह रहा हूं। नहीं, कोई नहीं आया। आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं, आपके माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा-आप बोलिये और इतने में आपके सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये, या तो आपने पहले तय कर रखा होता कि मैं इस पाइंट पर बोल रहा हूं। बोलें आप।

शासकीय वक्तव्य

कालवाड़ की मस्जिद में दो व्यक्तियों की हत्या

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगरू थाने के तहत कालवाड़ गांव में 18 अप्रेल को एक घटना हुई और उस घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गयी। ऐसी परिस्थिति में मौत हुई, जो मैं समझता हूं अत्यन्त चिन्ता का विषय है। उन दो व्यक्तियों में से एक की मां मेरी कांस्टीट्यूएंसी किशनगढ़ की है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जो महिला थी उसके पुत्र की मौत हो गयी। वह उनमें से एक है। दोनों में आपस में जीजा-साले का रिश्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपने रेवड़ चराते हुए जब इस इलाके के अन्दर आये तो जैसी घटना कुछ सप्ताह पहले नागौर जिले में हुई थी, उसी प्रकार की एक दुर्घटना यहां पर हुई। 18 अप्रेल को जब यह दुर्घटना हो गयी, गांव वालों ने काफी प्रयास किया कि वहां की स्थानीय पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज की जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 18 अप्रेल से लगातार गांव वाले पुलिस चौकी में कहते रहे कि इस प्रकार की दुर्घटना हो गयी पर स्थानीय पुलिस ने नियमों की अनदेखी करके कोई मामला दर्ज नहीं किया और स्थिति को इस तरीके से विस्फोटक बना दिया जैसे कि दो सम्प्रदायों का झगड़ा है। इस मामले में जो तथ्य अब तक प्रकाश में आये हैं, दो नौजवान आदमी हैं, रेवड़ चराते हुए आये। उन से एक सज्जन ने कहा कि आपके कोई पुत्र नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगा। उनको बैठाया गया, उनको कहते हैं कोई जहरीली चीज खिला दी और वे रात को सो गये, उनकी हत्या कर दी गयी और कुछ सोने के आभूषण ले लिये गये। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये।... (व्यवधान)... आप मेरी बात तो सुन लीजिये, आप भी कह दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय,.... आसन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर वाले मामले में भी कई दिनों तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वह गृह मंत्रीजी जो कहते हुए नहीं थकते हैं कि जाते ही थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, इस मामले में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : थाने में रिपोर्ट तब दर्ज हुई जबकि स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गयी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके माध्यम से मेरा सरकार को यह कहना है कि ऐसी परिस्थिति के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कुप्रयास राजनैतिक स्तर पर सामने वाली पार्टी निश्चित रूप से करेगी। एक तरफ तो सामने वाली पार्टी के सदस्य ... (व्यवधान) ... प्रशासन ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जान–बूझकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हत्यारों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी और आज प्रशासन तथ्य तोड़–मरोड़कर सच्चाई को सामने नहीं आने देगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धनखड़ साहब हत्यारों की वकालत कर रहे हैं यहां पर। धनखड़ साहब सदन में हत्यारों की वकालत कर रहे हैं।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपीरामजी।... (व्यवधान).... आप बिराजें .. (व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : किनकी वकालत हो रही है? यह किस प्रशासन की वकालत हो रही है?

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। कोरचीना के रहने वाले मांगीलाल और सुक्खा गुर्जर पिछले 20 साल से कालवाड़ में भेड़-बकरी चराने के लिए आते हैं और वे 4-5 बरसात के दिनों तक वहां पर रहते हैं। मुहम्मद युनूस नाम का व्यक्ति, जो करीब 6 महीने से कालवाड़ की मस्जिद में रहता आ रहा है, वह उनके पास दूध के बहाने जाया-आया करता था। उन्होंने अपनी व्यथा बतायी कि मांगीलाल की पत्नी बीमार रहती है तो उसने कहा 17 तारीख को कि आप 18 तारीख की रात्रि में बिना किसी को कहे मेरे पास आ जाना। यदि आपको किसी ने टोक दिया तो आपके कार्य में सिद्धि नहीं होगी। रात को 10 बजे मांगीलाल और सुक्खा दोनों घर वालों को बोलकर गये कि मैं भेड़ का उरण्या लेने के लिए जा रहा हूं। यह कहकर वे घर से रवाना हो उसके घर पर आ गये। एक के हाथ में रास्ते के भय के मारे लकड़ी थी; एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोनों लेकर मस्जिद में आ गये, वहां बैठ गये और कुछ समय बाद, उन दोनों आदमियों को जैसा कि मैं खुद स्वयं मुलजिम से रात को पूछ कर आया हूं, उसने जहरीली चीज खिलाई, दोनों बेहोश हो गये। दोनों

(श्री गोपीराम जाट)

की डेड बॉडी भी देखी है, आधा-आधा गला उनका काट करके बेहोशी की हालत में खड्डा खोद करके, 4 फुट गहरे खड्डे में दबा दिया गया तो मेरा इसमें कहना यह है कि मस्जिद में दबा दिया। मेरा कहना यह है कि एक तो यह हत्यारा अकेला नहीं, इसके साथ में और लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए इस पूरे सरगने की जांच की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। घटना 18 तारीख की है, 19 तारीख को दूसरा सुक्खा वहां पर मस्जिद में गया, उसकी पत्नी से पूछा, उसने कहा कि रात को दो लाल साफे वाले आदमी आये थे। लेकिन वह उसी वक्त चले गये। उसके बाद 20 तारीख को स्वयं, जो मुलजिम है, यह उनके घर गया और घर जाकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए उसने यह कहा कि वह दोनों आदमी नहीं आये क्या ? तब उन्होंने देखा कि यहां तो नहीं आये तब जाकर दूसरा सुक्खा जो वहां पर मौजूद था वह अपने गांव गया और गांव जाकर अपने गांव के लोगों को साथ लेकर आया और मस्जिद में बैठे। मस्जिद में मोहम्मद यूनुस जो अभियुक्त था उसको घेर कर बैठ गये। रात्रि को 7.30 बजे मस्जिद में दीपक जलाने का बहाना करके वह कूदकर वहां से भागा। उस हत्यारे की जेब में 7000 रुपये थे और उसमें से 100 रुपये का नोट कम था और उन रुपयों के लिए भी यह पता लगा है कि उनके कान में मुर्की थी उसको बेचकर 7000 रुपये लेकर आया था। 100 रुपये शायद खर्च हो गये होंगे और 6900 रुपये मस्जिद की बाउण्ड्री से कूदते हुए उसकी जेब से निकल गये। वह रुपये वहां से बरामद भी कर लिये गये। जैसे ही वह वहां से कूदकर भागा, उसी वक्त उन लोगों ने जाकर थाने में सूचना दी है। थाने से वहां के इंचार्ज रवाना हो गये। वह कूदकर भागता है और उधर से उसकी पत्नी आती है। इन्चार्ज ने उसकी पत्नी और बच्चों को गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर के बाद में ही यह व्यक्ति जब भागकर जा रहा था, रात्रि के समय धानकिया गांव के अन्दर वहां के सरपंच श्री पृथ्वीसिंह ने संदिग्ध अवस्था में उसे देखते हुए इस आदमी को पकड़ा और पकड़ कर सोचा कि इस एरिया में चोरियां हो रही हैं, यह कोई चोर होगा, उसे पेड़ के बांधा और पेड़ के बांधने के बाद रात को 1.30 बजे मुझे फोन किया। मैंने थाने में फोन किया। थाने से डी. एस. पी. वहां को रवाना हुए। इनके स्थान की तलाश की होगी और मिल नहीं पाया होगा, मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे फोन करने के बाद वह धानकिया सरपंच के घर पर मोहम्मद यूनुस बंधा हुआ था तो पुलिस रात्रि को नहीं पहुंच कर सुबह वहां पहुंची और उसने वहां से बरामद कर ली। इसलिए यह कहना कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, पुलिस उसको उसी वक्त से ढूंढ रही थी, उनकी रिपोर्ट मिलते ही ढूंढ रही थी। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इतना साहस किया कि एक मस्जिद के अन्दर दो आदमियों की हत्या करके दबा सकता है तो एक बहुत बड़ा सरगना, जो हमारा शांतिप्रिय क्षेत्र था, उसके अन्दर वह प्रवेश कर रहा है। रोजाना वहां 50 आदमी जयपुर शहर से जाते हैं। शास्त्री

(श्री गोपीराम जाट)

नगर का रहने वाला है, सहारनपुर में भी रहा है, सीकर में भी गया है। जो व्यक्ति इस तरह का काण्ड कर सकता है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उसके साथ कौन-कौन सी एजेन्सी और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं सब की गम्भीरता से जांच करके जो हमारा शांतिपूर्ण क्षेत्र था उसको शांतिपूर्ण बनाने में सरकार और गृह मंत्रीजी सहयोग दें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का काण्ड एक शांतिपूर्ण स्थान पर हुआ। पूरे गांव में दहशत हो रही है और यह अकेला आदमी इस प्रकार का हत्या काण्ड नहीं कर सकता। इसमें निश्चित रूप से कई लोग शामिल होंगे। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे तथ्यों को यहां विस्तारपूर्वक बतायें और इस बात की घोषणा करें कि इस पूरे काण्ड की जांच की जायेगी और इसमें कौन-कौन लिप्त हैं और कौन-कौन व्यक्ति इसमें इनवाल्व्ड हैं, इस बारे में पूरी जानकारी यहां पर दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): इस यूनुस नाम के आदमी ने यह मान लिया है कि उसे धतूरे के बीज खिलाकर बेहोश किया था। यह भी मान लिया है कि उसने उनका गला काटा है और यह भी मान लिया है कि अन्यत्र जगह मुर्कियां बेचीं। वहां पर यह भी पुलिस ने जाकर तफतीश कर ली है कि वहां मुर्की बेची। उनसे भी यह चीजें, सब जानकारी पुलिस ने ले ली है। इतनी तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद में मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे बतायें कि सारी जानकारी सदन को कब दे देंगे? स्टेटमेंट दें अपना और जो भी दोषी हैं उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाये, उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। एक शांतिपूर्ण दिमाग से उसने लोगों का मर्डर किया है, कोल्ड ब्लडड मर्डर है यह।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, उसके और भी साथियों की तलाश पुलिस करे। किसी एक साथी को पकड़ा भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसके साथ पूरा का पूरा गिरोह है। यदि हमने तत्काल इसको कन्ट्रोल नहीं किया तो इससे और भी गतिविधियां बढ़ेंगीं और ऐसे स्थान, जो सारा शांत क्षेत्र है, उनमें और भी उत्पाद बढ़ेंगे। यह जघन्य अपराध है एक तरह से, दो आदमियों को मारकर गाड़ दिया और यह एक धार्मिक स्थान है।

श्री रामनारायण (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं या कोई भी बात सदन को कहने जा रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने रात्रि को टेलीफोन किया और पुलिस ने 8 घण्टे तक सुध नहीं ली। इस बारे में पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? अपने स्टेटमेंट में यह भी बतायें।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह कहना है कि केवल मुर्कियां बेचने के लिए यह हत्या नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

और राज भी है। केवल 7 हजार रुपयों के लिए दो आदमियों की हत्या नहीं हो सकती। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो गिरोह काम कर रहा है उसकी पूरी तफतीश होनी चाहिए। इसका पर्दाफाश होना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। हम भी इस हत्या की भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वह मन्दिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो, इनका अगर इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है तो यह बहुत ही निन्दनीय बात है। जो माननीय सदस्यों ने बताया कि इसमें गिरोह भी शामिल है और इसमें और भी भण्डा-फोड़ होने वाला है तो इसकी उच्चस्तरीय सी. आई. डी. से जांच करवाइये जिससे तथ्य सामने आ सकें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कालवाड़ में यह दोहरा हत्याकाण्ड हुआ है और बड़ी गम्भीर घटना है। 18 तारीख को दो गूर्जर नौजवान उस मस्जिद में गये थे। इसमें जो तथ्य अभी तक सामने आये हैं वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं।

श्री मांगीलाल पुत्र कानाराम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी बिराबता थाना सांभर जिला जयपुर व श्री सुक्खाराम पुत्र श्री जेठूराम गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी कोस्वीना थाना सांभर जिला जयपुर अपनी भेड़-बकरियों को चराने के लिए एक महीने पहले कालवाड़ इलाके में आये थे। कालवाड़ में श्री मंगेज सिंह राजपूत के कुएं पर रहते थे व भेड़-बकरियां चराते थे। मांगीलाल की औरत अक्सर बीमार रहती थी। ठाकुर साहब के कुएं पर कालवाड़ मस्जिद का एक मौलाना नाम मोहम्मद युसूफ (पुत्र मोहम्मद सदीक उम्र 34 वर्ष निवासी सुगरी पोस्ट जिन्जाना तहसील कैराना जिला मुज्जफरनगर) भी आता जाता था। मौलाना ने मांगीलाल गुर्जर को यह कह कर कि उसकी औरत का इलाज कर देगा अपने यहां बुलाया व फिर दिनांक 18-4-95 को पैसे लेकर दवाई के लिए बुलाया। मौलाना के बुलाने पर श्री मांगीलाल गुर्जर व उसका साला सुक्खाराम गुर्जर दिनांक 18-4-95 को रात्रि 9.10 बजे के करीब मगेजसिंह के कुएं से चल कर मौलाना के यहां मस्जिद के लिए रवाना हुए, उसके बाद वापिस नहीं पहुंचे।

मांगीलाल व सुक्खाराम जब वापिस कुएं पर नहीं पहुंचे तो उनके घरवालों ने उन दोनों की तलाश की। तलाश के दौरान मौलाना के यहां भी पूछताछ की परन्तु मौलाना के यहां कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला। तब इनके घर वालों ने दोनों के मूल गांव बिराबदा व कोस्वीना में व सब रिश्तेदारियों में तलाश किया व दिनांक 22-4-95 को सायंकाल साढ़े पांच बजे श्री मांगीलाल के पिता कानाराम पुत्र श्री घासीराम गुर्जर निवासी बिराबता पंचायत हबसपुरा ने थाना बगरू में उक्त आशय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस थाना बगरू-कालवाड़ व मंगेजसिंह के कुएं पर जाकर दोनों की तलाश की। इसी दौरान उक्त

(श्री कैलाश मेघवाल)

मौलवी श्री मोहम्मद युसूफ मस्जिद से रूह-पोश हो गया तब उक्त मौलवो की तलाश में पुलिस व ग्रामवासी लगे रहे।

पूछताछ के दौरान मुस्तगीस को यह शक हुआ कि दोनों गुमशुदा व्यक्तियों ने कानों में सोने की मुर्कियां पहन रखी थीं व मौलवी ने ईलाज के नाम से पैसे भी मंगवाये थे जो लेकर गयें थे व मौलवी ने गलत समय में बुलाया व अब मौलवी व दोनों गुमशुदा मिल नहीं रहे हैं, शक है कि उक्त दोनों व्यक्तियों को मौलवी ने मुलावा देकर सोने की मुर्कियां व पैसे के लालच में मार दिया है या छुपा रखा है, आदि पर थाना बगरु पर मुकदमा नं. 139/95 धारा 364, 394 आई. पी. सी. दर्ज कर एस. एच. ओ. बगरु ने तफतीश शुरु की व तलाश हेतु सभी थानेजात व जिलों को सूचना भेजी व जयपुर में उच्चाधिकारियों को उक्त बाबत सूचना दी। मौलवी को तलाश करने पर मौलवी रात को भाग कर धानक्या गांव पहुंचा जहां ग्रामवासियों ने संदिग्ध हालत में पाये जाने पर थाना पुलिस बगरू को इत्तला दी जिस पर थाना पुलिस धानक्या गांव पहुचकर उक्त मौलवी को लेकर थाना आयी व गुमशुदा व्यक्तियों के बाबत पूछताछ व तफतीश की तफतीश से मौलवी ने अपना जुर्म स्वीकार किया व यह स्वीकारा कि उसने दोनों व्यक्तियों का कत्ल कर दिया है, आदि। जिस पर मुकदमा में धारा 302, 201 आई. पी. सी. जोड़ी गई व मुलजिम को उक्त मुकदमे में गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए दोनों लाशों को मस्जिद की निर्माणाधीन दुकानों के अन्दर जमीन में गाड़ने की स्वेच्छा से इत्तला दी। मुलजिम की इत्तला के अनुसार मुलजिम की निशानदेही से उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में मृतकगण मांगीलाल गुर्जर, उम्र 30 साल व सुक्खाराम गुर्जर, उम्र 30 वर्ष की लाशें जमीन से खोदकर निकाली गईं। लाशें सड़ी हुई हालत में मिलीं जिनके पोस्टमार्टम के लिए डाक्टर्स की टीम को मौके पर बुलवाया गया परन्तु मौके पर साधन अभाव होने व मेडिकल टीम के निर्देश से दोनों लाशें एस. एफ. एस. अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भिजवाई गई जहां पर दोनों लाशों का बोर्ड द्वारा पोस्ट-मार्टम किया गया व लाशें उनके परिजनों को सुपुर्द की गईं।

वक्त बरामदगी लाश मृतक मांगीलाल व सुक्खाराम के कानों की सोने की मुर्कियां कानों में नहीं थीं, मुलजिम गिरफ्तारशुदा जेर हिरासत पुलिस है एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशन में गहन पूछताछ की जा रही है व तफतीश श्री सी. बी. शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंप दी गई है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है कि इसकी गहनता से जांच की जाये। यह तंत्र करने वाले, झाड़ फूंक करने वाले मर्डर के अलावा भी ऐसी गम्भीर बीमारियों में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन पर भी सख्त नजर रखी जाय, उन पर सख्त कार्यवाही की जाय ताकि वे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं घटना स्थल के पास जा कर आया हूं। मूल बात जो माननीय गृह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी ने कही है वह ठीक है। इसमें दो-तीन बातें और देखने की हैं। एक तो यह है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है इसको किसी सम्प्रदाय से जोड़ने का मतलब नहीं है, हत्यारा, हत्यारा है, वह किसी भी सम्प्रदाय का नहीं हो सकता। जिसने अपराध किया है वह अपराधी है, वह चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो। लेकिन इसने जिस प्रकार का अपराध किया है वह अपराध एक... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें आप..

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : किसी भी सम्प्रदाय का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो, यह बार-बार क्यों कह रहे हैं ? इसमें आपकी इंटेन्शन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। कोई इंटेन्शन नहीं है, साफ है इंटेन्शन। उनको अपनी बात कहने दें।

श्री विष्णु मोदी : यह बार-बार कहकर वास्तव में साम्प्रदायिकता खराब करना चाहते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो अपराधी है वह शातिर अपराधी है क्योंकि मेरी जानकारी में जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है वह श्वास की नली को काट कर की गई है। श्वास की नली को मामूली सी काट कर हत्या करने का अपराधी है यह कोई साधारण या अचानक किसी बात के कारण हत्या होना नहीं है, जिस प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से इसके जो सम्बन्ध अन्य स्थानों पर देखे गए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है उससे ऐसा लगता है कि इसका कोई गिरोह है और गिरोह के साथ में वह आदमी संलग्न है और इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कम से कम सी. आई. डी. के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सुपुर्द करके एक टीम बनाकर की जाय और जांच करके इन अपराधियों के सारे तथ्यों का पता लगाया जाय। इस क्षेत्र में जो गरीब आदमी है, जो मरे हैं वह गुर्जर हैं, गरीब हैं, किसान हैं और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करने वाले आदमी हैं। उनको इस प्रकार भुलावे में डालकर हत्या करना और जहां पर रुपये बरामद हुए हैं तो कहीं पर उसने बेचा भी होगा। जहां पर सोना बेचा है, वहां पर इसके किस-किस से सम्बन्ध हैं, उन सब तथ्यों की सरकार को सी. आई. डी. के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करानी चाहिए और उसके निर्देशन में इन सारी बातों का पता लगाना चाहिए, मुझे यह कहना है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसका एक लाख मुआवजा दिलाया जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी से घोषणा करवाई कि उनको एक लाख का मुआवजा दिया जायेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निन्दा की जाय, कम है। वह मौलवी, मौलवी नहीं हो सकता जो धार्मिक स्थान को इतने जघन्य अपराध के लिए इस्तेमाल करे। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से निवेदन है कि जिसने भी यह हत्या की है, इसमें जितने भी लोग शामिल हों, निष्पक्ष जांच करा करके सख्त

(श्री जुबेर खान)

से सख्त सजा दी जावे। मेरा यह भी कहना है कि इसमें कोई साम्प्रदायिकता या जाति विशेष की बात कहीं बीच में नहीं लायी जाय क्योंकि हर जाति में हम सरफायजान हैं, अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो बयान दिया है, गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया है, सत्य है। मुल्जिम ने जब खुद ही मान लिया है कि मैंने हत्या की है इसमें इससे बड़ा सिद्धा हो नहीं सकता और पूरी जांच करें कि इसमें जो कोई दोषी है इसमें लिप्त है या गिरोह है, कोई भी है उसको सख्त सजा मिले। यही मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 18 अप्रेल की घटना है। 22 अप्रेल को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है और स्थानीय विधायक ने एक ही घटना का विवरण दिया है उन्होंने टेलीफोन किया, टेलीफोन के बाद पुलिस हरकत में आई। कोई पेड़ पर बांधा हुआ था। जो घटना का वर्णन स्थानीय विधायक ने दिया है और जो स्टेटमेंट माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया है उनमें दो तीन मुख्य मतभेद हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कहा है उसमें भी भेद है.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे भी आपकी तरह कम सुनाई देता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या 22 अप्रेल से पहले वहां पर चौकी के ऊपर किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज करने का प्रयास किया ? जैसा कि स्थानीय विधायक जी कहते हैं, इस बात का आपके यहां कोई हवाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री गोपीराम (आमेर) : कोई सूचना ही नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला जिस तरह से संवेदनशील और गम्भीर है, मैं ऐसा समझता हूं कि उसी गम्भीरता से इसका अनुसंधान हो रहा है। किस बात का जवाब यहां दिया जाय, किस बात का जवाब नहीं दिया जाय, इसका क्या इन्फरेन्स निकलता है और इन्वेस्टीगेशन में उससे सहायता मिलती है या बाधा पहुंचती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, धनखड़ साहब, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप तो खुद वकील हैं, इन सब बातों को इन्वेस्टीगेशन में चलने दीजिये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिना किसी धार्मिक भावना को दिमाग में रखते हुए जो कुछ भी इस मामले में कार्यवाही हो सकती है, सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि भरतपुर जिले में और खास तौर से भरतपुर शहर में राजस्थान पथ परिवहन निगम के डिपो की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती

(श्री हरिसिंह)

चली जा रही है। वहां पर सवारियों को जो परेशानी हो रही है, वहां के प्रबन्धकों के कारण से, उनकी अकर्मण्यता के कारण से जो दिक्कत बढ़ती जा रही है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सदन में जो बात कही जाती है, संवेदनशील सरकार जब यहां पर कहती हैं कि भाजपा की सरकार बहुत ही कर्तव्य-परायणता से काम कर रही है उस सरकार के मंत्री यहां सदन में बातों को इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। चौराहे पर कही हुई बात का और इस सदन में कही हुई बात का कोई अन्तर नहीं है। अन्यथा, मंत्री महोदय, आप सुन लीजिये कि भरतपुर जिले के अन्दर वहां बसें चल रही हैं जिनको चलाने का उनको अधिकार नहीं है। आप यू. पी. के अन्दर बसें चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं, वहां पर बगैर टिकट सवारियां मिलती हैं और वहां पर धन्धा होता है। आपकी बसें वहां पर पकड़ी जा रही हैं और भरतपुर जिले के अन्दर जहां पर आपको बसें चलानी चाहिए जहां चलाने के लिए आपने आदेश दिए हैं वहां पर बसें नहीं चलायी जा रही हैं। भरतपुर से जयपुर के लिए बस नहीं मिलती है लोगों को सुबह के टाइम पर, और प्राइवेट बसें दिन-रात चलती हैं। बसों की इतनी खराब हालत हो गई है कि टूटी हुई बसें चल रही हैं। एक बार पहले भी ध्यान आकर्षित कर चुका हूं लेकिन कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तक तो मैं यह समझता था कि वहां के कर्मचारी बेईमानी कर रहे हैं, रोडवेज के कर्मचारी उसमें लिप्त हैं लेकिन अब मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अरूणसिंह जी।

श्री अरूण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 40 हजार की आबादी के डीग कस्बे की ओर से जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आजादी के बाद इस आबादी ने मीठा पानी कभी देखा नहीं है नलों में, यह बड़ी विडम्बना है। कोई भी सरकार आये, इस डीग कस्बे के लिए कभी कुछ सोचा नहीं गया है। दस साल से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनी। उसमें यह तय हुआ कि राजस्थान सरकार एक करोड़ रुपया जमा करेगी और चार क्यूसेक्स पानी आगरा कैनाल के तहत इस कस्बे के लिए आयेगा। मैंने प्रयास करके उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह से मिलकर इस योजना को उनके मंत्रिमण्डल से स्वीकृत करवाया। मुझे आपसे यह आश्वासन चाहिए। इस योजना में क्यों विलम्ब हो रहा है? आप समय की कब घोषणा करेंगे? माननीय मंत्रीजी, कुछ तो जवाब दो। आपके ध्यान में तो यह स्कीम है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अभी आपसे मेरी चर्चा हुई थी, आपने यह जानकारी दी कि यह स्वीकृत हो गया। अब इसमें देर क्या लगेगी?

श्री अरूण सिंह : यह तो मैं आपको और ठाकुर भैरोंसिंहजी को बधाई देता हूं कि जमुना का पानी हमारे प्यासे क्षेत्रों में आया पर हमारे को पीने का पानी चाहिए।

(श्री अरूण सिंह)

यह 40 हजार की आबादी क्या करेगी ? इनका भी एक सपना है। वहां हजारों छोरे कुंआरे रह गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अरूण सिंह : अब, पण्डितजी, आप कुछ तो बताओ। हां, मैं भी शामिल हूं इसमें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आपकी शादी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अरूण सिंह : माननीय भंवरलाल जी, कुछ तो आश्वासन दो। मीठा पानी तो पिलाओ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय मंत्रीजी, पानी की स्थिति बहुत भयानक है और अरूण सिंह जी ठीक कह रहे हैं, कुंआरे रह गये लोग, हमारे कुंअर साहब भी कुंआरे रह गये। सही बात है, कौन अपनी लड़की को ऐसे शहर में ब्याहना पसन्द करेगा जहां पीने को पानी नहीं मिलता हो ? यही हालत हमारे कुम्हेर की है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य महोदय, इस योजना के बाद मेरा विश्वास है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बिराजने से क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग प्यासे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो आप खड़े हो जायें ? तो और क्या करूं मैं ? आप अपनी बात कह चुके हैं। अरूण सिंहजी अपनी बात कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्यासे मर रहे हैं। पानी का प्रबन्ध नहीं हो रहा है, थक गये कह-कह के ऐसी बातों को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि शून्यकाल में जवाब ही दिया जाये, उसके बावजूद जवाब दे रहे हैं और आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, पिछले दिनों राजस्थान के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि हुई। मेरा जिला भी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी इससे भयंकर रूप से प्रभावित हुआ। माननीय राहत मंत्रीजी भी उधर गये थे लेकिन खेद है, ढाई महीने बीतने को आये, आज भी उन काश्तकारों को जो ओलावृष्टि हुई थी और जिससे उनकी फसलें बरबाद हो गयीं, राहत राशि वितरित नहीं की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी वहां गये, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और आदेश दिया कि दो दिन के अन्दर, तीन दिन के अन्दर राशि वितरित कर दी जाय। जिन-जिन व्यक्तियों की सूची बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं ने दी उनको राहत राशि मिल गयी। अध्यक्षजी, जब ओला बरसता है तो न वह बी.जे.पी. देखता है, न कम्युनिस्ट देखता है, न कांग्रेस को देखता है, सबके खेतों में नुकसान होता है। स्थिति यह था

(श्री शिवनाथ सिंह)

गयी कि बीच में एक खेत वाले को मुआवजा मिल गया, चारों तरफ वाले खेतों को मुआवजा नहीं मिला। लोगों ने मांग की, कलक्टर साहब के यहां गये, ज्ञापन दिये और दुबारा उन सबकी गिरदावरी की गयी, गिरदावरी होने के बाद आज भी दो महीने से अधिक का समय निकल गया, वह राहत राशि उन लोगों को वितरित नहीं की गयी। पूछने पर पता लगा कि अभी तक हमारे पास राज्य सरकार से आदेश नहीं आये हैं, राशि नहीं आयी है। तो मैं माननीय राहत मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन लोगों का ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उनमें से कुछ को, 20 पर्सेण्ट, 25 पर्सेण्ट को मुआवजा दिया जा चुका है, बाकी लोगों को, जिनकी गिरदावरी वहां के तहसीलदार ने की है, नायब तहसीलदार ने की है और जिनमें नुकसान दर्ज किया गया है, उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी राहत राशि दी जाय ताकि ओलों से पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम जी।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के किसानों की दशा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सीजन में वैसे ही बिजली कम आने से, ओलावृष्टि से फसलें बरबाद हुई हैं उसके बावजूद जो गेहूं की फसल अभी आयी हैं मण्डियों के अन्दर, राजस्थान सरकार की जो भी एजेन्सियां हैं, वे समर्थन मूल्य से नीचे जाने के बाद भी कहीं भी खरीद नहीं कर रही हैं। जहां किसान को अपनी देनदारियों के लिए, चाहे वह बैंक हो, चाहे निजी और हों, चाहे जैसे अभी शादियों का वक्त आ रहा है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हैं और समर्थन मूल्य जैसा हमारी सरकार यह समझती है कि उससे नीचे किसी भी सूरत में किसान का गेहूं बिकना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 20 दिन से लगातार किसान को लूटा जा रहा है। निश्चित रूप से वह पूरा का पूरा गेहूं, मैं समझता हूं सरकारी एजेन्सियां तब तक मार्केट में नहीं आयेंगी, जब तक पूरा का पूरा किसान का गेहूं व्यापारियों के गोदामों में नहीं भर जायेगा, उसके बाद सरकारी एजेन्सियां खरीदने के लिए आयेंगी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरन्त जो भी सरकारी एजेन्सियां गेहूं खरीदने की हैं, वे बाजार में, मण्डियों में पहुंचे जिससे किसान ने जो 6 महीने से, बहुत कड़ी मेहनत से फसल पैदा की है उसका उसको लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान बीसलपुर बांध की भराव क्षमता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी बार-बार घोषणा करते हैं कि जयपुर को इतना पानी वहां से पिला देंगे, अजमेर को पिला देंगे लेकिन उसकी जो भराव क्षमता कम हो रही है उसकी ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। उसके केचमेंट एरिया में जो एनीकट बना-बनाकर उसकी भराव क्षमता को कम किया जा रहा है या किये जाने की कोशिश की जा रही है उसकी ओर मैं सरकार का

(श्री हरजीराम बुरड़क)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इतनी बड़ी राशि खर्च करके इस बांध को बनायेंगे लेकिन पूर्व योजना के अनुसार अगर इसकी भराव क्षमता नहीं होगी और केचमेंट एरिया में दूसरे एनीकट बन जायेंगे तो इसमें पानी नहीं आयेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, रामगढ़ बांध की भराव क्षमता क्या थी और आज हालत क्या हो रही है। इतनी बरसात होने के बाद भी यह बांध नहीं भर रहा है, नहीं भरने का एक कारण यह है कि उसकी भराव क्षमता में एनीकट बन गये। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व योजना के अनुसार इसकी भराव क्षमता कम नहीं हो, इसके केचमेंट एरिया में, कहीं भी कोई एनीकट या कोई और बांध बनाने की स्वीकृति नहीं दी जाय, यह मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल जी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 23 अप्रेल, 1995 को, चित्तौड़ तहसील के गांव घोसुण्डा के पास गाडरियावास मजरा है, वहां पर भीषण अग्निकाण्ड हुआ। उस अग्निकाण्ड में अनुसूचित जन जाति के लोगों के घर, मकानात सारे के सारे जल गये, उनके पशु जल गये, उनका घरेलू सामान जल गया। आज स्थिति उनकी यह है कि उनके कोई छत नहीं है जहां वे निवास कर सकें, अपने बच्चों को रख सकें। वहां पर उस अग्निकाण्ड को कण्ट्रोल करने के लिए बिरला सीमेंट फ़ैक्ट्री की ओर एक नगरपालिका चित्तौड़ की फायर ब्रिग्रेड पहुंची। यद्यपि वे काफी विलम्ब से पहुंचीं लेकिन अन्ततोगत्वा उस पर कण्ट्रोल कर लिया गया। यदि थोड़ी और विलम्ब से ये वाहन पहुंचते तो मैं समझता हूं कि पूरा गांव का गांव राख का रूप ले लेता। अब जो लोग इस अग्निकाण्ड से पीड़ित हैं उनको इमीजिएटली प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं पहुंचने के कारण वे दर-दर भटक रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए खान-पान की कोई वस्तु नहीं है। जो शेष बचे हुए जानवर हैं उनके लिए कोई घास की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कोष से तत्काल सभी परिवारों को राहत पहुंचायें और वहां की स्थिति पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी 295 नहीं है। शून्यकाल में आपको कोई बात कहनी है क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, है साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र में अभी मैं दो दिन गांवों में घूम-घूमकर आया हूं, वहां पर पिछले 6-7 महीनों से पंचायत समिति के माध्यम से जो कामकाज हुए हैं उन श्रमिकों को भुगतान नहीं हुआ है और इसके लिए अनेक बार सरपंच, सचिव और मजदूर स्वयं बार-बार पंचायत समिति कार्यालय में पहुचते हैं उसके

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बावजूद भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने विकास अधिकारी महोदय से कल बात की तो उन्होंने कहा कि ओवरसियर नहीं टिकता है, व्यवस्था बैठती नहीं है, मैं क्या करूं। इस तरह की असमर्थता जाहिर की। आज उन लोगों के 6-6 महीनों तक भुगतान नहीं हों तो गरीब, शिड्यूल्ड कास्ट के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो साधारणतया इस तरह के लोग काम करने जाते हैं उनको भुगतान नहीं हो यह मामला बहुत गम्भीर है। तो मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वित्तीय वर्ष का भुगतान इस महीने में कम से कम हो, इस तरह की समुचित व्यवस्था की जाय, नहीं तो 15 मई तक तमाम भुगतान 31 मार्च तक का हो, इस बात के प्रभावी निर्देश प्रदान किए जायं। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो मेरे घर पर ही करते रहते हैं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी माभड़ा साहब की कान्स्टीट्यूएंसी में दिनांक 8-4-1995 को करीबन साढ़े ग्यारह बजे श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री हरिराम जाति मेघवाल, के साथ इतना बड़ा बलात्कार हुआ, एक बार नहीं, उसके साथ तीन बार चाकू की नोक पर, उनके बच्चों के सामने हुआ और 9-4-1995 को रतनगढ़ थाने में एफ. आई. आर. लॉज करवायी सुबह 8–30 बजे। उसका पति मजदूरी पर गया हुआ था। माननीय अध्यक्षजी, उसको बुलाया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, मेडिकल बोर्ड बैठा और बोर्ड बैठने के बाद में सर्टिफिकेट दिया। गांव छावड़ी खारी तहसील रतनगढ़ का यह मामला है। वह सरपंच, जिसने बलात्कार किया, वह भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद वह फरार हो गया, फरार होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही की। उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसराम मोरदिया : बड़ा सीरियस मैटर है। बलात्कार का मामला है साहब।

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी पूरी अब।

श्री परसराम मोरदिया : पूरी कहां हो गयी? अध्यक्ष महोदय, उसके बाद श्री माभड़ा साहब का रतनगढ़ का प्रोग्राम बना तीन दिन का। मैं, वहां के 50 आदमी आये, उनके कहे अनुसार कह रहा हूं। मैं खुद मौके पर वहां नहीं था। माननीय श्री माभड़ाजी ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, मैं बैठा हूं और वह सरपंच इनके प्रोग्राम में साथ रहा और आज वह सरे आम घूम रहा है। उस सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री परसराम मोरदिया : +++ और इसकी कार्यवाही इस हालत में हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री परसराम मोरदिया : + + +

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैठिये ।

श्री परसराम मोरदिया : मैं चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है . (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : कि तुरन्त उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाय और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य सुनी-सुनाई बातों पर और एक ऐसे मामले पर, जिसकी जांच पुलिस कर रही है, बयान कर रहे हैं । यह बात सही है कि मैं वहां गया था । गांव छावड़ी के सारे लोग इकट्ठे होकर आये थे और उन्होंने कहा कि इस पर यह असत्य इल्जाम भूतपूर्व सरपंच ने इसको जलील करने के लिए लगाया है, भूतपूर्व सरपंच का उस महिला से इल्लीगल सम्बन्ध है । उसको 5 हजार रुपये देकर उन्होंने यह रिपोर्ट दर्ज करवायी है । जिस समय महिला ने आवाज दी कि मेरे साथ बलात्कार हो रहा है उस समय वर्तमान सरपंच जनता के साथ थे और वह जनता के साथ ही वहां गये । उन्होंने जब यह कहा कि ये बलात्कार कर रहा है तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ हैं, कहां बलात्कार कर रहे हैं । आप चिल्लाओगे तो आपका नाम भी .. (व्यवधान) सुनिये आप । मैं जो अब आपसे .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुन लीजिये । बैठिये, विराजिये । विराजिये .. विराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मंत्रीजी, आप यह तो देखिये ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भाभड़ाजी का नाम कहा है कि श्री भाभड़ाजी वहां पर थे । विराजिये आप । माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(74)

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।.... बिराजिये।.... बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जो बात कह रहा हूं वह जो गांव के लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई डिबेट कर रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किसी की सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा जैसे माननीय सदस्य....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये, श्री शांतिकुमार जी।....बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ....मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी, आप बिराजिये। माननीय सदस्य, श्री शांतिकुमार जी धारीवाल, बैठ जाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य, आपको अनुभव है इन बातों का.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : You were charged in the past for such purposes.

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप और थोड़ा जोर से बोलें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सारे गांव के लोगों ने वहां का वर्णन इस तरह से किया और पुलिस अधीक्षक ने भी मुझे कहा कि हमने जो जांच की उसमें सारा गांव एक तरफ है और सारा गांव यह कह रहा है कि यह बनाया हुआ मुकदमा है, राजनैतिक दृष्टि से बनाया है और भूतपूर्व सरपंच ने उसको चैलेंज दिया कि मैं तेरे को काम करने नहीं दूंगा....

श्री किशन मोटवानी : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। श्री शांतिकुमार जी, आप बिराज जायें। आप मिल कर नहीं आये हैं। बिराजिये आप।.. (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट का मामला नहीं हो सकता है। मेरा नाम लिया, मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।.... (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसके आगे डिबेट नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवसिंहजी।.... (व्यवधान).... शून्यकाल समाप्त हुआ। बिराजिये आप। कोई अंकित नहीं करना।.. (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री महादेवसिंहजी।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री महादेवसिंह जी। दूसरे किसी का अंकित नहीं होगा।.... (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा, श्री महादेवसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवसिंह जी, आप पढ़ना चालू करें।.... आप बिराजें सब।

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : मोरदियाजी, आपने बिना लिख कर दिया है किस पाइंट पर बोलना चाहते हैं और मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है इसका मतलब यह नहीं कि यू केन रोक दी हाउस, बैठ जाइये आप।....

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

76

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवसिंहजी । ... कोई अंकित नहीं होगा ।

(13.00)

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप । अंकित नहीं होगा । बिराजें आप ।

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : 295. श्री महादेव सिंह जी । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवसिंह जी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । यह शून्य-काल का दुरुपयोग हो रहा है, आपको कहने की अनुमति दे दी । खतम हुई बात । बिराजिये आप ।

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह जी । अभी बोलने ही कौन दे रहा है ? टाइम खराब कर रहे हैं यूं ही (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । (व्यवधान) बिराजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं। आप जोर से बोलते रहें 2–4 घंटे तक। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बोलते रहें आप 4 घंटे तक। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आज मैं अब किसी को अलाऊ नहीं करने वाला। टाइम नहीं है मेरे पास। (व्यवधान) मुझे बहुत बिजनस लेना है, कल देखा जायेगा और (व्यवधान) आज नहीं है मेरे पास समय। आप रोक करना चाहते हैं हाउस को। दो मिनट किसी को बोलने की इजाजत दी, एक-एक घंटे तक उस पर बात चलती रहती है। (व्यवधान) कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। (व्यवधान) बिराजिये आप। कल बोल देना आप उस पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य मोरदिया साहब ने एक इश्यू उठाया और मोरदिया साहब ने यह कहा कि इस तरह से बलात्कार हुआ। उसके ऊपर माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को यह स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या थी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने नाम लिया। (व्यवधान) उन्होंने यह नाम लिया कि उप मुख्य मंत्रीजी वहां गये थे, लोग मिले थे उनसे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : वे बात कह रहे थे और आपकी एक साथ खड़े होने की आदत हो गयी है। (व्यवधान) आप एक साथ खड़े होने के आदी हो गये हैं। (व्यवधान) आप एक साथ हाउस को रोक करेंगे?

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(२७०)

श्री अध्यक्ष : आपको हाउस चलाना नहीं है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × × (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी गाड़ी में कोई बलात्कारी नहीं गया, न बलात्कारी से मैं मिला। (व्यवधान) मुझे तो गांव के सारे लोगों ने जो बात बताई, वह मैंने आप लोगों को बताई। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह मेरा क्षेत्र है, सारे गांव के लोग अपनी बात कह सकते हैं और मैं उनकी बात सुन सकता हूं और परसराम जी मोरदिया, इनका क्या लेनदेन है वहां ? (व्यवधान) इनका क्या लेनदेन है वहां जबकि सारे गांव के लोग मेरे पास आये। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री अमरा राम : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। किसी का न लिखा जाय। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री परसराम मोरदिया : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बलात्कार का मामला हो, धनखड़ साहब सबसे पहले बोलते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वकील हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वकील हैं इसलिए या चिन्ता है, दोनों में से एक बात है।

एक माननीय सदस्य : चिन्ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता है तो और ही अच्छी बात है और वकील हैं तो भी और भी अच्छी बात है क्योंकि आपकी लीगल एडवाइज सारे सदन को मिल जाय, इसके लिए तो सदन की बहुत ही भाग्यशाली स्थिति होगी। लेकिन बलात्कार जैसे मामलों में किसी आदमी पर आरोप लगा दिया जाय या किसी भी काग्नीजेबल आफेंस का आरोप लगा दिया जाय तो आरोप लगाने मात्र से वह अछूत नहीं हो जाता।

श्री भीमसेन चौधरी : यही तो हम कह रहे हैं कि आरोपों की जांच हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, हमारा क्या इन्टरेस्ट है कि हम जांच नहीं करायेंगे। आप एक मिनट बैठ जाइये। भीमसेनजी, आप धनखड़ साहब की लाइन में मत जाइये। एक मिनट में बोल लूंगा।

श्री किशन मोटवानी : एक सैकण्ड हमारी बात सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I was going to concede. मुझे आप बोलने दीजिये। आप बीच-बीच में टोकने से कोई निकाल लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर मान लीजिये कोई भी रेप का मामला है, कोई दोषी है और रेप का मामला है और दोषी है, मैं आज कह सकता हूं मेरे पास, माननीय सदस्य रोज देख लें, घर के ऊपर सुबह चार-पांच हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते हैं और कोई कहता है कि मेरे ऊपर पुलिस ने झूठा इलजाम लगा दिया, कोई कहता है कि मैंने जो आरोप लगाये उनको पकड़ा नहीं। आज हर आदमी को मैं वहां यह असेसमेंट करने लग जाऊं कि यह अपराधी है और यह अपराधी होकर मुझे कह रहा है कि पकड़ा नहीं, तो वह काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हम सब एम. एल. ए हैं, जनता के सब प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है वह भी आते हैं, आरोप लगाने वाले भी हमारे पास आते हैं, हमारा केवल दृष्टिकोण एक रहता है कि किसी आदमी के साथ अन्याय नहीं हो और जो आदमी रिपोर्ट करता है उसको न्यायसंगत फैसला मिले। अब उस मामले की जांच हो रही है। मान लीजिये किसी प्रकार से वह आदमी हरिशंकरजी के पास आ गया, या मेरे पास आ गया, तो मैं यह जानता हूं कि यह आदमी अपराधी है और बचाने की नीयत से मैं गाड़ी में बैठाऊं या मेरे मकान पर बैठाऊं तब जाकर कोई इस बात का

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इलजाम लगा सकता है कि मैंने नोइंगली इस आदमी को प्रोटेक्शन दिया, नोइंगली इस आदमी के....

श्री विष्णु मोदी : वही तो किया है। ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ठहर जाइये, आप मत बोलिये ज्यादा। तो आप जानते हैं कि केसेज में से किस तरह से निकलता है आदमी, तो इसलिए आप नहीं बोलें वो ही ज्यादा अच्छा है, बाकी पैरवी करने वाले बहुत हैं।

श्री परसराम मोरदिया : नहीं-नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूं ? नहीं, मेरे खिलाफ कोई है, निकालिये आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आप पर इलजाम नहीं लगा रहा हूं।

श्री परसराम मोरदिया : मेरे खिलाफ कुछ भी निकालिये आप, मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहें। जो भी कोई हो, निकालिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये न। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट सब के खिलाफ दर्ज होती है ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह कर हमेशा दूसरों को डराते रहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मैं डराता नहीं हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप डराते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत मैं डराता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो कोई भी कोई बात उठाता है आप यही करते हैं कि उसको

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसी धमकियों में आने वाला नहीं हूं।.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम भी ऐसी धमकियों में आने वाले नहीं हैं, कतई नहीं आने वाले हैं। उप मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर जो भी बयान दिया है वह पुलिस के तथ्यों को प्रभावित करने के लिए दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि आज कोई उप मुख्यमंत्री का दोष नहीं है, कोई किसी का दोष, यह हा–हुल्लड़ से दोष नहीं बनता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने खुले आम उसको घुमाया है और यहां पर यह भी कहा है कि सब, आधे से ज्यादा गांव उसके पक्ष में था, इसका मतलब क्या था।..

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई नहीं बनता दोष, अध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतनी बात सदन में उप मुख्य मंत्रीजी बयान देवें और पुलिस की जांच....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें आप। कोई बात नहीं सुनेंगे आप ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हमेशा जब भी कोई आरोप लगता हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप डराते हैं, धमकाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डराते हैं, धमकाते हैं, डरता वह है जिसमें दोष हो। जिसमें दोष हो, वह डरेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई नहीं डरेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्दोष कोई नहीं डरेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम तो मरे ही नहीं डरें मुख्य मंत्री महोदय, हम परवाह ही नहीं करें। यह पक्का मान कर चलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बता दूं, जिसमें दोष है वही डरेगा। मैंने उनको कहा कि इस मामले में नहीं बोलें, उसके पीछे एक कारण था। आज कोई वह कह दे एम. एम. ए. या कोई जनता का आदमी, कि किसी एक के खिलाफ आरोप लगा दिया तो आरोप लगाने के साथ ही गिरफ्तारी हो जाय, आरोप लगाने के साथ ही उसको दोषी मान लिया जाय, आखिर पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी, इन्वेस्टीगेशन में यदि आपको लगता है कि इस आदमी के साथ पक्षपात किया जा रहा है, इन्वेस्टीगेशन में आपको यह बात लगती है कि इस आदमी को छोड़ा जा रहा है या इस आदमी को, जो बेगुनाह है और फिर भी फंसाया जा रहा है, यह शिकायत हो सकती है लेकिन उस शिकायत के आधार पर यह सोचें कि आदमी क्यों आ गया, यह इनके साथ क्यों चला गया....

श्री परसराम मोरदिया : यह बात दूसरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिशंकरजी का जब नाम लिया तो हरिशंकरजी खड़े हुए। नाम नहीं लेते तो खड़े ही नहीं होते, कोई बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नाम लिया तो वह अपने आदमी के, आपके खिलाफ दिया, कोई आरोप लगा दिया, मेरे खिलाफ कोई आरोप लगा दे और इनोसेंट वे में आरोप लगा जाय, एक रेफरेंस भी आ जाय तो क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं अपनी सफाई दूं। इनके लिए आपने कहा है, इन्होंने सफाई दे दी।

श्री परसराम मोरदिया : नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो सफाई दे दी, उसके ऊपर बोलने की आवश्यकता क्या है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो भी मामला है उस मामले की पूरी तरह से जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जायेगा, निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी।

श्री परसराम मोरदिया : ठीक है। बस यह जांच करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंहजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे शून्य काल का क्या हुआ सहाब ?

श्री अध्यक्ष : शून्य काल समाप्त है आज।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने दिया, आपने दिया, इन्होंने दिया....

श्री अध्यक्ष : आपका रोज ही शून्य काल होता है, बिराजिये आप। मैंने कह दिया, एक बार व्यवस्था दे दी है, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारे बोलने के अधिकार को भी छीन रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंहजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, बोलने का अधिकार शून्य काल में है, उसको भी छीना जा रहा है। इसके लिए अनुमति नहीं दी जा रही है आसन से, इससे ज्यादा..

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा क्या होगा ? .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जन प्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, उस + + + (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : मैंने एक दिया है आपको, उसकी कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उससे भी हमको + + + (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : उसकी क्या व्यवस्था है, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। उनको पढ़ने दीजिये, पहली बार पढ़ रहे हैं यह भी 295। आप रोज ही बोलते हैं।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सैकण्ड टाइम है जब आपने शून्य काल की व्यवस्था को खत्म किया है।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं है, 295 लिया है।

श्री रामगोपाल बैरवा : हमारा नम्बर कब आयेगा, यह बताइये। जो हमने दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सात दिन में तीसरी बार है जब आपने शून्य काल समाप्त किया है।

श्री अध्यक्ष : शून्य काल में 15 मिनट होते हैं माननीय सदस्य, यह तो भलमनसाहत का नाजायज, फायदा उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या कहने के लिए यही अवसर

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

होता है, आप उससे भी + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।.... (व्यवधान).. कालेज खुलवाना है तो आप लिखकर दीजिये। बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : आप व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन एक माध्यम है, जो शून्य काल में अपनी अविलम्बनीय बात है लोक महत्व की, उसे उठाने का मौका दिया जाता है; आप उससे भी + + + सदस्य को अपनी बात कहने से। शून्य काल में एक अवसर मिलता है उससे भी + + + आप लगातार दूसरे दिन आज यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : आप व्यवस्था दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्लिप दी है।

श्री रामगोपाल बैरवा : जीरो आवर में जितनों को बुलवाना चाहते हैं उतनी ही स्लिप आप वहां लीजिये। हम रोज बोलना चाहते हैं, जीरो आवर में, आपको स्लिप देते हैं और आप हमें + + +

श्री अध्यक्ष : आप सात-आठ बार बोल चुके हैं, मेरे पास रिकार्ड है, आप बिराजिये। अब ज्यादा नहीं बोलें। बिराजें आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : नहीं, आप व्यवस्था दीजिये, आप जीरो आवर में कितनों को बुलाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह + + + से न कहें। हम जो अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहते हैं उससे वंचित रहते हैं, + + + रहते हैं, शून्य काल में हमको मौका मिलता है अपनी बात कहने का। उससे + + +। आज से तीन दिन पहले भी हमारा शून्य काल समाप्त कर दिया, अभी कर दिया। इस तरह की परम्परा अगर बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि संसदीय जो मूल्य हैं, जो हैल्दी ट्रेडिशन हैं उन पर एक धक्का लगता है।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो क्या जीरो आवर चार बजे तक चलाऊं ?

श्री रामगोपाल बैरवा : कल की व्यवस्था दे दें। कल नम्बर आ जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भविष्य में शून्य काल की समाप्ति आप न करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : शून्य काल समाप्त कर दिया, मैंने आपको कह दिया है, आज नहीं, तो कल बोल लेंगे। ऐसी कौन सी....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय, आप देखिये ...

श्री अध्यक्ष : आपके कालेज खुलवाने की बात है, कालेज के लिए कोई रीसेन्ट आकरेंस नहीं है जिसके लिए आपको मैं परमिशन दूं। बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : नहीं, आप व्यवस्था दीजिये। कितने लोगों से आप स्लिप लेते हैं और बुलाते नहीं हैं, + + +

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : नहीं, आप व्यवस्था दीजिये, कितने लोगों को बुलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह मुझे देखना है, आप बिराजिये। आप बिराजिये अब। 295 पढ़ने दें आपका। श्री महादेव सिंहजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खण्डेला पंचायत समिति के खराब हैण्डपम्प

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर मैं सदन एवं सरकार के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कुल 699 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये हुए हैं जिनमें 182 हैण्ड पम्प कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण खराब पड़े हुए हैं। इस ओर प्रशासन के बार-बार ध्यानाकर्षण के बावजूद ठीक नहीं करवाया जाना सरकार की अकर्मण्यता का परिचायक है। खराब पड़े हुए 182 हैण्ड पम्पों को पुनः चालू कराने के लिए कुल 3470 फुट पाइप एवं 570 फुट रोड की सख्त आवश्यकता है जिसकी अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। दूसरी ओर टी. एस. एस. मलिकपुर, ठीकरिया, रलावता, कल्याणपुरा, चारणवास लम्बे समय से बन्द पड़ी होने के कारण ग्राम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली भीषण गर्मी में इस इलाके में पेयजल संकट से दस्त रोग एवं पीलिया जैसे भयंकर रोग के चंगुल में फंसने से पूर्व आम जनता की रक्षा की जाये। एक जगह टी.एस.एस. अथवा हैण्ड पम्प के खराब होने पर ग्रामवासी दूसरे टी. एस.एस. अथवा हैण्ड पम्प पर पेयजल प्राप्त करने दूर-दूर जाते हैं जहां भीड़ एकत्रित होना व पेयजल संकट होना स्वाभाविक ही है। इसके कारण रामपुरा पंचायत में तो गत वर्ष पीलिया व दस्त रोग ने महामारी का रूप भी ले लिया था व एक ही परिवार के कई व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बने, जिसका श्रेय भी राज्य सरकार की निष्कर्मण्यता को जाता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देना अत्यन्त चिन्ता का विषय है एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित ग्रामीण जनता में प्रशासन के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। बहुत से खेल कोठे ऐसे हैं जो जल स्रोत से जुड़े हुए नहीं हैं एवं निकटतम सार्वजनिक जल स्रोत से लगभग 400 मीटर की दूरी पर होने के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महादेव सिंह)

कारण पूरे ग्रीष्म काल में सूखे पड़े रहते हैं। ऐसे में इन खेल कोठों के निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(13.20)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार एवं प्रशासन की निष्कर्मण्यता से उत्पन्न जनता में भारी असन्तोष की स्थिति पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

रंगमहल गांव के समीप डिप्रेशन पर स्केप निर्माण

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, गांव रंगमहल के पास बन रहे स्केप के सम्बन्ध में।

मान्यवर, सन् 1991 में सरकार ने गांव रंगमहल के पास डिप्रेशन पर स्केप को बनाने की स्वीकृति दी थी और टेण्डर कराये थे। टेण्डर में डेढ़ वर्ष में स्केप बनाने का टाइम तय हुआ था परन्तु आज 4 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, अभी तक निर्माण कार्य सम्पूर्ण नहीं हुआ है। इससे एक तो सरकार को नुकसान हुआ है, लागत बढ़ी है और दूसरा इस स्केप के बनने से जो काश्तकारों को फायदा होना था वह नहीं हो पाया। विलम्ब होने से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है। डिप्रेशंस में पड़े पानी से हजारों बीघा जमीन में सेम बढ़ा है, इसके अलावा घग्घर बंड में अनूपगढ़ तक स्केप के बनने से जो फायदा होना था वह नहीं हुआ और नाल बंड के काश्तकार वर्षों से इन्तजार कर रहे थे कि डिप्रेशंस का पानी हमें मिलेगा तो हम चावल की फसल में बढ़ोतरी कर सकेंगे उन काश्तकारों में भी निराशा आयी है। इसके अलावा सेम एरिया के काश्तकार भी वर्षों से इस स्केप के बनने का इन्तजार कर रहे थे वे भी निराश हो गये हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय व निर्माण कार्य को शीघ्र, अतिशीघ्र गति प्रदान की जाय ताकि काश्तकारों को राहत प्रदान की जा सके।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल बछेर।

दूदू में पेयजल की समस्या

श्री बाबूलाल (दूदू) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से जलदाय विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान दूदू विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र दूदू जयपुर जिले का हिस्सा होकर भी काफी पिछड़ा हुआ रहा है। यहां की सबसे विकराल समस्या पेयजल की है जिससे यहां का जनमानस बड़ा त्रस्त है।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पानी खारा एवं फ्लोराइड युक्त है वहां सरकार

(श्री बाबूलाल)

द्वारा आगामी गर्मी में पेयजल हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है, मेरे क्षेत्र में कई पेयजल स्कीम जो गत वर्ष में चालू थीं, सरकार ने उन्हें अभी बन्द क्यों कर दिया? सरकार इस भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल स्कीमों को दुबारा शीघ्र ही चालू कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध करायें एवं गत वर्ष में जो कंण्टिंजेंसी स्कीम की योजनाए अधूरी रह गयी हैं उन्हें भी शीघ्र पूरा करवाया जाय।

दूदू क्षेत्र के लिए तैयार करवायी हुई करीब 8-10 पेयजल स्कीम्स जो प्रस्तावित हैं जिनमें ग्राम सुखेड़ी से दूदू के लिए ग्राम झाग, मौजमाबाद, नरेना, उगरियावास, हिरनोदा, छापरी, गोविन्दपुरा, दादुपालका एवं कोरसीना आदि हैं लेकिन मंत्री महोदय एवं अधिकारियों से बार-बार निवेदन करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है।

सरकार ने पुराने हैण्डपम्पों को ठीक कराने की घोषणा तो कर दी है लेकिन सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा मे सामान, गाडियां वगैरह आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र में अभी तक एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं किया गया है जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः शीघ्र ही पुराने हैण्ड पम्पों को दुरुस्त किया जाय ताकि जनमानस को राहत मिल सके।

दूदू क्षेत्र के अनेक गांवों में "जनता जल योजना" के अन्तर्गत पेयजल सप्लाई एवं देख-रेख हेतु सरकार की ओर से पहले एक कर्मचारी रखा जाता था जो गांव में समय पर पानी की आपूर्ति कराता था जिसे सरकार ने पिछले कुछ समय से बन्द कर दिया है। अतः सरकार गर्मी में जनता को समय पर पानी की सप्लाई एवं देख-रेख करने के लिए इस वर्ष भी कर्मचारी रखे जाने की व्यवस्था करावें ताकि जनता को मदद मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सरकार से पहले भी निवेदन किया था कि दूदू क्षेत्र में 80 प्रतिशत पानी खारा व अधिकतर गांवों में फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा है इसलिए दूदू क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से जोड़ा जाय या फ्लोराइड की समस्या को दूर करने हेतु कोई भी यंत्र आदि लगाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वजह से जो स्कीम्स समय पर पूरी नहीं हो पायी हैं जिससे गर्मी में पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, कार्य में विलम्ब करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर गांवों में शीघ्र पेयजल की समुचित व्यवस्था कराकर ग्रामीण जनता को राहत पहुंचायी जाय।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर के आदिवासी काश्तकारों के अधूरे कुओं का निर्माण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में आदिवासी काश्तकारों के अधूरे कुएं पूर्ण नहीं होने के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री नाथूराम अहारी)

सभापति महोदय, डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां के आदिवासियों की अधिकांश जमीनें पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, पानी का स्तर बहुत गहरा है एवं भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यहां करीब सब काश्तकारों की जमीन में कुएं हैं,यहां सख्त पत्थर होने से कुआं खोदने में काफी रुपए खर्च होते हैं। इस क्षेत्र में कुआं दो-तीन पीढ़ियां निकल जाने के बाद भी पूरा नहीं होता है। सरकार ने जो मापदण्ड बनाया है वह नहीं के बराबर है। यहां पत्थर सख्त होने से ब्लास्टिंग के बिना कुआं खुद ही नहीं सकता है। विभाग के पास जिले में मात्र 4-5 ब्लास्टिंग यूनिट्स हैं जो कि अपर्याप्त हैं। कुओं की स्वीकृति समय पर नहीं होती है। काश्तकार अपने स्तर से कुआं खोद ही नहीं सकता है।

अतः श्रीमान्, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले में जो भी अपूर्ण कुएं हैं उनका सर्वे कराकर अभियान के रूप में अपूर्ण कुएं पूरे कराये जायं एवं डूंगरपुर जिले में आज जो 4-5 ब्लास्टिंग यूनिट हैं, उनके स्थान पर 10 यूनिट भिजवायी जायं ताकि सब कुओं में ब्लास्टिंग करायी जा जा सके। मैं श्रीमान् आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि एक कुएं के लिए 50-50 हजार तक की स्वीकृति दिलायी जाय और काश्तकार को रुपए पेमेंट नहीं किये जायं। सरकार की तरफ से ब्लास्टिंग एवं जिस व्यक्ति का कुआ है उस घर के मजदूर मिलाकर 6 मजदूर लगाये जायं और स्वीकृति राशि में से ही पेमेंट किया जाय। इस हिसाब से कुएं ज्यादा से ज्यादा पूर्ण होंगे। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि यदि कुछ योजनाएं बन्द करनी पड़ें तो बन्द करके अभियान के तौर से अपूर्ण कुएं पूरे कराये जायं क्योंकि इनके अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है जिससे कि इनका जीवन यापन हो सके और सही फायदा मिल सके।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

बूंदी नगर के कुण्ड व बावड़ियों का रख रखाव

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन कर रहा हूं कि बूंदी जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। बूंदी नगर में बड़े-बड़े विशाल कुण्ड हैं ऐसे कुण्ड मुश्किल से ही मिलते हैं और अब तो बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नवल सागर के पास ही शिवजी का मन्दिर है, वहां कुण्ड बना हुआ है। इसी प्रकार मांजी सा का कुण्ड है जिसकी लम्बाई-चौड़ाई 100 × 75 मीटर है। इसके बराबर लम्बाई, चौड़ाई एव गहराई रखने वाला बूंदी नगर में एक भी कुण्ड नहीं है। यह 250 वर्ष पूर्व बूंदी दरबार की माताजी ने बनवाया था। इस कुण्ड के अन्दर एक बावड़ी है जो आज तक कभी सूखी नहीं है। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था। यह पानी भूमि में बनी सुरंग के रास्ते से सुप्रसिद्ध राणीजी की बावड़ी एवं नागर सागर के कुण्डों के जलस्तर को बनाये रखता था। परन्तु दुर्भाग्य के साथ मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि बूंदी नगरपालिका, पर्यटन विभाग या किसी संस्था ने इसकी देखभाल करना छोड़कर, इसमें शहर के

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बरसात का गन्दा पानी गिरता है, गंदगी से पाटने का प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमण हो रहे हैं। इसकी पट्टियां और कातले तक चोरी हो गये हैं। इसकी छत पर नगरपालिका ने दुकानें दे दी हैं। छत की लगभग 40 पट्टियां टूटी हुई हैं। इन कुण्डों की ऐतिहासिक कलात्मक शिल्प तकनीक जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, अब नगर पालिका की कृपा से गंदे पानी के नीचे दब कर रह गयी है। इस कुण्ड का रखरखाव व स्वच्छता बनायी रखी जावे तो यह कुण्ड पर्यटकों के लिये एक आकर्षण का केन्द्र तो बनेगा ही इसके साथ-साथ एक स्वच्छ शीतल जल का स्रोत भी होगा। इसके लिए निम्न आवश्यकताएं हैं :—

1. कुण्ड में गिरने वाले गंदे नाले को बंद किया जावे,
2. कुण्ड के चारों ओर प्राचीरों पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जावे,
3. कुण्ड की पूर्ण सफाई एवं मरम्मत कराई जावे, एवं
4. कुण्ड के चारों ओर खाली स्थान में, लोहे की रेलिंग लगायी जावे।

नागर सागर के कुण्ड हैं। यह भी चौमुखा बाजार बूंदी के मध्य बने हुए हैं। शहर के अन्दर जाने के लिए मात्र रास्ता है। इसमें भी शिल्पकला सौम्य लगती है। इन कुण्डों की तीन-चार वर्ष पूर्व सफाई एवं विद्युत की व्यवस्था की थीं जिससे सुन्दर दृश्य लगता है। बूंदी में जेल के पास पुराना कुण्ड है। इसकी भी देखभाल नहीं हो पाती है। इसी प्रकार आजाद पार्क कांग्रेस कार्यालय के पास कुण्ड है। वह भी कचरा पात्र बना दिया। यदि इन सब कुण्डों की देखभाल ढंग से, व्यवस्थित ढंग से की जावे तो पर्यटकों एवं अन्य लोगों का आकर्षण का केन्द्र ये भी होंगे।

पर्यटन मंत्री महोदया से निवेदन है कि यदि चाहें तो स्वयं भी मौका देखें। मैंने उपरोक्त निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि पर्यटन मंत्री महोदया अवश्य इस ओर ध्यान देकर विकास करवायेंगी।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गुर्जर।

माण्डल के मजरों व ढाणियों को राजस्व गांव घोषित किया जाना

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डल में कई मजरें व ढाणियां ऐसी हैं जिनको अभी तक राजस्व गांव घोषित नहीं किया है जिससे इन गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है। इन गांवों को राजस्व गांव घोषित नहीं करने से इनमें न तो स्कूल खोली जा रही हैं और न पेयजल की कोई योजना ही बनायी जा रही है। यही नहीं, कई मजरें व ढाणियां ऐसी हैं जहां पर कोई हैण्ड-पम्प भी नहीं लग रहे हैं। मूल गांव काफी बड़े हैं और ये गांव मुख्य गांव से 3 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं जिससे लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए भी इतनी दूरी तय कर आना-जाना पड़ रहा है। राजस्व गांव घोषित नहीं होने से इन गांवों को सड़कों से भी नहीं जोड़ा जा रहा है जबकि इन सभी गांवों की आबादी 250 से कहीं अधिक है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अतः मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि माण्डल विधान सभा क्षेत्र के मजरों/ढाणियों, जैसे अखेपुरा, नयाखेड़ा, मेवासा, अम्मरपुरा, बेलीयों का खेड़ा, सरेड़ी खेड़ा, कचोलिया, निम्बीया, पीपलीया, रायपुरिया, तलहटी चाड़ों का बाड़िया, खराजों का बाड़िया, तोखा, केरिया खेड़ा, केरा का खेड़ा, स्यालिया, बुटियावड़ी, घोरांचा, बाड़िया, हुदवों का बाड़िया, गंगाजी खेड़ा, कल्कीपुरा, घोड़ासी खेड़ा, बलाई खेड़ा, ढाणी आदि को राजस्व गांव घोषित किया जावे ताकि इन गांवों का समुचित विकास हो सके। मैंने कलक्टर, भीलवाड़ा को पत्र लिखकर इन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का निवेदन किया परन्तु उन्होंने भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। अतः मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कलक्टर, भीलवाड़ा से तुरन्त ही इन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने हेतु प्रस्ताव मंगाकर इन्हें राजस्व गांव घोषित करने का आदेश प्रदान करावें।

श्री सभापति : श्री अमराराम (धोद)।

लोसल (सीकर) में स्थित रैगर बस्ती में स्थित तालाब में गन्दा पानी भरने से उत्पन्न समस्या

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि लोसल नगरपालिका (सीकर) में अवस्थित रैगर बस्ती बीच तालाब के रूप में पूरी लोसल का गन्दा पानी एवं वर्षा का पानी भरता है जिसके कारण वहां के गरीब परिवारों का रहना दूभर है। मलेरिया एवं अन्य गम्भीर बीमारियां फैलने की आशंका है तथा बरसात के दिनों में कई दफा गरीब परिवारों के घर पानी में डूबे हैं जिससे उनके घर का सम्पूर्ण सामान डूबकर बर्बाद हुआ है तथा कइयों के मकान भी गिर गए हैं। यह बस्ती कस्बे के बीच में है जिससे मात्र इस रैगर बस्ती में ही नहीं, पूर्ण कस्बे में कभी भी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं एवं अतिवृष्टि से जनधन की हानि हो सकती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से शीघ्र समाधान की मांग करता हूं। इस समस्या को लेकर कस्बावासी बार-बार सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। 1952 से लगातार तत्कालीन एवं वर्तमान सरकार समस्या का समाधान का आश्वासन देती रही है लेकिन 1995 तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कई दफा यह समस्या विकट रूप लेती है तो जनता को आन्दोलन का सहारा लेना पड़ता है जिससे गरीब लोगों पर कई दफा झूठे मुकदमे भी बने हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि समस्या का शीघ्र समाधान करवाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदासजी मदान। (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल जी इन्दौरा। (अनुपस्थित)

श्री रतनलालजी ताम्बी।

जहाजपुर में लम्बित पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम

(श्री रतनलाल ताम्बी)

295 के तहत निवेदन है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या की विभाग में योजनाएं लम्बित हैं। उनको गति के साथ क्रियान्वित करने में जिस उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है उससे आगामी गर्मी का मौसम चुनौती बनकर सामने खड़ा है। कब और क्या, इन गम्भीर समस्याग्रस्त ग्रामों के जनजीवन को राहत दी जा सकेगी, यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

इस सम्बन्ध में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी, गत वर्ष विधान सभा में दिये गये आश्वासनों एवं प्रश्नों में क्रियान्वयन के आश्वासन की समीक्षा करके देखें कि कुछ हुआ है क्या। अगर यही रहा तो सरकार जीवन की इस प्राथमिक आवश्यकता को अनदेखी करने के के दोष की भागीदार बनेगी। जहाजपुर नगर में अप्रेल माह तक भी पुनर्गठन की जाने वाली नगरीय योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से कस्बे की जनता को फिर गत वर्ष की तरह भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

इसी तरह टीकड, कूचलवाडा, कलां, ऊंचा आदि तथा बिरानियां बोरडा आदि की क्षेत्रीय जल योजनाएं विभाग में लम्बित हैं और हाजीवास मंशा देवरिया तसकोटडी की योजनाएं लम्बित हैं। ये ग्राम समस्याग्रस्त तथा फ्लोराइडयुक्त दूषित पानी से ग्रसित हैं। जो योजनाएं 1989-90 से चल रही हैं, वे भी समय पर पूरी नहीं होना चिन्ताजनक है। अतः इन्हें समय पर पूरी की जाएं।

इसके अतिरिक्त माताजी का खेडा, जहाजपुर, मंशा-हाजीवास, तहसील कोटडा की योजनाएं, वहां के बुरे हालातों को देखकर योजनाएं त्वरित बना दीं मगर वे एक साल से विभाग की प्रक्रियाओं में ही उलझी पड़ी हैं और जनता इससे अपने भाग्य को कोसती है।

अतः उपरोक्त लम्बित योजनाओं को क्रियान्वित की जाकर वहां की जनता को राहत पहुंचाई जाए।

श्री सभापति : जो लिखा हुआ है, वह ही पढ़ते हैं, बिराजिये आप।

विद्याधर नगर सैक्टर चार में अतिक्रमण

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विद्याधर नगर सेक्टर-4, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित ग्रुप हाउसिंग/ग्रीन बेल्ट/आरक्षित भूमि, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गयी है, पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने से वहां के आस-पास के निवासियों को हो रही असुविधाओं एवं फैले असंतोष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, उक्त भूमि पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सुरक्षा हेतु तारबंदी (फेंसिंग) की गयी थी, जिसके बावजूद उस तारबंदी को तोड़कर अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त भूमि पर झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर रहने वालों द्वारा सरे आम पशुओं (सुअर, इत्यादि) को

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

पकड़ा, मारा एवं जलाया जाता है। दिन-रात रोड लाइट से विद्युत चोरी की जाती है जिससे समस्त लाइन में फाल्ट होते रहते हैं। जलदाय विभाग के पानी की लाइनों को तोड़कर पानी का दुरुपयोग किया जाता है जिससे समस्त सप्लाई अस्त-व्यस्त हो गयी है। नालियों में कूड़ा-करकट इत्यादि डालकर उन्हें बन्द कर दिया जाता है तथा रात-दिन आम सड़क पर सोना-बैठना इत्यादि के कारण आने-जाने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व में तीन-चार झौंपड़ियां थीं परन्तु लगातार बनने से आज 70–80 हो चुकी हैं और बनती ही जा रही हैं जिसकी ओर विद्याधर नगर विकास समिति सेक्टर नम्बर–4 की तरफ से अधिकारियों को पिछले चार-पांच वर्षों से आगाह किया जाता रहा है परन्तु उसके बावजूद भी इन्हें हटाया अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया है जो कि एक बहुत खेद का विषय है।

अतः माननीय नगरीय विकास मंत्री से आग्रह है कि कृपया इस कच्ची बस्ती की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देकर बस्ती को हटाने अथवा अन्यत्र कहीं ले जा॰ ˉ बसाने का निर्देश दें।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात

श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में लाखों श्रमिक कार्यरत हैं। इन श्रमिकों के विभिन्न संगठनों ने उनकी न्यायपूर्ण व उचित मांगों को समय-समय पर उठाया है परन्तु राजस्थान की श्रमिक विरोधी सरकार उनकी मांगों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार श्रमिक संगठनों की उपेक्षा कर रही है। सरकार अनुचित व श्रमिकों के शोषण की नीति अपना कर उनके मौलिक व कानूनी अधिकारों को समाप्त कर रही है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचारणीय तथा महत्वपूर्ण है :—

(1) नये-नये आदेश पारित करके श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

(2) सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में नई भर्ती पर रोक लगा रखी है जिससे न सिर्फ उत्पादन क्षमता पर असर पड़ता है वरन् नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा अपनाई हुई है।

(4) न्यूनतम वेतन का उचित निर्धारण नहीं किया गया है।

(5) निर्धारण न्यूनतम वेतन का भी निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र उदाहरणतः पंचायत समितियों, सिंचाई विभाग, पी. डब्ल्यू. डी. आदि में भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(6) उच्च न्यायालय में श्रमिकों के औद्योगिक विवादों को सीधा प्रस्तुत करने पर रोक लगा रखी है।

(7) पी. डब्ल्यू. डी., सिंचाई विभाग व जलदाय विभाग में श्रमिकों के लिये पृथक-पृथक नीतियां अपनाई हुई हैं।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

(8) रिक्त स्थान होने पर श्रमिकों को विभिन्न विभागों में पदोन्नत नहीं किया जा रहा है।

(9) कार्य प्रभारी कर्मचारियों को सभी विभागों में 9, 18 व 27 वर्ष की पूर्ण अवधि करने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया गया है।

अतः श्रमिक हित के उपरोक्त बिन्दुओं पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल (अनुपस्थित)

श्री रेवती प्रसाद कोली (अनुपस्थित)

श्री रामपाल उपाध्याय (अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी कन्या माध्यमिक विद्यालय की उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, झुन्झुनूं जिले का उदयपुरवाटी कस्बा तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय भी है और करीब तीस हजार की आबादी का कस्बा है। यहां पर बहुत लम्बे अरसे से बालिका माध्यमिक विद्यालय है, छात्राओं की बड़ी संख्या यहां अध्ययनरत है। आस-पास में, छापोली, मण्डावरा, इन्द्रपुरा, चिराणा, आदि बड़ी जनसंख्या वाले गांव आते हैं। वहां बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन करती हैं। ये सब छोटे कस्बे हैं तथा लड़कियों को पढ़ाने की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है लेकिन माध्यमिक स्तर से आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से अनेक लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

राज्य सरकार का महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। यह भी एक नीतिगत निर्णय है कि तहसील पंचायत समिति मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय खोले जाएंगे। इस उदयपुरवाटी कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये था लेकिन किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया।

अतः मैं राज्य सरकार तथा शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस साल के शिक्षा सत्र से उदयपुरवाटी कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

लूणकरणसर के सीमान्त क्षेत्रों के चकों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निम्न प्रस्ताव करके राजस्व मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा के सीमान्त क्षेत्रों में करीब ढाई-तीन लाख की जनसंख्या वर्तमान

(श्री भीमसेन चौधरी)

में विभिन्न चकों पर निवास करती है लेकिन उनके लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें, विद्युतीकरण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिये सुनियोजित प्रयास राज्य सरकार की ओर से नहीं किये जा रहे हैं। इन चक आबादियों को राजस्व गांव घोषित करना, इनके लिये विकास योजना तैयार करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता है। सिंचित क्षेत्र विभाग ने इन चकों को बसाने हेतु आबादी भूमि स्वीकृत करके इनके लिये सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्कूल भवन, नर्सरी, भविष्य में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित भूमि, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान आदि के लिये प्रावधान किया है लेकिन इन चक आबादियों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने मे इनके विकास के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा सकते हैं। इन चकों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने से जनगणना भी नहीं हो सकती।

अतः इस समस्या के समाधान के लिये तत्काल कारगर कदम उठाये जाकर इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के लिये मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्रीमती मनोरमा सिंह।

पार्वती/उटंगन नदी के पुल पर टैक्स वसूली

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पार्वती/उटंगन नदी पर निर्मित पुल पर पिछले तीस वर्षों से वसूल किये जा रहे पुल टैक्स से क्षेत्र की जनता के शोषण की तरफ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह विषय माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में है।

पार्वती उटंगन नदी पर निर्मित पुल जिसका उद्घाटन 15 फरवरी, 1964 को केन्द्र सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वर्गीय श्री राजबहादुर द्वारा किया गया था। इस पुल का निर्माण दस्युग्रस्त राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता को हो रही आवागमन की असुविधा को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। स्वर्गीय श्री राजबहादुर-जी इस क्षेत्र से लोक सभा सदस्य के रूप में चुने जाते रहे थे। यह पुल राजाखेड़ा से आगरा मार्ग को जोड़ता है। इस पुल के निर्माण में आयी कुल लागत का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार की ओर से तथा क्रमशः 25-25 प्रतिशत भाग राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने लगाकर अपनी भागीदारी निभायी। पुल का निर्माण अक्टूबर, 1961 से प्रारम्भ हुआ था तथा दिसम्बर, 1963 में पूर्ण रूप से निर्माण होकर तैयार हुआ था। पुल निर्माण की कुल योजना लागत 10.30 लाख रुपये थी जिसे उद्घाटन के समय वितरित पत्रकों में दर्शाया गया था। 1964 (उद्घाटन वर्ष) से ही टोल टैक्स की वसूली उत्तर प्रदेश सरकार के जरिये हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय, इस पुल की लागत की तुलना में कई गुना टोल टैक्स के रूप में वसूली हो चुकी है। प्रति यात्री एक रुपया टोल टैक्स के रूप में जिसे उत्तर प्रदेश सरकार वसूल करती रही है, कर रही है।

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

1980 से पूर्व के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं किन्तु 1980 के पश्चात् के आंकड़े जो कि ठेकेदार के जरिये प्राप्त हुए हैं, इन आंकड़ों के अनुसार 1980 से 1985 तक 3.96 लाख, 1985 से 1988 तक 4.50 लाख, 1988 से 1991 तक 9.60 लाख, 1991 से मार्च, 1994 तक 9.90 लाख, इस प्रकार 1980 से 1995 तक कुल राशि 27.96 लाख रुपये की वसूली उत्तर प्रदेश सरकार ठेके के रूप में कर चुकी है। इस पुल के टोल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा माननीय श्री मुलायम सिंह, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1990 व 1993 की जन सभाओं में की गयी थी परन्तु टोल टैक्स को समाप्त नहीं किया जा सका। मेरी ओर से केन्द्र सरकार के भू-तल परिवहन मंत्री, माननीय श्री जगदीश टाइटलर को सम्बोधित पत्र के जरिये इस मामले को उठाया था। भू-तल परिवहन मंत्री ने अपने पत्रांक 2823, दिनांक 15-12-1994 के जरिये इस पुल को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में बताया है जिसकी प्रति माननीय मंत्री महोदय को अपने पत्रांक 55/95 दिनांक 10-2-1995 के साथ प्रेषित कर चुकी हूं। माननीय मंत्री-जी, यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व से जुड़ा हुआ है इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के जरिये प्रतिवेदन ध्यान आकृष्ट कर राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता के हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाने की कार्यवाही करें।

मुझे आपसे आशातीत अपेक्षा है कि आपके सानिध्य में राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता शोषण से मुक्ति पा सकेगी। धन्यवाद।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान) वर्ष, 1995–96

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1995–96 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान वर्ष, 1995–96 सदन की मेज पर रखता हूं।

सूचना

कच्ची बस्तियों के निवासियों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के बाहर कच्ची बस्तियों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं। 8–10 दिन पहले भी लाठीचार्ज होने से तनाव हो गया था, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं। या तो खुद जाकर या किसी को भेज कर उनका ज्ञापन ले लें और उनकी समस्याओं पर उचित कार्यवाही करें क्योंकि लोग

(श्री जुबेर खान)

प्रजातांत्रिक परम्परा में अपनी बात कहने आते हैं विधान सभा में, तो आप....

श्री भंवर लाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, प्रतिनिधि मण्डल को मिलने के लिए बुला लिया ऊपर।

श्री जुबेर खान : धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पीपरोली ग्राम, मावली तहसील में दो क्विंटल सोना गिराये जाने की घटना

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा ग्राम पीपरोली (ब्राह्मणों की तलाई) तहसील थाना मावली, जिला उदयपुर में कथित रूप से दो क्विंटल सोना एक निजी विमान से तस्करों द्वारा गिराये जाने एवं सोना रातों रात खुर्द-बुर्द किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम पीपरोली, तहसील थाना मावली, जिला उदयपुर में कथित रूप से दो क्विंटल सोना एक निजी विमान से तस्करों द्वारा गिराये जाने एवं सोना रातों-रात खुर्द-बुर्द किये जाने के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस थाना मावली के रिकार्ड के अनुसार गत 25 वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा कथित मोमजामा थाने में जमा करवाये जाने की बात प्रमाणित नहीं होती है। ग्राम पीपरोली के निवासियों से जानकारी करने पर भी कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि किसी निजी विमान से सोना अथवा कोई अन्य वस्तु गिरायी गयी हो।

श्री गणेश लाल ब्राह्मण, उसके पांच पुत्र तथा उनका परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। बड़ा परिवार होने के कारण उनके पास गांव में 20-25 मकान हैं। श्री चुन्नी लाल के नाम करीब 16 बीघा भूमि है तथा श्री गणेश लाल के नाम पर करीब 34 बीघा जमीन है। वर्ष, 1979 में करीब सात बीघा भूमि तथा वर्ष, 1984 में करीब एक बीघा भूमि इनके द्वारा क्रय की गयी है। उनके परिवार के सदस्य काफी समय से बम्बई में रह कर दूध बेचने का धन्धा करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस परिवार का तस्करों से सम्बन्ध होना प्रमाणित नहीं होता है।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, एक तो मकानों को तो स्वीकार करते हैं कि 20-25 मकान हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो सम्पत्ति है उस व्यक्ति के पास, 25 और 30 के बीच पक्के मकान, 10 कुए, 1500 बीघा जमीन, 2 ट्रेक्टर ट्राली सहित, 2 कम्प्रेशर, 2 जीप और अन्य छोटे-मोटे वाहन उनके पास हैं।

(श्री दयाराम परमार)

सभापति महोदय, यहां प्रश्न यह नहीं है कि इस व्यक्ति के पास में सोना गिराया, सोना....

श्री सभापति : आप कृपया सवाल पूछ लें, प्रश्न करें।

श्री दयाराम परमार : मैं प्रश्न ही करना चाह रहा हूं। यदि उस व्यक्ति के पास में, यह प्रश्न नहीं है कि उसके पास सोना गिरा और सोना मिल गया और क्या हुआ, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने यह जांच किस व्यक्ति से करवायी, जो जानकारी आपको दी गयी है वह जांच किस से करवायी ? पहली बात। हमें यह जानकारी है कि आपने अभी जो तात्कालिक सूचना वहां से मंगवायी है, वहां जो थानेदार है, वह उस व्यक्ति का रिश्तेदार है उसने आपको घुमा-फिराकर सूचना दे दी है। जो तथ्य हैं, कुएं आदि के, करोड़ों की सम्पत्ति है, 1500 बीघा जमीन खरीदना एक साधारण से आदमी के बस की बात नहीं है। आप सब पैसे कमाने वाले हैं, सभी तरह से सक्षम हैं, तो 1500 बीघा जमीन खरीद करके 10 कुए खुदवा कर और 10 कुओं पर ऊंचा-ऊंचा पैसा देकर कनेक्शन करवाना, आखिर उस आदमी के पास वह पैसा कहां से आया ? फिर दूसरी बात यह प्रमाणित है कि वह आदमी बम्बई में दूध का धन्धा करता है, इससे यह साबित होता है कि वह स्मगलरों से जुड़ा हुआ है और इससे यह भी ताकीद होता है कि इस तरह की बात जो सोने की कही है, मैं माननीय मंत्रीजी से एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की बीड़ में वह सोना गिरा था, क्या आप यह बता सकते हैं कि वह बीड़ किस व्यक्ति के खाते में दर्ज है ? अगर आपने वह जांच करवा ली है और अगर आपने उससे पूछा है तो हम जानकारी कर लेंगे, मैं मान लूंगा कि वास्तव में आपने कोई जानकारी करवायी है।

(14.00)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसकी शुरू की दो-तीन लाइनें मैं पढ़ देना चाहता हूं। ग्राम पीपरोली ब्राह्मणों की तलाई, तहसील मावली, जिला उदयपुर में कुछ वर्षों पूर्व एक निजी विमान से तस्करों द्वारा दो क्विंटल सोना एक बहुत बड़े मोमजामे में लपेटा हुआ कचोलाई के बीच में सायंकाल गिराया गया था। अब यह.... (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : कचोलाई के अन्दर बीड़ हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : बीड़ है। मैं आपको बताऊं, कुछ वर्षों पूर्व कब गिराया गया, कैसे गिराया गया, कहां गिराया गया ? अब यह परिवार सम्पन्न है और जैसा वह कहते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार तो उसकी सम्पत्ति जैसी आयी है। लेकिन अगर सम्पन्न भी है। लेकिन यह दो क्विंटल सोना गिराने वाली बात कोई तारीख नहीं, कोई वर्ष डेफिनेट नहीं किसी तरह का इस पर, माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने पूछा है इस पर कलक्टर और एस. पी. दोनों का जवाब आया हुआ है। अब वह थानेदार अभी रिश्तेदार होगा जिस समय यह सोना गिराया, आप कोई डेफिनेट साल

(श्री कैलाश मेघवाल)

और तारीख तो बता दें कि यह साल था, यह तारीख थी। उस समय कौन थानेदार था, उससे हम जांच करा लें। इसमें आपने जिस तरह का लिखा है, अब वह सम्पन्न है, होगी सम्पन्नता, इसमें मैं कोई मना नहीं करता और अगर उसकी सम्पन्नता बहुत ज्यादा है तो इनकम टैक्स वाले उसकी जांच कर लेंगे। लेकिन मेरा जहां तक सम्बन्ध है, यह सोना गिराने वाली घटना, पिछले 25 साल से हमने देख लिया, सारा रिकार्ड देख लिया, कहीं किसी तरह की इस घटना का वर्णन मिलता ही नहीं है। यह कोई घटना हुई ही नहीं। यह एक स्थिति है।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह की जानकारी मुझे होती, मैंने गिरते हुए देखा होता तब तो आपका जवाब देने का नम्बर नहीं आता और न मेरे प्रश्न पूछने का, न तहकीकात की कार्यवाही होती। लेकिन जन चर्चाओं से, मुझे जानकारी वहां के लोगों से मिली। मैं वहां मावली में नहीं रहता हूं, मैं खैरवाड़ा में रहता हूं लेकिन वहां के लोगों ने जानकारी दी है। यह एक प्रश्न निश्चित है, उसकी इनकम टैक्स से या और किसी तरह से आप जांच करवाइयेगा कि उस व्यक्ति के पास में इतनी सम्पत्ति कहां से आयी? क्या वह इनकम टैक्स पे करता है या नहीं करता है? यह भी जांच कराओ।

श्री सभापति : सम्पन्न आदमी सोना नहीं गिराता कभी।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ग्राम पीपरोली....

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो हो गया।

बिजौलिया में खान मालिकों की कठिनाइयां एवं क्वेरी लाइसेंस आबंटन में अनियमितता

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री बद्री प्रसाद गुरूजी, श्री लक्ष्मी नारयण बैरवा, श्री पराक्रम सिंह, श्री कालूलाल गुर्जर, श्री बाबूलाल (दूदू) सदस्य, विधान सभा बिजौलिया खनन क्षेत्र में खनन मालिकों की कठिनाइयों एवं क्वेरी लाइसेंस आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं खनिज मंत्री महोदय का मेरे क्षेत्र में खनन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की नयी खनिज नीति, 1994 द्वारा प्रदत्त रियायतें बिजौलिया क्षेत्र के क्वेरी लाइसेंस पर भी लागू की गयी हैं। खनिज नीति के आधार पर लाइसेंस की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की गयी है। इस प्रकार, क्वेरी लाइसेंस का नवीनीकरण भी एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष का किये जाने का प्रावधान नियमों में किया गया है। पूर्व में क्वेरी लाइसेंस की अधिकतम अवधि 30 वर्ष निर्धारित थी परन्तु नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि 30 वर्ष

(98)

(श्री कैलाश मेघवाल)

की सीमा अवधि की गणना राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 के प्रवृत्त होने की तिथि से यानि 4-3-1986 से मानी जावेगी। इसके अतिरिक्त 1986 से पूर्व स्वीकृत रेण्ट कम रायल्टी लीज के पट्टों को क्वेरी लाइसेंसों में परिवर्तित किया जा चुका है। इन मामलों में नियम 22 (2) के अन्तर्गत क्वेरी लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबंध में भी शिथिलीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त नयी पालिसी के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो खनन भूखण्ड 4-3-86 से पूर्व डेलिनेटेड किये जा चुके हैं, उनमें नियम 27 (1) में उल्लिखित श्रेणियों के आरक्षण की शर्त भी लागू नहीं होगी।

जहां तक रेण्ट अथवा गेप आदि को नियमित करने बाबत जो व्यवस्था, निर्देश पूर्व में जारी किये गये, उनके आधार पर वर्ष 1981 से 1988 तक लगभग 170 मामलों को नियमित किया गया। परन्तु इसमें कई मामले ऐसे भी नियमित किये गये जहां फेंट स्वीकृत किये जाने वाला क्षेत्र मूल रूप से स्वीकृत प्लाट से कई गुना बड़ा था।

इस प्रकार फेंट क्षेत्रों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 7-7-92 पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण एवं युक्तिसंगत है तथा इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की फिलहाल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परन्तु यदि उपर्युक्त समझा गया तो गुण-दोष के आधार पर विचार किया जावेगा।

बिजौलिया क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुए उनके समाधान हेतु मेरी अध्यक्षता में दिनांक 9-2-1995 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें खान सचिव, निदेशक खान, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के अतिरिक्त मांडलगढ़ क्षेत्र के माननीय विधायक, श्री बद्री प्रसाद गुरूजी एवं बिजौलिया क्षेत्र के विविध खनिज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विचार-विमर्श का निचोड़ इस प्रकार रहा :—

(1) अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 22 (2) में अधिकतम दो प्लाट्स स्वीकृत करने का प्रावधान है तथा प्लाट की साइज से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त प्रावधान के आधार पर जहां निर्धारित 60 × 30 मीटर आकार के दो प्लाट्स स्वीकृत किये जा सकते हैं, वहीं छोटे प्लाटधारक भी दो प्लाट ले पाते हैं जबकि उनके प्लाट 15 × 15 मीटर साइज के होते हैं। इस असमानता का निवारण करने के उद्देश्य से नियम 22 (2) में दो प्लाट्स अथवा 3,600 वर्ग मीटर (16 × 30 × 2) जो भी अधिक हो, सम्बन्धी संशोधन किया जावेगा।

(2) रायल्टी स्लिप व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

(3) नये क्षेत्र खोलने से पूर्व खनिज उपलब्धता बाबत पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण का कार्य भू-वैज्ञानिकों एवं खनिज अभियंताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तथा जो खनन क्षेत्र हाल ही में खोले गये हैं, उन क्षेत्रों में खनिज सैण्ड स्टोन की उपलब्धता का सत्यापन कर लिया गया है तथा भविष्य में भी यही प्रक्रिया चालू रहेगी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) मलबे को सार्वजनिक स्थान के बजाय खनिज रहित क्षेत्र में डालने का प्रस्ताव मान लिया गया है। नई बाउण्ड्री में मलबे को डालने हेतु यथास्थान निर्धारित किया जा रहा है तथा भविष्य में भी ऐसी व्यवस्था चालू रहेगी जिससे मलबे को यथा स्थान पर डाला जा सके।

(5) क्वेरी लाइसेंस के आबंटन के समय आवेदन पत्र का शुल्क रुपया 100 एवं नवीनीकरण के समय रुपया 250 की असमानता को दूर किया जाकर क्वेरी लाइसेंस के आवेदन पत्र का शुल्क 250 रुपया किया जायेगा।

(6) वन क्षेत्रों में चल रहे क्वेरी लाइसेंस के नवीनीकरण के सम्बन्ध में डि-नोटिफिकेशन की कार्यवाही प्राथमिकता से की जायेगी तथा अन्य प्रकार के वन क्षेत्रों में चल रहे क्वेरी लाइसेंसों के क्षेत्र के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(7) जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सुझाव दिया गया कि नई बाउण्ड्री खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि बाउण्ड्री के आगे कोई ऐसा खनन योग्य क्षेत्र न बच जाय जिस पर भविष्य में अवैध खनन हो सके तथा फेंट आबंटन का मामला बन जाय। यदि अन्तिम पंक्तियों के प्लाट्स अनियमित आकार के होते हैं तो ऐसे प्लाट्स बनाये जायें जैसा कि भूमि सम्बन्धी आबंटन में किया जाता है। यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यदि इसकी पालना में किन्हीं नियमों का संशोधन आवश्यक हो तो वह भी किया जाय। विभाग का यह प्रयास होगा कि अधिसूचित खान बाउण्ड्री के बाहर खनन योग्य क्षेत्र नहीं बचे जिससे फेंट में काम करने की सम्भावना हो।

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया खण्ड में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4-2-95 द्वारा अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मकरेड़ी अनुसूचित जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति के शेष 30 सदस्यों को सैण्ड स्टोन के 60 × 30 मीटर के 30 प्लाट के क्वेरी लाइसेंस के आराजी खसरा नम्बर 13 के बिलानाम सिवाय चक भूमि में दिये गये हैं। खसरा नम्बर 13 की बिलानाम सिवाय चक भूमि का सत्यापन खान विभाग वन विभाग, एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र के सर्वेक्षण के पश्चात् किया जाये तथा तब तक क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया जाये।

उपरोक्त सहकारी समिति के 67 सदस्य हैं जिनमें से 37 के पक्ष में अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1977 के नियम 63 के अन्तर्गत शिथिलता बरतते हुए राज्यादेश दिनांक 27-6-1983 के द्वारा 37 क्वेरी लाइसेंस के प्लाट्स आबंटित किये गये थे। जिन सदस्यों को वर्ष, 1983 में क्वेरी लाइसेंस आबंटित नहीं हुए ऐसे 30 सदस्यों को अब क्वेरी लाइसेंस स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। यह सभी व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य हैं। इस समिति के कार्य का मूल्यांकन करने हेतु इसकी आडिट रिपोर्ट देखी गयी है, जो संतोषप्रद पायी गयी। सहकारी आन्दोलन

(श्री कैलाश मेघवाल)

को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति रही है। इसी आधार पर नियमों में शिथिलता बरतते हुए उक्त समिति के शेष 30 सदस्यों के नाम क्वेरी लाइसेंस के प्लाट्स आबंटित किये गये हैं जो पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार हैं।

इस प्रकार सरकार द्वारा बिजौलिया क्षेत्र की समस्या पर खुले दिमाग से विचार किया गया है और भविष्य में तत्सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा एवं तद्नुसार गुण-दोषों के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सभापति महोदय, मूल रूप से मेरा जो प्रश्न था, ध्यानाकर्षण था फेंट गेप के सम्बन्ध में था। राज्य सरकार ने 16-12-80 को एक आदेश जारी करके, जिसकी क्रियान्विति 18-9-81 के आदेश द्वारा की, उस क्षेत्र में जो लोग अवैध खनन करते थे, जो प्लाट्स एग्रीमेंट हैं उनके ऊपर....

श्री सभापति : आप कृपया सवाल पूछ लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : नीतिगत प्रश्न है, मैं समझाऊंगा जब ही तो... (व्यवधान)..

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, यह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और यह समस्या बहुत गम्भीर है और माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल गोलमाल जवाब दिया है। जो यह पूछ रहे हैं, जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उससे कहीं लेना देना नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सभापति महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि जैसे अपना यह मूल प्लाट है इसके बाद सामने जो एरिया है लोगों ने काट लिया, काटते-काटते आगे बढ़ गये। यह काटने के बाद तो राज्य सरकार ने 16-12-80 के आदेश के तहत इनको नियमित कर दिया। नियमन करने के अलावा 60 × 60 मीटर का और क्षेत्रफल दे दिया। इस प्रकार जो क्षेत्रफल दिया तो उसके बाद कई लोग उस लाभ से वंचित रह गये। यह प्रक्रिया चली साल भर। जिनकी जयपुर में पहुंच थी उन लोगों ने 1987 तक करायी और कराते रहे। इसमें मैं आपको सुनाता हूं, सभापति महोदय, निदेशक, खान एवम् भू-विज्ञान, राजस्थान उदयपुर, क्रमांक 3/खान/84 विषय :— श्रीमती ज़रीना बेगम के पक्ष में बिजौलिया क्षेत्र में आबंटित प्लाट के पास क्वेरी लाइसेंस के तहत एक एरिया स्वीकृत करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक....

श्री सभापति : प्रक्रिया यह है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सभापति महोदय, नीतिगत मामला है मेरी बात से जुड़ा हुआ है। खनिज रियायती 1986 के नियम 65 के अधिकार का प्रयोग करते हुए नियम 22 (1) व 27 में छूट प्रदान करते हुए श्रीमती जरीना बेगम के पक्ष में पुनः आवेदन पत्र देने पर उनको स्वीकृत ब्लॉक संख्या 18 के पश्चिम की तरफ का 250 × 600 वर्ग-फीट, उनका मूल प्लाट 200 × 200 वर्ग-फीट का है उसको 250 × 600 वर्ग फीट,

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

जो वन विभाग की सीमा में नहीं आना दर्शाया गया है, को स्वीकृत करने की एतद्-द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार एक आदेश और पढ़कर सुनाता हूं। यह आदेश है दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 का, इसमें भी कई लोगों को आउट आफ बाउण्ड्री आवंटित किया। श्री हिम्मत सिंह पुत्र भोपाल सिंह प्लाट नम्बर 105/106 के आगे रिक्त क्षेत्र, चाहे हजार फीट हो, पूरा रिक्त क्षेत्र, भैरूलाल पुत्र उदय लाल गुर्जर, मोड़ूराम पुत्र गंगाराम मीणा, तेजमल पुत्र प्यारचंद, शम्भूलाल पुत्र लालूचन्द धाकड़ 15 × 30, जमना पुत्र फूला भील 22 × 30 मीटर जमीन, इस प्रकार कई सैकड़ों लोगों के प्लाट आवंटित किये हैं।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है? आप प्रश्न तो पूछिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : नीतिगत प्रश्न है। सभापति महोदय, मूल प्लाट यह है। इसके बाद इतना लम्बा क्षेत्र लोगों को आवंटित कर दिया है। इसी प्रकार इस आदेश के तहत मूल प्लाट यह है इससे इतना क्षेत्रफल आवंटित कर दिया यहां से यह है, बीच के लोगों को आवंटन नहीं हुआ। तो मेरा यह प्रश्न था कि इस पालिसी के तहत काफी लोग इससे वंचित रह गये हैं और जो लोग वंचित रह गये उनकी पहुंच नहीं थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि गलत काम नहीं करें, अवैध खनन हम नहीं करें और उस चक्कर में जिन्होंने अवैध खनन किया उनको तो लाभ मिला हजार-हजार फीट तक का और जिन्होंने नहीं किया उनको लाभ नहीं मिला। उनके बाउण्ड्री में जाने के रास्ते तक नहीं हैं, किधर से भी जा नहीं सकते हैं और इससे, बाउण्ड्री अनसेफ में होने की वजह से लोग उनके साथ-साथ आगे बढ़ गये।

तो मेरा यह निवेदन था कि जिस प्रकार पूर्व में 16-12-80 के आदेश के तहत इनको रेगुलराइज किया गया है, जो लाभ से वंचित रहे हैं उनको रेगुलराइज करके उनको फैंट और दें, उनके बराबर। जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मकरेडी समिति में 67 सदस्यों में 37 को पहले दे दी थी 30 को अभी दी है तो दूसरों को जिनको नहीं दी है उनका हक बनता था माननीय मंत्री महोदय के अनुसार तो जिनका हक बनता था, जो वंचित रह गये उनको आपने दी है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : एक प्रश्न और है। मेरी बात खतम हो जाय। सभापति महोदय, 16-12-80 में

"The above conclusions were reached in view of the fact that royalty on the material excavated from such working has already been realised at the department 'nakas' and if further...."

श्री सभापति : आप पूछिये, सवाल करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : मतलब इसमें यह माना है कि जो निकासी हुई थी, रेगुलराइज कराने की जो पत्थर की निकासी हुई, रायल्टी तो कटी है, ट्रकें निकली हैं

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

और चूंकि रेण्ट नहीं दिया गया है तो अवैध खनन मानते हुए एक साल का रैण्ट लेकर रेगुलराइज कर दिया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार जो विसंगतियां रहीं, इसमें इस प्रकार का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं कि जो लोग वंचित रहे हैं, जहां जाने के रास्ते नहीं हैं, अब जैसे 7-7-92 को आदेश निकाला राज्य सरकार ने आउट आफ बाउण्ड्री देने के लिए ...

श्री सभापति : श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : मेरा पूरा जवाब भी नहीं आयेगा।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर सवाल पूछे जाते हैं, भाषण नहीं दिया जाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : भाषण नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। सभापति महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है जब तक समस्या नहीं आयेगी तब तक कैसे होगा? टेक्निकल बातें हैं यह।

तो 7-7-92 को राज्य सरकार ने आदेश निकाला कि आधा क्षेत्रफल दे दिया जाय पर उसमें एक सीमा तय कर दी, बाउण्ड्री के नाप के आधार पर, जो प्लाट की निर्धारित साइज है उसके नाप के आधार पर। सभापति महोदय, वहां विभिन्न प्रकार की बाउण्ड्रियां हैं, 200 × 200 फीट की हैं, 50 × 50 फीट की हैं, तो 100 × 200 फीट वालों को मिल गया 50 × 200 क्षेत्रफल और 50 × 50 वाले को 25 × 50 क्षेत्रफल। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि दो प्लाट की सीमा जो वहां तय है उसमें 3600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक का उनको तो लेने का अधिकार हम दे रहे हैं तो, माननीय मंत्री महोदय, यह 3600 वर्ग तो आपने जो यह आदेश निकाला इसमें विसंगति है। मैं चाहूंगा कि इसमें यह हटाकर प्रावधान सीमा का जो प्लाट में निर्धारित रहेगा, फेंट क्षेत्र में भी आप क्षेत्रफल के आधार पर ही देने का प्रावधान रखें तो जैसे अपना 3600 तक का क्षेत्रफल देने के लिए उपयुक्त मान रहे हैं, 50 × 50 वाले को तो इसी प्रकार 3600 तक देने का इनको रखें।

माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार की जांच करा लें, उस समय जिनको दिये, नहीं दिये और जिनमें जाने के रास्ते नहीं हैं तो उनको देने की कार्यवाही करावें।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : सभापति महोदय, मैं एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने एक सोसायटी को अभी तीस प्लाट अलॉट किये हैं। मैंने यह पूछा था, ध्यानाकर्षण में भी लिखा था कि और सोसायटीज भी इस तरह से अगर आपके यहां एप्लाई करेंगी तो क्या आप रूल रिलेक्स करके उनको भी देंगे। इसके जवाब में लिखा कि छह सोसायटीज के प्रार्थना पत्र इनके पास और पेण्डिंग हैं। तो मंत्री महोदय इस पर बता दें कि उनके ऊपर क्या डिसीजन करेंगे? उन छह

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सोसायटीज को भी देंगे कि नहीं देंगे ?।... एक सोसायटी को दिया तो उनको भी मिलनी चाहिये राहत। खुद आपके जवाब में स्वीकार कर रहे हैं कि आवेदन प्रस्तुत किये हुए हैं। तो वह आवेदन कहां पड़े हुए हैं ? उन पर क्या विचार हो रहा है, यह बता दें।

दूसरा, अभी माननीय बद्री प्रसाद गुरूजी ने बताया था पेंट गेप वाला मामला उसमें यह थोड़ा जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें सिर्फ यह बात थी कि जो मूल खनिज पट्टे दिये गये हैं, क्वेरी लाइसेंस दिये गये हैं उनसे लेकर बाउण्ड्री के बाहर जो गेप बचा होगा क्योंकि उस बाउण्ड्री के आगे या तो एग्रीकल्चर लैण्ड है या फोरेस्ट की जमीन है, या सड़क आ गयी, या तालाब आ गये; ऐसी कोई परमानेंट रेखा आ गयी जिसके आगे कभी बाउण्ड्री एक्सटेंड नहीं हो सकती है। उसके बीच में जो गेप पड़े हुए हैं उनसे कई लोगों को पहले रिलेक्स करके गेप दे दिये गये 1983 से 85 के बीच में और उसके बाद लोगों को गेप नहीं मिले। तो उन लोगों की ओर से आप पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको देने का प्रावधान कर देंगे।

तीसरा, प्रश्न यह है कि जो आपने अभी कहा है कि मलबा डालने के लिये जगह, वहां मैंने खुद ने भी बिजोलिया में देखा है और मंत्री महोदय भी पधारे होंगे। वहां वहां सड़क के ऊपर भी मलबा डाल रखा है और कई जगह तो बिलकुल सड़क का डामर भी मलबे से ढक रहा है और वहां कोई भी व्हिकल डबल क्रासिंग नहीं कर सकता। तो वहां ऐसी क्या व्यवस्था करेंगे ? कम से कम सड़क को तो खाली करवायें और बाकी और जो नाले हैं उनको रोकने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

चौथा, मेरा प्रश्न है कि क्वेरी लाइसेंस जो जारी करते हैं इसमें काफी गड़बड़ियां हैं। कई बार आदमी मर जाता है तो भी पावर आफ अटार्नी आर्डर पर बरसों तक खनन कार्य करते रहते हैं और नवीनीकरण होता है तब भी उसको आने की जरूरत नहीं है। पावर आफ अटार्नी आर्डर है, उसका नवीनीकरण करवा लेते हैं। नया प्रार्थना पत्र लगता है तो उसके ऊपर भी जिस नाम का आदमी है, या जिस नाम का कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ लेकिन वह एस. टी., एस. सी. का है, उसको प्रिविलेज है जिसमें प्रायोरिटी है तो क्वेरी लाइसेंस आबंटन में तो कई लोगों ने ऐसा कर रखा है कि फर्जी नामों से लाइसेंस ले लिये और अभी तक भी वह....

श्री सभापति : सवाल पूछिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : और इसमें इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनके ऊपर नवीनीकरण और नये जो क्वेरी लाइसेंस जारी होंगे उन प्रार्थना पत्रों पर फोटो लगाने की व्यवस्था करेंगे ? फोटो लगा देते हैं तो उसमें क्वेरी लाइसेंस होल्डर जो आदमी है, वह आदमी वास्तव में जीवित है या नहीं, उसका पता लग जायेगा और जितने भी वहां अवैध खानें चल रही हैं, जिन पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। लोग मर गये, उनके नाम से भी चल रहे हैं, जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए

(श्री कालूलाल गुर्जर)

ऐसे फर्जी लोगों के नाम भर-भर कर प्रार्थना पत्र देकर के खानें आवंटित करवा लीं, वह भी चल रही हैं तो इन पर रोक लग सकती है। मंत्री महोदय यह बता दें उन पर फोटो लगाने की जो प्रक्रिया है, या जो नियम हैं इसमें संशोधन करके लगायेंगे ? यही मेरा प्रश्न है, जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न भी है। मेरा प्रश्न यह है कि मांडल से आने वाले माननीय सदस्य इस विभाग के प्रभारी रहे हैं और फर्जीवाड़ा वहां हो रहा था तो इन फर्जी लोगों को जो लाइसेंस मिल गये थे उस वक्त आपने कैंसिल नहीं किये क्या ? आप इनसे तो उम्मीद कर रहे हैं कैंसिल कराने की और जब आप खुद मंत्री थे और आपको मालूम था कि फर्जीवाड़ा हो रहा था तो आपको स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिये थे।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो अभी फरमाया उसमें मेरा निवेदन यह है कि जब मेरे ध्यान में यह चीज आयी थी तब मैंने एक आदेश निकाला था और उसमें यह लिखा था कि जितने भी क्वेरी लाइसेंस होल्डर हैं चाहे जोधपुर के हों, चाहे मकराना के हों, चाहे बिजोलिया के हों, उन सबके नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों और नये प्रार्थना पत्रों पर फोटो लगायी जाय। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही राज्यपाल का शासन आया, तत्काल उस आदेश को विदड्रा कर लिया गया और आज वही का वही फर्जीवाड़ा वापस शुरू हो गया इसीलिये मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर में भी फर्जीवाड़ा था क्या ? अभी जोधपुर को आपने इंडेक्ट कर दिया बीच में, जोधपुर भी था क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर : जोधपुर में भी फर्जीवाड़ा है। बिलकुल है।

श्री परसराम मदेरणा : Why did you not hang them at the nearest lamp-post ?

श्री कालूलाल गुर्जर : इसीलिये तो मैंने, जब फर्जीवाड़ा का नोटिस में आया, तभी रोकने का उपाय किया है। उपाय के बाद राज्यपाल के शासन में वापस उस उपाय को रोक दिया इसलिये मैं पूछना चाहता हूं वापस उस उपाय को शुरू करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, कुछ गम्भीर सवाल उठाये गये हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मांडलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक जिस 16-12-80 के आदेश का जिक्र कर रहे थे, 16-12-80 का कोई आदेश नहीं है। 16-12-80 को सचिवालय में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ डिस्कशंस हुए थे। उन डिस्कशंस का एक नोट बना था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि उस नोट को, डिस्कशंस को एक चिट्ठी के साथ नीचे भेजा गया और उसके आधार पर न तो कोई नियम बने, उसके आधार पर न कोई आदेश निकले और ऐसी स्थिति उसकी बनी रही और आज भी जिसको आप रेफर कर रहे हो वह आदेश है ही नहीं। न उसके आधार पर कोई नियम बने, न उसके आधार पर कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

...(व्यवधान) डिस्कशंस हैं। मेरे पास पड़ा है। इसके बाद....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, यह ज्यादा जो मामला दिख रहा है यह मांडल और मांडलगढ़ के बीचों बीच ही कुछ मामला चक्कर की तरह बीच में चल रहा है। मांडल और मांडलगढ़....

श्री कालूलाल गुर्जर : जोधपुर का भी है।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर का तो फांसी लगा देना, है तो कहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, बीच में कुछ है कि नहीं यह तो मैं नहीं बता सकता कि इनके बीच में है लेकिन एक स्थिति मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी मिनट्स होती है और उसी मिनट्स को आप भेज दो they are not Government orders.

श्री कैलाश मेघवाल : Not at all. यही मैं निवेदन कर रहा हूं ना लेकिन उनके आधार पर हुआ क्या है? यह तो, माननीय सभापति महोदय, आदेश तो निकले नहीं और जैसा उन्होंने एक आरोप लगाया कि वहां से विवेक के आधार पर, राज्य सरकार के विवेक के आधार पर लगातार जो इनडिविज्युअल केस आते रहे, जैसे यह भी आरोप लगाया कि जिसकी पहुंच थी, एक-दो आदेश भी आपने पढ़कर सुनाये तो यहां से ढील देकर स्वीकृतियां जारी होती रहीं और इसके लिये मैं भूतपूर्व खनिज मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने इस सारी स्थिति को देखा। उन्होंने सारी स्थिति को देखने के बाद सारी स्थिति का अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद उन्होंने अपने वक्त में एक निर्णय लिया। निर्णय को उन्होंने केबिनेट में भी अप्रूव करवा कर एक आदेश निकाला जो 7 जुलाई, 1992 का आदेश है और इस आदेश में यह फेट और गेप, अब यह शुरू से ही एक झगड़ा चल रहा है क्योंकि अवैध खनन बिजौलिया क्षेत्र में या जहां कहीं भी होता है, दो तरह से होता है। एक अवैध खनन वह है कि अपनी बाउण्ड्री से आगे आदमी बढ़ गया, इधर चला गया, उधर चला गया, खाली पड़ी है। एक अवैध खनन वह है जो कि स्वतंत्र किसी जगह पर करना चालू कर दिया रोजगार के लिये या किसी भी तरह। अवैध खनन के बारे में जो अब स्थिति है कि कराने वाले रिमोट कण्ट्रोल से कराते हैं और मौके पर आज भी 4-5 करोड़ की वसूलियां कई सालों से बाकी हैं। केस तो बन गया। बना किसी मिल मजदूर के खिलाफ। उसके यहां से तगारी ले गये लेकिन जो वास्तविक लोग हैं वह सामने आते नहीं, तो यह बड़ी एक गम्भीर समस्या है। अवैध खनन की जो स्थिति बनी उस स्थिति को ठीक करने के लिये माननीय कालूलाल जी गुर्जर ने अपने वक्त में यह एक आदेश निकाला और उसमें यह था कि 50 पर्सेण्ट से अधिक फेट, फेट वह स्थिति है कि स्वतंत्र रूप से वह क्षेत्र कहीं परोक्ष में आया हुआ है, या आगे ब्लाक हो गया, किसी और को अलॉट नहीं किया जा सकता। इस मामले में पांच बिंदुओं पर उन्होंने एक आदेश निकाला था बड़े सोच समझकर और वह एक आदेश है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

पिछली सारी जो कार्यवाही चलती थी उस कार्यवाही को रेगूलेट करने का और उस कार्यवाही को रोकने का जो स्वविवेक से चलता था।

श्री परसराम मदेरणा : एडवांसमेंट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, आपके कोई मैटल डिटेक्टर जैसा नहीं है क्या रिमोट कंट्रोल ? यहां से राजस्थान के खनिज मंत्री मालूम कर लें कि कहां पर वह ट्रेस पास कर रहा है। इसको लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ गया, वह भी मालूम हो जाय। ऐसा कोई साइंस एडवांसमेंट करके आप रिमोट कंट्रोल से यह कंट्रोल नहीं कर सकते अनआँथोराइज्ड आकूपेंट्स को ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने बड़ा मौजूं सवाल उठाया है और उनकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि हमने बड़े सख्त रूप से अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो वह या तो राजकीय कर्मचारियों की ओवर लुकिंग से हो रहा है या केनाइवेंस से हो रहा है क्योंकि लास्ट कस्टोडियन किसी न किसी जमीन का कोई है। वन विभाग का लास्ट कस्टोडियन रेंजर होता है और रेंजर के नीचे गार्ड होते हैं। तो उनको सबको मालूम है कि कहां-कहां उनको चौकसी करनी पड़ती है। वह चौकसी नहीं करे तो वन विभाग में अवैध खनन होता है और रेवेन्यू लैण्ड का लास्ट कस्टोडियन पटवारी होता है और पटवारी को मालूम है और दूसरी जो सिवाय चक या जो आबादी लैण्ड है गांव की, तो लास्ट कस्टोडियंस हर जमीन के हैं और यह मिलीभगत, तो मैंने पिछले दिनों बहुत कठोरता से बिजौलिया क्षेत्र में जो अवैध खनन कार्य चल रहा था, वह सारा मैंने रोका है और रोकने के बाद यह सारी समस्या सामने आयी कि क्या-क्या रास्ता निकल सकता है। जैसा मैंने मेरे जवाब में कहा कि मैं लगातार चिंतित हूं, अब तो मैंने स्पष्ट आदेश दे दिये हैं कि जहां किसी तरह की कोई बाउण्ड्री खोली जाए उन प्लाट्स के पास कोई चीज खाली नहीं छोड़ी जाए जिससे आगे अवैध खनन का आकर्षण बने। छोटे प्लाट्स हैं, आखिर प्लाट को जैसा रेवेन्यू विभाग में जमीन अलाट करते समय जो ज्यादा बढ़ जाती है उसको उसी के साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के लिए भी निर्देश दे दिये हैं और अब जो बाउण्ड्री दी गयी है, अभी हमने 7-8 बाउण्ड्रीज खोली हैं और सैकड़ों प्लाट्स उन पर लाटरी से दिये हैं उसमें अब कोई फेट और गेप की समस्या नहीं आयेगी। अब सवाल रहा कि पुराना मसला चल रहा है और माननीय सदस्य कहते हैं कि आठ साल तक यहां जैसा नियमितीकरण किया गया वैसी ही सुविधा अब दी जाय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आपकी खनन नीति में इसका उल्लेख ही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : किस का ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई पास में अगर छोटी स्ट्रिप आयी है तो उसी आदमी को दे दें नहीं तो कोई ट्रेसपास करेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : वह पुराना है, खनिज नीति में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इस खनिज नीति में तो नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं है, यह सही है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह जो 131 का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है यह इसकी परिधि में नहीं आता है। यह तो जो अवैध खनन हो रहा था उसको रेगूलराइज कर दिया और आगे जो प्लाट्स बच रहे हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं, यह माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह बता दीजिये आप। उनको कैसे देंगे ? उनके कहने से दे दीजिये झगड़ा ही मिट जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, सरकार का खुला दिमाग है (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कोई रीसेंट आकरेंस का झगड़ा नहीं है और आगे क्या करने जा रहे हैं यह बताइये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि मैंने एक मीटिंग बुलायी उसमें कुछ निर्णय लिया लेकिन यह फेट की परिभाषा उस समय तय नहीं कर सके। माननीय विधायक जो सुझाव दे रहे हैं वह सुझाव हम उस समय मानने की स्थिति में नहीं थे और आज भी मानने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि कई बाउण्ड्रीज छोटी हैं। छोटे प्लाट के सामने फेट छोटी होगी।....

श्री रामनारायण चौधरी : यही चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, यह चाहते हैं कि फेट का क्षेत्रफल तय कर दिया जाय। जैसे कई बाउण्ड्रीज बड़ी हैं तो आगे तक या जहां तक स्थिति बनती है वहां तक वह फेट बनेगी। तो यह फेट की परिभाषा में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न यह खड़ा किया है कि It should be a matter of calling your attention under Rule 131. It should be a matter of recent occurrence and when the matter is not of recent occurrence then by calling your attention....

श्री कैलाश मेघवाल : Yes, this is for the Chair.

श्री परसराम मदेरणा : आसन तो सर्वोच्च है, आसन तो निर्देश दे सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आगे से व्यवस्था चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो अभी तथ्य आये हैं उसमें यह तथ्य रीसेंट आकरेंस का नहीं है। रीसेंट आकरेंस का नहीं है तो यह हाउस का समय यूं ही जाया किया जा रहा है। यह 131 में आता ही नहीं है, यह तो इसके एडमिट ओरबिट में आता ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इस बारे में, कोई व्यवस्था के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। आज यहां मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है उसमें दो-तीन बिन्दु और हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय विधायक ने सोसायटीज के बारे में कहा है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सोसायटीज के बारे में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरा यह मत रहेगा कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सोसायटीज हैं क्योंकि हमारी खनिज नीति में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्राथमिकता से खानें देने का है, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी शिक्षा में सुधार आये, यह मेरा कमिटमेंट भी है। इस दृष्टि से हम सोसायटीज के बारे में **गुणावगुण** के आधार पर निर्णय लेंगे। जो भी एप्लीकेशन्स हैं मैं उनकी जांच करवा लूंगा और चर्चा कर लूंगा और भूतपूर्व मंत्रीजी और सम्बन्धित माननीय सदस्य हैं उनसे चर्चा कर लूंगा। फेट और गेप की परिभाषा में मेरा दिमाग खुला है। इसमें जो समस्याएं हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह 92 का निर्णय आपने करवाया वह 92 का निर्णय आज आपके बाधा बन रहा है। तो उसके आधार पर, माननीय सभापति महोदय, मैंने तो सारी खनिज नीति में सचिवालय स्तर पर जितने अधिकार थे सारे डाइरेक्टर, ए. ई. एम. को दे दिये हैं। मैं यह चाहता हूं कि एक ऐसी नीति तय हो जाय और उस नीति के आधार पर एक केस में जो लागू हो, सर्वत्र लागू हो, पिक एण्ड चूज वाली स्थिति में मैं नहीं आने देना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : नीति तो आपने तय कर ली है, कमिटमेंट आपका है। अगर कमिटमेंट है तो डिवोशन और डिटरमिनेशन के हिसाब से आप आगे बढ़िये।

श्री कैलाश मेघवाल : आगे बढ़ेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : फोटो पहचान वाली एक बात और रह गयी, माननीय सभापति महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके बारे में मैं देख लूंगा। आपने आदेश निकाला है और वापस क्यों लिया गया है? उसकी सुविधाएं और व्यावहारिकता और फोटो लगवाने का आदेश दिया और आप कह रहे हो कि वापस विदड्रा हो गया राष्ट्रपति शासन में तो उसकी सुविधा और व्यावहारिकता का मैं परीक्षण कर लूंगा और जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से काम करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि एक व्यक्ति को आप इतना क्षेत्रफल देते हो तो क्षेत्रफल में समानता तो रखें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि फेट की परिभाषा 16.12 में तय कर रखी है।

श्री कैलाश मेघवाल : 16.12 का कोई आदेश ही नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : आदेश नहीं है पर मीटिंग में तय कर रखा है। तो मंत्री महोदय मैंने यह प्रश्न पूछा था कि....

चन्देरिया के सीमेंट कारखानों द्वारा वायु प्रदूषण

श्री सभापति : आपका सवाल समाप्त, कृपया विराजिये।

(श्री सभापति)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अर्जुनलाल जीनगर, श्री शंकर भानुदा एवं श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य विधान सभा बिड़ला जूट एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इकाई बिड़ला सीमेंट वर्क्स व चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत मैसर्स बिड़ला जूट एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इकाई बिड़ला सीमेंट वर्क्स व चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (पर्यावरण मंत्री) : सभापति महोदय, बिड़ला सीमेंट एवं चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स चन्देरिया बस्ती क्षेत्र में स्थित है। बिड़ला सीमेंट एवं चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स द्वारा संभावित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उचित एवं पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिप्रिटेटर) एवं अन्य तरह के डस्ट बैग कलेक्टर स्थापित किये हुए हैं एवं यह कार्यरत रहते हैं। जिसके कारण सामान्य अवस्था में इन उद्योगों की चिमनी से उत्सर्जित वायु में एस. पी एम. की मात्रा मण्डल मानकों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रहते हैं। असामान्य अवस्था जैसे बिजली की आपूर्ति बन्द होने अथवा स्थापित नियंत्रण उपकरणों में से किसी यांत्रिक खराबी के कारण इन उद्योगों से वायु प्रदूषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसके फलस्वरूप आस-पास के आबादी क्षेत्र के मकानों व छतों पर धूल जमा हो जाती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योगों की चिमनियों से उत्सर्जित वायु में एस. पी. एम. की मात्रा निर्धारित मानकों जो पूर्व में 250 मि. ग्रा./एन. एम.^{3} थी जिसे घटाकर 150 मि. ग्रा. नार्मल क्यूबिक मीटर की सीमा के भीतर रखने हेतु बाध्य किया गया है। मण्डल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नवीनतम वायु परिवेक्षक दिनांक 9-2-95 एवं 10-2-95 को की गयी जिसमें एस. पी. एम. की मात्रा इन उद्योगों में क्रमश: 83.24 मि. ग्रा. व 86.32 मि. ग्रा. पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों की सीमा में है। इन उद्योगों के विभिन्न प्रसंस्करणों के दौरान कच्चे माल, कोयले एवं उत्पाद के विभिन्न चरणों में स्थानान्तरित किये जाने एवं वाहनों के आवागमन के कारण वायु प्रदूषण की संभावना रहती है। नियंत्रण हेतु उद्योग द्वारा व्यवस्था की गयी है। फिर भी उपरोक्त कारणों से अत्यन्त सूक्ष्म धूलीय कणों से वायु मण्डल में रह जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इन अत्यधिक सूक्ष्म धूलीय कणों से संभावित वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु उद्योगों को वृक्षारोपण हेतु निर्देशित किया गया है एवं जिसकी अनुपालना में उद्योग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। जिसे और अधिक सघन बनाने हेतु उद्योगों को कहा गया है। इन उद्योगों से उड़ने वाली मिट्टी के कारण रात्रि में अत्यधिक प्रदूषण एवं इसके कारण आस-पास के नागरिकों को स्वास्थ्य समस्या

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के सम्बन्ध में कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस सम्बन्ध में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं उद्योग विभाग को वायु प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। चन्देरिया बस्ती क्षेत्र में श्वांस एवं टी. बी. की बीमारी के अप्रत्याशित प्रकोप की न तो कोई सूचना है, न ही फैली है और न ही किसी अन्य बीमारी ने महामारी का रूप लिया है। फिर भी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। आस पास की खेती योग्य जमीन पर फसलें नहीं होने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मृदा के नमूने लिये जाकर विश्लेषण कर ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसका सर्वेक्षण करने हेतु कृषि विभाग को अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त उद्योगों के जयसुर्जाना गांव में की जा रही माईनिंग के साथ क्रेशर कार्यरत है जिससे सम्भावित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (बैगडस्ट कलक्टर) स्थापित किये हुए हैं। इन क्रेशरों के कन्वेयर बैल्ट से गिरने वाले पदार्थ (चूना पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े) के काफी ऊंचाई से गिरने के कारण वायु प्रदूषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं इस क्षेत्र में वायु का प्रवाह तीव्र होने की स्थिति में इसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों में होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। उद्योगों द्वारा इस संभावित वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पानी के फव्वारें स्थापित किये हुए हैं किन्तु यह व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु जानकारी ली जा रही है। उद्योगों द्वारा इस नियन्त्रण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पर्याप्त बनाने हेतु अतिरिक्त आधुनिक प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव उद्योग विभाग के विचाराधीन है। बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स एवं चित्तौड़ सीमेन्ट वर्क्स के द्वारा बैड़च नदी के दूसरे किनारे पर फैक्ट्री का एक क्रेशर लगा हुआ है जिसके कार्य करते समय धूल मिट्टी उड़ती है। पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मिट्टी में सिलिका एवं कार्बन के कण होते हैं जिससे पशुओं में क्रोनिक रेस्पाइरेट्री डिजीज जैसे क्रोनिक ब्रोन्काइटिस एवं सीलिकोसिस से पीड़ित होने की सम्भावना है। वर्तमान में जयसुर्जाना में कार्यरत क्रेशरों का उत्पाद डम्पीरर्स एवं अन्य वाहनों द्वारा उद्योग तक लाया जाता है। बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़ सीमेन्ट वर्क्स द्वारा क्रेशर से फैक्ट्री तक कच्चे माल के परिवहन के लिए यांत्रिक कन्वेयर निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त की गयी थी, उनके द्वारा निर्मित कच्ची सड़क खातेदार, काश्तकारों की भूमि व चरागाह भूमि दोनों से होकर है। खातेदार/काश्तकारों की भूमि फैक्ट्री द्वारा क्रय की गयी थी एवं चरागाह भूमि के लिए फैक्ट्री द्वारा यांत्रिक कन्वेयर निर्माण के लिए धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की गयी है। मौके पर यांत्रिक कन्वेयर निर्मित नहीं है एवं फैक्ट्री द्वारा कच्ची सड़क के द्वारा कच्चा माल डम्पर एवं ट्रिपर से ढोया जाता है।

जयसुर्जाना में कार्यरत क्रेशरों से उद्योग परिसरों तक डम्पर्स एवं अन्य वाहनों द्वारा

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पिसे चूना पत्थर को ले जाने के कारण सूक्ष्म चूना पत्थरों के कणों के हवा में मिलने से वायु प्रदूषण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उद्योगों द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु यांत्रिक कन्वेयर के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण लगाया जाना भी सम्मिलित है। इस व्यवस्था के पूर्ण होने पर डम्पर्स एवं अन्य वाहनों द्वारा चूना पत्थरों की ढुलाई का कार्य बन्द हो पायेगा। जिससे वर्तमान में सम्भावित वायु प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकेगा। उद्योग को यांत्रिक कन्वेयर का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उक्त उद्योगों के द्वारा अधिकृत खनन क्षेत्र में कार्य के दौरान ब्लास्टिंग के कारण मिट्टी एवं पत्थरों के टुकड़े वायु में उड़ने व फैलने के कारण प्रदूषण की समस्या हो सकती है। किन्तु इसका प्रभाव सामान्यतया खनन क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। जहां तक बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स व चित्तौड़ सीमेन्ट वर्क्स द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग का प्रश्न है, खानों में यह स्वाभाविक है एवं आवश्यक प्रक्रिया है। तथा केन्द्रीय सरकार के खान सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत ही ब्लास्टिंग की जाती है। इन खान क्षेत्रों में हुई ब्लास्टिंग से आसपास के क्षेत्रों में कोई दुर्घटना हुई हो, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो केन्द्रीय खान सुरक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित पट्टाधारी के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। उद्योग द्वारा खनन कार्य में सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का पूरा ख्याल रखा जाता है और इन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो इस पर निगरानी रखने हेतु राज्य सरकार के खान विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

तत्कालीन जिलाधीश श्रीमती मालविका पंवार के समय में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़ को यह निर्देश दिये थे कि जब तक गांव सुर्जाना बसा हुआ है, इस गांव के पास किसी प्रकार का ब्लास्टिंग कार्य नहीं करें। जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को तत्कालीन जिलाधीश श्रीमती मालविका पंवार के आदेशों की सख्ती से पालना करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजकीय खान विभाग को भी तत्कालीन जिला कलक्टर के इस आदेश की सख्ती से पालना करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : आपने कहा कि एस. पी. एम. 250 मिलीग्राम, यह एस. पी. एम. क्या होता है?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : धूलीय कण।

श्री परसराम मदेरणा : एस. पी. एम. मीन्स?

श्री सभापति : कोई वैज्ञानिक भाषा है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपने तीन प्रकार का प्रदूषण बता दिया, एक ब्लास्टिंग के वक्त, दूसरा क्रेशर का और तीसरा धुएं का लेकिन यह एस. पी. एम. क्या है और इसको आपने मानदंड भी बताया है।

(112)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह एस. पी. एम., धूलीय कण हैं, इसका माप है....

श्री परसराम मदेरणा : यह "एस", "पी" और "एम" का क्या एब्रीविएशन है ? एस. पी. एम. हमको बता दिया, एस. पी. एम. हम पकड़ कर बैठ गये तो है क्या एस. पी. एम. ?

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : मैं बताता हूं, वे नहीं बता पायेंगे, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मीटर यानी धूलीय कण।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय सभापतिजी, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राजस्थान में उद्योगों का विकास हो लेकिन इनसे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र के चन्देरिया ग्राम में बी. सी. डब्ल्यू. एण्ड सी सी. डब्ल्यू. कारखाने की दो इकाइयां स्थापित हैं। इनसे लोगों को काफी हद तक रोजगार मिलता है लेकिन इनसे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। मंत्रीजी ने जैसा बताया कि इस कारखाने के द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेशीयीटेटर एवं अन्य तरह के डस्ट बैग कलक्टर लगा रखे हैं लेकिन वर्तमान में इन डस्ट बैग कलक्टर, वायु प्रदूषण यन्त्रों को चालू नहीं रखा जाता है क्योंकि इनमें अत्यधिक विद्युत की मात्रा खर्च होती है। माननीय सभापति जी, सीमेंट कारखाने के आस-पास अनेक प्रकार की जातियां झोंपड़ पट्टियां स्थापित है। वहां के गरीब लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए आते हैं, झोंपड़ पट्टी में रहते हैं एवं टी. बी. एवं श्वांस की बीमारियां हैं लेकिन इस कारखाने के प्रशासन ने आज तक किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परीक्षण वहां नहीं करवाया है। मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि कारखाना अपने निजी खर्च पर इस प्रकार का सर्वे करवाकर यह रिपोर्ट मंगाये कि इस क्षेत्र में श्वास और टी. बी. के कितने बीमार हैं। माननीय सभापति महोदय, जवाब में कहा गया है कि कुछ स्थानों से मृदा के नमूने लिये गये हैं। इतने वर्षों तक मृदा के नमूने क्यों नहीं लिये गये ? क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने के बाद ही कोई कारखाना अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करता है ? और यह भी कहा कि कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है कि जांच आने पर इसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की जायेगी तो आप जांच ही करवाएंगे या कब तक जांच करवाते रहेंगे, थोड़ी–सी जानकारी दें।

सभापति महोदय, इसी कारखाने का एक क्रेशर बेड़च नदी के दूसरे किनारे पर लगा हुआ है। वह कई प्रकार से अपना प्रदूषण फैलाता है। इस पर मंत्री महोदय ने भी यह कहा है कि इस क्रेशर के कन्वेयर बेल्ट से गिरने वाला पदार्थ, चूना पत्थर के छोटे टुकड़े, काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पर्यावरण प्रदूषण फ्युजिटिव ऐमिशन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता एवं इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण, वायु का प्रवाह तीव्र होने की स्थिति में इसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्र में पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उद्योग द्वारा सम्भावित प्रदूषण नियन्त्रण के लिए पानी के फव्वारे की व्यवस्था की गयी है। यह योजना पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि यह योजना पूर्ण

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

रूप से प्रभावी नहीं है तो क्यों नहीं है ? क्या प्रदूषण फैलाने के लिए ही कारखाने लगाये गये हैं ? यदि वह चाहें तो इस प्रकार की फव्वारे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रदूषण को नियन्त्रण करने हेतु जांच करवायी जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि वहां पर फव्वारे पूरे चालू नहीं हैं, तो फिर जांच किस बात की करवायी जा रही है ? उद्योगों द्वारा नियन्त्रण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पर्याप्त बनाने के लिए अतिरिक्त आधुनिकतम प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव उद्योग के विचाराधीन है। तो यह उद्योग कब तक विचार करता रहेगा और कब तक इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि वायु प्रदूषण रोका जाय....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय..

श्री अर्जुनलाल जीनगर : थोड़े और भी प्रश्न हैं। दो तीन प्रश्न और हैं मंत्री जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : याद ही नहीं रहेंगे। फिर दुबारा पूछ लेना। सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूं और प्रदूषण रोकने के लिए उद्योग को कहा गया है। उद्योग कई कम्पनियों से आधुनिकतम संयंत्र लगाने का प्रयास कर रहा है और उनको हम इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि धूलीय कण उड़ते हैं इनको रोका जाय। जहां तक मिट्टी का सवाल है इसके लिए हमने कृषि विभाग को लिख दिया है, वह नमूने लेकर हमारे पास भेजेगा और हम स्वयं परस्यू करेंगे इसको और फव्वारे से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। फव्वारे लगे हुए हैं, चल रहे हैं किन्तु इनमें आजकल आधुनिक यंत्र एक से एक अच्छे लग गये हैं। हम उद्योगों को बाध्य करेंगे कि वह उन यंत्रों का प्रयोग करके जो प्रदूषण की सम्भावना बढ़ती जा रही है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता, उनकी रोकथाम करें।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, यह ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने कन्वेयर बैल्ट की स्वीकृति प्रदान की। क्या मंत्री जी इस जवाब से सन्तुष्ट हैं ? कन्वेयर बैल्ट की स्वीकृति हुई यह आप दुबारा कन्फर्म कर लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कन्वेयर बैल्ट वह लगाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे पूछा था और हमने हां कहा जिसके ऊपर अदालत से स्टे मिल गया है।

श्री नरपतसिंह राजवी : कन्वेयर बैल्ट की स्वीकृति प्रदान नहीं की हुई है, ऐसा आपने कहा है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : क्रेशर द्वारा बेड़च नदी के पानी को प्रदूषित किया जाता है जिससे, पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। पशु विभाग की रिपोर्ट है....

श्री सभापति : आप मंत्री महोदय ने जो स्पीच दी उसको पढ़ रहे हैं। आप सवाल पूछिये सीधे-सीधे।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मंत्री महोदय यह जानते हैं और यह जवाब भी दिया है कि इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। यह स्पष्ट है कि बीमारियां फैल रही

(114)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

हैं। आज हम ध्यान आकर्षण लेकर आये तब जाकर कहा है कि बीमारियां फैल रही हैं। प्रदूषण विभाग कह रहा है कि बीमारियां फैल रही हैं। तो आज 20 साल से जो कारखाना लगा हुआ है, कई सालों से इस क्षेत्र में पशुओं पर जो पीने के पानी से अनेक प्रकार की बीमारियां हुई हैं इनके नाम हैं। यह पशु विभाग की रिपोर्ट है....

श्री सभापति : इसके ऊपर आप भी गम्भीर हैं और गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : गम्भीर होते तो मैं क्यों कहता। यह रिपोर्ट इस प्रकार की आयी है। गम्भीर होते तो पर्यावरण प्रदूषण विभाग है यह कब से ही इसके ऊपर पुख्ता कार्यवाही कर लेता। माननीय तत्कालीन जिलाधीश श्रीमती मालविका पंवार, जिन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक इस कारखाने के पास बस्ती क्षेत्र है, इस खनन क्षेत्र के अन्दर जब तक इसके आस-पास जनता रहती है तब तक किसी प्रकार का ब्लास्टिंग नहीं किया जाय, यह आदेश हैं सन् 1990 के और उनके आदेशों की पालना 1995 तक नहीं की जा रही है। अभी 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और अभी टेलीफोन से सूचना करायें कि आज 2 बजे खनन क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग हुआ है या नहीं। मंत्रीजी ने आदेश दिया है कि हमने जिला कलक्टर से यह कहा है..

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : ....इसके ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जाय, लेकिन आज की रिपोर्ट मंगाकर देखें।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कारखाना लगा है उसकी धूल से वहां के आस-पास के खेतों में आप कह रहे हैं जांच करवा रहे हैं. वहां के खेतों में उगने वाली फसलों के पत्तों पर जो धूल जम जाती है और पत्तियां बराबर श्वांस नहीं ले सकती हैं जिसकी वजह से वहां की फसलें बहुत कमजोर हो गयी हैं, फसल छोटी-छोटी रहने लग गयी हैं। यह सामने देखने से ही पता चल जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि प्रदूषण हो रहा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। जब यह इतनी जानकारी में हैं और पहले वहां सुर्जाना गांव बसा हुआ है जब मालविका पंवार कलक्टर थीं उन्होंने यह आदेश दिया था कि जब तक यह गांव रहे तब तक ब्लास्टिंग नहीं हो। उसके बाद एक कलक्टर और आ गये श्री आनन्द साहब और वह भी चले गये और अभी जब यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा तब कह रहे हैं कि हमने उनके आदेशों की पालना के लिए लिखा है और लिखा जा रहा है। इतनी ढिलाई इतने बरसों तक जब कि आदेश तो कब के ही हो गये, अब तक उसकी पालना के लिए क्यों नहीं लिखा गया ? मंत्री महोदय, यह ढिलाई कारखाने वालों की है। गांव वाले बड़े दुखी हैं। कृपया यह जो धमाके होते हैं इनकी आवाज से आस-पास के मन्दिर और देवरियों तक में दरारें पड़ गयी हैं। आप स्वयं जांच करायें और दूर-दूर तक धरती धूजती रहती है।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, चित्तौड़ जिले की एक विकृत स्थिति है कि वहां पर सीमेन्ट प्लान्ट एक के बाद एक आ रहे हैं और बड़े सीमेन्ट प्लान्ट आ रहे हैं। इण्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब चौमू में नहीं आ रहे हैं वह बात अलग है लेकिन चित्तौड़ में काफी आ रहे हैं। लेकिन किस कीमत तक वहां की पब्लिक सफर करेगी इसका आंकलन भी साथ-साथ करना चाहिए। गांवों को गैर आबाद कर दिया। वहां से उठकर उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। छोटी-छोटी दो-दो बीघा की होल्डिंग्स हैं। उसकी जगह जो उनको मुआवजा मिलता है 24 हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से उससे वह दूसरी जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं रहते हैं और इन्डस्ट्रियलाइजेशन से जो लाभ मिलना चाहिए वह तो हो नहीं रहा है और आटोमेशन प्लान्ट से इतना आटोमेशन है कि अभी नया सीमेन्ट प्लान्ट लग रहा है उसमें 286 आदमी के करीब लगेंगे। 12 इन्जीनियर्स पूरे प्लान्ट को चलायेंगे। हो सकता है कि चित्तौड़ जिला आने वाले समय में एशिया का ऐसा जिला होगा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा लेकिन सरकार साथ में जो उसके बाई-प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी सोचें। जितनी बीमारियां यह छोड़ता जा रहा है इण्डस्ट्रियलाइजेशन क्या सरकार उतनी व्यवस्था हास्पीटल के बारे में कर रही है। अब सायला का उदाहरण दे दूं कि वहां पर लेबर इतनी पड़ी है, उस सीमेन्ट प्लान्ट का अभी कन्सट्रक्शन कार्य चल रहा है और वहां पर एक पी. एच. सी. को जितना मिलता है उतना तो एक महीने में साफ हो जाता है। जितने मजदूर अब वहां पर जाएंगे या जो भी ग्रामीण वहां पर इलाज के लिए जाएंगे तो खुद को पट्टी लेकर जाना पड़ेगा, खुद को स्प्रिट का गाज लेकर जाना पड़ेगा, उसको मल्हम लेकर जाना पड़ेगा, फिर हास्पीटल जाने की आवश्यकता कहां है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर रहे हैं, बड़ी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं तो दूसरी चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक मात्र इण्डस्ट्री को परमीशन दे दी उससे काम नहीं चलेगा। अब एक हिन्दुस्तान जिंक भी वहां पर है। अभी मेरे साथी जीनगर जी कह रहे थे कि इन्हीं के क्षेत्र के गांव हैं, हमारे पड़ौसी हैं लेकिन उनकी जो दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है उसके बारे में जांच कभी एक दो प्राप्त हुई हैं लेकिन एटरेन्डम जांच के समय तो वह शायद फिल्टर प्लान्ट चालू कर देते हैं या पोल्यूशन कन्ट्रोल के जो सिस्टम हैं उनको चला देते हैं लेकिन वास्तव में नुकसान हो रहा है। हमारे वहां पर स्थायी समस्या का हल करने के लिए आपने कोई योजना बनायी है ? नहीं बनायी है तो कब बनाने जा रहे हैं ? वर्तमान में जो स्थिति है उसका कम से कम आंकलन करने के लिए वहां एक समिति नियुक्त करवा दें। वह लोगों के साथ बैठकर डिसकस कर लेंगे, जो भी पाल्यूशन है सामने आ जाएगा, यंत्रों से होने वाला है। वहां एम. एल. ए. पास बैठ जाएगा तो पाल्यूशन ज्यादा नहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे गम्भीरता से लेकर इसका स्थायी समाधान निकलवायें।

(15.00)

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को एक और

(116)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

सुझाव देना चाहता हूं। एक छोटा सा क्षेत्र है आप चाहें तो उस क्षेत्र में प्रदूषण को रोका जा सकता है। आपके आदेश से रुक जाएगा। केशर से कारखाने तक कच्चा माल कच्ची सड़क से जो साढ़े तीन मील लम्बी बनी हुई है टीपर्स, ट्रोले के द्वारा लाया जाता है। टीपर्स और ट्रोले चलते हैं उस समय जब कच्ची सड़क पर चलते हैं और कच्ची सड़क की धूल उड़ती है जिससे पूरा आकाश धूल से आच्छादित हो जाता है। यदि कच्ची सड़क से न लाकर के पक्की सड़क से माल लाया जाए तो थोड़ा बहुत प्रदूषण जो खेतों के आस-पास होता है उसको रोका जा सकता है। मंत्री जी यह बतायें कि वह कच्चा माल कच्ची सड़क से लायेंगे या पक्की सड़क से लायेंगे।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, यह अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनका पर्यावरण विभाग से सम्बन्ध नहीं है जैसे ब्लास्टिंग का है, लेकिन हमने फिर भी कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को लिखा है कि पूर्व कलक्टर मालविका पंवार के जो आदेश थे उनकी अक्षरशः पालना करवायी जाए और जैसा अभी चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे इसमें कतई एतराज नहीं है। सभापति महोदय, जैसा मैंने स्वयं भी कहा था कि इस उत्तर से मैं कोई बहुत सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित किया, मैं स्पेशल टीम भेजकर वहां की समस्या की जानकारी लूंगा और उसमें विधायकों का भी सहयोग लिया जाएगा।

बूंदी की नहरों से मिट्टी की सफाई

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री प्रतापसिंह सिंघवी, श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री अर्जुनदास मदान एवं श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा बूंदी जिले की अधिकांश नहरों में मिट्टी भर जाने तथा उनकी सफाई लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम 131 के तहत कोटा बूंदी जिले की अधिकांश नहरों में मिट्टी भर जाने तथा उनकी सफाई लम्बे समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : इसमें केवल बूंदी जिले का है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : सभापति महोदय, चम्बल सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में बांई मुख्य नहर द्वारा बूंदी, केशवरायपाटन एवं कापरेन क्षेत्र में चम्बल की नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। बांई मुख्य नहर द्वारा प्रस्तावित 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में 76 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इसमें परियोजना के आधार पर 55 प्रतिशत क्षेत्र रबी में एवं 21 प्रतिशत क्षेत्र खरीफ में

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

सिंचाई का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त गन्ना, चावल एवं अन्य अधिक पानी वाली फसलों के लिये सिंचाई परियोजना के प्रारूप में प्रावधान नहीं था। यह सही है कि बूंदी जिले में चावल की खेती व्यापक रूप से की जाने लगी है एवं रबी में सिंचाई की इंटेंसिटी जो परियोजना के आधार पर 55 प्रतिशत थी, उसकी बनिस्पत लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हो रही है। चावल एवं गन्ने में अधिक पानी देने के कारण इस क्षेत्र में वाटरलोगिंग एवं सेलिनिटी की समस्याएं व्यापक रूप से गत 30 वर्षों में सामने आयीं एवं उसके कारण बांई नहर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(15.04)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

वर्ष 1960 से सिंचाई प्रारम्भ हुई तब से लेकर वर्ष 1973-74 तक भूमि निचली होने के कारण एवं उचित जल निकास नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में वाटरलोगिंग की गम्भीर समस्या हुई, जिसके निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा सी. ए. डी. के अन्तर्गत ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की गयी। बांई मुख्य नहर क्षेत्र में जल निकास हेतु ड्रेनें बनाकर सिंचाई में आयी कठिनाइयों को दूर किया गया। यह सही नहीं है कि बूंदी जिले में 80 प्रतिशत नहरें खराब हो गयी हैं अथवा नहरें 50 वर्ष के लिए बनायी गयी थीं। जहां कच्ची नहरें होती हैं एवं प्रतिवर्ष वर्षा 30 से 40 इंच तक होती है, वहां नहरों में एवं ड्रेनों में पानी एवं मिट्टी भरना स्वाभाविक है एवं उसके बाद उसमें पेड़ इत्यादि उगना, पौधे, आकड़े उगना भी प्राकृतिक प्रक्रिया है। अतः प्रातिवर्ष नहरों में एवं ड्रेनों में सिल्ट भरती है, आंकड़े इत्यादि होते हैं एवं बजट के अनुसार प्रतिवर्ष इनकी सफाई भी करायी जाती है, आकड़े, पौधे, जंगल इत्यादि कटवाये जाते हैं। यह भी सही हैं कि जिस वर्ष लगातार 90 से 100 दिनों तक बरसात होती है उस वर्ष जंगल इत्यादि की सफाई में समय लगता है क्योंकि खरीफ में पानी देने के लिये कृषक वर्षा समाप्त होने के लगभग 7 दिन पश्चात् ही पानी की मांग प्रारम्भ कर देते हैं एवं विभाग को सब कार्य एक साथ करने का समय नहीं मिल पाता है।

इंटेंसिटी आफ इरिगेशन पूरे चम्बल क्षेत्र में एवं विशेषतः बांई मुख्य नहर क्षेत्र में बढ़ने के कारण एवं पूरे क्षेत्र में पानी का वितरण एवं संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सबको समान एवं समय पर पानी मिले। अतः ऐसी परिस्थिति में चावल एवं गन्ने, जिनकी पानी की मांग अन्य फसलों के मुकाबले बहुत अधिक है, को पानी देने में कठिनाई होती है एवं समय-समय पर कृषकों द्वारा इस विषय में आपसी झगड़े भी होते हैं। फिर भी गत दो तीन वर्षों में विभाग द्वारा अधिक से अधिक प्रयास करके समस्त टेलों पर पानी पहुंचाया जाता रहा है। कुछ टेलों पर बहुत विलम्ब हुआ है, किन्तु सिंचित क्षेत्र में आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सिंचाई में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं प्रगति होती रही है। सिंचित आंकड़े निम्न प्रकार है :—

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

वर्ष	रबी की सिंचाई
1990-91	2 लाख 1 हजार एकड़
1991-92	2 लाख 3 हजार एकड़
1992-93	2 लाख 5 हजार एकड़
1993-94	2 लाख 6 हजार एकड़

बांई मुख्य नहर के पूरे क्षेत्र में ड्रेनों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। यह अधिकतर कार्य वर्ष 1977 से 1982-83 तक हुआ, । इसके पश्चात् ड्रेनों की सफाई जो कि मूलतः कृषकों द्वारा ही की जानी थी, लेकिन कृषकों का सहयोग नहीं मिलने के कारण विभाग को ही करनी पड़ रही रही है। क्योंकि शुरू में इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए यह कार्य, सफाई इत्यादि नहीं कराये जाते थे, किन्तु पिछले तीन-चार वर्षों से ड्रेनों की सफाई आवश्यक होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पूरे क्षेत्र में लगभग 50–60 कि. मी. लम्बाई में प्रतिवर्ष यह कार्य कराये जाने लगे हैं। बांई मुख्य नहर क्षेत्र का विवरण निम्न है :—

वर्ष	ड्रेनों की सफाई	अनुमानित धनराशि (व्यय)
1992-93	47 कि. मी.	13.46 लाख
1993-94	22.6 कि.मी.	10.50 लाख
1994-95	44.36 कि.मी.	24.00 लाख

राज्य सरकार ने इन समस्याओं को बहुत आवश्यक मानते हुए इनके निराकरण के लिए वर्ष 1995–96 में बहुत अधिक धनराशि पूरे कमाण्ड क्षेत्र के लिए रखी है। इसमें बांई मुख्य नहर का भी क्षेत्र है एवं विशेषतः जहां-जहां अधिक कठिनाई हो रही है, वहां पर अगले वर्ष से व्यवस्थित रूप से ड्रेनों को साफ करा दिया जाएगा। बूंदी जिले के बांई मुख्य नहर पर एक अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्थित है एवं बूंदी जिले में बूंदी, कापरेन एवं केशोरायपाटन में एक एक सहायक अभियन्ता एवं उपखण्ड कार्यालय स्थित हैं। प्रतिवर्ष वार्षिक योजना बनाकर नहरों एवं ड्रेनों की सफाई का कार्यक्रम आवश्यकतानुसार एवं स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष अधिक से अधिक क्षेत्र में नहर एवं ड्रेनों की सफाई करवायी जाती है। प्रतिवर्ष बांई मुख्य नहर खण्ड में लगभग चार एसक्वाटर, एक ड्रेन लाइन एवं डोजर इत्यादि नहरों के रख-रखाव, ड्रेनों की सफाई सम्बन्धित कार्यों के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं। गत वर्ष से एक अतिरिक्त मशीन बूंदी उपखण्ड में विशेष अभियान चलाकर वहां की ड्रेनों की एवं नहरों की सफाई के लिए लगाई गयी है। माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात् अब और सम्बन्धित क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर ड्रेनों की सफाई इत्यादि कार्य करवाये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण बिन्दु भी विचारणीय हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

1. पूरे क्षेत्र में इस वर्ष गत वर्ष के अनुपात में पानी शीघ्र एवं समुचित मात्रा में पहुंचाया गया एवं समस्त टेलों को समय पर पानी दिया गया। वह नहरों की सफाई के पश्चात् ही सम्भव था।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

2. वर्ष 1995-96 में जो भी अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बांयी मुख्य नहर के बूंदी क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर से अधिक लम्बाई में यह कार्य कराया जाएगा जो कि गत वर्षों के 40 किलोमीटर के अनुपात में डेढ़ गुना है।

3. बदलते फसल चक्र के क्रम में अब सोयाबीन की फसल अधिक होने के कारण किसानों को अधिक लाभ एवं आमदनी होने लगी है। खरीफ की फसल में उत्पादकता बढ़ी है एवं कृषकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि नहरों के कारण वाटर-लॉगिंग और सैलेनिटी की समस्याएं बढ़ी हैं? उस इलाके के लोग इससे काफी परेशान हैं। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है या विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जवाब में माना है कि 1977 से 1982-83 के मध्य नहरों एवं ड्रेनों का निर्माण हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि जिस समय नहरों और ड्रेनों का निर्माण किया था, क्या जनता को यह बताया था कि इन नहरों और ड्रेनों की सफाई आपको करनी है ? आपने जवाब में यह कहा है कि यह जनता को सफाई करनी थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को उस समय जानकारी दी गयी थी क्या कि यह सफाई आपको ही करनी है।

आपने यह भी बताया है कि 50-60 किलोमीटर लम्बाई के प्रतिवर्ष कार्य किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह सूचना आपको गलत दी है, यह जानकारी गलत दी है। जैसा कि मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पंचायतों के नाम दिये हैं और इसके बारे में जानकारी चाही है कि इनकी कितनी नहरें, कितनी ड्रेन गांव वाइज साफ की हैं, मैंने ध्यानाकर्षित करना चाहा है वह नाम हैं— सींथा, तीरथ, गामच, देहित, मेंडूंदा, सवासा, लाडुपुरा, भडूंदा, बाजल, जमीपुरा, नौपाड़ा, तालदा, गुमानपुरा, नीड़दाजलसान, पम्पदा, ठिकरिया चारणान, सीतापुरा, बड़मल, जनासरी, रामगंज बाजादी, टोलाडोड और कालपुरिया। इन गांवों के बारे में मैंने जानकारी चाही है कि इन गांवों की कौनसी नहरें और कौनसी ड्रेनें पूरे वर्ष में साफ की हैं परन्तु इसके जवाब में यह आया है कि, मैंने जो जानकारी चाही थी कि 80 पर्सेन्ट नहरें और ड्रेनें खराब हैं, आपने कहा कि यह गलत है। तो फिर सही क्या है ?

मैंने यह ध्यानाकर्षित किया है कि उपरोक्त जो पंचायतें हैं, इनकी कौनसी ड्रेनें साफ हैं, कौनसी नहरें साफ की ? आप यह कह रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर साफ की हैं। उसका आप जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि 1995-96 में कौन-कौनसी ड्रेनें और

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कौन-कौनसी नहरें किस-किस गांव की कितने किलोमीटर साफ करेंगे ? और मशीनें कितनी एकड़ भूमि पर लगायी जाती हैं जिससे पता चल सके कि कितनी मशीनें वहां लगायी हैं, कितने आउटलेट हैं और कितने नहीं हैं।

एक प्रश्न मेरा और है, अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहूंगा कि बूंदी जिले में अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय था। क्या मंत्री महोदय इस अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय को बूंदी में या बूंदी जिले के तरनाऊ गांव में वापस लायेंगे एवं प्रत्येक सब-डिविजन के सहायक अभियन्ता को मशीनें देंगे जिससे नहरों और ड्रेनों की सफ़ाई हो सके ?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में चावल जिसे घल्डा बोलते हैं, इतना अधिक मात्रा में होता है और हमारा सौभाग्य है कि यह चावल विदेशों में बिकने जाता है, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। अगर गांव की नहरों और ड्रेनों को साफ किया गया तो जमीन खराब नहीं होगी। आपने ये जो आंकड़े पेश किये हैं, ये केवल आंकड़ों का जाल है। मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ग विवाइज कितनी किलोमीटर नहरें और ड्रेनें साफ करेंगे ? सहायक अभियन्ता को मशीन देंगे या नहीं देंगे ? और अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय पुनः बूंदी में लायेंगे, या नहीं लायेंगे ? अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय बूंदी आने से सारे जिले को कवर करेगा। आज अधिकारी का पता नहीं चलता। अधिकारी को तलाश करते हैं तो कहते हैं कि गांव में गये हैं। अब पता नहीं कौनसे गांव में गये हैं। गांव का व्यक्ति कहां जाय ? इसलिए मैंने, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानकारी चाही और मैं समझता हूं कि मंत्रीजी स्वयं किसान हैं इसलिए किसान को मद्देनजर रखते हुए मेरी बात का जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी। सब का एक साथ ही उत्तर दे देंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदस्यों ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया उसका मूल यही है कि बूंदी जिले की अधिकांश नहरों में मिट्टी भरने से परेशानी हो रही है और जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उस जवाब में जो बातें उभर कर आयीं उसमें चार प्रश्न सामने आते हैं। वे प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी के लिए और समाधान के लिए निवेदन करूंगा।

प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि उस क्षेत्र में औसत से अधिक बरसात होती है और नहरें कच्ची मिट्टी की होने के कारण उनमें मिट्टी भरना स्वाभाविक है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष मिट्टी भर जाती है और उत्तर में बताया गया है कि हम 50–60 किलोमीटर नहरें साफ करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बायीं मुख्य नहर में तीन मुख्य ब्रान्चें हैं, उनमें 20–25 ब्रान्चें हैं और 150 के आस-पास माइनर्स हैं तथा उनकी लम्बाई कई सैकड़ों किलोमीटर है। तो 50–60 किलोमीटर

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

नहर साफ करना कहां तक पर्याप्त है? और इतनी सारी लम्बाई की नहरें और प्रतिवर्ष औसत से अधिक बरसात होने, जानवरों के कारण और जो डेमेज हो रहे हैं तो मैं यह माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न करूंगा कि क्या इन परिस्थितियों के रहते हुए जो नहरों के लिए बजट दिया जाता है, क्या वह बजट पर्याप्त है? तो मेरी इस प्रश्न के माध्यम से मांग है कि क्या सरकार इस अपर्याप्त बजट को पर्याप्त बजट में परिवर्तित करके उस क्षेत्र की नहरों के लिए साधन मुहैया करायेगी?

दूसरा, यह है कि जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मशीनों से सफाई और खुदाई होती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मशीनें विशेष रूप से वहां ओ. एफ. डी. के वर्क्स के लिये हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम, केचमेंट के लिये और वे केचमेंट वर्क्स इन्हीं गर्मियों के दिनों में होता है और नहरों की सफाई, खुदाई भी इन्हीं गर्मियों के दिनों में होती है और जो मशीनें निर्धारित हैं वह पहले ओ. एफ. डी. वर्क्स में जाती हैं और नहरों को कम मिलती हैं। इसलिए मेरा यह प्रश्न है सरकार से कि जो मशीनें ओ. एफ. डी. में चलती हैं, उनके अलावा क्या सरकार मशीनें उपलब्ध करायेगी? और मशीनें जो उपलब्ध कराने की बात है और उसका कण्ट्रोलिंग पावर सब कोटा में होता है जिसके कारण 150-150, 100-100 किलोमीटर जो कार्यक्षेत्र होता है, वहां तक मशीनें पहुंचाना, वहां काम करना और कोटा का बैठा स्टाफ जब मर्जी आये जब जाता है, ये जो कमियां हैं। तो क्या सरकार मशीनें सहायक अभियन्ताओं के ही अधिकार में देने का विचार रखती है? मैंने हर प्लेटफार्म पर इस बात को रखा है और यही एकमात्र समाधान है कि..

श्री अध्यक्ष : यह कि सहायक अभियन्ता को देने का है या नहीं। बिराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या सरकार इन मशीनों को ए. ईएन. के अण्डर में दे देगी?

दूसरा, मशीनें आती भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल डीजल की खपत करके, आज वहां 700 रुपये में डीजल का ड्रम ये ओ. एफ. डी. वाले, मशीनें वाले बेचते हैं जिससे जो कागजों में दिखाया गया है वह भी पर्याप्त नहीं है और इस तरह के भ्रष्टाचार से मशीनें कोटा से आकर वहां काम करती नहीं और इस तरह का भ्रष्टाचार होकर के जो काम होना चाहिए किसान के खेत में वह नहीं होता है। क्या इस त्रुटि को सुधारने के लिए काम के घण्टे बांधेंगे? ए. ईएन. के अण्डर में मशीनें देंगे? यह मेरा जवाब दिलाया जाय और समस्या का समाधान किया जाय।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि दो लाख के ऊपर सिंचाई हो रही है। मैं मानता हूं, दो लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है पर यह उन क्षेत्रों में हो रही है, जो हैडवर्क्स का किसान है वह तीन-तीन फसल ले रहा है और जो टेल का किसान है वह सन् 1960-61 से, जब से नहरें बनी हैं वह कमाण्ड एरिया में है, उसका सीलिंग एक्ट उन पर लागू हो गया

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

और सिंचाई की दरें लागू हो गयीं, लगान की दरें लागू हो गयीं। देखने के नाम से कमाण्ड एरिया की रेट लागू होती है। अगर अलॉटमेंट होता है तो कमाण्ड एरिया की अलॉट होती है। तो यह जो अनियमितताएं हैं कि एक तरफ हैडवर्क्स का किसान तो, आपके आंकड़ों के तहत दो लाख हैक्टेयर पिलायी हो रही है बाकी टैल का किसान रो रहा है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार इन नहरों की सफाई और खुदाई के लिए जो बजट है, मशीनों का कण्ट्रोलिंग पावर है और यह जो टैल की बात है, इन तीन-चार बातों का समाधान करेंगे तभी जाकर के उस क्षेत्र को राहत मिलेगी। यह मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : एक और प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : अब और क्या पूछना रह गया? अभी आपका तो जवाब आ रहा है। फिर पूछ लेना आप। एक साथ जवाब दे देंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री प्रतापसिंहजी सिंघवी ने सबसे पहले इस बात का प्रश्न उठाया कि इस क्षेत्र में हमारी कुछ सेम की, सेलिनिटी की समस्या है। मैं भी इस बात से सहमत हूं। सेलिनिटी और वाटरलोगिंग की समस्या 1973, 1974, 1975 में इस क्षेत्र में शुरू हो गयी थी, सी. ए. डी. कार्यक्रम के तहत ड्रेनेज का कार्य 1970–83 के बीच में किया गया था लेकिन आज भी हम यह महसूस करते हैं कि वहां वाटरलोगिंग की प्राब्लम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि हमारा कनाडा और सीडा कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटरलोगिंग का कार्यक्रम बहुत स्पीड से पाइपों द्वारा पानी को बाहर निकाल कर ड्रेनेज में डालने का चल रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि वाटरलोगिंग के कार्यक्रम को काफी हद तक काबू कर पायेंगे।

उसके बाद भी भाई श्री ओमप्रकाशजी ने कुछ बातें मेरे सामने रखीं। जहां तक इस क्षेत्र में हमारी ड्रेनेज की सफाई का मसला है, उन्होंने यह बात भी कही कि काश्तकारों को ड्रेनेज बनाते समय कोई जानकारी नहीं दी थी कि उनको ड्रेनेज की सफाई का काम करना पड़ेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि शायद इस प्रकार की जानकारी या इस तरह का कोई एग्रीमेंट काश्तकारों के साथ नहीं हुआ था। चाहे जानकारी दी गयी या नहीं दी गयी हो लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि काश्तकारों की ड्रेनेज/नहरों की सफाई करने का प्रथम दायित्व हमारी सरकार का है और उसके लिए पिछले साल मैंने देखा कि वास्तव में वहां पर जिस प्रकार की ड्रेनेज/नहरों की हालत है, आंकड़े और जिस तरह जंगली घास पैदा हो रही है उसका मुख्य कारण यह है कि नहरें कच्ची हैं और इसके अतिरिक्त वहां ज्यादा बरसात भी होती है और 3-4 महीने सिर्फ ड्रेनेज की सफाई के लिए

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

मिलते हैं और बीच में गन्ने, मई-जून में गन्ने के मामले को लेकर और सितम्बर माह में चावल के लिए उस समय नहरों को चलाना पड़ता है। इसलिए कन्टीन्यू नहीं रहने की वजह से और जिस प्रकार की मिट्टी की गुणवत्ता और जिस प्रकार की चिकनाहट है, यह कारण तो वास्तव में टैक्निक कारण है लेकिन उसके बाद भी खुद भी हम महसूस करते हैं कि वास्तव में जितनी मशीनें ड्रेनेज की सफाई की होनी चाहिए वह क्यों नहीं दे पाये। आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमने पिछले साल हमारे मुख्य मन्त्रीजी के निर्देशन पर 6 नयी मशीनें खरीदी है। उससे भी इसमें तेजी आयेगी और उसके साथ-साथ हम इस बात को देख रहे हैं कि कम से कम इस प्रकार की हम योजना बना लें कि हर तीसरे साल हर नहर और ड्रेनेज की सफाई हो उसके लिए हमें अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी हम बजट के अन्दर उसका प्रावधान करेंगे लेकिन काश्तकार को पूरा पानी मिले और यह समस्या दूर हो इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का और हमारा प्रयास जारी है।

उसके बाद 2-3 बातें भाई श्री ओमप्रकाशजी ने और रखीं। वास्तव में यह बात भी सही है कि जैसे कि उन्होंने उस एरिया के गांवों के नाम बताये। वास्तव में क्या था कि कोटा के अन्दर जो मशीनों के संचालन का डिवीजन था वहीं से कुछ एरिया के अन्दर सफाई का काम हुआ और कुछ एरिया में नहीं हुआ। पिछली बार मैं वहां गया था तब विधायकों की बैठक ली थी और दुबारा मई माह में फिर जाऊंगा। उसमें भी हम इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि सारे क्षेत्र में एक प्रकार से विधायकों की राय से उस नहर के हिसाब से, मशीनरी के हिसाब से, उस अनुपात से सब जगह ऐसा काम हो कि कोई भी एरिया वंचित नहीं हो। इस प्रकार के आदेश मैंने हमारे सी. ए. डी. के कमिश्नर और इंजीनियर्स को दे दिये हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार कीजिये विधायकों से और इंजीनियर्स से बैठक कर कि सारे क्षेत्र में समानता आये।

दो-तीन बात और माननीय श्री ओम प्रकाशजी ने कहीं, यह बात सही है कि जब तक हमारा कन्ट्रोल सब डिवीजन पर मशीनों के लिए नहीं होगा तब तक हम उस व्यवस्था को नहीं चला पायेंगे। इसलिए मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस 30 अप्रेल से हम इस व्यवस्था को करने जा रहे हैं कि ए. ईएन. के सब डिवीजन के आधार पर हम उनको मशीनें देंगे और वह उसी अनुपात से उस क्षेत्र का विकास कर सकें इस प्रकार के आदेश हमने दिये हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि एक्स. ईएन. का कार्यालय बून्दी होना चाहिए। बून्दी का केशोरायपाटन सहित बहुत सारा भाग इसमें सम्मिलित है। पिछली बार, 4-6 महीने पहले भी इन्होंने बात की थी और इसी 30 अप्रेल से हम वहां पर एक्स. ईएन. का दफ्तर विधिवत रूप से चालू कर देंगे तो इस प्रकार से वहां मशीनें देखने की और उस एरिया को देखने के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

2–4 बातें माननीय श्री मांगीलालजी ने भी कहीं। यह बात सही है कि जिस अनुपात से बजट मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है। मशीनें भी हमने खरीदी हैं और बजट की बात भी मैंने अभी दोहराई हैं। उसके बाद भी यह बात उन्होंने कही है, जैसे इनके दफ्तर की बात कही वह मैंने बता दी। सी. ए. डी. का जो अपना कार्यक्रय है, इस कमाण्ड एरिया डवलपमेंट का जो चम्बल का प्रोजेक्ट है, वास्तव में इस चम्बल के प्रोजेक्ट के अन्दर हमारे टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता है, यह बात बतायी। उसके सम्बन्ध में हमने पिछले साल से बाराबन्दी का काम चालू कर दिया है, क्योंकि टेल एण्ड पर पानी इसलिए नहीं पहुंचता है कि हमारे जो हैड के काश्तकार हैं वह पहला पानी खेत में भरने के बाद फिर दूसरा पानी छोड़ते हैं। जैसे हमारे राजस्थान कैनाल, गग कैनाल, भाखड़ा बांध के अन्य सिस्टम हैं उनमें हर की बाराबन्दी होती है, निश्चित समय पर पानी छोड़ते हैं, अगले काश्तकार को देते हैं। परन्तु वहां बाराबन्दी लागू नहीं होने की वजह से इस साल तो हमने करीबन 15 हजार बीघा में बाराबन्दी को लागू करने का कार्यक्रम चालू किया है। हमने कुछ काश्तकारों को, कोटा के काश्तकारों को वहां बाराबन्दी को देखने के लिए राजस्थान कैनाल और भाखड़ा सिस्टम पर भेजा था। इस बात के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं और मेरा क्षेत्रीय विधायकों से और सब से निवेदन है कि जनता में इस प्रकार की भावना पैदा करें जिससे कि पानी का सही सदुपयोग हो। मैं यह मानता हूं कि इस एरिया में वाटर लोगिंग की प्राब्लम ज्यादा है, क्योंकि वहां पानी का वास्तव में सही तरीके से वितरण नहीं होता है। बड़े लम्बे समय तक खेत भरे रहते हैं। सब माननीय सदस्यों के सहयोग से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो समस्या है वह हमारे सब के सहयोग से और माननीय मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से आपकी सी ए. डी. की जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से समय रहते पूरी होंगी और इन सब कामों को हम पूरा कर पायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया ? एक्स. ईएन. के कार्यालय के लिए कह दिया, ए. ईएन. को मशीनें दे दीं, और क्या है ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरी बात सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह बतलाया और कार्यालय खोलने के लिए बात कही उसके लिए तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। आपने बताया कि सीडा का कार्यक्रम चल रहा है, मेरा निवेदन करना यह है कि सीडा का कार्यक्रम पूरे बूंदी जिले में लागू कर दिया जाए तो उससे किसानों को बहुत जल्दी लाभ होगा। दूसरा, मेरा सुझाव है कि जो नहर कच्ची हैं वह टूटती हैं उसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को वहां पर पाबन्द किया जाए कि वह एक बार गांव-गांव जाकर गांवों के लोगों को समझायें कि ये गाय-भैंस उतारने के लिए नहरें नहीं हैं, ये नहरें पानी देने के लिए हैं तो गांवों में लोगों में जागृति पैदा करें और अगर नहीं मानते हैं तो फिर नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : जागृति का काम तो माननीय विधायकों का भी है। बिराजिये आप। श्री प्रतापसिंहजी सिंघवी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे ? माननीय मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने ए.ईएन. हैड क्वार्टर पर मशीनों के देने की और एक्स. ईएन. का कार्यालय खोलने की बात कही उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। जैसा कि आपने बताया कि वाटर लोगिंग की कंडीशन के लिए सीडा और राजाड का पैसा लग रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर भी दुःख होगा कि जो मूल हमारा इरिगेशन है उसका ए.ईएन. जब कहीं पंचायत की या सामूहिक बैठकें होती हैं तो जहां कहीं भी वह जाता है तो फटफटी से, मोटर साइकिल से जाता है और उनका जे.ईएन. जाता है महेन्द्रा जीप से या जिप्सियों से। तो क्या राज्य सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि हमारे अधिकारी दौरा ही नहीं कर पाते हैं, उनको टंडीरा मशीनें दी गयी हैं, वाटर लोगिंग का क्षेत्र है इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कुछ लिमिटेड हैक्टेयर में सीडा का कार्यक्रम लिया जा रहा है जहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और जो मूल हमारा इरिगेशन का प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट नहीं दिया जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के पास लगातार जाते हैं तो वह कहते हैं कि बजट नहीं है, उनके कागज हम जाकर देख लेते हैं और देखते हैं कोई पैसा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का वह प्रोजेक्ट आज अन्तिम सांसें गिन रहा है, राजस्थान के डवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, भारत के विकास में योगदान देने वाले प्रोजेक्ट को अगर मरता हुआ देखना चाहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत दुःख की बात होगी। एक तरफ सीडा में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मंत्री महोदय मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके केन्द्र से हस्तक्षेप करें और सीडा का पैसा जो है वह इस मूल योजना में लगाया जाय। पेड़-पत्तों में पैसा लगाया जा रहा है, पेड़-पौधों में लगा कर वाहवाही की जा रही है, सब साधन उनको दिये जा रहे हैं और मूल स्कीम में कुछ भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा और पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि सीडा में राजस्थान की नहरों के बीच में आप हस्तक्षेप करिये नहीं तो वह प्रोजेक्ट मर जायेगा और राजस्थान का बहुत बड़ा अहित होगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इसकी व्यवस्था करिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह इंजीनियर्स और ठेकेदार पीस मील में कार्य देते हैं 10–10 हजार, 20–20 हजार के मिट्टी के काम देते हैं, वास्तव में होता कुछ नहीं है। भारी भ्रष्टाचार होता है। उन 10 हजार रुपये में 5 हजार रुपये इंजीनियर के होते हैं और 5 हजार रुपये ठेकेदार के, इस तरह की व्यवस्था को रुकवाया जाए। इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है।

श्री अध्यक्ष : कुछ कह रहे हैं मंत्रीजी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अभी माननीय श्री मांगीलालजी ने कुछ और मुद्दे उठाये हैं। जहां तक हमारे इस सीडा कार्यक्रम का मसला है, ज्यादा तो मैं आपको 27 तारीख को अनुदान की मांग के जवाब में बता पाऊंगा लेकिन हमारे इस सीडा कार्यक्रम को इन्होंने बून्दी में, लिफ्ट कैनाल में सम्मिलित करने का जहां तक प्रश्न बताया कि हमने इस बचे हुए एरिया में सर्वे करने का आदेश दे दिया है। सर्वे के पूर्ण होने के बाद हम निश्चित रूप से इस एरिया में भी सीडा कार्यक्रम को लागू करेंगे।

दूसरी बात, अभी इन्होंने यह बात भी कही कि डीजल की हमारे यहां कई जगह चोरी होती है, कन्सट्रक्शन वर्क में कुछ गड़बड़ी होती है। तो इस सारे मामलों को वे डिटेल में लिखकर दे दें, मैं एडिशनल कमिश्नर से इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जहां कहीं भी त्रुटि होगी, उस अधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जीपें कहीं नहीं जा रही हैं, अधिकारी दौरा ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जीपें आप कब तक दिलवा देंगे ? जीपें दिलवाइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप फरमायें।

श्री विजय सिंह (दीगोद) : इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अभी जो बातचीत चल रही है वह बूंदी जिले में जो नहर गयी है उसके बारे में चल रही है। लेकिन यह नहर बूंदी में नहीं गयी है, यह नहर कोटा में गयी है, मध्य प्रदेश में भी गयी हुई है और इसकी समस्या कोटा जिले में भी वही है जो बूंदी जिले में है, जैसा अभी बूंदी जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है। नहर के रख-रखाव की बहुत खराब स्थिति है। जितनी नहरें हैं वह मिट्टी से भर गयी हैं, उन नहरों में जंगल उग गया है, अभी भी नहरों से पूरा पानी नहीं चल रहा है। पिछली बार मंत्री महोदय वहां गये थे, एक मीटिंग हुई थी, उसमें इंजीनियर वगैरह सब थे तो उन्होंने यह बताया था कि 38 प्रतिशत पानी व्यर्थ जाता है। इतना पानी व्यर्थ जाता है और वह सारा पानी नदी-नालों में होकर चम्बल में चला जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं है। अन्तिम छोर पर जो जमीनें हैं वहां पर नहर का पानी पहुंचता ही नहीं है और वे लोग पानी से महरूम रह जाते हैं। इस वर्ष वर्षा कुछ ज्यादा हो गयी थी, इस वर्ष बहुत कोशिश करके पानी पहुंचा था लेकिन बड़ी मुश्किल से पानी पहुंचा फिर भी कमाण्ड एरिया के काफी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है। तो इस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस क्षेत्र का, जो चम्बल एरिया डवलपमेंट क्षेत्र है, नहर के रख-रखाव के लिये 25 लाख रुपये साल में मिल जाते हैं और कई वर्षों से यही राशि मिलती आ रही है। तो इसके लिए मैं

(श्री विजय सिंह)

निवेदन करता हूं कि इस वर्ष तो चम्बल एरिया डवलपमेंट के लिए पहले से ज्यादा राशि उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल जी बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का चम्बल कमाण्ड एरिया के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चम्बल कमाण्ड एरिया में एल. एम.सी. और आर.एम.सी. इन दो नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है और आर. एम.सी. नहर द्वारा मध्य प्रदेश तक सिंचाई होती है। नहरें पुरानी होने की वजह से, कच्ची होने की वजह से हर साल इसमें मिट्टी का भराव हो जाता है, सफाई नहीं होती है। इसमें जो प्रतिवर्ष राशि खर्च की जाती है, वह ढाई करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जाते हैं। उस ढाई करोड़ रुपये की राशि में से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य कार्यों में खर्च हो जाते हैं, केवल एक करोड़ रुपया या 75 लाख रुपये का ही कार्य होता है। आर.एम.सी. और एल.एम.सी, जो काफी किलोमीटर तक है, 300 सब माइनर्स निकल गये, कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये का काम प्रतिवर्ष होता है। इस एक करोड़ रुपये के काम से प्रतिवर्ष मिट्टी के भराव का काम होता है, ड्रेनों की सफाई और नहरों की सफाई, वह नहीं हो पाती है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस राशि को बढ़ाकर इसकी सफाई पर प्रतिवर्ष पूरा ध्यान दिया जाये वरना हर टैल पोर्शन पर, दो किलोमीटर तक का एरिया प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, दो किलोमीटर तक के एरिया के किसान हर साल प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान) हां, कह दें, यदि कुछ कहना हो तो। वैसे काफी हो गया है, और आप ध्यान देंगे ही।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या–33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं श्री नन्द लाल मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या–30, जनजाति क्षेत्रीय विकास विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें

: मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,70,05,91,000 (रुपये एक अरब सत्तर करोड़ पांच लाख इकरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री नन्दलाल मीणा)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,38,28,60,000 (रुपये दो अरब अड़तीस करोड़ अट्ठाइस लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

1. विधवा व वृद्धावस्था पेंशन नियमों में सरलीकरण एवं पुत्रों द्वारा पालन पोषण न करने की स्थिति में भी पेंशन दिये जाने हेतु प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

2. झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत वृद्धा आश्रम (सीनियर सिटीजन होम) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. राजस्थान में वृद्ध-अपाहिज, विधवा महिलाओं आदि को समुचित राजकीय सुरक्षा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) :

4. अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

5. पाली विधान सभा क्षेत्र में रोहट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

6. प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा एवं उत्थान हेतु प्रभावी योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

7. अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिये योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

8. राजस्थान में सामाजिक कल्याण सुरक्षा के वर्तमान उपायों से कोई उपलब्धि न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

9. अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विकास तथा सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण सम्बन्धी

(श्री हरिनारायण)

योजनाओं की क्रियान्विति में गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

10. छात्रावासों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

11. वर्तमान वृद्धावस्था, अपंग, विकलांग, विधवा आदि के कल्याणार्थ नियमों में सरलीकरण तथा वर्तमान शर्तों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. शंकरगढ़, पंडरे, पारोली में छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु बजट राशि आवंटन कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जहाजपुर तहसील के खजूरी, चीपलून घोड, टीकड आयरवाणी में छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

14. अलवर शहर में विधवाओं, विकलांगों तथा असहायों को पेंशन तथा राहत देने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. अलवर शहर में अनुसूचित जाति के किराये पर चलने वाले छात्रावास के स्थान पर नया भवन निर्माण हेतु बजट राशि आवंटन कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

16. विधवाओं, विकलांगों तथा असक्षमों को पेंशन आदि राहत देने के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. सिरोही जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के प्रति होने वाले अत्याचारों के निवारण एवं सामाजिक न्याय सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन यापन के लिये निगम द्वारा उपलब्ध ऑटो रिक्शा सुविधा के अन्तर्गत ऑटो रिक्शा दिलवाने में विभागीय असफलता से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

19. शिवगंज नगर मुख्यालय के अनुसूचित जाति के छात्रावास भवन, जो कि पूर्णतया जीर्ण-शीर्ण होकर गिरने के लिये तैयार है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उक्त भवन को गिरवाकर नया भवन निर्माण करवाने हेतु बजट राशि आवंटन करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

20. डूंगरपुर जिले में आश्रम स्कूल जैसे खडलेई, डूंगर सारण को काफी समय तक सरकार द्वारा बन्द रखने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

21. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

22. बाल्मीकि एवं सम्बल योजना के अन्तर्गत 1981 के बजाय 1991 जनसंख्या के आधार पर योजनाएं चयन करने तथा 1991 में बने राजस्व ग्रामों को इन योजनाओं की सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. अनुसूचित जाति के गरीबों को विभिन्न सहायता तथा अनुदान जन प्रतिनिधियों व ग्रामजनों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नियम बनाकर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) :

24. राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के विभिन्न मदों के वर्षवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. प्रदेश में अनुसूचित जाति के विकास हेतु योजनाओं के लक्ष्य पंचायत समिति स्तर पर आबंटित करने एवं हर तिमाही में मौके पर सत्यापन कर सीधा लाभ पहुंचाये जाकर सरकारी राशि का सदुपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में बिजली, पानी, भवन, सामानादि पर विशेष बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

28. प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा हर विभाग में पदानुसार पूरा न करने से व्याप्त असन्तोष, अविश्वास एवं बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

29. विभाग द्वारा विकलांग छात्रों, व्यक्तियों, असहाय, विधवा महिलाओं क्रमशः छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, पेंशन, समय पर नहीं मिलने व अपर्याप्त होने से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

(श्री महावीर भगोरा)

30. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक कोर्सेज हेतु मूल्य सूचकांकों की बढ़ोतरीनुसार छात्रवृत्तियों का प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

31. अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों पर विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों पर किये जा रहे अत्याचारों की रोकथाम हेतु सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

32. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु वर्तमान में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन एवं पुनर्विचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम लि. द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

34. अनुसूचित जाति/जनजाति के द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

35. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान हेतु योजनाओं में आवंटित राशि का समुचित उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

36. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों हेतु खर्च की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी तथा वृद्धों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

38. हर जिला मुख्यालय पर वृद्ध लोगों के लिये भवन बनाने तथा उनके जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. समाज के हर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हैल्थ स्कीम के अनुरूप उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. समाज के हर असहाय व्यक्ति का रहने-खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

41. समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को आर्थिक मदद दिलाये जाने में समुचित सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ड्रेनेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के छात्रावासों की दुर्दशा से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

44. झालावाड़ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने में निष्क्रियता बरते जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

45. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में आई. आर.डी.पी. के अन्तर्गत चयनित लोगों को लाभान्वित करने के स्थान पर सिरपोई एवं सुनेल के मैनेजर द्वारा परेशान करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

46. झालावाड़ जिले में चयनित लोगों को इन्द्रा आवास योजना में बिना 2 परिवार नियोजन के केस दिये बगैर आबंटित नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

47. अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में झालावाड़ जिले को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

48. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के गांव सिरपोई में अनुसूचित जाति की लगभग 600–700 की आबादी वाली बस्तियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने में विभाग के पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

49. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

50. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के हरिजन बस्तियों के विकास की ओर ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

52. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य

(श्री रामनारायण मीणा)

को उपलब्ध करवाई गई राशि का सदुपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

54. निजी उद्योगों में अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. पोषाहार कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

56. अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

57. आमेर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था मुहैया कराने में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों की श्रमिक महिलाओं के बच्चों को उनकी समुचित देखभाल और शिक्षित करने हेतु विभागीय संरक्षण की आवश्यतका पर चर्चा के लिये।

59. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण व ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं के पोषण की व्यवस्था न होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) :

61. विभिन्न सेवा वर्गों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को आरक्षण, नियुक्ति, पदोन्नति संबंधी रोस्टर नियमों की पूर्ति की मोनिटरिंग व्यवस्था कार्मिक विभाग के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (विशिष्ठ संघटक योजना) जो राज्य योजना में एक योजना के रूप में है को एक विभाग बनाया जाकर उसमें अलग बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

63. जिला उदयपुर में आश्रम विद्यालय भवनों की दयनीय स्थिति सुधारने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(139)

(श्री कुबेर सिंह)

64. उदयपुर जिले के अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सुविधा उपलब्ध कराये जाने से विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. आश्रम विद्यालयों में समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

67. असहाय एवं वृद्धजनों के लिये पेंशन में बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को समुचित पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूर्जर (मांडल) :

69. जयपुर स्थित जालुपुरा समाज कल्याण छात्रावास में असामाजिक तत्वों की रोकथाम में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

70. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता को समाप्त करने में त्वरित कार्यवाही कराये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1994–95 में छात्रावासों के लिये स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक जन जाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं जनजाति के व्यक्तियों के समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

2. कुशलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी इलाके में अतिवृष्टि से जीर्ण-क्षीर्ण सड़कें कसारवाड़ी से हिम्मनगढ़, कुशलगढ़ से थादला मध्यप्रदेश, कुशलगढ़ से पाटन, कुशलगढ़ से कोटड़ा, भील कुंआ से मुनाडुगर आदि सड़कों की मरम्मत कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

3. राज्य सरकार द्वारा आदिवासी (जनजाति) क्षेत्र में विकास हेतु सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री फतेह सिंह)

4. कुशलगढ़ क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कुशलगढ़ से भोयन, रामगढ़ से वसुनि, वसुनि से उकावा, भेर से जालीमपुरा, डुगरा से जालीमपुरा, हेजा माल से मदुड़ी, शंकर वाडा से इटाला, पाटने से बड़ी सखा अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

5. राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां दिलाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

6. बांसवाड़ा जिला के आदिवासियों को ग्रामीण क्षेत्र के टिमेड़ा, वसुनि, कोटडा, राणगा, चोरा, सारसेरां आदि मार्गों पर परिवहन निगम की बसें प्रारम्भ करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

7. बून्दी जिले में जनजाति आदिवासी गांवों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

8. सवाई माधोपुर जिले में जनजातियों के विकास हेतु योजना चलाने एवं चल रही योजनाओं में अनियमितताओं को दूर करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

9. जनजाति क्षेत्र में ट्यूब वैल खुदवाने की स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों पर राशि समय पर खर्च न करने एवं लैप्स होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त का पद संभागीय आयुक्त से अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

14. पाली विधान सभा क्षेत्र में भीलों की बस्तियों (खुंटाणी, राखाणां, पाली–हंजावा, सिणगाड़ी, पांचपवरिया) आदि गांवों में जनजाति बस्तियों को सम्पर्क सड़क से जुड़वाने, बिजली एवं पेयजल की सुविधायें उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

15. प्रदेश में आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिये विशेष कार्यक्रम

(श्री जुबेर खान)

बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

16. मंडेसरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में जनजाति का नया छात्रावास खोलकर छात्रों को विकास का अवसर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

17. राज्य के जनजाति क्षेत्र के विकास एवं विस्तार हेतु एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

18. दौसा जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में वांछित प्रगति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) :

19. सहरिया जनजाति के लोगों को विकास का समुचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

20. सहरिया जनजाति समुदाय को 7 प्रतिशत अतिरिक्त देय अंक न मिलने के कारण नियुक्तियों से वंचित रहने की स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

21. गांव दौलतपुरा, बिनायका एवं नलावण बिन्दायला में रोड़ बनवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) :

22. शिवगंज तहसील की ग्राम पंचायत केसरपुरा के गांव खेजडिया तथा वेराजेतपुरा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

23. मावल से वासड़ा तक सड़क एवं मानपुर से उमरनी तक डामर रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) एवं

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) :

24. पिन्डवाड़ा तहसील के ग्राम दिग्राणा, कालीबोर ग्राम लेलपुर क्षेत्र को स्वरूपगंज-कृष्णगंज से ईसरा से दिग्राणा वाया केर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

25. शिवगंज तहसील के अन्तर्गत पालड़ी ग्राम पंचायत के गांव बड़ावेरा, कलद्री, उत्तरा माखली को सड़कों से जोड़ा जावे तथा इन गांवों में शुद्ध पेयजल, चिकित्सा एवं अन्य रोजगार आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए ।

26. सिरोही जिले की गिरवर पंचायत से पाट नारायण मन्दिर वाया आश्रम स्कूल गिरवर सड़क एवं पुलिया निर्माण करने के सम्बन्ध में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

तथा आबू पर्वत-गुलाबगंज (सिरोही) मार्ग को जोड़ने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाडा) :

27. ग्राम पंचायत कोजरा तहसील पिन्डवाड़ा से लाज (शिवगढ़) ग्राम को डामर सड़क से जोड़ने तथा ग्राम शिवगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा के लिये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

28. सिरोही जिले के निर्धन एवं भूमिहीन जनजाति के लोगों को खेती लायक जमीन आबंटन करने तथा आवासीय समस्या तथा वन विभाग सम्बन्धी विवादों का निराकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) :

29. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्थान पर जनजाति स्वायत्तशासी परिषद् के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत राशि का खर्चा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बसीचन्द (दानपुर) :

31. बांसवाड़ा जिले में जनजाति के परिवारों की छोटे चकों में स्थित जमीनों के लिये सिंचाई सुविधा हेतु ट्यूबवेल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) :

32. जनजाति क्षेत्रों के विकास में केन्द्र द्वारा निर्देशित मापदण्डों के अनुरूप उपयोजना को चलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

33. जनजाति क्षेत्रीय विकास में भारत सरकार द्वारा अनुदेशित कार्यक्रम नहीं अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

34. जनजातीय क्षेत्रों में वर्षों से चल रहे छात्रावासों के भवनों के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

35. जनजाति एवं माडा क्षेत्रों में विद्यालयों एवं चिकित्सालय भवनों हेतु राशि का प्रावधान किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. माडा एवं जनजाति ग्रामों की परिभाषा तथा मापदंड में समानता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. माडा क्षेत्र के ग्रामों में पाइप लाइन तथा बस्तियों के विद्युतीकरण की

(138)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

धनराशि माडा बजट से देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

38. माडा क्षेत्र के अन्तर्गत 5 किलोमीटर तक की ग्रामीण सड़कों के लिये प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. 1991 की जनसंख्या के अनुपात में माडा क्षेत्रों में नये ग्राम मापदंड के अनुसार घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) :

40. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहायतार्थ योजनाओं में पहले चयन कर पंचायत स्तर पर केम्प लगाकर ग्राम मजमें में दिये जाने से भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं अनियमितताओं पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. जनजाति क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर सामाजिक असमानता दूर करने में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. जनजाति क्षेत्रों में महिला विकास की स्थानीय स्तर पर रोजगारोन्मुखी योजनाएं बनायी जाकर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानता को बढ़ावा देने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. जनजाति विकास योजनाओं को अधिकारियों तक ही न रखकर प्रजातन्त्र में जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से भी सलाह लेकर बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. बून्दी जिले में माडा योजना, बिखरी जाति योजनाओं पर होने वाले व्यय में संशोधन कर माडा के तहत आने वाले ग्रामीणों को सामूहिक विकास एवं सुविधाओं (जैसे सड़क, विद्युत, एनीकट, खरंजा आदि) की स्वीकृतियां दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

45. जनजाति के कृषक परिवारों को कृषि उन्नयन हेतु सिंचाई के प्राकृतिक स्रोतों को विकसित करने एवं दी जा रही वर्तमान सुविधा सही रूप से कृषकों तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46. जनजाति के व्यक्तियों के लिये स्थायी रोजगार के अवसर विकसित करने में विभाग के प्रयासों में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

47. जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु तकनीकी, सामान्य, प्रोफेशनल एवं व्यावसायिक शिक्षा

(139)

(श्री महावीर भगोरा)

एवं बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जनजाति आयुक्त कार्यालय में विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी निर्वहन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों एवं मानदण्डानुसार कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) :

50. माडा योजना में शामिल किये जा रहे विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभाग द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

52. जनजाति बाहुल्य पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के सुनेलनगर में किराये के भवन में चल रहे छात्रावास के लिये भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

53. ग्राम कल्याणपुरा तहसील नैनवां के आदिवासी कृषकों को मेज नदी से लघु सिंचाई योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. जनजाति विकास एवं कृषि प्रोत्साहन के लिये विद्युत सम्बन्धों के लिये विद्युत मण्डल द्वारा जारी डिमान्ड नोटिस की राशि विभाग द्वारा वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. माडा योजना क्षेत्र के ग्राम रायथल (बून्दी) में आयुर्वेद औषधालय खुलवाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. माडा योजना क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की अनुसूचित जनजाति महिलाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम में विशेष प्रोत्साहन दिलाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बून्दी शहर के मास्टर प्लान में जनजाति के व्यक्तियों के आवास के लिये भूमि निर्धारित कर आवासीय योजना बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

58. तहसील आमेर के पूर्वी क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी

(140)

(श्री गोपीराम जाट)

विभाग द्वारा पोषण कार्यक्रम हाथ में न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. तहसील आमेर के पूर्वी क्षेत्र के अ. ज. जा. बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी आवासीय भवन, जलापूर्ति, वानिकी, पशुपालन आदि किसी भी मद में निगम द्वारा मदद न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. तहसील आमेर के पूर्वी क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी वहां की शालाओं के लिये भवन, खेलकूद, कला संस्कृति पर किसी प्रकार का व्यय न करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. तहसील आमेर के पूर्वी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी भूमि सुधार, लघु सिंचाई आदि के लिये राजस्थान अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा किसी प्रकार की मदद न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. तहसील आमेर के पूर्वी क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित 80% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में सड़कों के अभाव में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उत्पादन की लागत न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) :

63. जनजाति क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को विकास योजनाओं का समुचित लाभ उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. माडा योजना का उदयपुर जिले में समुचित लाभ आदिवासियों को नहीं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) :

65. पिंडवाड़ा, आबू के आदिवासी ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था सुलभ कराने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पिंडवाड़ा तहसील के आमली व भूला ग्राम पंचायत में नये आश्रम छात्रावास खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा, आबू के आदिवासी ग्रामों को सड़कों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. पिंडवाड़ा तहसील के जनजाति क्षेत्र में अचपुरा ग्राम के बनास नदी पर छोटे-छोटे पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा को टी. ए. डी. में सम्मिलित कराने की विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) :

70. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर में नये आश्रम विद्यालय खोलने हेतु

(श्री फूलचन्द)

बजट में समुचित प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर में सड़कों के निर्माण कराने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के निम्न स्तर को ऊपर उठाने में विभाग द्वारा कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य तौर पर सरकारी सेवा में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

75. माडा योजना में चयनित गांवों में विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

76. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी, दौलतपुरा, बगड़ी में आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

77. डूंगरपुर जिले में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सड़कों पर धनराशि खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 33 एवं 30 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत । (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय सीमा में अपनी बात रखने का प्रयास करें । 7 मिनट और ज्यादा से ज्यादा एक मिनट और बढ़ायें तो 8 मिनट । (व्यवधान) 15 मिनट में तो आपके 3 लोगों के नम्बर आयेंगे । तीन कांग्रेस के और तीन बी. जे. पी. के आ जायेंगे । 40-40 नाम दोनों तरफ से हैं । इसलिए गागर में सागर भरने की चेष्टा करें । थोड़े समय में ज्यादा बात कहें ।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, समाज के कमजोर और दरिद्र वर्ग के लिये शासन का और राज का यह कर्त्तव्य है कि समाज के कमजोर और कम विकसित समाज के लिये बजट का आबंटन हो, उसके लिये योजनाएं बनें ताकि कमजोर वर्ग समाज के अन्दर विकसित वर्ग के बराबर आ सके । यही इसके पीछे की भावना रही । हालांकि राजस्थान का इस बार का जो भी बजट बना, उसके अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति का विशेष ध्यान रखा गया है और इससे यह सम्भावना बनती है कि जो मूल उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने और आगे लाने का, वह कुछ न कुछ हद तक सफलीभूत होगा । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार की बजट घोषणा में अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज कल्याण विभाग के अनेक प्रकार के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिये जो हजारों की संख्या में हैं, जो छात्रवृत्ति है

(142)

(श्री टीकमचन्द कांत)

या छात्रों के ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, उन छात्रावासों में प्रति छात्र सीधी 100 रुपये की वृद्धि हुई है। मुझे याद है पिछली सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन के पूर्व, उस समय होस्टल के अन्दर, छात्रावासों के अन्दर एक छात्र के ऊपर करीब 150 रुपये था, उसे बढ़ाकर 250 रुपये किया गया और इस बार 350 रुपये किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात का कि कमजोर वर्ग के छात्र के रहन-सहन, उनकी सुख सुविधाएं उन छात्रावासों में रहते हुए बढ़ेंगी तो वे पढ़-लिखकर आगे आयेंगे और जो मूलभूत उद्देश्य है कि यह वर्ग आगे आये, वह पूर्ण होगा।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, छात्रावासों के टूटे हुए भवन वर्षों से कहीं किराये के भवनों में चलते थे, कहीं छात्रावासों की मरम्मत नहीं हो रही थी, छात्र पशुवत जिन्दगी गुजार रहे थे, उसकी जगह कोई दहाई की संख्या में नये छात्रावास बन रहे हैं। मैं इसके लिये भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन वर्गों के छात्रों के लिये अच्छे भवन उपलब्ध हुए, उनमें रह कर वह अपनी पढ़ाई ढंग से कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत छोटी-छोटी हैं लेकिन असर बहुत करती हैं। इससे पूर्व छात्र के जीवन में, समाज के जीवन में, मैले-कुचैले गूदड़ों के बीच में समाज कल्याण के होस्टल में छात्र रहते थे। सरकार ने उनके लिये विचार किया, उन लोगों की खाटें बदली गयीं, उनके बिस्तर बदले गये, उनके लिये नयी चादरें लायी गयीं, ठीक ढंग से छात्र रह सके इसके लिये भी प्रयास किये गये समाज कल्याण विभाग की तरफ से।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 37 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कम्पीटिशन में छात्र तैयारी कर प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे आ सकें इसके लिये डाक्टर अम्बेडकर और वाल्मीकी के नाम से प्रशिक्षण केन्द्र जो प्रत्येक जिले में स्थापित हुए हैं, उनके माध्यम से इस वर्ग के व्यक्तियों को, नवजवानों को तैयार होकर आगे आने का मौका मिलेगा। उचित ढंग से वह प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज के अन्य वर्गों के साथ स्पर्धा कर सकेंगे और सरकारी सेवाओं में या अन्यत्र वह नौकरी भी प्राप्त कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी इसी विधान सभा के अन्दर, कोई भी सरकार जब प्रतिबद्ध होती है, कमजोर वर्ग को जब तक ऊपर उठाया नहीं जायेगा तब तक समाज का विकास या उन्नति, जिसे सामूहिक कहते हैं, वह सम्भव नहीं। 45 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम है, उससे पूर्व में ऐसा कदम न तो किसी ने विचारा, न किया। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र का वह आदिवासी जो नौकरी सम्भवतया प्राप्त नहीं कर सकता था, आप उसके लिए 45 प्रतिशत, एक वर्ग विशेष को नौकरियों के अन्दर स्थान मिलेगा, यह बहुत उचित और सराहनीय कदम है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): नौकरी की वैकेन्सीज कितनी हैं वहां पर ?

श्री अध्यक्ष : जो भी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप खुद ही उस बैल्ट से आने वाले हैं जो आदिवासियों का बैल्ट है। पापुलेशन राजस्थान में 81 प्रतिशत इन बांसवाड़ा....

श्री अध्यक्ष : यह घारीवालजी को ही पता है।

श्री परसराम मदेरणा : 76 प्रतिशत इन डूंगरपुर, 54 प्रतिशत इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और भीखा भाईजी, एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे, कोई भी आई. पी. एस. और आई ए. एस बना है क्या ?

श्री टीकमचन्द कांत : वर्षों तक आपकी छत्रछाया में रहने का फल प्राप्त हुआ है उन्हें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : फिर घूम-फिर कर हमारे पर दोषारोपण मत कीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय।

श्री परसराम मदेरणा : और इसीलिए मैंने मेरे स्पीच में 19 तारीख को यह बात कही थी कि पांच साल तक हम देखना चाहते थे कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं। आपकी उपलब्धि है बिग जीरो और इसलिए आप जरा यह वाहवाही के तारीफ के पुल मत बांधिये। यह आत्मप्रशंसा आपको ले डूबेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री बनने के लिए कम्पीटिशन भी बहुत टफ है।

श्री रामस्वरूप : ऐसे मंत्री नहीं बनोगे, ही बात कहो।

श्री परसराम मदेरणा : आप अभी शिक्षण के बारे में कह रहे हैं, प्रशिक्षण होगा। आपको किसने प्रशिक्षण दिया ? आप इतने प्रतिभावान हैं, बिना ट्रेनिंग के ही आदमी, वह तो अन्दर कुछ होना चाहिए, प्रशिक्षण से तो ऊपर-ऊपर ही कुछ थोड़ा-बहुत हो सकता है।

श्री रामस्वरूप : भंवर लालजी से ट्रेनिंग लो।

श्री अध्यक्ष : आपका भी टर्न आयेगा अभी बोलने का। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वैसे आपको एडिशनल डिप्टी मिनिस्टर बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय, बोलने दें। इनको जो समय सीमा दी गयी है वह उससे ऊपर हो जावेगी।

श्री टीकमचन्द कांत : 'बजट–एक अध्ययन' के पेज नम्बर 58 पर या अन्तिम पेज पर मैंने अध्ययन किया है और उसके अन्दर स्वीकृत पदों की संख्या देखी, 1990-91 में और 1994-95 में, तो मुझे करीब 90 हजार स्वीकृत पदों में अन्तर लगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार साल के अन्दर 90 हजार नये पद सृजित हुए या स्वीकृत हुए और इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर इन 90 हजार लोगों को नौकरियां मिली। जहां तक आरक्षण का सवाल है, तो इसमें उम्मीद तो यह की जाती है कि अगर 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है तो 14 हजार लोगों को नौकरी मिली होंगी, अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत आरक्षण होता है तो उन्हें भी 10 हजार 800 नौकरियां मिली होंगी। लेकिन आरक्षण के प्रश्न की बात पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, मैं इस

(145)

(श्री टीकमचन्द कांत)

आर्थिक उद्देश्य से किये जाने वाले कार्यों की ओर आपका और सदन का ध्यान ला दूं। सन् 1979–80, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात्....

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य, यह राजस्थान के चारों-पांचों विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति का कितना आरक्षण का कोटा बनता है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप मंत्रीजी से पूछ लेना। अभी इनको अपनी बात कहने दें।

श्री टीकम चन्द कांत : सर्वेक्षण हुआ, इस बात का विश्लेषण हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर इतने रुपये खर्च करने के बाद भी, इतना आरक्षण देने के बाद भी, इतनी नयी-नयी योजनाएं बनने के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति एक विशेष रेखा से ऊपर अभी तक नहीं आ पायी है और प्रतिशत या अनुपात के अन्दर जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। इधर तो अनुसूचित जन जाति विकास योजना थी, अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्दर इस योजना का सीधा अभाव था। 1979–80 के अन्दर यह तय किया गया कि एक विशिष्ट संगठक योजना इसके लिए लागू की जाए। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस. सी. पी.) और उसके अन्दर यह तय किया गया, प्रत्येक राज्य अपनी योजनाओं के अन्दर, वार्षिक योजना के अन्दर 17 प्रतिशत राशि प्रत्येक विभाग के अन्दर, वह अलग रिजर्व रख कर अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ, अनुसूचित जाति के विभाग द्वारा की जाने वाली योजनाओं के अन्दर ही खर्च करे। और 1980–81 में इस राजस्थान प्रदेश ने भी इसे स्वीकार किया। प्रारम्भ की बात है अध्यक्ष महोदय, 1980 और 1981 के अन्दर जब इसे प्रारम्भ किया गया तो उसका प्रवाह मात्र 2.57 प्रतिशत था। बहुत कम था। लेकिन उसके बाद में कुल मिलाकर अगर छठी पंचवर्षीय योजना का हम आकलन करें तो इस विशिष्ट संगठक योजना के माध्यम से इसका प्रवाह 9.56 प्रतिशत ही पहुंच पाया। अध्यक्ष महोदय, सातवीं योजना में आते-आते थोड़ी वृद्धि हुई लेकिन 1990–91, 1991–92 और अभी के इन सालों के अन्दर

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल, एट्थ प्लान के।

श्री टीकमचन्द कांत : इसका प्रवाह 17 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सका लेकिन 16 प्रतिशत के नजदीक पहुंच गया। इसलिए मानता हूं कि राजस्थान सरकार के यह प्रयत्न, यह प्रयास....

श्री परसराम मदेरणा : रुपये का डिवेल्यूएशन हो गया 32 प्रतिशत।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं प्रतिशत की बात करता हूं, श्रीमान्।

श्री परसराम मदेरणा : 16 प्रतिशत तो यह हुआ, 32 प्रतिशत रुपये का डिवेल्यूएशन।

श्री टीकमचन्द कांत : रुपये भी बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने चाहा है तो बता दूं। 1980

(श्री टोकम चन्द कांत)

और 1985 के मध्य जो विशिष्ट संगठक योजना की राशि थी वह कुल 203 करोड़ थी, पांच साल की। 1985 से 1990 तक 426 करोड़ पांच साल में, उसके बाद स्वभावतया राजस्थान की योजनाओं का आकर बढ़ा, वार्षिक योजनाओं के अन्दर तीव्र गति से वृद्धि हुई। केन्द्र सरकार ने वित्तीय प्रबन्धों की प्रशंसा करते हुए राजस्थान की योजना का आकार बढ़ाने के साथ-साथ इस विशिष्ट संगठक योजना का आकार भी बढ़ाया और उसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति को 17 प्रतिशत के हिसाब से हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : यह एस. एस. ओ. प्लान का पार्ट ही नहीं, अब इसका प्लान और आकार भी बढ़ा है।

श्री टीकम चन्द कांत : योजना का भार, जो एस. सी. पी. का भार है राजस्थान में..

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम होना चाहिए कि एक साल में, 1994–95 में स्पेशल स्कीम के लिए जो फण्ड्स इयरमार्क किये थे गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने, पहले थे तीन हजार करोड़ रुपए, उन्होंने उसको बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपए किया और इस साल जो बढ़ा है वह ज्यादा प्रपोर्शनेट नहीं बढ़ा है, सात सौ कुछ करोड़ बढ़ाया है। इसलिए सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में कई जगह आपका 80 प्रतिशत गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा है, 20 प्रतिशत आपका बेसिक कंट्रीब्यूशन है, कई जगह डेजर्ट डवलपमेंट में 100 प्रतिशत है। इसलिए स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन का जो पैसा आ रहा है वह प्लान में खर्च नहीं हो रहा है, जनाब।

श्री टीकम चन्द कांत : मैं विशेष प्रयोजन से इस बात की ओर आ रहा हूं। मेरा आशय आपको अभी मालूम पड़ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशिष्ट संगटक योजना की बात कर रहा था और मैंने कहा कि यह राजस्थान की या राज्य की योजना के अन्दर एक योजना है। अब इतना रुपया, आज हमने तय कर लिया कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुल 1784 करोड़ रुपया इस विशिष्ट संगठक योजना के माध्यम से ही मात्र जायेगा। विभागों का 17 प्रतिशत हिस्सा जो बनेगा वह और उससे सीधे सात लाख परिवार अनुसूचित जाति के प्रभावित होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत निकट से इसको देखा है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी राशि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर से निकलने वाली, राजस्थान राज्य की पूरी योजना की राशि के अन्दर 17 प्रतिशत राशि निकलने वाली और उस राशि का उपयोग विभाग अपनी मनमर्जी से करता है, वह कितना पूर्ण है इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कारण से पिछली बार भी हमने मांग की थी कि जिन उद्देश्यों से यह विशिष्ट संगठक योजना तैयार की गयी है, अन्य प्रान्तों के अन्दर, हिन्दुस्तान के छह-सात प्रान्तों के अन्दर इसका बजट हैड अलग है। मैं यह चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने मांग की थी और इस बार भी मैं मांग कर रहा हूं कि अनुसूचित जाति तक अगर यह पैसा ठीक ढंग से पहुंचाना चाहते हैं, इन पैसों से उनके

(श्री टीकम चन्द कांत)

हितों की ही योजना अगर बनाना चाहते हैं और इस वर्ग को हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो आवश्यक यह होगा कि इस एस. सी. पी. का बजट हैड अलग हो तब कहीं जाकर ही जो कुछ भी मैं बात कह रहा हूं वह संभव हो सकती है, नहीं तो फिर आंकड़े तो बराबर किये जा सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं। 17 प्रतिशत हमने कह दिया कि एस. सी. पी. में इतना खर्चा हुआ है, यह किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का सम्बन्ध सीधा इस कमजोर वर्ग से है। पहले तो यह आरक्षण राजनीति का हथियार बना। आरक्षण संविधान के अन्दर दी हुई व्यवस्था है, एक अधिकार है। संविधान के उन क्षेत्रों के अन्दर उसकी व्याख्या की गयी है उसको आवश्यकता माना गया लेकिन धीरे-धीरे यह आरक्षण इस समाज की आवश्यकता न होकर राजनीति का सिर्फ हथियार बन गयी। कभी गुजरात में आन्दोलन हो गये हैं इस आरक्षण के नाम पर, कालेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण के नाम पर आन्दोलन हुए हैं, कभी किसी राजनैतिक नेता ने अपना हथियार इसको बनाना चाहा लेकिन आज आरक्षण आवश्यकता है इस समाज की। विचार करें सब राजनीति के लोग, अगर समाज को समग्र रूप से ऊपर नहीं लाया गया तो समाज पूर्ण विकसित नहीं हो पायेगा। एक भवन की भी अगर हम बात करें, अगर भवन का एक भी हिस्सा कमजोर होगा तो भवन पूर्णरूपेण अपने आप में कमजोर हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बड़ी मोटी जंजीर है, उसकी हम कल्पना करें और उसके अन्दर एक या दो कड़ियां भी अगर कमजोर रह गयी तो वह जंजीर अपने आपमें कमजोर हो जायेगी। इसलिए यह आरक्षण की व्यवस्था उस भवन को पूर्ण रूप से मजबूत बनाने की बात है। उसका एक भी हिस्सा अगर कमजोर है तो उसको मजबूत बनाने की बात है। इस समाज रूपी जंजीर की एक भी कड़ी अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने की बात है। आरक्षण व्यवस्थाओं के नाम पर कई आन्दोलन हुए लेकिन समाज को समझना पड़ेगा, यह आरक्षण आवश्यक है। विश्व के अन्दर और चीज तो हमने देखी, वर्ग हमने देखे, सिर्फ आर्थिक आधार पर वर्गों का बंटवारा हो गया। पश्चिम वगैरह में जिसके पास पैसा है वह किसी को भी खरीद सकता है लेकिन यहां तो गांवों में जीने वाला भारत है, इतने वर्षों के बाद भी हम इस जाति प्रथा से ऊपर नहीं आ सकते। पढ़ा-लिखा छात्र आज कह सकता है कि कालेज के अन्दर, यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई छुआछूत नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, हमारे अन्दर कोई भेद नहीं लेकिन जब गांवों के अन्दर हम जाकर देखेंगे तो आज भी उस कमजोर वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए वह उचित स्थान नहीं मिलता। आज भी अखबारों के पन्ने भरे पड़े मिलेंगे। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को घोड़ी पर से, जो दूल्हा बना बैठा था, उतार दिया क्योंकि उसने बाजे बजाये थे। इसी कारण से उसके ऊपर अत्याचार हो गया, गांव वालों का हमला हो गया। इस प्रकार का वातावरण आज भी इस देश के अन्दर, गांव के समाज के अन्दर है। इसी कारण से यह भी आवश्यक हो गया है कि इसको एक नयी दृष्टि से देखा जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें ।

श्री टीकम चन्द कांत : मुझे बात कहने दें, साहब । I am the first man from the treasury side.

श्री हरिसिंह (महुआ) : यहां तो कोई और बोलने वाला है ही नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले आर्थिक आरक्षण की बात कही, अब यह पालिटिकल आरक्षण पर आये हैं । इस पाइंट को आप लोजिकल कन्क्लूजन तक ले जाइये । यह सब हाथों के आडम्बर में, आप कहना क्या चाहते थे ? यह मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप विराजें ।

श्री टीकम चन्द कांत : मैं यह चाहता था कि आरक्षण का सिर्फ इस पोलिटिकल....

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों का रिजर्वेशन पहली दफा हुआ है । आप उस रिजर्वेशन से ही यहां सदन में आ रहे हो 54 या 56 सीटें लेकर, लेकिन पंचायतों का रिजर्वेशन होने के बाद में जो आज स्टेट्स शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को मिला हैं उसके अनुरूप सरकार उनको शक्तियां और अधिकार देने की बात सोचती है क्या ? You are in power. यह तो आपके सोचने की बात है उस पर जरा प्रकाश डालिये आप ।

श्री टीकम चन्द कांत : मुझे तो समाहित करना है थोड़े से समय में, कुछ प्रकाश तो मैं आपसे ले लूंगा और आगे फिर डाइवर्ट कर दूंगा । समाज का चिन्तन थोड़ा बदले उसके लिए मुझे यह प्लेटफार्म ठीक लगा । इसी कारण से मैंने निवेदन किया । एक बात मैं और चाहता हूं । आरक्षण की व्यवस्था राजनैतिक क्षेत्र में भी रही और सरकारी सेवाओं में भी रही । राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर आरक्षण के लिए कानूनन या संवैधानिक इतना बड़ा आधार था उसके पास में या उसके पीछे बैक था कि किसी अनुसूचित जाति का एम. एल. ए. जहां से चुनाव लड़ सकता है, वहां से कोई अन्य सवर्ण व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से जहां कोई एम. एल. ए. या एम. पी. चुनाव लड़ सकता है वहां से अन्य कोई नहीं लड़ सकता लेकिन जहां तक नौकरियों का सवाल है प्रतिशत तो जरूर बता दिये गये लेकिन वह प्रतिशत पूरे नहीं होने पर भी उस जगह पर दूसरे व्यक्ति को सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है । इसके पीछे कानून या शायद शक्ति या बल इस आरक्षण में नहीं रहा, यह भी एक कारण रहा है ।....

श्री परसराम मदेरणा : कब की बात कह रहे हो ?

श्री टीकम चन्द कांत : मैं अब की बात नहीं कह रहा हूं ।

(16.00)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, क्या केरी-फार्वर्ड है उसमें ?

श्री टीकम चन्द कांत : हां, केरी-फार्वर्ड है, सर । मैं उस पर भी अभी आता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : केरी-फार्वर्ड और क्या है, वेकेंसी एक साल रह गयी है..

(1458)

श्री टीकम चन्द कांत : मैं मानता हूं, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : अगर 5 वैकेंसी हैं तो दूसरे साल 5 और 5=10 हो गयीं। केरी-फारवर्ड का सिद्धान्त तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है।

श्री टीकम चन्द कांत : केरी-फार्वर्ड होने के बाद के अन्दर पिछले साल भी ....

श्री परसराम मदेरणा : आपकी सरकार ने केरी-फार्वर्ड के आदेशों को समाप्त कर दिया क्या? यह डिसीजन जो लिया हुआ है यह कांग्रेस सरकार का था। यह अब है कि नहीं? अगर है तो केरी-फार्वर्ड होगा।

श्री टीकम चन्द कांत : केरी-फार्वर्ड होने के बावजूद भी वह पूर्ण नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष की बात थी। फिर उन्होंने कहा तीन वर्ष नहीं, तीन चयन वर्ष। एक चयन वर्ष नहीं हो पाया तो दूसरा चयन वर्ष। ज्यादा से ज्यादा तीन चयन वर्ष तक भी अगर उस जगह अनुसूचित जाति का व्यक्ति, हमने कह दिया कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला और कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ यही करना होता है कि योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं तो उसके बाद वह जगह भरी जा सकती थीं। उस जगह नियुक्ति दूसरे को दी जा सकती थी। एक इसी कारण से उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा ...

श्री परसराम मदेरणा : अब तो आरक्षण क्या करेंगे? अब तो ठेकेदारी से काम चला रहे हैं। अब तो निजीकरण का ही मा..ला कर दिया सरकार ने, सब जगह, सभी डिपार्टमेंट्स में।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय समाज कल्याण विभाग स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मना रहा था और उसने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती पर राजस्थान के अन्दर वर्ग एक की कुल संख्या 3584 थी। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, आप भी ध्यान दें, अनुसूचित जाति के लिये उसमें 202 थी, प्रतिशत बैठता है 5.63, अनुसूचित जनजाति की 83 थी उस 3584 में से प्रतिशत बैठता है 2.31 (व्यवधान) तीन एक, श्री एक नहीं। पाइंट के बाद में थर्टीवन बोलते नहीं, तीन एक बोलते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : दशमलव कह दो। अब यहां तो हिन्दी बोल रहे हो फिर बीच में पाइंट लगा रहे हो।

श्री टीकम चन्द कांत : वर्ग दो की संख्या 32646 थी राजस्थान के अन्दर, अनुसूचित जाति की 1730 थी और उसका प्रतिशत 5.3 बैठता है। अनुसूचित जन जाति की 1284 थी और उसका प्रतिशत 3.93 बैठता है। यह एक अवस्था है। मैं चाहूंगा कि सदन के सामने ये अवस्थाएं आयें। मैं वर्षवार चल रहा हूं। वर्ष 1981–82 में सेवा के अन्दर कुछ लोगों का चयन किया जा रहा था। मैं दो सेवाओं की बता रहा हूं। राजस्थान वन सेवा के अन्दर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद थे और आवेदन 43 आये थे लेकिन 43 में से 3 ही लिये गये 4 नहीं लिये गये। अकाउण्टेंट के लिये उस समय 22 पद थे आवेदन 281 आये थे परन्तु अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर मात्र 2 लिये गये। मैं कहता हूं कि थोड़ा इस पर सोचें कि यह मामला कहां जाकर पहुचेगा। साक्षात्कार के द्वारा ही भर्ती

(श्री टीकम चन्द कांत)

होनी थी। सिर्फ साक्षात्कार के द्वारा, कोई परीक्षा वगैरह नहीं थी। भेड़ व ऊन विभाग के अन्दर 15 पोस्ट थी, 15 नियुक्तियां करनी थीं मतलब उसकी संख्या 15 थी परन्तु उसके अन्दर एक लिया गया। अध्यक्ष महोदय, भू-जल विभाग के अन्दर तीन जगह थी, एक भी नहीं लिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति विद्युत निरीक्षक की एक जगह थी, खैर, वहां तो लेने का प्रश्न ही नहीं था, नहीं लिया। 1983 और 1984 के अन्दर आबकारी के अन्दर सिर्फ साक्षात्कार के द्वारा भरे जाने वाले पद थे उसमें एक भी नहीं लिया गया। गृह सुरक्षा के अन्दर एक भी नहीं लिया गया। प्राथमिक और सैकण्डरी शिक्षा के अन्दर 38 पद थे उसके अन्दर 18 लिये गये। भेड़ ऊन विभाग ...

श्री परसराम मदेरणा : कौन से साल में ?

श्री टीकम चन्द कांत : मैं 1984 की बात कर रहा हूं। भेड़ ऊन विभाग में एक भी नहीं लिया गया। मैं आपके सामने थोड़ा आंकड़े रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी इस वर्ग की थोड़ी सहायता करें और किसी न किसी प्रकार से इस राजस्थान के अन्दर जिस प्रतिशत के अन्दर हमारी मांग है वह पूरी की जा सके।

श्री परसराम मदेरणा : मांग तो हमारी बैकवर्ड क्लासेज की थी। ज्योंही वी. पी. सिंहजी ने मण्डल की वात की, आपने उसकी खिलाफत में कमण्डल चालू कर दिया राम रथ के नाम से।

श्री टीकम चन्द कांत : मण्डल के साथ में कमण्डल आना ही था, साहब। अध्यक्ष महोदय, 1984-85 में पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा हुई थी जिसमें 17 पद अनुसूचित जाति के लिए थे, 12 पद अनुसूचित जन जाति के थे परन्तु उसमें 5 अनुसूचित जाति के लिये और जहां 12 पद अनुसूचित जन जाति के थे, वहां एक पद अनुसूचित जन जाति को भी दे दिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन राजस्थान में एक ही लेडी एडिशनल एस.पी. है। वह शिड्यूल्ड कास्ट की है। यह बात क्यों भूल जाते हो।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचारणीय बिन्दु रहता है कभी-कभी। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1983 में कुल पद थे 197 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जन जाति के लिए 208 थे, बैक-लॉग लिया होगा शायद उसमें....

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अब की बात बताओ न।

श्री टीकम चन्द कांत : रामस्वरूपजी, सोचने वाली बात है। पहले तो आप भाजपा में ही थे।

श्री रामस्वरूप : बताओ न अब की बात।

श्री टीकम चन्द कांत : पहले तो भाजपा में ही थे। बात करते हो अब की। (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : कौन थे भाजपा में ?

श्री टीकम चन्द कांत : पहले भाजपा में ही थे।

एक माननीय सदस्य : आपको जानकारी भी नहीं है क्या ? यह पहले बी. जे. पी. में थे।

श्री रामस्वरूप : बताओ न आप। (व्यवधान) भ्रष्टाचार की मैं बताऊंगा। मैं खोलूंगा आपकी पोल, तब पता लगेगा। तब देना जवाब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : अब क्या कह रहे हो एस. सी. और एस. टी. के लिए ? रिजर्वेशन को खतम करने की योजना बना रहे हो आप लोग और आज बात करते हो एस. सी. और एस. टी. की।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये आप। एजीटेटेड होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका भी टर्न आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भाजपा में थे। गड़बड़ यह थी कि आपका किरदार बहुत गलत था। कथनी और करनी में अंतर था। यह पोल देखी, इन्होंने कहा कि यह सब बिलकुल पोल है। यहां यह बातें ज्यादा कर रहे हैं और इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। इसलिए कांग्रेस में आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) बोलिये माननीय।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1983 में 197 अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के 208 पद थे। आप आश्चर्य करेंगे, पूरा सदन आश्चर्य करेगा कि उन 197 पदों में से एक पद भी नहीं भरा गया अनुसूचित जाति से और 208 पद जो अनुसूचित जन जाति के थे, उनमें से एक भी पद नहीं भरा गया। आरक्षण का मतलब क्या हुआ ? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं केन्द्र की सरकार को, नहीं केन्द्र के प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, केन्द्र सरकार चाहे कोई भी रही हो, ज्यादातर कांग्रेस की रही, दो-एक बार दूसरी सरकारें भी आयीं लेकिन केन्द्र का रवैया था, प्रशासन का इस मामले में कुल मिलाकर उसके अन्दर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जो भी रिजर्वेशन किया, आरक्षण के जो भी पद थे, पूर्णतः भरने की कोशिश की। 100 पर्सेण्ट नहीं तो 95 पर्सेण्ट तक तो वे पहुंचे। इसी कारण से मैं आपको थोड़ा सा इसमें उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के 1964 से 1980 तक की अवधि तक जो भी पद थे, जितने भी पद थे, उसमें से 95.86 भरे गये। सैण्ट्रल गवर्नमेंट.... (व्यवधान) .. या तो हमारे प्रशासन में कहीं गड़बड़ी है या हमारा कार्मिक विभाग यह कर नहीं पा रहा है, बाकी नियम तो सारे सब जगह एक से होने चाहिए। अगर केन्द्र सरकार के अन्दर सारे पद भरे जा सकते हैं तो राजस्थान के अन्दर क्यों नहीं ? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहां गड़बड़ है, कहां खामी है ? या तो उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, जिसको कहते हैं कि बहुत वर्षों तक रही, उसकी राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा। इसी कारण से....(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ : राजनैतिक नीयत में खोट थी।

श्री टीकम चन्द कांत : अनुसूचित जाति व जन जाति ने कांग्रेस को वोट देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। आप लोगों ने पत्थर खड़ा किया तो भी वोट दिये (व्यवधान) तो भी दिये हैं लेकिन इस राजस्थान के अन्दर वह परम्परा नहीं डाल पाये कि जो आरक्षित पद हैं वे उसी वर्ग से भरे जाने चाहिए, वह परम्परा नहीं डाल पाये।

नेता महोदय, आप भी ध्यान दें। भारतीय पुलिस सेवा के 1964 से 1980 तक पद भरे गये। अनुसूचित जाति का जहां तक सवाल था, 95.90 पर्सेण्ट और अनुसूचित जन जाति का जहां तक सवाल था, 96.47 पर्सेण्ट, यह पद भरे गये। केन्द्र में भरे गये, राजस्थान के अन्दर भरे नहीं गये, राजस्थान की हालत मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूं। यह हालत है। यह ऐसा क्यों हो रहा है, कहां गड़बड़ी हुई है ?

एक माननीय सदस्य : इनकी नीयत में खोट थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : फिर भी समाज कल्याण मंत्री आपकी बात नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर . कम्प्यूटर लगा हुआ है, सब नोट हो रहा है।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, रोस्टर प्रणाली, जोन ऑफ कंसीडरेशन, विचारणीय सीमाएं और इण्टर-सी सीनियोरिटी लिस्ट; इन सारी चीजों के होते हुए भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोटा नहीं भरा गया। वर्षों-वर्ष हो गये, आज तक भी कोटा नहीं भरा गया है। पिछली बार हमने कहा था जो लेप्स हो गया वह लेप्स हो गया। 1992 के अन्दर इस सरकार के जाने से पूर्व 8 तारीख, 1992 के आठवें महीने के अन्दर, भैरोंसिंह जी शेखावत ने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी और उसके बाद में प्रशासनिक आदेश निकाले और उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कोटे को भरा जाये। अगस्त, 1992 के अन्दर उन्होंने यह कहा था....

श्री परसराम मदेरणा : अगस्त ?

श्री टीकम चन्द कांत : अगस्त, 1992। दिसम्बर में हम चले थे। (व्यवधान) और वह करीब-करीब 6,500 और 1,500 स्वायत्त शासी संस्थाओं में, करीबन आठ हजार पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के थे और वह आठ हजार पद उस आदेश के बाद अभियान चलाकर उनको भर्ती लेने के बाद, कहने के बाद भी, इधर से यह सरकार बरखास्त की गयी। और राज्यपाल का क्या शासन आया ? राज्यपाल के शासन के अन्दर वह अभियान पूरा का पूरा खतम कर दिया गया, वह सारा बैक-लॉग खतम हो गया। आठ हजार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग वंचित रह गये, सिर्फ एक साल के इस शासन के कारण। अच्छा होता अगर यह शासन नहीं आता, तो शायद आठ हजार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग आज सरकारी सेवाओं में होते। अध्यक्ष महोदय, इस बैक-लॉग के बारे में और अब लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक ही बात करूंगा, अभी यह मामला

(श्री टीकम चन्द कांत)

कोर्ट के नियमों में फंस गया है। हमारे यहां का विधि विभाग बार-बार अलग-अलग प्रकार की राय देता है।

श्री परसराम मदेरणा : वे पोस्ट्स हटा दीं या अभी तक वे पद रिक्त पड़े हैं ?

श्री टीकम चन्द कांत : नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : तो ?

श्री टीकम चन्द कांत : पद रिक्त थोड़े ही है। वे तो कर दिये, उन्होंने ठीक कर दिया उनको। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अब तो आपकी सरकार है, रेस्टोर कर दो।

श्री टीकम चन्द कांत : कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : क्या डिफिकल्टी है ?

श्री टीकम चन्द कांत : उसमें कई बाधाएं वापस खड़ी कर देते हैं। विधि विभाग रोज नयी बाधाएं खड़ी करता है। रोज उसकी व्याख्याएं नयी-नयी होती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विधि विभाग.. (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपके राज में तो पद भर दिये थे क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : भर क्या दिये, वे तो 1993 की बात कह रहे हैं। पहले उनकी सरकार, बाद में उनकी सरकार और विधि विभाग क्या है ? विधि विभाग की राय है Now it is a jettison.

श्री टीकम चन्द कांत : कह रहा हूं। 1992 के अन्दर, अगर दिसम्बर के अन्दर राज्यपाल शासन नहीं आता, यह सरकार बरखास्त नहीं होती तो इस राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आठ हजार लोग सरकारी सेवाओं में आते। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इसी आशा और उम्मीद के साथ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री टीकम चन्द कांत : इसी समाज को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिये समस्त समाज इस अभियान को चलाये। सारा समाज उठकर अपने इस कमजोर वर्ग को आगे ला करके इस पूरे समाज को मजबूत बनाये और इस राजनैतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण जिस प्रकार कांग्रेस कमजोर पड़ गयी थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति को बढ़ाकर इस वर्ग को आगे ला रही है, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30 के बारे में आज चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं, उनके इस तरह के भाषण कि हमने हथेली पर सरसों उगा दिया, सोने की चिड़िया बना दी, इस तरह के जो लुभावने भाषण हैं, खास कर ऐसे लुभावने भाषणों से ही गड़बड़ होती है

(श्री नाथूराम अहारी)

और इसलिए आप ढाई साल में चले जाते हो। असलियत आप बताते नहीं हो और आपके नेता हैं, वे समझते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है। ठीक नहीं है, बरबादी हो रही है। अपने आपको समझो। और आप जो बोलने वाले हो एस. सी., एस. टी. के, वह सारे कांग्रेस के उपजे हुए हैं। आपने बनाये हैं कोई ? हल बताओ ना। आये तो 1977 में हो। है कोई हल ? अभी तो वे पढ़ रहे होंगे। आपने जो बैठाये हैं वे चड्डी वाले . (व्यवधान).... निकरिये। आप कुछ नहीं करते हो, योजना कांग्रेस की बनी थी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : 24 एम. एल. ए. बने हैं।

श्री नाथूराम अहारी : कांग्रेस की योजनाओं को आपने क्रियान्वित किया। कोई निहाल कर दिया क्या ? आपने कोई नयी बात कर दी क्या ? कुछ नहीं, कोई ढंग से नहीं की, केवल बढ़ा-चढ़ा कर भाषण के अलावा कुछ नहीं किया। और वहां भी क्या करते हो आप, वहां एरिया में भी क्या करते हो ? आपके कार्यकर्ता वहां बैठते हैं और काम कुछ नहीं, वहां लिस्ट लेकर चलते रहते हैं, यह काम हमने किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी जो नगरपालिका के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, उनमें क्या किया आपने ? आपने वही की + + +। आपने राज बनाया है वह भी + + + कर बनाया है। (व्यवधान)..

श्रीमती तारा भण्डारी : आप यह कह कर.... (व्यवधान)....

श्री नाथूराम अहारी : तो इस तरह से आप ऐसी बातें करते हैं, बिलकुल गलत है। आप पहले पांच साल पूरे करो उसके बाद आप.... (व्यवधान)... अभी तो बीच में गत साल तो लड़खड़ा गये थे आप.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री नाथूराम अहारी : तो इसलिए आप जो हैं, इस तरह के भाषण करते हैं, वह गलत है, उसमें कुछ नहीं धरा है। लोगों को + + + बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हो आप। कहते हो कि 45 प्रतिशत..

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपस में नहीं.... (व्यवधान)....

श्री नाथूराम अहारी : 45 प्रतिशत तो आपने आरक्षण किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में नहीं उलझें। नाथूरामजी, उधर मुंह करिये थोड़ा आप। आप मेरी तरफ मुखातिब होइये।

श्री नाथूराम अहारी : हजार-हजार ट्रेंड छात्र, हजार-हजार शिक्षक, कंपाउण्डर्स हैं, हजार-हजार नर्सें पड़ी हुई हैं और ओवर एज हो रही हैं और गत साल हम सबको रोने के लिए आये थे, खास कर आपको। उनको आप लोगों ने आश्वासन देकर वापस भेजा और वे आज तक रो रहे हैं और आप कहते हो हमने कर दिया। क्या कर दिया ? कुछ नहीं किया है। आप इस तरह से लोगों को + + + नहीं बना सकते।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय, थोड़ा भाषा का भी कंट्रोल रखें।

श्री नाथूराम अहारी : आज जो बात करते हो यह बिलकुल गलत है।.. (व्यवधान).. अब मैं खासकर जन जाति विभाग की कुछ बातें और बताऊंगा। जन जाति विभाग हमारा ठेकेदार बना है, कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था लेकिन बाद में आप लोग बैठ गये, आपने भी वैसा ही, उससे भी ज्यादा +++ किया। मैं समझता हूं अगर उस रकम को, 1975 से लेकर आज तक जो रकम खर्च हुई है उसको अगर आदिवासी परिवार में बांट दिया होता तो वह लखपति होता। यहां नन्दलालजी बैठे हैं, भुगतभोगी हैं, इस समाज से उपजे हुए हैं, यह कुछ करेंगे, पर अभी मुझे नहीं लग रहा है, पर थोड़ी आशा कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, भटक गये होंगे तो शायद आगे कुछ करेंगे। इसमें जितना भी +++ हो रहा है, वह सारा पैसा कर्मचारियों पर आई. ए. एस. अधिकारियों पर खर्च होता है। आदिवासी को तो, "धोली मूसली काली मूसली, भवरे का शहद, मछलियां पकड़ने जाएं मगर खा जाए," वहां इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको बंद करो। इस पैसे को, मैं तो कहता हूं कि जिलावाइज बांट दो। वहां जो सारे +++ बैठाये हैं, जो +++ बैठाये हैं उनको वहां से हटा दो, अमुक लोगों को वहां डेपुट करो और उस राशि को सीधा आदिवासी को दो तो मैं समझता हूं कि इससे कुछ उपयोग होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना है।

श्री परसराम मदेरणा : उधर तो जो लोग मछली पालन कर रहे हैं उनको मगरमच्छ खा रहे हैं और +++

श्री नाथूराम अहारी : यह खा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों को मापदण्ड में लेकर आदिवासी एरिया को अभी तक मुगालते में रख रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिए हमको आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कोई मापदण्ड की जरूरत नहीं है, 10 घर हैं तो भी स्कूल खोलनी चाहिए, इस तरह से करना पड़ेगा। आदिवासी बिखरी हुई बस्ती होती है और दूसरी कौम है वह घनी आबादी वाली होती है। स्कूल खुलेंगे तो वहीं घनी आबादी में खुलेंगे, सड़क जायेगी तो घनी आबादी में जायेगी, लट्टू जायेगा तो घनी आबादी में जायेगा और कोई भी दवाखाना खुलेगा तो वहीं जायेगा, आदिवासी तो देखता ही रह जायेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मापदण्ड को हटा दीजिये और मापदण्ड हटाने के बाद आदिवासियों के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसमें आपको काम करने की जरूरत है। पहले यह प्रयोगशाला थी, यह समझो। पहले तो आपको, हम लोगों को पता नहीं था कि जन जाति का आदमी यहां आयेगा। वह तो कांग्रेस ने कर दिया, आप लोग तो नकल कर रहे हो। कोई एक-दो स्वतन्त्रता सेनानी बताओ, आपके केन्द्र में और कहीं हुआ है? वह सारे दलाल थे। आदिवासियों को, गरीबों को पीसते गये, अंग्रेजों के दलाल थे। कोई है, एक भी है? और कुछ है तो हमारे से नाराज होकर गये थे। इसलिए मैं आपसे

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से फूले नहीं। आप बैठे हो, बड़ी मुश्किल से बैठे हो और राम का नाम लेकर बैठे हो, अगर राम साथ होता तो आप ढाई-ढाई सालों में जाते नहीं। राम नाम गया, राम नाम सत्य हो गया इसलिए आप इन योजनाओं को, यह आपके आंकड़े तो आंकड़े ही हैं उसमें कुछ नहीं है, आप तो व्यर्थ समय बिता रहे हो, उसमें किसी ने कुछ करा है ? आप इसमें मत पड़ो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप आदिवासी एरिया में भला करना चाहते हो, आदिवासियों को ऊंचा उठाना चाहते हो तो हर क्षेत्र में इनका प्लान बनायें। और उस पैसे को, मैं तो कहता हूं कमेटी बनाकर, जन जाति की कमेटी बनाकर जिलेवाइज उसको बांटें। बांट कर वहां योजना बनायें, जिले में बैठ कर वहां योजना बनाकर काम करें। पहले बनायी थी पेट्रोल वाली और केरोसिन वाली टंकियां, जो आज जंग खा रही हैं। तो इस तरह की योजना बिलकुल थर्ड क्लास है, आदिवासी के लिए कोई उपयोग की नहीं है। अभी आप जो चला रहे हो, गाय, बैल, भैंस उसमें भी कुछ नहीं धरा है, वह सारा का सारा पैसा मिसयूज होता है। 1000 का माल होता है वह 2000 में बेचा जाता है और वह लोग बरबाद हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि एक ही नहीं, सारे लोगों को, पक्ष और विपक्ष बैठकर इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तो हमको यह गरीब जनता बख्शेगी नहीं। आपने यह जो + + + बैठा रखे हैं, और आप लोगों को, सब को बख्शेंगे नहीं। इसलिए इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है और आदिवासी का असली भला करें तो यह करने की जरूरत है।

एक निवेदन सिंचाई के बारे में करना चाहता हूं। बड़े तालाब बनाते हैं तो आदिवासी डूबता है और दूसरे लोगों को पानी पिलाते हैं। आदिवासी तो डूबता ही है। उदाहरण के लिए मोरेजा बांध बना है तो वह पूरा का पूरा पानी से भर गया, आज साल बो दो, आज चावल बो दो, ऐसा हो गया। इसी तरह से सोम कैनाल है इसमें भी छाबड़ा है, ओदवारिया है, डाबड़ी है वहां आज एरई उगी हुई है, उसमें आप साल बो दो, इनकी तो जमीन बरबाद हो रही है। तो छोटे-छोटे एनीकट्स बनाइये। इनके जो कुएं हैं, उसमें भले ही एक लाख रुपया खर्च हो, एक-दो कुएं बनाकर भी उनको पानी दीजिये। आप दूसरी बात सच झूठ की मत करिये तब तो इनको सच्चा फायदा मिलेगा।

मैं तो यह कह रहा हूं कि आदिवासी के एरिया में केवल पहाड़ ही पहाड़ है, 75 प्रतिशत पहाड़ हैं, मैं तो कहता हूं बुलडोजर लाकर उनको एक साथ समतल करवाइये और आदिवासियों को जमीन दीजिये। सारी योजना बन्द कर दीजिये। एक साल बच्चा फेल हो जाता है तो क्या होता है, कोई लंका नहीं लुट जाती है। तो आप सही भला करना चाहते हो तो इस तरह से करिये।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

विद्युत विभाग में भी जहां पहले तो आप विद्युत दे सकते थे, कांग्रेस के राज में विद्युत आराम से मिलती थी, आज 8000 तो एक पोल का हो गया, कहां हमारे नाम से रोयेगा। तार आयेगा एक पोल के लिए। इसलिए कुछ नहीं हो सकता। इनको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप दीजिये।

इसी तरह स्कूल भवन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। स्कूल भवन के बारे में कहते हैं कि 20 प्रतिशत दे दो, कोई नहीं देगा। आप शहर में स्कूल खोलते हैं, भवन बनाते हैं तो उनसे पैसा लेते हैं क्या ? और उस गरीब से पैसा लेकर बनायेंगे, मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा अनुदान देकर स्कूल भवन को पूरा करो, उनसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेंगे, तो वह मैं कहता हूं, सात पीढ़ियां हो जाये तो भी कुछ नहीं हो सकता है।

पेयजल के बारे में भी कोई भी ऐसा आदिवासी एरिया या गांव नहीं है जिनको आप पेयजल के लिए नल से जोड़ेंगे। एक भी गांव नहीं है, आप सर्वे करा कर देख लो, सारा का सारा पैसा बड़े गांवों में, बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में जाता है और आपकी योजना पूरी शहर में चल रही है। एक-एक सड़क 10-10 बार बना रहे हो, वहां कुछ नहीं है। गांवों के लिए आप करिये। पेयजल के लिए इस बार कह रहे हो कि हैण्ड पम्प तो मंजूर नहीं होंगे। 15 साल से हैण्ड पम्प खुदे हुए हैं, सारे सड़ गये। उनमें मैला पानी आता है। पानी आता है पर मैला आता है और वह मैला क्यों आता है, क्योंकि अन्दर से पाइप कट गये हैं। उनको नये खुदवाइये, करोड़ों रुपया लेकर उसका प्रावधान रखिये। एक थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया और कह दिया कि विकास हो जायेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगाओ। पांच किलोमीटर में पांच घर हैं तो क्या वे प्यासे मरेंगे ? तो उन पांच घरों को भी जरूरत पड़े तो हम को हैण्ड पम्प देने की जरूरत है।

समाज कल्याण के बारे में अभी बता रहे थे, बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे थे उस समय तो मुझे 35 रुपये मिलते थे, जब मास्टर था, आज तो 4000, 5000 रुपया मिलता है। तो जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है उसको बढ़ाना ही पड़ता है। आप क्या निहाल कर रहे हैं ? आप अपनी मर्जी से करते हैं क्या ? और पैसा सरकार का है, उसका है तो कर रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : 35 रुपये तनख्वाह थी, 35 रुपये ।.... (व्यवधान)..

श्री नाथूराम अहारी : मेघवालजी तो सही हैं मगर वह गलत जगह चले गये हैं। यह सही हैं पर गलत जगह पर चले गये हैं, भगवान करे यह वापस आ जायें। यह बनिया, ब्राह्मण के चक्कर में कहां पड़े हैं, वहां तो कुछ नहीं है। उम्र भर मर गये हम, इस धर्म के नाम पर उम्र भर मर गये। इनको यहां नहीं बैठाया जायेगा, यहां आओगे तो अछूत हो जायेगी, फलां हो जाएगा। गांठ में बांध कर खाना लेकर जाओ, वह तो अशुद्ध नहीं होता है पेट में तो, और गांठ में बांध कर ले गये तो वह तो अशुद्ध हो गया। हमको बेवकूफ बनाया

(श्री नाथूराम अहारी)

है, यह कह रहा हूं मैं। उम्र भर इन लोगों ने मिल कर, कहां पल्ले पड़ गये आप, यह भैरोंसिंह शेखावतजी हैं, यह बहुत बड़े कलाकार हैं और यह जब नहीं होंगे, न तो आप के बस का रोग है। तो आप सही मार्ग पर आयें और लोगों का सच्चा भला करना है प्रजातंत्र में जो चुन कर आये उसको तो + + + तो क्या कर रहे हो आप, मैं पूछना चाहता हूं। एक-एक मंत्री जाकर वहां बैठ जाते हो। + + + मैं तो एकदम अचरज में पड़ गया कि यह रुपया आता कहां से है। . (व्यवधान) ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी का ईमान खरीदा जाये आदिवासी का....

श्री नाथूराम अहारी : यह कोई तरीका है, उदयपुर में क्या हुआ? बांसवाड़ा में क्या हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : उदयपुर के जिला परिषद् इलेक्शन के अंदर जो शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, उनके ईमान पर, उनके जमीर पर डाका किसने डाला? इन लोगों ने।

श्री नाथूराम अहारी : आप लोग भी कांग्रेस के हो, आपने कांग्रेस बनायी। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को कहना चाहूंगा कि उनके ही पूर्व विधायक, कांग्रेस के रहे हुए है, उन्होंने ही कहा कि एक नैया डूबने वाली है, हम तो तैरती हुई नैया में बैठ जायें, यह कहकर उदय लालजी, जो पूर्व एम. एल. ए. थे, वह पार्टी (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : धोखा है, धोखा। मात्र धोखा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोदीजी, आपको क्या हुआ? आप बिराजें मोदीजी।

श्री नाथूराम अहारी : इसके बारे में आप सोच-समझकर बोले और मैं यह भी कह रहा हूं कि आइन्दा सोच-समझकर बोलना। फट से यह आप बोल जाते हो.... (व्यवधान) कौन लाये, उलटा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें। अब संक्षिप्त करें आप।

श्री परसराम मदेरणा : बोले तो सोच-समझकर। सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सोच-समझकर बोले। सैण्ट्रल रिजर्वेशन के लिए एक बात सच्ची कही, बाकी जो कुछ भी कहा वह सोच-समझकर.. (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सब असत्य कहा। यह असत्य कहने की आदत है तो और क्या कहेंगे? उनके पास है क्या मसाला? इसी तरह जैसे मदारी होता है न, मदारी होता है तो रुपयों का ढेर लगा देता है, किसके लिए खेल करता है, यही तरीका आप लोगों का है। इस तरह से लोगों को + + + बनाकर आप लोग राज

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

करना चाहे; वह बहुत देर तक नहीं चल पायेगा। इसमें आप बहुत सोच-समझकर चलिये और ...

श्री अध्यक्ष : विराजें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नाथूराम अहारी : अगर जनता का भला करना है तो उस पर वापस आ जाइये। (व्यवधान) मैं अन्त में यही कहता हूं कि आपके दिमाग में कुछ आये और आप उधर आकर यह सारा जो मदारी का खेल है, उसको खतम करियें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में बजट की संख्या 30 और 33 पर विचार-विमर्श हो रहा है उसमें मैं भी अपने आपको जोड़ते हुए, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए एक लोक कल्याणकारी सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं बना रही हैं, राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके तहत निवेदन करूंगा कि राजस्थान में लम्बे समय से इस पक्ष के लोगों ने और इधर के लोगों ने, आज खुशी की बात है कि राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए छात्रावासों की सुविधा नहीं हैं। हां, यह दुःख की बात है कि आज भी सामान की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से, बिजली की व्यवस्थाओं की दृष्टि से कमियों में सरकार प्रयास कर रही है कि उन कमियों को दूर किया जाए। पर एक बात है कि इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए सरकारी लवाजमे में बहुत विशाल रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वह किस तरह से इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कार्य कर रही है। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें देखने को मिला। हम राजस्थान विधान सभा की अनुसूचित जाति कमेटी के माध्यम से जैसलमेर और बाड़मेर गये। वहां मोहनपुरा में होस्टल देखने के लिये हम लोग गये तो वहां के जो अधिकारी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको खुद को ही पता नहीं जबकि वह 3-4 वर्षों से वहां कार्यरत थे, उनको यह पता नहीं कि मोहनपुरा में कहां होस्टल है। जो भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इससे जानकर बहुत दुःख होता है कि सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च करके समाज के इन लोगों के लिये, बच्चों के उत्थान के लिये, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है पर सरकारी अधिकारी उनकी तरफ से लापरवाह हैं और वहां व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो रही हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा सारे समाज को ऊंचा उठाने के लिये जो संस्थाएं चल रही हैं, इन पर उन अधिकारियों की देखरेख हो और उनमें जो कमियां हैं, उनको देखा जाए और उन पर समय-समय पर निरीक्षण करके सुधार किया जाए, यह मेरी मांग है।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

आज राजस्थान में 602 छात्रावास चल रहे हैं, उनमें 21,127 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। इस वर्ष 63 नये छात्रावास खोले जा रहे हैं, इससे और उसमें योगदान मिलेगा।

आर्थिक विकास की दृष्टि से राजस्थान में कई योजनाएं चल रही हैं। उनमें किसी तरह से देखरेख नहीं हो रही है। उनके माध्यम से जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, यही एक दुःख की बात है। पैसा खर्च हो रहा है। सरकार की रीति और नीयति अच्छी है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है पर अगर पैसा खर्च होने के बाद में भी उन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचे और जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो, यह एक दुःख की बात है। इसके लिये अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं सहकारी विकास निगम है। यह एक मैन पॉवर है। केन्द्रीय मद से पैसा आता है। राजस्थान सरकार का भी पैसा उसमें लग रहा है। भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं। किसान से लेकर, मजदूर से लेकर और जो भी कोई धंधा करता है, दुकान ये देते हैं, आटोरिक्शा देते हैं। ऐसी कई स्कीम्स चलायी जा रही हैं। पर बहुत दुःख का विषय है, हम सब माननीय सदस्य, जो इस हाउस में बिराजमान हैं, स्वयं जानते हैं पंचायत समितियों के माध्यम से, जिले की विकास योजनाओं के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आंकड़ें बताये जा रहे हैं। इन आंकड़ों को वस्तुस्थिति से देखा जाए तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। डी. आर. डी. ए. के माध्यम से 1994-95 में जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि दिसम्बर, 1994 तक 41,393 परिवारों को लाभ दिया गया। एक वर्ष में अगर पचास हजार लोगों को इस तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है तो वह दिन दूर नहीं कि कोई गरीब रहे। पर यह योजनाएं केवल कागजों में, आंकड़ें केवल कागजों में और वस्तुस्थिति फील्ड में क्या है? उन लोगों को वास्तव में क्या मिल रहा है? यह एक देखने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि यह जो अधिकारियों की लम्बी-चौड़ी टीम है, आप लोग भी, हर क्षेत्र में हम लोग जो भिन्न-भिन्न पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों में बैठते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उनकी पुष्टि करें। जिले में ऐसी कमेटियां बनायी जाए और गांवों में जा-जाकर त्रैमासिक रूप से उनका सर्वेक्षण किया जाए और उनकी देखरेख के बाद में अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, यह मेरी मांग है।

हमारी सरकार ने 1991-92 में जिन गांवों को 50 पर्सेन्ट से ज्यादा अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, उनमें वाल्मीकि ग्राम के नाम से, उनके उत्थान के लिये योजना बनायी है, मैं इसके लिये सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। राजस्थान में इस तरह के कई गांव हैं, जिनका विकास उस योजना के माध्यम से होगा और उनको कई तरह की सुविधा उपलब्ध होंगी। यह एक सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके आर्थिक उत्थान के लिये कई योजनाएं बनायी जा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

रही हैं जैसे–बेरोजगारी भत्ता। जो स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पास हैं, उनको डेढ़ सौ और ढाई सौ रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको जिला हैड क्वार्टर्स पर रहने के लिये दी जाती है। डेढ़ सौ-डेढ़ सौ, सौ-सौ किलोमीटर जिले की परिधि है गांव डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है, क्या जिले में बैठकर वह यह भत्ता ले पाएगा ? जिले में रहेगा तो 500 रुपये में तो मकान ही नहीं मिलेगा। इसलिए यह जो नियम प्रक्रिया बनायी गयी है, इनका सरलीकरण किया जाए और यह जो योजना सरकार की आर्थिक दृष्टि से है, इनकी मानीटरिंग की जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, इनमें जो सुधार है, उन पर जोर दिया जाए वह मांग करता हूं। सरकार पैसा खर्च कर रही है उसका तभी सदुपयोग होगा जब वह चीज उनको मिले।

सामाजिक उत्थान के लिये भी इस विभाग द्वारा कई कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं। इनमें विशेष रूप से एक कार्यक्रम, एक छोटा-सा कार्यक्रम, समाज को परिवर्तित करने का कार्यक्रम, समाज में एक नई प्रेरणा का कार्यक्रम है, और वह है अन्तरजातीय विवाह। अन्तरजातीय विवाह जोड़े में एक पक्ष अगर अनुसूचित जाति का है और एक सवर्ण जाति का हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये पांच हजार रुपया दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुधार करना चाहिए। मेरा एक अनुसूचित जाति का बैरवा भाई बेवाराम, अध्यापक है। उन्होंने किसी ब्राह्मण लड़की से माउण्ट आबू में शादी की और जब उसको पांच हजार रुपये देने की बात आयी, मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया, अखबार में भी वह प्रश्न छपा, वह खुद आये यहां और आकर मांग की। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वे सम्पन्न हैं, दोनों नौकरी करते हैं इसलिये उनको पैसा नहीं दिया जाए। यह जाति का प्रश्न है, वहां आर्थिक दृष्टि कहां से आ गयी। इस तरह से आप हैं, हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में कहावत है, "गाडी के पाडी बांध दो"। कहने के नाम से तो है, बाकी करने के नाम से कुछ भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, आप उनको पैसा देने की कागजों में योजनाएं तो बना रहे हो पर प्रेक्टिकल में उनको दे नहीं रहे हो तो कहां आर्थिक दृष्टि आ गयी। कई माननीय सदस्य, जो अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, क्या उनकी आर्थिक दृष्टि देखी जाती है ? अगर केवल जाति के नाम से आप उनको आरक्षण की सुविधाएं दे रहे हैं तो इन योजनाओं में भी जाति का ही मापदण्ड देना चाहिये। आर्थिक मापदण्ड इसके बीच में नहीं आना चाहिये। जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जाए और जो प्रेक्टिकल में है, उस पर अमल किया जाए।

इसके तहत बाल कल्याण के नाम से यहां कई आश्रम चल रहे हैं। लम्बी-चौड़ी अधिकारियों की फौज है। कार्य प्रणाली क्या है वह आप जानते हैं। महिला कल्याण के नाम से भी ऐसी उपेक्षित और दु:खी महिलाओं के उत्थान के लिये, सरकार द्वारा लाखों रुपये प्रतिवर्ष खर्च होता है

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

और उनमें जो कार्य प्रणाली हो रही है उनका विवरण मैं इस हाउस में नहीं कहकर के, हम सब लोग जो बार-बार अखबारों में कई घटनाएं आती हैं उनको जब पढ़ते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं तो क्यों बैठाये गये हैं अधिकारी, क्यों मिलती हैं इनको सारी सुख-सुविधाएं ? इनका दायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार करें।

अभी जब दिल्ली में सरकार परिवर्तित हुई तो जो अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना, अभी पुलिस की डिबेट के समय भी इसकी चर्चा आयी। कई बार माननीय सदस्य इस मामले को लेकर चर्चा करते हैं कि दो बराबर के लड़ गये, मूंछ का सवाल बन गया और मेरे अनुसूचित जाति के भाई को माध्यम बनाकर के धारा तीन में फंसाने की योजनाएं चल रही हैं। इससे यह नहीं मालूम कि वे भी इसका फायदा उठा रहे हैं और वह मेरे अनुसूचित जाति का भाई है वह उस गांव में इस तरह की स्थिति में आ जाता है कि वह कई लोगों की नजरों में गिर जाता है। इसमें जो त्रुटियां रही हैं इसमें सुधार किया जाए और इसकी वाचिंग के लिये पुलिस जो अपना माध्यम पैसा बनाती है इसमें भी सुधार किया जाए। यह मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा यह प्रशासन की व्यवस्था है, यह जो हमें प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है इसमें सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे की बात बतायी गयी है। राज्य स्तर पर 25-30 अधिकारी हैं व सम्भागीय स्तर भी करीब 20-25 अधिकारी हैं। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला स्तर पर 50-60 अधिकारी हैं सौ-सवा-सौ अधिकारियों की फौज न जाने क्या काम करती है कि इसका आज दिन तक कोई दिखता हुआ रूप सामने नहीं आया।

समाज-कल्याण के माध्यम से करोड़ों रुपया इस समाज में खर्च करने के बाद भी कहीं ऐसा नहीं दिखता कि यहां कोई काम हुआ है। तो, इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इनको भी टाइट किया जाए। इनकी ड्यूटी फिक्स की जाए, इनके लक्ष्य निर्धारित किये जाएं कि यह जो पैसा खर्च हो रहा है वह इनकी जिम्मेदारी है अधिकारी साहबान की कि इसको पूरी तरह से देखें और यह केवल मात्र इसलिए नहीं बिठाये जाएं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जनजाति की बात करूंगा....

श्री अध्यक्ष : अभी आप कह रहे थे मैं बहुत शीघ्र समाप्त कर रहा हूं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जनजाति में 1994-95 में 33 करोड़, 13 लाख रुपये खर्च किये गये और 1995-96 में 433 करोड़, सौ करोड़ रुपया एक साल में बढ़ाया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है हमारी सरकार की नीयत इन जन-जाति के भाइयों के उत्थान के लिये है। परन्तु इनमें

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वह केवल सरकारी अधिकारियों के माध्यम से बनाई जा रही हैं। अगर केवल सरकारी अधिकारी अपनी मन-मर्जी से इन लोगों की योजनाएं बनाकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि काहे को बैठे हैं हम सब इस सदन में, क्यों नहीं हम इन बातों को कहें जो उन समाज के लोगों की आवश्यक बातें हैं।

जैसे मैं निवेदन करूंगा, माडा योजना के तहत मेरे बूंदी जिले में 35-40 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। अधिकारी मन-मर्जी से किताबें देने के नाम पर खर्च कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस देने के नाम से खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिला एक सम्पन्न जिला है, राजस्थान में कमाण्ड एरिया है वह, वहां के जनजाति के मेरे भाइयों को भगवान ने पहले ही पेंट दे रखी है, नेकर देकर क्या करोगे आप ? केवल सरकारी पैसा खर्च करने के नाम से किये जा रहे हैं। हर स्तर पर, प्रदेश स्तर पर माननीय मंत्री महोदय ने जो मीटिंग बुलाई, उसमें भी कहा था कि माडा योजना का पैसा किताब और ड्रेस पर खर्च नहीं करके जनजाति के माडा गांव के लोगों को बिजली दी जाए, उनके यहां एनीकट्स बनाये जाएं, उनके यहां खरंजे बनाये जाएं और उनके सामूहिक विकास के लिये पैसा खर्च किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तीन-तीन, चार-चार वर्ष से लगातार ऐसी बातें कहने के बाद भी अधिकारी अपनी नीति से टस से मस नहीं होते हैं। अधिकारी कर लें सब कुछ, काहे को ताम-झाम बैठा रखा है। यह जो सारी क्षेत्र विशेष की योजनाएं हैं केवल एक डण्डे से राजस्थान को नहीं हांकना चाहिये। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखिये, धौलपुर की स्थिति देखिये, बाड़मेर की देखिये, बीकानेर के टीबे देखिये जाकर के और चम्बल की लहलहाती फसलें देखिये और इसी तरह से क्षेत्र विशेष को लेकर के योजनाएं बनानी चाहिए। एक डण्डे से हांकने वाली बात शोभा नहीं देगी। सरकार के पैसे का जो दुरूपयोग होता है इसमें सुधारीकरण किया जाए।

मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसता। आंकड़े सरकार ने और अधिकारियों ने बनाये हैं। सरकार की जो नीति है उसको क्रियान्वित करने के लिये जो सरकारी मशीनरी है इसको टाइट किया जाए। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि समाज के अनुसूचित जाति के भाइयों का समाज के लोगों को ही सोचना पड़ेगा। तो इस सदन के माध्यम से मैं समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों से, सवर्ण समाज के उन लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि समाज का यह जो समाजरूपी अंग है, अगर इसमें अनुसूचित जाति के भाइयों को आपने दुर्बल रखा तो इस भौतिक युग में यह संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि कोई इस तरह की घटनाएं हों और समाज में इसका विकृत रूप हो और समाज को उस पर विचार करना पड़े।

यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 और 33 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 30 और 33 के पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 30 और 33 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया ।

मांग संख्या 33 एवं 30 पर विचार

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 33, अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं किशनगंज और शाहबाद की जो पंचायत समितियां हैं, जहां सहरिया जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति की जो आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं उनमें कई अनियमिततताएं हैं । जैसे सिंचाई में जलोत्थान के बारे में आदिवासियों से बीस प्रतिशत में दस प्रतिशत ट्राइबल फण्ड देगा और दस प्रतिशत सहरिया देगा । सहरिया परिवार ऐसा परिवार नहीं है जो चालीस रुपये प्रति बीघा जमीन का मुआवजा दे दे । इसलिए मेरा सुझाव है कि दस प्रतिशत को भी उसमें समाप्त किया जाए । या तो समाप्त कर दें या फिर उसको लागू करके उस काश्तकार से उस समय वसूल किया जाए जब क्रियान्विति हो जाए और सिंचाई के साधन उसको मुहैया करा दिये जाएं उसके बाद ही लिया जाए ।

इसी तरह दूसरी लिफ्ट योजनाएं हैं । बहुद्देशीय और दूसरी सिंचाई योजनाएं हैं । केवल इसलिए लम्बित हुई है कि वन विभाग की जो पर्यावरण की दिक्कत है उस वजह से हमारी पांच लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं । मैं समाज कल्याण मंत्री और जनजाति मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके लिये बार-बार लिखें और उनको लागू करवाएं ताकि जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों को उसका लाभ मिल सके ।

इसी तरह चिकित्सा में जो सहरिया जाति के लिये कैम्प लगाये जाते हैं, उन कैम्पों में जो पैसा खर्च किया जाता है वह व्यर्थ जाता है । कैम्प सभी के लिये लगता है और सहरिया के नाम से एक-डेढ़ लाख रुपया खर्च हो जाता है और पांच सहरिया लोगों का इलाज होता है । मैं मांग करता हूं कि यह पैसा उसमें नहीं लगाया जाये । यह फालतू खर्च होता है ।

इसी तरह ड्रेस के बारे में जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, छात्रवृत्ति और जो ड्रेस दी जाती है, उदयपुर में बैठकर कपड़ा खरीदा जाता है और किशनगंज और

(श्री हीरालाल सहरिया)

शाहबाद, जो जिला बारां है वहां उसको भेजा जाएगा। यह ड्रेस बिना नाप के सिलती हैं और बिना नाप के वहां दी जाती है तो वह नेकर केवल चड्डी रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिला कलक्टर इस परियोजना का अध्यक्ष होता है, क्या संभागीय आयुक्त या मंत्री महोदय उन पर विश्वास नहीं करते ? ये उन्हीं के तो नुमाइन्दे हैं। अगर कपड़ा खरीद कर पूरा ही कपड़ा वहां भेज दिया जाए और कपड़े के आधार पर स्कूलों से नाप लेकर के सिलवा करके उनको दिए जाएं तो उसका उपयोग भी होगा अन्यथा वह कपड़ा बेकार जाता है और उसमें जो पैसा खर्च होता है उसका मिसयूज होता है।

इसी तरह लाइट के बारे में अभी चर्चा चल रही थी। विद्युतीकृत कर दी जाएंगी बस्तियां, बस्तियों के विद्युतीकरण करने का माप-दण्ड क्या होता है। आदिवासी बस्तियों तक खम्भे पहुंचाना, लेकिन खम्भे पहुंचाने से ही क्या वह विद्युतीकरण हो जाएगा। जब तक उनके रख-रखाव के लिये अलग से आप फण्ड नहीं दोगे तो उसको लगाना और नहीं लगाना बेकार होगा। वह पैसा भी हमारा जो खर्च होगा, नाजायज ही खर्च होगा। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि अगर उस पर खर्च करना है तो उसी तरह का प्लान बनाया जाए जिससे कि उनके झोंपड़े में भी बिजली जले। या फिर खम्भे तो उस फण्ड से भी खड़े किये जा सकते हैं या दूसरी योजनाओं से भी खड़े किये जा सकते हैं। क्या जरूरत है विशेष तौर से बिजली का सहरिया का पैसा आदिवासियों का उसमें खर्च किया जाए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि बिजली का जो पैसा खर्च किया जाए वह सभी पर दिया जाए।

समाज कल्याण में प्रावधान है कि कर्मचारियों को रसोई भत्ता दिया जाता है 600 रुपया। लेकिन आश्रम स्कूल और अनुदानित छात्रावासों के रसोइयों को जो प्रावधान है वह कम है। उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। यह सन् 1979 के जो पैटर्न है उसी आधार पर उनको दिया जाता है वह बहुत कम है। उस पैटर्न में तब्दीली की जाए।

तीसरा यह है कि अनुदानित छात्रवास, आश्रम स्कूल और निराश्रित बाल गृहों के अनावर्त भत्ता जो कई सालों से नहीं दिया गया है, इसलिए यह अनावर्त भत्ता भी इनको दिया जाना चाहिये।

साथ ही पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या मेरे क्षेत्र किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में इतनी है कि गर्मी के दिनों में तो वह भयंकर रूप ले ही लेगी। यह ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प जो लगे हैं, हैण्ड पम्पों की सफाई, उसके रख-रखाव के खर्चे में दोहरी नीति कर दी। आज हैण्ड पम्प तो दे दिये पंचायत समितियों को लेकिन पाइप जो उसके खराब होंगे तो उसको देखेंगे पी. एच. ई. डी. वाले और पी. एच. ई. डी. वाले ठीक करने ही नहीं जाएंगे तो पंचायत समिति के कितने ही चक्कर लगाओ वह ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि दोहरी नीति से हैण्ड पम्प ठीक होगा नहीं और यह पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसी तरह से हमारे इलाके में ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, लगे हुए हैं उनको चालू नहीं किया और उससे

(श्री हीरालाल सहरिया)

भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरा एक सुझाव और है। हैण्ड पम्प एक गांव में पांच-पांच लगा दिये जाते हैं, वह हैण्ड पम्प लगाने के बजाय एक ट्यूबवैल लगा दिया जाए ताकि वह सक्सेस होगा और जो हैण्ड पम्प के पाइप सड़ जाते हैं और सड़े पाइपों का हम पानी पीते हैं, वह हमारे लिये आगे जाकर हानिकारक होगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है इन सहरिया बस्तियों, आदिवासी बस्तियों में 5 हैण्ड पम्प के बजाय एक ट्यूबवैल लगाओ ताकि पैसे का भी मिसयूज नहीं होगा और पब्लिक को सुविधा भी मुहैया करायी जा सकेगी।

इसी तरह आदिवासी इलाकों में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी योजना चलायी जा रही है। आंगनबाड़ी का जो दलिया और तेल आ रहा है, वहां पर जनरल कास्टों की महिला लगी हुई हैं। उनमें आज 90 पर्सेण्ट ऐसी महिलाएं हैं जो आदिवासी नहीं हैं, गैर आदिवासी हैं। तो क्या यह फण्ड केवल आदिवासियों का नाम लेकर अलाट करा लें और फायदा दूसरा उठाये। उसका तेल तो हम खुद खा रहे हैं और जो दाल दलिया जा रहा है उसको हम मवेशियों को खिलाते हैं जिससे उनको दूध मिलता है। मैं इसमें भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि यह जो बाल विकास परियोजना आदिवासियों के बच्चों के कल्याण के लिये यानि उनके रख-रखाव, उनका स्वास्थ्य बने, उनमें स्कूल जाने की प्रवृत्ति बढ़े, इसके लिये चालू की गयी थी या वैसे ही इसका फण्ड लेकर आदिवासियों का नाम ले लो, कोई भी फण्ड कहीं नहीं मिले तो सबसे पहले आदिवासियों का नाम लो और आदिवासी के नाम से फण्ड अलाट करा लो, आदिवासियों को तो एक नया पैसा नहीं मिले और दूसरे उसको जीम जाएं। तो इसमें कम से कम अधिकारियों को भी इस तरह की योजना बनानी चाहिये ताकि वास्तव में डायरेक्ट, इन-डायरेक्ट उसी को, आदिवासी को ही फायदा मिले, तब तो सही है। नहीं तो वैसे पैसे का मिसयूज ही है। मैं तो मांग करूंगा कि पैसे का मिसयूज नहीं हो और सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए।

अन्त में, भारत सरकार ने नौकरियों में जो पर्सेण्ट रखा है 5 प्रतिशत, या 17 प्रतिशत, उस क्षेत्र में 22 मार्च को जो अधिसूचना जारी हुई है। इससे पहले भी मैं समाज कल्याण विभाग और जनजाति मंत्रीजी को लिख चुका हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, नीमांचा, सहरिया को सब प्लान में रखा जाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सहरिया क्षेत्र को इससे वंचित रखा है जिससे वहां के पढ़ने वाले विद्यार्थी न तो नौकरी कर पायेंगे, न ही वह किसी प्रकार की पोस्टिंग में जाएंगे, न वह चपरासी बन पायेंगे, न मास्टर बन पायेंगे, न वन कर्मचारी बन पायेंगे। यह पर्सेण्टेज भी उसमें लागू किया जाए। क्योंकि वहां जब भी इन्टरव्यू होते हैं तो उसमें मीणे एस. टी. में आते हैं तो मीणे उसका फायदा उठाकर ले जाते हैं और सहरिया वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज भी 17 लड़के विशेष बैच से माउण्ट आबू से ट्रेनिंग किये हुए बैठे हैं। ट्रेनिंग किये दो साल हो गये। हमारी सरकार का उनको ट्रेनिंग कराने में कोई पैसा खर्च हुआ और आज

(श्री हीरालाल सहरिया)

तक वह नौकरी पर नहीं लग पा रहे हैं। कल लड़के और तैयार होकर आएंगे, तो मेरा अनुरोध है समाज कल्याण मंत्रीजी से कि उसमें केवल आदिवासी और मीणा को नहीं रखकर सहरिया शब्द के लिये अलग से 5 प्रतिशत अंक बोनस के रूप में अगर 12 जिलों में दे दिया जाए तो जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे नौकरियों में आगे बढ़ेंगे तो उनमें उत्साह बढ़ेगा अन्यथा क्या होगा ? जो पढ़ेगा वह यही कहेगा कि पढ़कर करेंगे क्या ? जो आगे पढ़े वही पीछे बैठे हैं, नौकरी नहीं लगती है। वहां के सवर्ण यह कहते हैं कि हमारे को मजदूर पढ़े-लिखे मिल गये। उसमें जो पैसा भारत सरकार का खर्च होता है, राजस्थान सरकार का भी है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हीरालाल सहरिया : इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाए। मेरी इस मांग को तो स्वीकार किया ही जाए। छात्रावासों के बारे में आया है, इनकी बिल्डिग्स के रख रखाव की दयनीय स्थिति है इसलिए उसमें भी सुधार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री हीरालाल सहरिया : और साथ ही उसमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, पढ़ते नहीं हैं। छात्रावासों में रहते हैं। रोटी खायी और बाहर जाते हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्रीजी इस पर ध्यान दें कि बच्चे केवल आश्रम स्कूल में या छात्रावासों में पी रहें और बाहर नहीं जाएं। बाहर जाने से तो अच्छा है कि क्वार्टर लेकर अलग से पढ़ने लग जाएं। अगर ऐसे लड़के क्वार्टर लेकर पढ़ते हैं तो उनको भर्ती क्यों किया जाता है और हमारा सारा पैसा बरबाद किया जाता है। आपने टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30 पर आज यहां जो चर्चा हो रही है उसमें अपनी बात रखना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति का है और जनजाति का 12.44, इस तरह कुल 30 प्रतिशत हिस्सा आबादी का इस मांग के सत्र के अधीन कवर होता है। समाज कल्याण विभाग 1975 से पूर्व जनजाति और जाति के सम्पूर्ण विकास के लिये कार्य करता था। 1975 में जब जनजाति उप-योजना क्षेत्र अलग हुआ और इसके लिये अलग से प्रशासनिक विभाग गठित हुआ तब से जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये जनजाति विकास विभाग गठित होकर के एक स्वतन्त्र बोर्ड गठित हुआ। इस विभाग के अधीन जो एक्टिविटीज 1977 में प्रारम्भ हो गयी उसके बाद से आज तक कोई भी नयी योजना विभाग ने इसमें जोड़ी हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। इस विभाग के अधीन, क्योंकि अभी समाज कल्याण की बात मैं कर रहा था तो संक्षिप्त में आरक्षण की और अन्य सुविधाओं की बात हमारे पूर्व माननीय सदस्य श्री टीकमचन्द जी ने आपको यहां बता दी। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से स्कीम्स डिफेंस सर्विसेज के तहत संचालित की जा रही हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि नयी

(श्री महावीर भगोरा)

योजना में जैसे मंत्री महोदय ने प्रयास किया है कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसमें सुधार आये । समाज कल्याण के छात्रावासों के जो सहायक अधीक्षक हैं, वैसे उनके काफी पद रिक्त हैं । परन्तु जो भी अधीक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित करके उनमें ऐसे विचार विकसित करके छात्रों में संस्कार डाले जाएं, ऐसा प्रयास मंत्री महोदय ने किया है । इसके लिये भी मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । परन्तु इस विभाग में जो स्कीम्स शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की आबादी के स्थानों के लिये शुरू कर रखी है उसमें कुछ आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है । आर्थिक विकास के लिये शिड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये कार्यरत है । परन्तु राज्य सरकार के द्वारा उसमें जो गारंटी देने की बात थी तो उचित मात्रा में राशि की गारंटी नहीं देने से विकास के जितने हमारे प्रोग्राम थे, या जो भी योजनाएं यहां से प्रस्तावित की गयी वह स्वीकृत नहीं हो पायी और इससे शीघ्र लाभ या फायदा उन लोगों को नहीं मिल पाया । मैं चाहता हूं राज्य सरकार इसमें अपने हिस्से की जो गारंटी है, वह शीघ्र से शीघ्र जारी करे । डिफेंस सर्विसेज में विकलांग सहायता के तौर पर जो विभाग सुविधा देता है मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि कई जिले आज भी ऐसे हैं जहां पिछले दो-दो, तीन-तीन साल से विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है । आर्थिक सहायता का जहां तक सवाल है, हमारी जो स्वयं सेवी संस्थाएं चाहे वह महावीर विकलांग कल्याण समिति हो, या अन्य विभाग हैं, उनके माध्यम से काफी विकलांगों की सुविधाएं लोगों को मुहैया करायी जा रही हैं परन्तु विभाग द्वारा जो सीधी योजनाओं के द्वारा हमको लाभान्वित किया जा रहा है वह समय पर उन्हें नहीं मिल रहा है जिससे उन लोगों में समय पर साधनों का अभाव रहता है और वह जो विकास करना चाहते हैं वह अवरुद्ध हो जाता है । इसी तरह से असहाय बच्चों और महिलाओं के लिये निराश्रित बाल गृह चल रहे हैं – या अशक्त महिलाओं के लिये जो वृद्ध और अशक्त गृह चल रहे हैं उसमें भी काफी अनियमितताएं हैं । विभाग के द्वारा जो स्कीम्स संचालित हैं उनमें सही रूप से कार्य नहीं हो रहा है । वैसे विभाग ने अभी नया प्रयास किया है कि स्वयं सेवी संस्थाओं को यह स्कीम्स देने जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप नये सिरे से विचार करके इनको पुनर्गठित करें और संचालित करने में योगदान देवें ।

(17.00)

इसी तरह से छात्रावासों की जो दुर्दशा है, उनमें जो सामान की आवश्यकता है, उनके पास मूलभूत सुविधाए भी नहीं हैं । भवनों का जहां तक सवाल है, आपने 63 भवनों का प्रस्ताव इस साल रखा है । परन्तु सभी छात्रावास ऐसे हैं जो या तो किराये के भवनों में चल रहे हैं या बनने के बाद उनमें किसी तरह के सुधार की व्यवस्था के लिए राशि मुहैया नहीं करायी है । प्रति वर्ष इसका भी बजट प्रावधान किया जाए ताकि उसमें सुधार हो सके और एक छात्रावास का वातावरण निर्मित हो सके ।

इसी तरह से ट्रेनिंग और नौकरियों का सवाल है उसमें आपका विभाग प्रयास तो

(श्री महावीर भगोरा)

कर रहा है परन्तु जिस हिसाब से प्रावधान करके सुविधाएं जुटानी चाहिए थीं वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, छात्र उन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं।

छात्रों की छात्रवृत्ति की बात है। महंगाई का मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है उसी हिसाब से छात्रों की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

इसी तरह से बुक बैंक का सवाल है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बुक बैंक के अभाव के कारण समय पर किताबें खरीद नहीं पाते हैं। उनके लिए प्रावधान करके जितना ज्यादा सम्भव हो, बुक बैंकों की स्थापना की जाए।

इसी तरह से कल्याण की कुछ अन्य स्कीम्स हैं जो आपके विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं। उसको आप जिला स्तर या सम्भागीय स्तर पर ऐसी कमेटी गठित करके उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। इसी तरह से जनजाति विकास विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति विकास विभाग में अब तक जो योजना मद का पैसा दिया जाता रहा है उसमें कभी भी सात पर्सेण्ट से ज्यादा पैसा व्यय नहीं किया गया है और ये जो पैसे के लेप्सेज रहे हैं इसकी वजह से जो राशि हमें विकास के लिए मिलनी चाहिए, उससे हमारे जनजाति के लोग वंचित होते जा रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने तीन पर्सेण्ट पैसे का भी उपयोग नहीं किया है तो जो मूलभूत राशि 12 पर्सेण्ट है उसका ही उपयोग नहीं होता है तो विकास के कार्य कैसे सम्भव होंगे ? गत वर्ष का प्रगति विवरण आपने हमें उपलब्ध कराया है उसमें एक मोटा आंकड़ा मैं दे रहा हूं इसमें फरवरी तक राशि व्यय की गयी है। आपका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के हिसाब से एक-दो विभाग का ही आकलन करूंगा। कृषि विभाग में 381.22 लाख रुपये का आपने प्रावधान किया था और फरवरी तक 129.60 लाख रुपये ही व्यय हुए। इसी तरह से पशुपालन में भी 322.03 के एवज में 168.65 और इसी तरह से जो भौतिक लक्ष्य रखे गये थे उनमें भी स्थिति यही है कि कृषि में 9611 क्विंटल उन्नत बीज वितरण का था उसमें से बीज वितरित नहीं हुआ, मिनी किट्स की भी यही स्थिति है, वन विभाग की भी यही स्थिति है 1404.4 का लक्ष्य रखा था और 664.18 ही व्यय किये गये हैं। एक महीना ही बचता है और यह फरवरी तक का व्यय है। इसी तरह से आपके यह टार्गेट किसी भी वर्ष में पूरे नहीं होते हैं। इस पर आप गौर करके सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें कि यह राशि क्यों नहीं व्यय की गयी और जिन गरीब लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थीं उनको उनसे वंचित क्यों रखा गया ? एक मोटा निवेदन मेरा यही था।

इसी तरह से मैं एक बेसिक चीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जनजाति के लोगों का जीवन मुख्यतः जल, जमीन और जंगल पर निर्भर है और आज की तारीख में जंगल तो पूर्णतः राष्ट्रीयकृत होने से जनजाति के लोगों के हाथ से बाहर

(श्री महावीर भगोरा)

निकल गया और इसी तरह से जमीन की स्थिति है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये और जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होने से, जंगल कट जाने से, पहाड़ी ढलानों पर उनके टुकड़े होने से और पानी के बहाव के कारण जो उर्वरा मिट्टी है वह बह कर चली गयी। आज की तारीख में यह है कि बरसात के चार महीने में काम करने के लिए उनके पास खेती का काम रहता है और वह भी अगर बरसात हुई तो ठीक है नहीं तो भगवान भरोसे अपनी जमीन से जीवन-यापन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि जनजाति क्षेत्रों से जल बह कर गुजरात और मध्य प्रदेश में चला जाता है, इस पानी को किसी तरह से रोका जाए, इस पर विभाग को चिन्तन करना चाहिए और जितना सम्भव हो सके छोटे-छोटे एनीकट बना कर, शेड डेम बना कर जैसा कि मारवाड़ में बड़े-बड़े टांकें बनाये जाते हैं उसी प्रकार से हमारे यहां पर टांकें बना कर पानी को रोकना चाहिए।....

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा : मैं बहुत शार्ट में ही बोल रहा हूं। जहां तक जमीन का सवाल है। जमीन के सुधारीकरण के लिए प्रयास करना चाहिए, मेड़बन्दी करके, जगह-जगह भूमि का समतलीकरण करके सुधारा जाना चाहिए ताकि वे उसमें खेती कर सकें।

इसी तरह से उस जमीन में झरने बहते हैं या जो प्राकृतिक नदी नाले हैं उनको रोक करके आपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। बड़े-बड़े डेम या मध्यम श्रेणी के डेम बनते हैं उनसे ठीक तरह से सिंचाई हो नहीं पाती है क्योंकि खेत छोटे-छोटे हैं। इसलिए जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन स्रोतों को रोक करके, नालियां पक्की करके उनके खेतों में पानी ले जाना चाहिए ताकि उनके खेतों को पानी मिल सके। यह मेरा निवेदन है।

इसी तरह से फोरेस्ट का मामला है। जितनी जमीन आज फोरेस्ट विभाग के पास है उसमें आजादी के बाद वन विकास के लिए कितना पैसा फोरेस्ट विभाग ने लगाया ? आज की तारीख में उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपलब्धि है, वह हमारे सामने हैं। मेरा तो सम्बन्धित विभागों के माननीय मंत्रियों से आग्रह है कि वनवासियों की जमीन के पास जो भी जमीन है, चाहे 5 हैक्टेयर में हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : वनवासी मत बोलो।

श्री महावीर भगोरा : आदिवासियों के पास जो भी जमीन है उस जमीन के पास 5 या 10 हैक्टेयर जमीन उनको आबंटित कर दी जाए और उनको वन विकास के लिए....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : हां, आदिवासी ठीक शब्द है।

श्री महावीर भगोरा : आदिवासियों की जमीन के पास, मैं यही शब्द बोल रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वन-वासियों के नाम से कल्याण परिषद और अन्य संस्थाएं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनी हुई हैं उनका विरोध सबसे पहले गुजरात में हुआ कि वनवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। अब उसकी नकल आप कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : निर्दलीय शब्द ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्दलियों, आपका तो पता ही नहीं कि किस शासन में निर्दलीय रहते हैं और किस शासन में....

श्री महावीर भगोरा : तो मेरा आग्रह है कि वन विकास के लिए भूमि आबंटित की जाए। वृक्षारोपण, चारामाह विकास, वन औषधि, आयुर्वेदिक औषधियां, इस तरह का विकास किया जाए।

इसी तरह से संक्षिप्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि आपके पांच साल के शासनकाल में आपकी क्या उपलब्धि रही ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के 48 वर्ष में हमारे एक ही क्षेत्र को ले लें शिक्षा को तो आज हम 1991 तक 9 प्रतिशत से लेकर 38.55 प्रतिशत ही साक्षरता को बढ़ा पाये हैं तो एक वर्ष में एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ा पाये हैं। और हमारे क्षेत्र की दुर्दशा तो यह है माननीय नेताजी तो नहीं बिराज रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम नारा तो यह दे रहे हैं कि एक नारी पढ़ेगी तो 100 पीढ़ी तरेगी। परन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि पूरी एक पीढ़ी हमारी चली गयी। हमारे देश की जो औसत आयु है वह 45 वर्ष है और आजादी को 48 वर्ष हो गये। उदयपुर में साक्षरता का सामान्य, 18 पर्सेण्ट है और एक तहसील कोटड़ा जिसकी आबादी 90 पर्सेण्ट जनजाति की है और वहां पौन पर्सेण्ट जनजाति की महिलाओं का प्रतिशत है। तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आजादी के 48 वर्ष में हम कितने लोगों को साक्षर कर पाये हैं और इसके लिए कौन सी सरकारें जिम्मेदार हैं। यह आप स्वयं अन्दाज लगा लें। मैं तो एक मोटा आंकड़ा दे रहा था।

इसी तरह से मैं आई. टी. आईज. की तरफ भी थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। आई. टी. आईज. जो आप हमारे यहां संचालित कर रहे हैं उनमें मेहरबानी करके ऐसे कोर्स शुरू करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। जल्दी समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा : संक्षेप में ही बोल रहा हूं। रोजगार की दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां टी. आर. आई. चल रही है जनजाति विकास विभाग के माध्यम से। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि 1964 से यह संस्थान चल रहा है, 1975 तक तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेण्ट का इस पर कब्जा था इसके बाद बीस साल से जनजाति विकास विभाग का है। बीस साल में इस टी. आर. आई. ने क्या काम किया ? मैं तो यह चाहता हूं कि जो स्टडी की, जो खर्चा किया, उस स्टडी की जो उपलब्धियां आयीं उसका जनजाति विकास में कितना उपयोग हुआ ? माननीय मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूं और पांच-छह साल से

(श्री महावीर भगोरा)

आपने उसमें आर. ए. एस. अफसर लगा दिया है, उस आर. ए. एस. अफसर का उससे क्या लेना-देना ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, श्री रघुवीर-सिंह जी।

श्री महावीर भगोरा : कोई एकेड-मिशियन लगाइये, मेरा इसमें यह आग्रह है। उसी तरह आई. टी. आई. में भी लोकल क्षेत्र के हिसाब से ट्रेनिंग दो ताकि ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को रोजगार मिले। यह मेरा आग्रह है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30 पर मैंने भी दो कटौती प्रस्ताव दिये थे। उसके अन्तर्गत आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं मात्र इस किताब के अन्दर आने वाली बातें ही बताऊंगा, मैं कोई भूमिका नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आपने पहले ही पाबन्द कर दिया है। इस किताब का कलर ग्रीन है। इसके अन्दर की उप-लब्धियों को काली कहूं या सफेद कहूं तो मुझे किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मान्यवर, मैं सिर्फ जनजाति उप योजना की बात कर रहा हूं जहां के पांच जिलों में 23 पंचायत समितियों की कुल जनसंख्या 35.19 लाख है। इसमें 24.01 लाख जनजाति है जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का कुल 68.24 प्रतिशत है। मान्यवर, गत वर्ष के बजट में, 1994-95 के बजट में जन जातीय उपयोजना में विभाग के माध्यम से खर्च करने के लिए 333.13 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके एवज में 183.53 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह हमारे विभाग की उपलब्धि है। जबकि इस किताब के पहले पन्ने पर विभाग के चार उद्देश्य बताये हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, दूसरा जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास। तीसरा, जन-जातीय विकास की विभिन्न उपयोजनाओं का निर्माण, समन्वय, निर्णय, नियंत्रण और निर्देशन। इस तरह से चार बड़े-बड़े महत्व-पूर्ण बिन्दु बताये हैं। इसके अन्तराल में इसकी उपलब्धियों में मैं सिर्फ ये आंकड़े बताकर ही निवेदन कर रहा हूं, इससे जाहिर होगा कि हमारा विभाग कितना जागरूक है, जनजातियों के विकास के लिए कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जन-जातियों के लिए विकास का कार्य कर रहा है। दूसरा, इस किताब में जनजातियों को 9611 क्विंटल उन्नत बीज उपलब्ध करवाना बताया गया है। 19442 क्विंटल रासायनिक खाद उपलब्ध करवाना बताया गया है। मान्यवर, मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूं। विधायक बनने के बाद डेढ़ वर्ष हो गया है, मैंने तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं इतना खाद बांटते हुए नहीं देखा और ये माननीय सदस्य सभी जनजाति क्षेत्रों से आए हुए हैं, हो सकता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में न बांटा हो और दूसरे क्षेत्रों में बांटा हो तो, इनमें से कोई जानते होंगे। इसी तरह से मत्स्य पालन पर इस विभाग का आंकड़ा था, प्रावधान था 134.21 लाख रुपये, इसमें खर्चा कितना किया गया है, 33.06 लाख रुपये खर्चा किया, 101.15 लाख रुपये लेप्स हुए या कुछ भी मानें। इसी तरह से इनके पूरे लम्बे-चौड़े एक

(श्री रघुवीरसिंह)

पाइंट पर इनका फाल्ट है। विद्युत पर इनका प्रावधान था 11 सौ लाख रुपये, उसके अगेंस्ट में इन्होंने खर्चा किया है 402 लाख रुपये। मतलब यह हुआ कि 698 लाख रुपये लेप्स हुए जबकि जनजाति क्षेत्र में यह परिस्थिति है कि आज विद्युत पर ही अगर अपन लेवें तो एक दो पोल लगाकर भी एक गरीब काश्तकार अपने कुए पर कनेक्शन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता है कि उसके कनेक्शन लेने के लिए 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये डिमाण्ड आएगी और वह ताकता है, किधर ? डी. आर. डी. ए. की तरफ, सरकार की तरफ कि कोई न कोई मुझे मदद कर दे और यहां इतना पैसा लैप्स होता है। यह विभाग उन लोगों को अगर, और थोड़ी-थोड़ी मदद कर दे तो उस गरीब आदमी के कुए पर या उसके घर पर लाइट भी जा सकती है और यह लेप्स भी नहीं होगा। उद्योग और खनिज पर क्रमश: 1049.91 लाख रुपये का प्रावधान था, उसके बदले में इन्होंने 464.95 लाख रुपये खर्च किये, 584.96 लाख रुपये लेप्स हुए। खनिज पर 218 लाख रुपये का प्रावधान था 47.5 लाख रुपये खर्च किये, 170.95 लाख रुपये लेप्स हुए। तो क्या यह सरकार वहां की जनजातियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, मैं यह मानूं ? बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, इतना हमने बजट जारी कर दिया और वहां की उपलब्धि आपके सामने हाजिर है।

श्रीमान्, इसी तरह आयुर्वेद का आंकड़ा आपको बताऊं। आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर में 40 जनजाति छात्रों का एक बैच है, ट्रेनिंग के लिए भर्ती करते हैं, उनको भर्ती करते ही यह कहा जाता है कि 21 सौ रुपये एक मुश्त फीस जमा कराओ। पूरे हिन्दुस्तान में किसी इंस्टीट्यूट पर इतनी फीस एक साथ जमा नहीं करानी होती और जनजाति विभाग या जो भी विभाग उसको मदद करता है, कितनी देता है, 150 रुपये मासिक स्टाइपेंड उनको देता है, एक साल में 18 सौ रुपये की मदद करते हैं। 18 सौ रुपये की मदद करके 21 सौ रुपये एकमुश्त वसूल करते हैं, किश्तों में नहीं एक मुश्त जमा कराओ 21 सौ रुपये और फिर क्या वह रोज मेहनत करके, 20 रुपये कमाकर घर पर लाकर बाल-बच्चों का पेट भरने वाला आदमी 21 सौ रुपये एकमुश्त जमा करा सकता है ? यह बात मैंने व्यक्तिगत रूप से आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन की थी, परन्तु आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। मान्यवर, मैं भी मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आप भी इस ओर ध्यान देवें। चिकित्सा के मामले में, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, जनजाति क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, सरकार ऐसी मंशा रखती है, इसके लिए 94-95 के बजट में प्रावधान था 836.42 लाख रुपये। मान्यवर, 356.18 लाख रुपये खर्च किये तो यह इतना फर्क क्यों है ? प्रावधान ज्यादा था, खर्चा आधे से भी कम हुआ तो क्या हम यह मानें कि विभाग बिलकुल ही काम करने के लिए या तो तैयार नहीं है या झूठे-मूठे तोड़-मरोड़ कर आंकड़े पेश करने के लिए तैयार है या यह समझते हैं, विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, जो भी हैं कि इस कौम के जो भी

(श्री रघुवीरसिंह)

प्रतिनिधि हैं या जन प्रतिनिधि हैं, या तो वे इस बात को समझते ही नहीं हैं या फिर सरकार ही हमें शह दे रही है तो क्या दिक्कत है। यह कहीं-न-कहीं फर्क है। मान्यवर, मैं आपका और ज्यादा क्या ध्यान आकर्षित करूं, आंकड़ों में ...

श्री अध्यक्ष : बहुत कर दिया आपने।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मान्यवर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, पौन घण्टे एक माननीय सदस्य बोल सकता है, मैं 15 मिनट तो बोलूंगा (व्यवधान).. मान्यवर, इसी तरह इस विभाग के साथ-साथ जनजाति उपयोजना, जनजाति विकास के लिए एक संस्था और है, राजससंघ, राजसमंघ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, वह कई सारे उद्देश्य और कई सारे काम करती है। मैं इस बारे में विस्तार से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा परन्तु इसके संचालक मण्डल के बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। इसमें 17 सदस्य हैं। इसमें एक अध्यक्ष है, एक सदस्य सचिव है, इन 17 सदस्यों में आई. ए. एस. हैं, सीनियर आई ए. एस. हैं, सी सी. एफ. हैं, इस तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका जनजाति कौम से कोई लेना-देना नहीं है। न उस कौम में पैदा हुए और न जनजातियों की क्या समस्याएं होती हैं, उनके बारे में उनका कोई मतलब ही है। उनकी डिक्शनरी में इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूं, जो आदमी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़कर आया और केम्ब्रिज में पढ़कर आया और यहां एयर कंडीशन्स में बैठकर जनजातियों के बारे में, क्या वहां के बैकवर्डों के बारे में प्लानिंग बनाते हैं ? क्या सक्सेस होगी वह प्लानिंग ? ये संचालक मण्डल के 17 सदस्य हैं इनमें जनजाति के किसी प्रतिनिधि को क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता या वहां के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं ? डेढ़ साल हो गया विधान सभा चुनाव होने के बाद, हमें किसी तरह की आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी में हमारा प्रतिनिधि हो और हमें किसी तरह से सूचना दी हो कि आपकी कौम के बारे में हम प्लानिंग बना रहे हैं और आप माननीय सदस्य आओ या कोई भी प्रतिनिधि आओ, जो इस कौम के बारे में जानता हो। ऐसा किसी को न तो सूचित किया है बल्कि यहां तक कि मंत्री जी को भी सूचना नहीं होती।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रघुवीरसिंह : इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन कर दूं, मंत्रीजी का जिक्र आ गया। उदयपुर में हमेलो नाम का एक सम्मेलन किया गया था जिसमें एक संस्था थी नोबलकास्ट सोसायटी जिसमें यह टार्गेट बताया कि 6 लाख रुपया खर्च होगा इस कार्यक्रम में। विभाग ने इसके लिए खुद जिम्मा लिया कि हम इस काम को करवायेंगे और करवाया भी विभाग ने। न कोई पूर्व स्वीकृति, खर्चा हो जाए उसके बाद स्वीकृति लेते हैं। उसमें 15 लाख रुपये खर्च कर दिये। सोसायटी ने कहा कि 6 लाख रुपये के अन्दर काम पूरा हो जाएगा परन्तु विभाग 15 लाख रुपये खर्च करता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लोग वहां के टी. एस. पी. एरिया के जो भी

(श्री रघुवीरसिंह)

जनजाति के लोग हैं उनको कहां पहुंचाना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते कि उनके लिए महल बना दो परन्तु जिस झोंपड़ी में वह हैं कम से कम झोंपड़ी में खाना तो खा सकें। ऐसी परिस्थिति तो बनाओ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शीघ्रता करें।

श्री रघुवीरसिंह : शीघ्रता ही कर रहा हूं मान्यवर। मैं इसके साथ ही माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के बारे में भी यह निवेदन करूंगा कि टी. एस. बी. एरिया में आज तक कोई आई. ए. एस., आई. पी. एस. या आई. एफ. एस. या कोई बड़ा आफिसर नहीं बना है जहां तक मेरी नालेज है। हां, कई इक्के-दुक्के एरिया में आर. टी. एस. हो सकते हैं। माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान में एक होस्टल की व्यवस्था थी यह शोध संस्थान चार-पांच बिन्दुओं पर काम करता है जो जनजाति से सम्बन्धित ही होते हैं। वहां एक होस्टल है जहां जनजाति के छात्र रहकर, कम्पीटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, वहां रहकर उनको होस्टल की ऐसी सुविधा मिल सकती है। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि उस होस्टल को बन्द करके उसमें संस्था का कार्यालय चलाया जा रहा है और उस होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी या जो भी काम्पीटिटर थे उनको रोड पर निकाल दिया या उनको घर भगा दिया और यह कह दिया गया कि हम ऐसा कह रहे हैं। पी. एम. टी. के लिए 11, कनिष्ठ लेखाकार के लिए 19....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।....(व्यवधान)....माननीय सदस्य, डिस्टर्बेन्स नहीं करें।

श्री रघुवीरसिंह : राजस्थान प्रशासनिक मुख्य सेवा के लिए दो हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि गरीब क्षेत्र के लोग क्या उदयपुर में कमरा किराये पर लेकर रह सकते हैं? यह इन परीक्षाओं की तैयारी कहां रहकर करेंगे? अगर वह होस्टल होता तो वहां रहकर कर सकते थे और वह होस्टल कौन से खर्चे से बना है। यह मंत्री जानकारी लें। अगर जनजाति के पैसों से बना है तो जनजाति के लड़के ही वहां रहकर पढ़ने चाहिए। होस्टल को खतम करके उसमें कार्यालय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रिपीटीशन नहीं करें। बिराजें आप। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री रघुवीरसिंह : मान्यवर, आजादी तक तो....

श्री अध्यक्ष : बार-बार रिपीटीशन कर रहे हैं। माननीय सदस्य आप 14 मिनट बोल चुके हैं। मैं बराबर टाइम नोट कर रहा हूं। इसलिए ही मैं ज्यादा मौका दे रहा हूं। आप आधा मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह : एक आखिरी निवेदन है। मान्यवर मैं शोर्ट कर देता हूं।

मान्यवर, मेरे दूसरे कटौती प्रस्ताव में जो बिन्दु था वह जनजाति क्षेत्र में जनजाति स्वायत्तशासी परिषद के गठन के बारे में था। इसके लिए मैं पुरजोर मांग इसलिए करता

(श्री रघुवीरसिंह)

हूं कि सब आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह विभाग बिलकुल फेल है और जिन जनजातियों के विकास के नाम से यह खर्च करता है वह बिलकुल मिथ्या है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री महोदय सलूम्बर में पधारे थे, 1989 में तब चुनाव हुए थे। वहां पर जोर-जोर से यह घोषणा करके आये हैं कि मैं जनजाति परिषद् का संगठन करूंगा। वैसे मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर ही दी है परन्तु मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं ताकि जनजाति क्षेत्र में जो भी प्लानिंग हो, जो भी योजना हो, एक बिल्डिंग में वह बने, एक छत के नीचे उनको लाभ मिले और एक ही खिड़की से उनको लाभ मिले। आज आदिवासियों की जो भी योजनाएं बनती हैं लगभग प्रायः खतम होने आती हैं और उनको सूचना मिलती है कि हमारे लिए यह योजना है। वह दौड़े-दौड़े कहां जाएंगे? पटवारी के पास जायेंगे, पंचायत समिति के पास जायेंगे डी. आर. डी. ए. जायेंगे चार जगह भटकते-भटकते वह योजना खतम हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जनजाति स्वायत्तशासी संस्था का गठन करें। ..

श्री अध्यक्ष : बैठिये माननीय सदस्य। श्री शांतिलाल खोईवाल

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह वन विन्डो की बात कर रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के एम. एल. ए. हैं और मेडन स्पीच है....

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा बोले हैं। मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं। और दो सौ रुपये के लड्डू भी खिलाने चाहिए इनको.... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : यह वन विण्डो की आई थिंक बहुत इनोवेटिव बात कही है।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छी बात कही है, यही नहीं दो-सौ रुपये के लड्डू भी खिलाने पड़ेंगे इनको....

श्री परसराम मदेरणा : आप दो मिनट का टाइम दीजिये इनको, बहुत टू दी पाइंट बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब खतम हो गया इनका। और बोलना है आपको ?

श्री रघुवीरसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि थोड़ा-सा तो हम पर और रहम करो। तो यह मांग इसलिए कर रहा था कि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के बजाय जनजाति स्वायत्तशासी परिषद् की स्थापना की जाए और इसकी समीक्षा प्रदेश लेवल पर कायम होती थी अब इस कार्यक्रम की समीक्षा जिला लेवल पर होनी चाहिए और एक अधिकारी स्पेशली इसकी समीक्षा के लिए या इन जातियों की समस्याओं के निवारण के लिए अलग से कायम करना चाहिए और कार्यालय अलग से होना चाहिए। बल्कि आज जो यह गुड़गोबर हो गया है इसको खतम करना चाहिए और जिनको आपने इस कौम के लिए बैठा रखा है, समस्याएं सुनने के लिए इनकी भलाई के लिए ऐसे ठेकेदार हैं जिनको इस कौम के नाम से नफरत होती है, कौम के नाम से बू आती है। हम उनसे क्या उपेक्षा करें कि वह समाज का उत्थान करेंगे। इसलिए, मान्यवर,

(श्री रघुवीरसिंह)

मेरा यह सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है उस आधार पर इस स्वायत्तशासी संस्था का गठन जरूर करें और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जनजाति विकास मंत्रालय एवं समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। दोनों ही मंत्रालय कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जहां तक कमजोर वर्ग का प्रश्न है चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो और चाहे महिला वर्ग हो और चाहे बैकवर्ड क्लासेज वर्ग के हों – इन सभी समुदायों के विकास के लिए दोनों ही मंत्रालय कार्यरत हैं और कृत संकल्प हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए कृत-संकल्प है। जहां तक इन कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रश्न है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट प्रोवीजन्स में सभी वर्गों के जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कहीं न कहीं प्रावधान और कहीं न कहीं प्रोवीजन्स रखे हैं। मैं छोटे-से दो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ व्यवसाय सिर्फ कमजोर वर्ग के लोग या समुदाय विशेष के लोग ही करते हैं और उन व्यवसायों के बारे में आम लोगों को जानकारियां भी नहीं होती हैं। उन व्यवसायियों को भी राहत देने के लिए बजट में प्रावधान रखा है और बड़ी पैनी निगाह से उनको राहत पहुंचायी है। सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि खालों का और ऊन का व्यवसाय कमजोर वर्ग के लोग करते हैं। आज दिन तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार अपने बजट प्रस्तावों में यह तय किया है कि उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगता है उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए ...

श्री परसराम मदेरणा : यह कौन-सी खालें हैं? इर्रिगेशन का खालों से मतलब है?

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इस तरह का प्रोवीजन पहले नहीं रखा गया है और पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने कच्ची खालों और ऊन का व्यवसाय जो छोटे वर्ग के लोग करते हैं, वह सारा का सारा सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया है। यह स्वागत योग्य मसला है। दूसरी ओर आपको यह भी मालूम है कि भेड़ बकरियों का धंधा भी कमजोर वर्ग के लोग ही करते हैं। इसमें कोई बड़े समुदाय के लोग या समृद्ध समुदाय के लोग काम नहीं करते हैं। इस बारे में कोई पहले वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जो भेड़ बकरी के व्यवसायी हैं, चाहे खटीक हो, चाहे कसाई हो, चाहे कमजोर कमजोर वर्ग के अन्य लोग हों, वे ही लोग काम करते हैं। इस व्यवसाय के कारण अधिकारीगण इनको बुरी तरह एक्सप्लायट कर रहे थे। वह इस ढंग से कह रहे थे कि बकरियां और भेड़ें जो प्रदेश से बाहर जाती थीं उन पर बाहर जाने के 12 रुपये प्रति नग के

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

हिसाब से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। वह अधिकारीगण उसमें क्या करते थे, यदि उसमें 300 बकरा-बकरी हैं तो वह 200 की ही चिट्ठी काटते थे और शेष 100 के पैसे रिश्वत के रूप में ले लिया करते थे। बात बहुत छोटी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस मुद्दे की ओर ध्यान गया है, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 रुपये प्रति नग के बजाय छोटी ट्रक का एक हजार रुपया फिक्स कर दिया और बड़ी ट्रक का दो हजार रुपया फिक्स कर दिया। अब बताइये जो कर्मचारी, जो अधिकारी इस बात के लिए लाइन में लगे रहते थे कि हमारी रतनपुर नाके पर पोस्टिंग हो जाय या हमारी शाहजहांपुर नाके पर पोस्टिंग हो जाय, वहां पर इस तरह कुकृत्य करके अधिक से अधिक पैसा वसूल किया जा सकता है, अब उनको इस तरह का मौका नहीं मिलेगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। अब खाने का कुछ भी नहीं है। यदि बड़ी ट्रक जायेगी तो मान लो तीन सौ नग गये हैं तो उनको दो हजार रुपये ही देने पड़ेंगे इससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान गया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, मुद्दा यह है कि यह भेंडे और बकरे बाहर काहे के लिए जाते हैं ? आप अहिंसा की बात करते हो तो फिर कटवाने के लिए बाहर क्यों भेजते हो ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा निवेदन यह है कि हर व्यवसाय को कोई न कोई वर्ग करेगा। झाड़ू-सफाई का काम यह सफाई वर्ग वाले लोग नहीं करें तो आप लोग परेशान हो जायेंगे। इसलिए इस बारे में इस तरह के विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। किसी न किसी व्यक्ति को यह व्यवसाय करना ही है।

श्री परसराम मदेरणा : कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यह भेड़ और बकरी जोधपुर डिवीजन में आम काश्तकार रखता है। आम काश्तकार जो गाय भैंस रखता है वह भेड़ बकरी भी रखता है। मेरा छोटा भाई है वह भी रखता है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सही फरमा रहे हैं। आम व्यक्ति इस तरह का व्यवसाय करता है लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य उन भेड़ बकरियों को मेन्टेन करने के लिए जंगल में चराने के लिए जाता हो। उसमें भी चराने वाला कोई न कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का ही होगा। यह आप मानकर चलिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप बहुत गलत बात कह रहे हो। कोई भेड़ चराने के लिए वह नहीं जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वह खुद चराने के लिए जाता है वह मेरे से दो साल छोटा है लेकिन भेड़ बकरी चराने का मतलब यह नहीं है कि भेड़ बकरी चराने से आवार हो जाओगे। वह कोई दो सौ, चार सौ भेड़ बकरी नहीं रखता है। 15-20 भेड़ रखता है और 15-20 ही बकरियां रखता है, वह उसके खेत में चरती

(श्री परसराम मदेरणा)

रहती हैं, घर वाले भी देख लेते हैं। आप यह समझते हो कि सब जगह शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ही चरा रहे हैं। आप बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और रेगिस्तानी इलाके में नहीं गये हैं, काश्तकार खुद चराते हैं, उनके बच्चे चराते हैं उनके परिवार के लोग चराते हैं, उनकी महिलाएं चराती हैं। आजकल की आप बात कर रहे हैं सब जगह शिड्यूल्ड कास्ट वाला चरा रहा है ? क्या बेबुनियादी बात करते हैं ?..

एक माननीय सदस्य : शहरी आदमी हैं इनको पता नहीं है।.... इन्होंने आफिसरी की है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको भेड़ों से क्या लेना-देना है ? बिराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवसाय में और भेड़ बकरी चराने में दोनों में थोड़ा अन्तर है। मैं नहीं समझता कि खरीद फरोख्त का काम, इन बकरों के मांस का काम, इन बकरों को बाहर भेजने का काम.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलालजी....

श्री शांतिलाल खोईवाल : आपका कोई वर्ग करता है तो यह काम तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग ही करते हैं दूसरे लोग नहीं करते हैं। मैं समझता हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता बहुत आसानी से सहमत हो जायेंगे।.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने यह कहा कि आपका छोटा भाई, दो साल छोटे हैं, उनके पास इतनी भेड़ें हैं, +++ (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सुना नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एम. एल. ए. के लिए क्यों समझ रहे हैं, माननीय ? बिराजिये, बिराजिये।.. (व्यवधान).... परसादीलालजी, ऐसा नहीं, बिराजिये आप।.... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : आप हमको +++ इसको एक्सपंज करवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इनसे माफी मंगवाइये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी, बिराजिये।....

श्री रामस्वरूप : +++

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।....

एक माननीय सदस्य : नहीं....

श्री नाथूराम अहारी : +++

श्री रामस्वरूप : +++

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिए ।....

श्री अध्यक्ष : घनश्यामजी की बात.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री अध्यक्ष : धीरे बोलिये, रामस्वरूपजी क्या कह रहे हैं पता नहीं लग रहा ।...

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज करवाया जाय ।

श्री रामस्वरूप : आप + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की परम्पराओं का ध्यान रखें, सदन में कुछ परम्पराएं होती हैं.... (व्यवधान) ये ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं । इसको परिभाषित किया जाय । यह अशोभनीय घटना है ।....

एक माननीय सदस्य : माफी मांगिये ।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके रहते हुए इस तरह की अशोभनीय घटना हो इससे ज्यादा सदन का कोई दुर्भाग्य नहीं है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, उधर से कितना बढ़िया कमेंट पास हो रहा है । कितना बढ़िया जवाब आ रहा है, आप उत्तेजित मत होइये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । सुनिये तो, माननीय विपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं ।..

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी की बात को काटने वाला जवाब आ रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर । मैंने सुना नहीं इसलिए पूछा । मुझे यह सुनकर के बहुत वेदना हुई है कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, यह आपने इनडाइरेक्टली एस्पर्शन किया है और कांग्रेस के माननीय सदस्यों का आपने अपमान किया है, असम्मान–सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यह अनपार्लियामेंट्री है । यह अनपार्लियामेंट्री शब्द है इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

एक माननीय सदस्य : माननीय परसादीलाल जी, क्या सब लोग + + + हैं.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य..

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य माफी मांगें, माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है....

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य को इस तरह से कहने का कोई अधिकार नहीं है, + + + माफी मांगें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखें, बिराजें ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

१८०

एक माननीय सदस्य : सदन की मर्यादाओं को आप रसातल में ले जा रहे हैं

एक माननीय सदस्य : सदन में कोई मर्यादा होनी चाहिए....

श्री रामस्वरूप : + + +

एक माननीय सदस्य : किसी सदस्य को कहा क्या ?

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री परसादीलाल मीणा : आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा....

श्री रामस्वरूप : आपने भी सुना और रिकार्ड में भी है ।....

श्री परसादीलाल मीणा : माफी मंगवाइये, घनश्याम जी से माफी मंगवाओ ।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, घनश्यामजी कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं ... (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं । (व्यवधान)

श्री नाथूलाल अहारी : इनसे माफी मंगवायी जाय ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं....

एक माननीय सदस्य : इनको कभी नहीं सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिये । यह कह रहे हैं कि मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं । मैंने स्वयं ने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा । मेरा ख्याल आपकी तरफ था कि मेरे भाई के हैं यह है वो है । मैंने नहीं सुना । बिराजें आप ।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं, बिराजें आप ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के एक्स-प्रेशन का और मंतव्य का कोई भी इन्फरेंस है तो no other inference can be drawn except that you passed an aspersion on the Opposition.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : Not at all.

श्री परसराम मदेरणा : आपने इनका अपमान किया है, असम्मान किया है, इसको विथड्रा करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : विथड्रा कर लिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह अन-पार्लियामेण्ट्री है, । अनपार्लियामेण्ट्री नहीं, डेरोगेटरी है ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अगर इनको मंत्री नहीं बनने का फ्रस्ट्रेशन है तो इस तरह यह फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में + + + इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए । माननीय सदस्य से मैंने अभी जानकारी की है, उनका मतलब यह नहीं था लेकिन इसका इन्फरेंस जो माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं वह निकाला जा सकता है । इसलिए वे अपने शब्द वापस ले रहे हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, माफी मांगें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट कर दिया है इसमें । खेद प्रकट कर दिया है इन्होंने । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : खेद प्रकट करो ।

श्री अध्यक्ष : वे खेद प्रकट कर चुके हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं, खेद प्रकट कर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : यह बात उन्होंने इंटेंशनली कही है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्री खोईवालजी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, भेड़ बकरियों के कारण अनवारंटेड चिन्तन का विषय बन गया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं विपक्ष के नेता से एक बात की जानकारी करना चाहूंगा कि घनश्याम तिवाड़ी ने तो अपने शब्द भी वापस ले लिये और खेद भी प्रकट कर दिया लेकिन जिस मैम्बर ने + + + उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी मुझे यह पूछ रहे हैं । अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं उत्तर दूं । बात यह है कि न तो मैंने किसी मैम्बर को कहते हुए सुना है, उसको आप क्या कहते हैं, जिस किसी ने ये वर्ड यूज किये हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये । जो भी व्यक्ति ऐसे शब्द यूज करता है मैं उसको कंडेम करता हूं, भर्त्सना करता हूं । मैं यह कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं । जैसा आपने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी अपने शब्द वापस लें । उन्होंने वापस भी लिये और खेद भी प्रकट किया । क्या आप अपनी पार्टी के सदस्य को यह बात कहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, कई दफे खेद प्रकट करने के कई ऐसे प्रकरण आये और मैंने खुद ने भी, मेरा इंटेशन भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैंने एक सैकण्ड में खेद प्रकट किया ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

182

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। आपके बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती लेकिन हाउस का एटमास्फियर इस प्रकार का बने तो उचित नहीं होगा। चाहे रिएक्शन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें....

श्री परसराम मदेरणा : इतना मेच्योर्ड आदमी, इतना पार्लियामेण्टेरियन, संसदीय परम्पराओं की जानकारी रखने वाले, वे कोई बात कहते हैं और कोई आदमी जल्दी में उत्तेजना में कह दे तो वह भी एतराज काबिल है इसलिए मुझे दुःख हुआ और कोई बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि बुरा कह दिया, वह कर दिया। आप आकर के उसको डिफेंड करने लग गये। कोई भी कहता है, he is irresponsible.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने डिफेंड नहीं किया है। मैंने कहीं किसी को डिफेंड नहीं किया बल्कि मैं सुनकर अपने चैम्बर से यहां आया हूं, यहां आकर मैंने पूछा है....

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइये, मैं क्या बताऊं? कोई भी असंसदीय वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सदन की परम्परा को तोड़ते हैं, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे आपने मेरे से चाहा कि मैं अपनी पार्टी के सदस्य को इस बात के लिए कहूं कि वह अपने शब्द वापस लें और खेद प्रकट करें, क्या आप अपनी पार्टी के सदस्य....

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य से अपील कर रहा था, उनके गुड-सैंसेज से। आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपको मैंने कब कहा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें या नहीं कहें लेकिन मैं ऐसा समझता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप सदन के नेता हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सदन का नेता हूं, आपकी भावनाओं को पहचानता हूं। आपका गुस्सा भी मैंने देखा है... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप तो भगवान हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भगवान नहीं हूं। इस सदन का सदस्य हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी सब भावनाओं को आप पहचान लोगे। मैंने तो उनको अपील की थी। बड़प्पन है उनमें।... (व्यवधान).... जब हो भी गया है तो माननीय सदस्य इस पर गौर कर लेंगे। मेरा मतलब यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब आप नहीं कह पायेंगे। यह मानकर चलूं कि आप अपने सदस्य को नहीं कह पायेंगे कि +++ वह उचित नहीं है और उन शब्दों को वापस लिया जाय। आप नहीं कह पायेंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, मैं उसको अनुचित मानता हूं। अगर किसी ने भी यह कहा है तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो कहिये वह विथड्रा करें। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो था नहीं उस दिन हाउस में। किसी ने भी कहा है तो आई कंडेम इट (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं था नहीं, किसी ने क्या एतराज किया, क्या बात हुई, किस रेफरेंस में बात थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप मुझे यह जानकारी दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पूछ लीजिये, नहीं कहा तो न सही।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा ?

श्री रामस्वरूप : मैंने तो यह कहा कि + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जिस जोर से कहा, यह प्रकट हो गया कि आपने कहा। बिराजिये आप। श्री शांतिलालजी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैसला हो गया। यह रिकार्ड तो रहेगा ...

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फैसला हो गया कि रिकार्ड पर कोई चीज नहीं जायेगी। तो माननीय सदस्य....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो चर्चा हुई है, it should all be expunged.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक। अब इसके बाद में, एक्सपंज करने के बाद में यह भी कंडीशन नहीं होगी कि कोई मैम्बर प्रयोग कर ले कि उसको खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : देखो, मैम्बर क्या कर लें, क्या नहीं कर लें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला छोटा नहीं है। आज छोटा मामला नहीं है। आप एक मैम्बर से कहते हैं कि खेद प्रकट करो....

श्री परसराम मदेरणा : मैं इंटेशन मोटिव इम्प्यूट नहीं करता। कई दफा लाइट वे में भी बात कही जाती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी पार्टी के मैम्बर को कहते हैं कि एक्सपंज....

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन लाइट वे में जाकर जो उसका ओवर फ्लो होता है और उसका अर्थ अलग ले लिया जाता है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा ...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : That is excusable.

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि सबसे ज्यादा ये आरोप आप ही लगायेंगे इधर-उधर तमाम....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, विपक्ष के नेता, इधर-उधर नहीं लगा रहा हूं। यह क्वेश्चन है परम्परा का। आप भी जानते हैं कि हम हमेशा सतर्क रहें कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस सदन में किया जाय और यह इस सदन की परम्परा रही है कि किसी ने आवेश में कह भी दिया तो शब्दों को वापस लिया है। यह भी सदन की परम्परा रही है कि उन शब्दों का प्रयोग करने के लिए उसने खेद प्रकट किया हो। मुझे इस बात का खेद है कि आपने घनश्याम तिवाड़ी के बारे में तो इतना रोष दिखाया और अपनी पार्टी के सदस्य के बारे में आप चुप रहे। आपकी मजबूरी है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं चुप कहां हूं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बोल नहीं रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या नहीं बोल रहा हूं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कहिये कि मैं खेद प्रकट करता हूं। वे नहीं करते तो मैं लीडर के नाते खेद प्रकट करता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उन्होंने कंडीशनल बात कही है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कंडीशनल कभी नहीं हो सकती....

श्री परसराम मदेरणा : कि आप यह कहते हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कंडीशनल कभी नहीं हो सकती ... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इसे एक्सपंज किया जाए ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, विपक्ष के नेता, इस बात पर भी मंजूर हूं। अगर आप इस बात की परम्परा डालना चाहते हैं कि कंडीशनल बातों के साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाय तो let it remain on record.

श्री किशन मोटवानी : वह परिस्थिति तो आपने क्रियेट की है।

श्री परसराम मदेरणा : It will not go on record.

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिर रिकार्ड में एक्सपंज क्यों कराया?

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक्सपंज कराने के लिए क्यों कहा? जब कंडीशनल बात कही जा सकती है, पार्लियामेण्ट्री हो सकती है तो फिर एक्सपंज कराने की क्या जरूरत थी?

श्री परसराम मदेरणा : आप जरा शान्त रहिये। बिराजो, बिराजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह शान्त रहने की बात नहीं है, परम्परा का सवाल है, मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं जा रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कंडीशनल का मतलब, जो बात एक उत्तेजना में उधर कही गयी तो इन्होंने एक कंडीशनल बात कही कि अगर यह है तो मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है और मैं मेरी पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करता हूं । इसको आप एक्सपंज कर दीजिये कोई भी यह जो वर्ड है, सदन की प्रोसीडिंग्स में नहीं आये ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करें ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है । अभी भेड़-बकरी की चर्चा बड़ी गम्भीर हो गयी, यह वैसे गम्भीर मुद्दा होना नहीं चाहिए था । आप मुझे भेड़-बकरी शब्दों को यूज करने से टोके नहीं माननीय सदस्य, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । जो राहत दी है भेड़-बकरी व्यवसाय के लिए, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं । और जहां तक अन्य कमजोर वर्गों को राहत देने का प्रश्न है, समाज कल्याण विभाग के छात्रावास प्रदेश में कई जगह संचालित हैं, लेकिन अधिकांश छात्रावास प्राइवेट बिल्डिंग्स में संचालित हो रहे है । इन छात्रावासों की हालत बड़ी दयनीय है । एक-एक कमरा 10 × 10 का हो उसमें पांच-पांच विद्यार्थियों को अध्ययन करना पड़ता है, उसी में वह सोते हैं, उसी में खाते हैं और उसी में अपना अन्य कामकाज करते हैं । इस तथ्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान में रखते हुए कि इन बच्चों को कम से कम असुविधा हो, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और समाज कल्याण मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बार 63 नये छात्रावासों के सरकारी भवन बनाने की घोषणा की है, यह बहुत स्वागत योग्य बात है । जहां तक मेरे क्षेत्र का प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने रेलमगरा में 41 लाख रुपये खर्च करवा कर एक छात्रावास भवन बनाने का निर्णय लिया है । उसका शिलान्यास हो चुका है, काम प्रारम्भ हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 63 नये छात्रावास भवन बनेंगे, जिला मुख्यालय राजसमन्द पर एक भी सरकारी बिल्डिंग छात्रावास की नहीं है जहां पर विद्यार्थियों को सामान्य जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वह उपलब्ध हो रही हों । वैसे राजसमन्द बहुत महंगा कस्बा है मार्बल व्यवसाय के कारण, छात्रों को बहुत परेशानी रहती हैं, किराये पर उपयुक्त बिल्डिंग नहीं मिलती है । इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजकीय छात्रावास के भवन का निर्माण भी इसी वर्ष करवायें और वह स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष महोदय, विभाग कमजोर वर्गों को और भी कई तरह की राहत प्रदान कर रहा है । छात्रवृत्तियों में इस वर्ष वृद्धि की है, स्वागत योग्य है । जो छात्र छात्रावासों में रह रहे हैं, छात्रावास में रह कर अध्ययन कर रहे हैं उनको जो राशि सरकार द्वारा दी जा रही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

दी जा रही है वह ढाई सौ से तीन-सौ की है, अच्छी बात है, लेकिन साढ़े तीन-सौ रुपये प्रति महीने प्रति छात्र को यदि दिये जाय और उन्हें यह कह दिया जाय कि बालक अच्छी तरह से पढ़-लिख ले, मैं नहीं समझता कि उनकी सुविधा के लिए यह पर्याप्त राशि होगी। मेरा निवेदन है कि इस साढ़े तीन-सौ रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम पांच-सौ रुपये कर दिया जाए क्योंकि आम व्यक्तियों को, आम माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि पांच-सौ रुपये खर्च करने के बाद भी एक व्यक्ति सही ढंग से अपना काम नहीं कर सकता, विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम 5 सौ रुपये की स्वीकृति तो प्रदान करें ही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक एनामलिक है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो लाभ दिये जा रहे हैं, लाभान्वित लोगों के लिए जो मानदण्ड बना रखे हैं वह विसंगतिपूर्ण है। जैसे— अनुसूचित जाति वित्त निगम के बारे में, जिसकी वार्षिक आय 22 हजार रुपये हो वो ही व्यक्ति वहां से लाभ ले सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 हजार रुपये को हमें यदि थोड़ा केलकुलेट करना पड़ेगा। आज एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी 32 रुपये है और पति-पत्नी दोनों साल भर मजदूरी पर जायं 12 महीने ही मजदूरी करें, 365 दिन मजदूरी करें तो उनकी आमदनी 22 हजार रुपये से ज्यादा की हो जाती है। अब एक व्यक्ति मजदूरी करता है और उस व्यक्ति को यह कहें कि आप समाज कल्याण विभाग से लाभ नहीं ले सकते हैं, वित्त निगम से लोन नहीं ले सकते हैं। यह एनामलिक स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसे 22 हजार की अर्थ सीमा में नहीं बांधे। यह आप इस तरह से कर दें कि जो इनकम टैक्स पेयी हैं उनको यह लाभ नहीं मिलेगा और जो इनकम टैक्स पेयी नहीं हैं उनको यह लाभ मिलेगा।

इसी तरह से कालेज में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए राशि की सीमा बांध रखी है। जिसकी प्रति माह 2 हजार रुपये से अधिक की इनकम होगी उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसको कम से कम यह कर देना चाहिए कि जो इनकम टैक्स पेयी हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और जो इनकम टैक्स पेयी नहीं है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। यह यदि नहीं करेंगे तो वास्तव में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए उन गरीब लोगों को वह नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं कुछ रोस्टर सिस्टम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति काफी अच्छी है और रोस्टर सिस्टम का आशय यह है कि पदोन्नतियों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिले और जो निर्धारित कोटा है उस हिसाब से उनकी पदोन्नतियां हों। शासन नीतियां बनाता है और अधिकारी उनको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन अधिकारी इस ढंग से ट्विस्ट कर जाते हैं कि एक वर्ष में जितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए या एक वर्ष में जितनी वेकेन्सीज है, उन वेकेन्सीज के विरुद्ध जो पदोन्नतियां करते हैं वह इन्स्टालमेंट में पदोन्नत

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

करते हैं ताकि रोस्टर सिस्टम में जितने लोग आते हैं उनका नाम सम्मिलित नहीं हो पाता है और आधे-अधूरे टुकड़ों में रिक्रूटमेंट करने के कारण जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ मिल नहीं पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जान-बूझकर किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम यह रोस्टर सिस्टम वाला 3 साल के लिए कर दिया जाय। रोस्टर सिस्टम का लाभ यदि एक वर्ष नहीं मिले तो अगले वर्ष और उससे भी नहीं हो तो अगले वर्ष इस तरह से 3 वर्ष का कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो लाभ अनुसूचित जन-जाति के वर्ग के निमित्त है वह लाभ उनको मिल सके। इस तरह से जोन आफ कन्सीडरेशन का मसला है। जोन आफ कन्सीडरेशन पहले 1 : 5 का रेश्यो माना जाता था। इसमें रोस्टर सिस्टम का लाभ देने के लिए 1 : 5 की सूची में जितने नाम आते थे वह नाम शरीक कर लिये जाते थे, परन्तु अब इसको 1 : 3 कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे इस वर्ग के लोगों को वह लाभ नहीं मिल पाता है। मेरा निवेदन है कि इसको वापस 1 : 5 करें ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल सके।.... इसके लिए माननीय श्री टीकमचन्दजी कांत बता रहे हैं कि पहले 1 : 6 था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य सर्वविदित है, कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं वह अधिकांशतः कमजोर वर्ग में है। जो समुदाय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं जिन समुदायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जो कि अपने परिवार का अर्थ की दृष्टि से ठीक ढंग से भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं वहीं सामाजिक कुरीतियां है। इन सामाजिक कुरीतियों में मुख्य हैं बाल-विवाह। बाल-विवाह अशिक्षा के कारण है, बाल-विवाह आर्थिक दृष्टि से कमजोरी के कारण है। मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए शिक्षा पर होने वाला सारा खर्च फ्री करेंगे तभी यह बाल-विवाह नामक कुरीति समाप्त होगी। अन्यथा आप यह उम्मीद करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग गांवों में निवास करते हैं वह अपने पुत्र-पुत्रियों को शिक्षित करवा दें छोटी-सी सरकारी इमदाद पर, यह सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा पूर्णतः फ्री कर दी जाय और जो छात्रवृत्तियां एक मानदंड से दी जा रही है उसकी भी बढ़ोतरी की जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी। (अनुपस्थित)। श्री रामगोपालजी बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 30 और 33 सामाजिक सुधार और अनुसूचित जाति/जनजाति पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सामाजिक सुधार का जहां तक प्रश्न है आज भी पिछड़े वर्ग जिसमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मिलित किये

(188)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जाते हैं वह आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि काफी पिछड़े हुए रहे हैं। उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राजस्थान में दो निगमों अनुसूचित जाति विकास निगम और जनजाति विकास निगम के माध्यम से चलने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत इनको लाभान्वित किया गया है। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है उन आंकड़ों और गांवों में मिलने वाली उन सुविधाओं का जो स्तर है उनमें काफी डिफरेंस है। आंकड़े हमारे काफी दिखायी देते हैं। गांवों में हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रावास चलाये जा रहे हैं उनमें काफी कमियां हैं। जिस तरह से समाज कल्याण में कक्षा 6 से 8 तक में जो छात्र अध्ययन करता है, वार्षिक 40 रुपये बुक्स पर खर्च किये जाते हैं, 9 से लेकर 12 तक की कक्षा में जो छात्र अध्ययन करते हैं उन्हें मात्र 60 रुपये वार्षिक बुक्स के लिए दिये जाते हैं। यह राशि बहुत कम है। इसी तरह से जो स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है वह 150 रुपये और 250 रुपये प्रति माह है, यह भी बहुत कम है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र को छात्रवृत्ति 15 से 20 रुपये प्रति माह और 9 से लेकर 12 तक की कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें 30 से 40 रुपये प्रति माह है। यह जो असमानताएं हैं, यह जो पिछले काफी समय से आंकड़े चले आ रहे हैं वह आंकड़े ही हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में परिवर्तन करें, क्योंकि आज की बढ़ती हुई महंगाई में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र अध्ययनरत है उनको वह सुख-सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जो हम उन्हें देना चाहते हैं, तो वह राशि भी बढ़ायी जाय।

(18.00)

इसी तरह से जो समाज कल्याण की बात की जा रही है, काफी बड़े आंकड़े इसमें दिये कि हम इतने नये-नये छात्रावास यहां पर खोल रहे हैं, हम छात्रावास भवनों की मरम्मत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज 20 वर्ष पुराना छात्रावास कार्यरत है, वह मात्र रुपये 300/– प्रतिमाह के भवन में चल रहा है और वह इस तरह की जर्जर अवस्था में है कि कभी भी उससे छात्रों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। गत वर्ष भी मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था लेकिन कोई कार्य वहां पर नहीं किया गया। तो इस तरह से जो आप आंकड़े देते हैं और 20 साल पुराने छात्रावास भवन की यह दशा है तो आपको आंकड़े देने से पहले उस स्थिति को देखना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय वहां पर अभी गये थे, देखकर आते तो आंकड़े देने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता में हमें उस बात को लाना है। यदि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों और लोगों का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें वास्तविकता से काम करने की आवश्यकता है।

जो राशि गांवों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाइट पर और अन्य कार्यों पर खर्च की जाती है, वह भी बीच में काफी इधर-उधर हो जाती है। पूर्णतः

(श्री रामगोपाल बैरवा)

उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसी तरह से राज्य सरकार इस अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति के माध्यम से जो पैसा खर्च करती है और राज्य सरकार इसमें केवल वाहवाही लूट रही है। अनुसूचित जाति का जो पैसा आता है, माननीय कांत साहब ने और पाटन से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यह जो राशि आती है, इसमें अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकार का होता है और यह जो केन्द्र सरकार से राशि आती है, उसमें से इधर-उधर दूसरे बजटों में करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लाभ में भी कटौती करते हैं।

इस तरह से कांत साहब ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति वाली बात, सरकारी नौकरियों में भर्ती वाली बात की है। सत्ता पक्ष के सदस्य ने इस बात को माना है कि वाकई में केन्द्र सरकार इस बात के लिए जागरूक है कि वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा निर्धारित होता है वह 95–96–97 प्रतिशत तक भर दिया जाता है लेकिन राजस्थान में जो वेकेन्सी निकाली जाती है, पदोन्नति की जाती है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की, छात्र-छात्राओं की भर्ती की जाती है, उसमें हम काफी पीछे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से चाहूंगा कि यह जो इस प्रकार की अनियमितता है, जो कोटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पदोन्नति के माध्यम से पूरा नहीं किया जाता है, जो कोटा प्रथम वरीयता सूची में पूरा नहीं किया जाता है, इसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर उन वर्गों को पूरा लाभ दिया जाए।

इसी तरह से अनुसूचित जनजाति वाली बात है, अनुसूचित जनजाति में हमने देखा है कि हमने पिछले साल 1994–95 में कुल व्यय 333.13 करोड़ रुपये खर्च करने का रखा गया था और यह सारा पैसा शिक्षा पर, चिकित्सा और लाइट पर, जो विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाता था, इसमें भी हर योजना में कटौती की गयी। फरवरी के अन्त तक केवल 183.53 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। एक साल पूरा गुजर गया, एक साल पूरा निकल गया, उसके अंत तक भी 149.60 करोड़ रुपया खर्च करना बाकी था। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जो पैसा केन्द्र सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए आता है, वह पैसा क्यों नहीं पूरा खर्च किया जाता है। उस पैसे को उसी वर्ष में पूरा खर्च किया जाए, इसको अन्य योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाए।

जहां तक अनुसूचित जनजाति के विकास की बात है, इसके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई काम नहीं चलाया जा रहा है। बिन्दायका में एक एनीकट पर, पिछले एक साल में काफी प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन उस एनीकट की स्वीकृति आज दिन तक भी नहीं मिली है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राशि दोनों विकास निगमों के माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति पर खर्च की

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जाती है, उसका पूरा-पूरा लाभ गांवों की जनता को मिले, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिले और इसका पूरा-पूरा उपयोग हो और भविष्य में इस राशि को और बढ़ाया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 33 से सम्बन्धित विभागों पर हम चर्चा कर रहे हैं।

सर्वप्रथम मेरे क्षेत्र में जनजाति की संख्या सर्वाधिक होने और माडा क्षेत्र होने की दृष्टि से कुछ समस्याएं और कुछ सुझाव मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। भारत सरकार और राजस्थान सरकार से माडा योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर जो राशि मिलती है, उसका प्रति-वर्ष समय पर उपयोग नहीं हो पाता है, हर वर्ष काफी राशि शेष रह जाती है। इसमें जनजाति विकास विभाग का दोष कम और अन्य विभागों का दोष अधिक है। जिन-जिन विभागों को जनजाति विभाग राशि ट्रांसफर करता है, वे विभाग उस राशि का समय पर उपयोग नहीं करते हैं और इस कारण हमारी बहुत सारी योजनायें क्रियान्वित नहीं होती अथवा अधूरी रह जाती है और इसके साथ मेरा ख्याल है, जब पैसा पूरा उपयोग नहीं होता है तो भारत सरकार देने के मामले में भी कोताही बरतती है।

मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1994-95 में कुल मिलाकर 333.13 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में हमको मिला था, उसके बावजूद 183.53 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ और बाकी रुपया व्यय नहीं हुआ, यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मंत्री बनने के बाद तीन बार जयपुर-उदयपुर में इस सम्बन्ध में माडा क्षेत्र के विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर काफी विशद रूप से चर्चा की थी और चर्चा के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इन योजनाओं में सुधार होगा और सुधार होने के बाद जन-जाति क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त रूप से लाभ मिलेगा पर मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मंत्रीजी के सारे प्रयत्नों के बावजूद, चर्चा में हम लोगों के मांग करने के बावजूद भी जनजाति विकास विभाग का दृष्टिकोण नहीं बदला है और दिशा-दृष्टि नहीं बदली है तब समुचित रूप से उसका जो उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में 2-3 सुझाव मैं देना चाहूंगा। माडा क्षेत्र में कई योजनाओं का पैसा अनावश्यक रूप से आप लेते हैं जिनका उपयोग नहीं होने का भी एक कारण है। इसलिये आपको इसमें प्राथमिकतायें निर्धारित करने की आवश्यकता है और उसमें आधारभूत सुविधाएं उस क्षेत्र के लोगों को मिले, उस दृष्टि से मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं कि माडा क्षेत्र के लोग अधिकांश गरीब होते हैं उनके पास साधनों की कमी होती है इसलिए अन्य विभागों से वैसे ही उनको तालाब, एनीकट के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता है

(श्री रतनलाल ताम्बी)

या सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं होता है इसलिए मैं चाहूंगा कि सिंचाई के काम, चाहे सिंचाई के बांध हो, तालाब हो, एनीकट हो, नये हो या पुराने हो, उनके लिए माडा योजनाओं में खास तौर से सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे कि उत्पादन कार्य और जीवन यापन में उनको सहयोग मिल सके। माडा के क्षेत्र में और जनजाति क्षेत्र में कई मामलों में बड़ी विसंगतियां हैं। माडा क्षेत्र में 150 की जनसंख्या पर आप स्कूल नहीं खोलेंगे, जनजाति क्षेत्र में 150 की जनसंख्या पर आप स्कूल नहीं खोलेंगे। जबकि माडा क्षेत्र में ही पचास प्रतिशत से ऊपर जनसंख्या होने पर वह ग्राम उसमें चयनित होते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि जनजाति और माडा क्षेत्र में मापदण्डों में लगभग सभी मामलों में समानता लायी जाए ताकि लोग वंचित नहीं रह सकें। माठा क्षेत्र में पीने के पानी, पाइप लाइन, विद्युतीकरण जैसे कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाए। पूरे राजस्थान में, आश्चर्य होगा, करीब-करीब हर जिले में इसके ब्लाक होंगे और ब्लाक होने के बावजूद 10 हैण्ड पम्प का पूरे राजस्थान में हजारों माडा गांवों के लिये प्रावधान रखा गया है। अब वह 10 हैण्ड पम्प कहां लगेंगे, यह एक विचारणीय विषय है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माडा क्षेत्र में पीने के पानी के लिये चाहे पाइप लाइन स्कीम हो, चाहे हैण्ड पम्प हो, यह बहुत मूलभूत आवश्यकता है जीवन की, उसके लिये पूरी राशि का प्रावधान किये जाने का मैं सुझाव देना चाहता हूं। माडा क्षेत्र के गांव, जो पांच किलोमीटर की परिधि में मेन रोड से दूर होते हैं, उन गांवों के लिये सड़क की व्यवस्था हो सके, इस तरह की एप्रोच रोड़ भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित की जाए, यह मेरा निवेदन है। इसी तरह विद्यालय भवन, चिकित्सालय भवन, आयुर्वेद औषधालय भवन आदि के लिये अन्य योजनाओं में पैसा कम होता है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार का बजट और सुझाव बनाकर, योजना बनाकर भारत सरकार से इन योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि प्राप्त की जाए ताकि उन क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास हो सके।

इसके बाद में समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ बातें आपके मार्फत रखना चाहता हूं। वाल्मीकि सम्बल योजना के अन्तर्गत 1981 की बजाय 1991 की जनसंख्या आधार पर योजनाए चयनित करने की मेरी मांग है और सुझाव है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि 1981 और 1991 की जनसंख्या के बीच कई गांवों की जनसंख्या पचास प्रतिशत से अधिक यदि अनुसूचित जाति की है तो वह अभी वर्तमान में 1981 के आधार पर वंचित है और 1981 के बाद अनेक ढाणियां गांव बन गयीं, वह गांव के रूप में न आने से वंचित है। इसलिए मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि 1981 के बाद 1991 की जनसंख्या आपके पास जब आथेंटिक रूप से आ गयी है तो उसमें जितने भी गांव सम्मिलित हो सकते हैं, जितने नये-नये ढाणी मजरे 1981 से 1991 के बीच में बन गये, वह गांव आज के दिन वंचित हैं, उनको भी योजना में सम्मिलित किया जाए। अनुसूचित जाति क्षेत्र और गरीब,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जैसी राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य भी जानकारी दे रहे थे और मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि गरीबों के नाम पर विभिन्न प्रकार की जो सहायता आती है वह गरीबों के पास नहीं पहुचती है। यह अनुभव सम्भवतः आपको भी होगा। इसके लिये ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वह पैसा, वास्तव में जितना आता है उनके पास पहुंचे। इसके लिए मेरा एक सुझाव यह है, जब भी साल में दो दफा ग्राम सभाएं होती हैं, प्रयत्न यह किया जाए कि ग्राम सभाओं में जनता के सामने प्रस्ताव तैयार करके अगली ग्राम सभा में या एक महीने पहले, जब भी आप देना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों को, सब को सूचित करके जनता के सामने उनको पैसा दिया जाए ताकि गड़बड़ होने की सम्भावना, कमीशनबाजी और घोटाले न हों। आम तौर पर कागजों में यह होता है कि भेड़-बकरी आ रही है, वह आ रही है, उन भेड़ों की संख्या को जोड़ लें, उतनी भेड़ें कहीं गांवों में मिलती नहीं हैं। दस-दस हजार भेड़ों की यूनिट्स के पैसे गांवों में दे दिये गये और उनकी जनसंख्या जाकर देखें तो मिलेगी नहीं। वह की वही भेड़ें कई जगह बिकती रहती हैं इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जनता के सामने आम तौर पर इस तरह का वितरण किया जाय। वर्तमान वृद्धावस्था, अपंग, विकलांग विधवा आदि के कल्याणार्थ नियमों का सरलीकरण और इसके साथ-साथ अभी कई ऐसे मापदण्ड बना रखे हैं जिससे कई परिवार वंचित हो जाते हैं, उनके लिये भी नियमों में सरलीकरण करके उनको सुलभ कराने की व्यवस्था की जाए। मेरे क्षेत्र में शंकरगढ़, पण्डे, पावली में कई वर्षों से छात्रावास चल रहे हैं जिनके भवन उपलब्ध नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष उनके लिए भवनों की व्यवस्था की जाए। जहाजपुर तहसील, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या पचास प्रतिशत के आस-पास है और बड़े-बड़े गांव जैसे खजोरी, पिपलोन, तोड़, टीकड़, आमरबासी हैं उनमें आज भी छात्रावास नहीं है, तो मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे बड़े गाँवों को छात्रावासों से वंचित नहीं रखा जाए। इस चालू वर्ष में आप छात्रावास खोलने जा रहे हैं तो उनमें उनको सम्मिलित किया जाए। यह मेरी आपसे मांग है।

श्री अध्यक्ष : चुन्नीलाल गरासिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मिनट का और है, मैं समाप्त कर रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता अभी 150 रुपये स्नातक और 250 रुपया स्नातकोत्तर पर देने का प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि 150 की बजाय तो 250 और 250 की बजाय 400 रुपये माहवार इनको छात्रवृत्ति दी जाय, मेरा यह सुझाव है। इसी तरह छात्रावासों के सम्बन्ध में भी काफी सुझाव आ चुके हैं। वर्तमान में जो पैसा मिलता है वह अपर्याप्त है, आज की महंगाई में उन बच्चों की सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसके अनुसार व्यवस्था की जायेगी। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 एवं 33 के ऊपर सदन में चर्चा चल रही है। जन जाति विभाग 1975 में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये तत्कालीन सरकार ने अलग से बनाया और उसके पीछे यह सोच था कि हमारे प्रदेश के जन-जाति क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग, जन-जाति क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाई, जो कि वास्तव में हर क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में हो, वहां के परिवहन के क्षेत्र में हो, उसकी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1975 में इस विभाग की स्थापना हुई। आज हम उस विभाग का मूल्यांकन करें, अब तक जो कार्य हुए, उसका मूल्यांकन करें तो वास्तव में जिस ढंग से, जिस गति से प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। मैं समझता हूं हम सब का एक सामूहिक दायित्व बनता है एवं एक राजनीतिक भावना से ऊपर उठ कर के हम समाज के अनुसूचित जाति और जन-जाति के, जो हमारे समाज का 30 प्रतिशत भाग है, 12 प्रतिशत जनजाति और 14 प्रतिशत हमारे अनुसूचित जाति के भाई, उनका उत्थान कैसे हो, यह जब हम सामूहिक दायित्व समझ लेंगे, आने वाले समय में जो हमारे समाज का बहुत कमजोर अंग है, उसको समाज के अन्य अंगों के बराबर हम ला सकेंगे। जनजाति क्षेत्र विभाग का जो विशेष उद्देश्य है कि जनजाति क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मैं इस बात को थोड़ा संशोधित करते हुए यह चाहूंगा कि विभाग यह सोचे कि जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाइयों का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तो विभाग सोचता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले शहरी क्षेत्र हैं, पाकेट्स हैं, उनका तो उस ढंग से विकास हो जाता है लेकिन जन-जाति क्षेत्र के वह भाई, जो अपनी पहाड़ियों में रहते हैं, जिनके पास दो-तीन बीघा जमीन है, रहने के लिए झोंपड़ी है, न उनके पास लाइट है, न उनके पास आय का कोई सोर्स है, न मजदूरी उपलब्ध है, न आने-जाने के कोई साधन हैं तो विभाग पुनः अपनी योजनाओं का निरीक्षण करके मूल्यांकन करे कि जन-जाति क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों का किस तरह से उत्थान हो, सर्वांगीण विकास हो। विशेष रूप से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको टोकना तो नहीं चाहता पर आप तो उसके मंत्री रहे हुए हैं, कोई कन्सट्रक्टिव सुझाव दें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसके बाद दूंगा, सर। अभी तो मुझे बोलने दें। मैं भूमिका तो बनाऊं, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिव सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय लिमिटेड है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप इनकी परीक्षा लेंगे तो फेल हो जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्षजी, गागर में सागर भरवा दो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

हम गागर में सागर भर दें, मैं आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे जनजाति मंत्री....

श्री अध्यक्ष : बोलें नहीं बीच में।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : वास्तव में यहां आज कहते हुए खुशी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा मन्त्रिमण्डल आज जब इस हैड पर बहस हो रही है, होना चाहिए क्योंकि आज जन-जाति विभाग तो केवल एक बनिये का काम करता है, लेखा-जोखा रखता है, मेडिकल में कितना खर्च कर रहे हैं, सिंचाई में कितना कर रहे हैं, उद्योग में कितना कर रहे हैं, वास्तव में होना चाहिये कि या तो एक वृक्ष के नीचे सारे विभागों का मूल्यांकन हो, जनजाति विभाग इन सारे कार्यों को देखे, उसका मूल्यांकन करे, प्रशासनिक ढग से उसकी देख-रेख करे लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें हुत बबड़ा बजट लैप्स होता है, मैं समझता हूं कि उसके पीछे प्रशासनिक कारण हैं। जनजाति विभाग सीधे उन कार्यों को, उन विभागों को या उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करता है चाहे सिंचाई का हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे बिजली विभाग हो। बजट काफी है लेकिन उसका विभाग पर दायित्व होता है और विभाग उस बजट पर सैकण्डरी तौर से सोचता है। मैं सोचता हूं इतने सारे विभागों के मंत्री हमारी सरकार के सारे मंत्री इसको प्राथमिकता के आधार पर जनजाति हैड का जो बजट है उसका अधिक से अधिक विकास में कैसे खर्च हो इसका अपने मन से कार्यान्वियन, तुलना औरमूल्यांकन करेंगे तो आने वाले समय में जन-जाति क्षेत्र में विशेष रूप से उन पैसों का लाभ मिल पाएगा।

मैं थोड़ा-सा वन विभाग के बारे में भी बोलना चाहूंगा। माननीय परसादीलालजी, शायद आपको ध्यान होगा कि जनजाति हैड में सारे विभाग आते हैं और जब हम चार सौ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं वह विभाग मिलकर कर रहे हैं उसमें वन विभाग भी अपने आप में एक है। वन विभाग वास्तव में, मैं समझता हूं वन विभाग पैसे लेकर उस जनजाति क्षेत्र में आस-पास रहने वाले भाइयों को बांट देना चाहिए कि आप उनकी सुरक्षा करें, आप पौधे लगाओ और इसमें आधे वृक्ष लगायेंगे उसमें सरकार का मालिकाना हक रहेगा और आधा जनजाति के भाइयों का रहेगा। अगर इस तरह से सरकार कोई एक नीतिगत निर्णय करती है तो आज हमारी जो फोरेस्ट की स्थिति है, वन विभाग की आज जो स्थिति है, मैं समझता हूं उसमें काफी कुछ परिवर्तन आएगा। विशेष रूप से सरकार के जनजाति मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि फोरेस्ट के बारे में कुछ नीति निर्धारित की जाय कि जनजाति क्षेत्र के आस-पास उनकी जो फोरेस्ट की जमीन है उसका अधिकार वहां के रहने वाले जनजाति भाइयों को मिले, आदिवासी भाइयों को मिले ताकि कम से कम इसका रख-रखाव कर सकें और उनकी एक विकट समस्या जलाऊ लकड़ी की रहती है। आज शहर में रहने वाले शहरवासियों के पास गैस की सुविधा है, अन्य कई ईंधन के साधन मिल जाते हैं लेकिन गांव में रहने वाले ह ारे आदिवासी भाई को रोटी बनाने के लिए ईंधन की उपलब्धता नहीं है क्योंकि

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

आज सारे जंगल कट चुके हैं, कहीं ऐसा जंगल नहीं जिससे वह अपने इंधन के साधन का उपयोग कर सके, इंधन की उपलब्धता कर सके। तो विशेष रूप से आने वाले कल में बड़ी विकट समस्या आने वाली है, आदिवासी भाइयों के पास में तो वह इंधन की आने वाली है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से वन विभाग की जो जमीन आसपास है उनको अलॉट करे इस शर्त के साथ कि आप इसको डवलप करें, जो वृक्ष लगाये हैं उनकी रक्षा करें, आप उसके आधे भागीदार रहेंगे और आधी भागीदार सरकार रहेगी तो मैं समझता हूं उसमें काफी कुछ लाभ मिलेगा।

विद्युतीकरण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अभी उनके खर्च को देखा। विद्युत विभाग का काफी कुछ बजट शेष रह रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक गांव जो आदिवासी हैं उनको विद्युतीकरण से जोड़ें क्योंकि आपके पास बजट की कमी नहीं है। मैंने विशेष रूप से अभी मेरे क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए वहां के अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि साहब, यह तो बहुत लाखों में आपका एस्टीमेट आ रहा है तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई, विभाग के पास से, बजट मैं जनजाति से दिला दूंगा लेकिन पता नहीं तकनीकी कारणों से वह पैसा नहीं दे पाए। आज मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से क्योंकि हमारा आर. एस. ई. बी. तो एक कामर्शियल इन्स्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है, जिस तरह का एस्टीमेट बनाना है उस स्तर का पैसा ले रहे हैं इसलिए जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जनजाति बनवासी, आदिवासी भाई वह पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। अतः गांव में अधिक से अधिक विद्युतीकरण करने के लिए जनजाति विभाग पूरा खर्च उठाये और उनके गांवों का एवं उनके कुओं का विद्युतीकरण हो, यह विशेष रूप से इस हैड के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सड़कों के बारे में जनजाति क्षेत्र से जितने भी आज बैल्ट हैं, गुजरात का बैल्ट है, इधर मध्य प्रदेश का जो बैल्ट है वहां के आदिवासी भाइयों के वहां के क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक सम्बन्ध भी हैं लेकिन वहां की सड़कों की अगर हालत देखते हैं तो वहां बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती है क्योंकि वहां हमेशा जनजाति क्षेत्र में सड़कों का वापस जो रिपेयरिंग का काम है उस पर ध्यान नहीं देते, विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र के हैड में से अगर पैसा उस क्षेत्र में देंगे तो वहां की सड़कों को पुनः ढंग से रिपेयरिंग कर सकते हैं और विशेष रूप से सड़कों से गांव को जोड़ेंगे तो सड़क भी विकास का एक आयाम है। जो गांव सड़क से नहीं जुड़े उस गांव का विकास देरी से होता है, यह हम सब माननीय सदस्य भी जानते हैं, तो अधिक से अधिक हम आदिवासियों के गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे तो विशेष रूप से उन गांवों का विकास कर पाएंगे।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारे जनजाति क्षेत्र में कई लिफ्ट योजनाएं जनजाति विभाग द्वारा लगायी गयी हैं। आगे भी कई

(198)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

लिफ्ट योजनाएं स्वीकृत पड़ी हैं। एक विशेष टेक्नीकल समस्या इसमें आती है कि 10 प्रतिशत जनजाति विभाग देता है और 10 प्रतिशत वहां के जो लाभान्वित हैं वे उसमें योगदान करें लेकिन जनजाति क्षेत्र के रहने वाले जनजाति भाइयों के पास में आर्थिक सोर्स है नहीं कि वह 10 प्रतिशत योगदान कर सकें। मैं विशेष रूप से आज जनजाति विभाग के प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह शेष 10 प्रतिशत है वह भी अपने विभाग से दिलाकर जो मंजूरशुदा अधूरी लिफ्ट हैं उनको पूरी करायें ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों को लाभ मिल सके। हमारे एस. एस. ओ. के माध्यम से भी कई लिफ्ट परियोजनाएं स्वीकृत पड़ी हैं, विशेष रूप से बांसवाड़ा क्षेत्र में भी यही टेक्नीकल प्राब्लम आ रही है कि यह 10 प्रतिशत पैसा कौन दे। एस. एस. ओ. ने वहां पी. वी. सी. पाइप और अन्य साधन भेज दिये हैं लेकिन उस 10 प्रतिशत के चक्कर में आज वह योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। मैं विशेष रूप से जनजाति विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को भी 10 प्रतिशत अनुदान देकर अतिशीघ्र पूरी करायें ताकि वहां के लोगों को, वहां के आदिवासियों को उनका लाभ मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में अगर हमारी सब की मानसिकता है कि हम आदिवासी भाइयों का उत्थान हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, हमारा जो अन्य समाज के बीच में गैप है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के हैड में पैसा खर्च किया तो मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हम जनजाति क्षेत्र में अधिक से अधिक होस्टल खोलें, प्रतिभावान होस्टल जहां मैं समझता हूं इकाई के रूप में तहसील हैड-क्वार्टर पर खोलेंगे तो

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अधिक से अधिक जनजाति क्षेत्र के लोगों को, छात्रों को लाभ देकर वहां की प्रतिभा को निकालकर हम आगे ला सकेंगे।

साथ ही मैं समाज कल्याण के हैड पर भी बोलना चाहूंगा। हमारे विशेष रूप से समाज कल्याण के होस्टल चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अधिकतर होस्टल्स में वार्डन नहीं हैं, विभाग विशेष रूप से इस पर ध्यान देवे क्योंकि बिना होस्टल वार्डन के, बिना संरक्षक के, बिना अभिभावक के वहां के छात्रों में किस तरह से संस्कार हम डाल पाएंगे। हम उन पर पैसा खर्च करते हैं कि वह अध्ययन करें, संस्कारित हों और अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारी को निभा सकें लेकिन अगर छात्रावास में रहकर उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले तो निर्माण के बजाय कुसंस्कारित होंगे और समाज में जाकर अच्छी भावनाएं पैदा करने के बजाय इस समाज पर बोझ बन जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके छात्रावास में जहां वार्डन नहीं हैं उन्हें अतिशीघ्र नियुक्त करें।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

समाज कल्याण विभाग में काफी भ्रष्टाचार रहा है और विशेष रूप से मंत्रीजी को भी मैंने कई बार निवेदन किया मंत्रीजी ने स्वयं भी कहा कि इस क्षेत्र में मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अब समय बताएगा। वैसे जो कर रहे हैं उनके लक्षणों से लग रहा है कि उनका योगदान अच्छा है, उन्होंने कुछ कार्यवाही भी की है। विशेष रूप से जो इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की है, स्वच्छ छवि के लोग जो समाज कल्याण विभाग में हैं उन्हें जिम्मेदारी देकर इन छात्रावासों में रखकर, विभाग में रखकर आदिवासी क्षेत्र को जो हम शिक्षा की दृष्टि से आगे लाना चाहते हैं, वहां की नयी पीढ़ी को उन छात्रावासों में हम अच्छे संस्कारित वार्डन रखकर उनको ट्रेनिंग देकर, वहां के बच्चे संस्कारित रूप में पढ़कर आयेंगे, हम अन्य समाज के समक्ष ला सकें, यही मेरी भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज क्षेत्रीय जनजाति विकास और समाज कल्याण दोनों की मांगों पर सामूहिक चर्चा हो रही है। मैं विशेषकर जनजाति विकास के ऊपर माननीय मंत्रीजी को मेरी ओर से कुछ सुझाव दूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए वार्षिक योजना बनायी जाती है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सामने देखें, बात कम करें।

श्री परसादीलाल मीणा : उन कामों की कि यह जनजाति इलाकों में काम होगा। उधर 5 जिलों की 23 पंचायत समिति और इधर 16 जिलों के 44 विकास खण्ड इस जनजाति क्षेत्र में आते हैं, कुछ जनजाति उप योजना में और कुछ माडा में, 44 विकास खण्ड आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रगति विवरण दिया अगर उसको देखें तो माननीय मंत्रीजी, आपकी जो वार्षिक योजना है उसका 20 प्रतिशत पैसा भी सालाना खर्च नहीं होता। जब मार्च का महीना आता है इधर-उधर करके वे उस बजट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। आपका प्रगति विवरण है, मंत्रीजी आप देखें। तो आप यह देख लें पेज 14 पर कि कृषि और सम्बद्ध सेवाओं पर, उनके अन्तर्गत आपने कितना, कुल वार्षिक योजना का 10 प्रतिशत पैसा खर्च किया है फरवरी तक। इसी तरह अगर आप सारे विवरण देखें तो आपने 20 प्रतिशत राशि भी कुल मिलाकर खर्च नहीं की। मंत्रीजी, मैं आपको कोई व्यक्तिगत उपालम्भ नहीं दूंगा, न आपका इसमें कोई दोष है। इसका यदि किसी पर दोष है तो आपके विभाग की कार्यप्रणाली पर। आपके विभाग के उच्च अधिकारी उदयपुर में बैठते हैं। वहां पर 23 पंचायत समितियां, जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं इनका भी वे पूरे बजट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब इधर 16 जिलों के 44 विकास खण्ड हैं इनका तो उनको अता-पता नहीं कि जो हमारा पैसा गया है, जनजाति विकास के लिये उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये कहूंगा कि जैसे ये बीज और खाद का वितरण करते हैं, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा खाद बीज, ये कृषि विभाग को सुपुर्द

(श्री परसादीलाल मीणा)
करते हैं। कृषि विभाग वाले अपनी मर्जी से किसी को बांटा तो ठीक, किसी को नहीं बांटा तो ठीक, एक रिपोर्ट बनाकर कलक्टर को जो इसका जिला अध्यक्ष होता है या उसको संचालित करता है उसको रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं कि हमने इतने में फलां-फलां लोगों को खाद और बीज बांटें। जबकि, अध्यक्ष महोदय, यह होता है, बिलकुल हण्ड्रेड पर्सेंट फर्जीवाड़ा होता है, सारी फर्जी लिस्ट बनाकर दी जाती है, सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इनकी कोई मोनिटरिंग, इनकी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो इसको देखे कि खाद बीज बंटा कि नहीं बंटा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में गत वर्ष एक हैण्ड-पम्प पेयजल स्कीम में, मांडा में आया। हमने उसको किसी गांव में मंजूर करवा दिया, उसका पैसा दे दिया, विभाग ने उसका पैसा ट्रान्सफर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये कहता हूं कि आज तक इस पी. एच. ई. डी. ने उसका हिसाब-किताब नहीं दिया कि वह हैण्ड-पम्प कहां लगा। जिस गांव के लिये कहा, आज तक वहां पर मशीन नहीं आयी। आज तक हैण्ड-पम्प नहीं लगा। पी.एच.ई.डी. उस 30 हजार रुपये को खाकर रास्ते चला। इस तरह की हालत है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से सुझाव है कि मंत्रीजी इसकी मोनिटरिंग करें। आप हर जिले में जाइए। अपने अधिकारी ये बैठे। जिलेवार अधिकारी, जैसे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हर जिले में होते हैं उसी तरह के आपके 44 विकास खण्डों में और 16 उधर की पंचायत समितियां हैं, उनमें आपको उच्च अधिकारी बैठाने चाहिएं जो आपकी मोनिटरिंग कर सकें। नहीं तो आप जैसे जिस भी विभाग को, पी. डब्ल्यू डी. को सड़क के लिये पैसा देंगे, कृषि विभाग को उसके लिये, सब खा-पीकर रास्ते चलेंगे। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है इसका सब दुरुपयोग हो रहा है। मैंने तो यह प्रगति विवरण पढ़ा। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि जो पैसा केन्द्र सरकार का और राज्य सरकार का आता है उस पैसे का किस तरह दुरुपयोग होता है। यह जिस-जिस भी, पशुपालन विभाग को दिया, आयुर्वेद विभाग को दिया, फोरेस्ट को दिया, सारा फर्जीवाड़ा है। उससे तो अच्छा यह है कि यह पैसा इतना दे रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, जनजाति का विकास कर रहे हैं, इनका माडा में चयन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, 200 गांव मेरी कास्टीट्यूएंसी के हैं, दौसा जिले की सारी पंचायत समितियां माडा में हैं, सवाई माधोपुर की हैं, हमने यह कभी नहीं देखा कि कोई एक हैण्ड-पम्प भी कभी हमारे यहां माडा में लगा हो। एक छात्रावास 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब लालसोट तहसील में हुआ, बाकी छात्रावास नहीं खोलते। आप करते क्या हैं? यह पैसे को, आपकी एजेंसी, मंत्रीजी, आप चाहे इसमें खर्च कम कर दीजिए पर आपकी अपनी एजेंसी यहां डवलप करिये। हर जिले में अपना अधिकारी बैठाइये। हमने जब आपने यहां पर सचिवालय में मीटिंग बुलायी थी, आपको यह सुझाव दिया था कि जयपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय हो। इधर की 44 पंचायत समितियों के लोग उदयपुर कभी नहीं जायेंगे। उनको पता ही नहीं है। खुद हम नहीं जाते कभी कि वहां क्या हो रहा है। यहां कलक्टर के पास इनका आता है। साल में कोई एक

(श्री परसादीलाल मीणा)

बार मीटिंग बुला ली तो भला; नहीं तो कोई भी कलक्टर इसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। उसको क्या पड़ा है ? सैंकड़ों काम कलक्टर के पास हैं। परियोजना अधिकारी के पास, जे. आर. वाई., दूसरा तीस जिले तीस काम, राज्य की योजनाओं का इतना काम है वह माडा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। उनके अधिकारी जो पीढ़ी है डी. आर. डी. ए की, वह कभी जाकर इनसे बात नहीं करते। अगर कोई पैसा आ गया तो वह पड़ा है, अगर कहीं लग गया तो लगा दिया। कहीं ये किसी का सर्टिफिकेट नहीं आता कि यह काम फलां जगह हो गया। मतलब इनके 10 प्रतिशत बजट का उपयोग भी ईमानदारी से नहीं होता है। इनके छात्रावासों की हालत देखो। हमारे इधर देख लो। दौसा में देख लो, सवाई-माधोपुर में देख लो, ऐसी बदतर हालत है। (व्यवधान) आप बैठिये। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : खुले कभी भी हों और जो व्यवस्था खराब हुई है, खोला जो तो अच्छी बात है। आपके राज में तो आपने एक भी इधर 44 विकास खण्डों में से एक में भी छात्रावास नहीं खोला है। इसलिये आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो पहले खुल गये थे उनकी व्यवस्था भी आपने बद से बदतर बना दी है। मैंने देखा है 2-5-10 छात्रावासों को, वहां लड़कों के लिये चारपाई नहीं, वहां पर चादर कोई 2-2, 5-5 साल पुरानी है। वहां पर बिजली नहीं, वहां पर पानी नहीं। लड़कों ने शाम का खाना खाया तो खाया नहीं तो अपने घर जाकर सोओ। उनके जो वहां पर व्यवस्थापक रहते हैं, या सैकण्ड ग्रेड के टीचर, वह कभी उनको यह नहीं कहते कि उनको ट्यूटर रख छोड़ा है, इसको कभी यह नहीं, हालत उनकी हॉस्टल में रखने की, उनकी कोई अलग पहचान नहीं है कि इनको स्पेशल कोई वहां पर पढ़ाया जाये, रात को भी वहां पर रखा जाये। खाना खाया नहीं कि घर जाओ, हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ। इस तरह की योजनाएं वहां पर हो रही हैं। इस तरह की अव्यवस्था वहां हो रही है। माननीय जनजाति मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां भी आपकी माडा की हो, चाहे आपकी उप योजना क्षेत्र की हो, हर पंचायत समिति लेवल पर आप नहीं जा सके तो कम से कम आप जिला लेवल पर हर क्षेत्र में जाइए। आप उनकी योजनाओं को देखिये। आपका बजट है, आपका वहां पर काम हुआ कि नहीं। आप हमें भी सुनिये। वहां पर क्या हो रहा है ? आपने मीटिंग बुलाई, उस की आज तक हमारे पास कार्यवाही, प्रोसिडिंग्स रिपोर्ट नहीं आयी। जो हमने मीटिंग में सुझाव दिये उन पर विभाग ने जब आपके अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या एक्शन लिया ? हमने कहा था आप क्षेत्रीय कार्यालय, एक एडीशनल कमिश्नर यहां पर बैठाओ। क्या आपने बैठाया ? आप चाहे अपने इस विभाग की योजनाओं का पैसा कम कर दो। आयुर्वेद कैम्प लगाते हैं, उसके लिये पैसा देते हैं। आप दूसरे चिकित्सा के कैम्प लगाते हैं उसके लिये पैसा देते हैं। सैंकड़ों चीजें, आपकी नल योजनाओं के लिये पैसा देते हैं।

(श्री परसादीलाल मीणा)

विद्युतीकरण के लिये मैं तो यह कहता हूं, जनजाति मंत्रीजी, आपके सारे एक साल का बजट जो जनजाति क्षेत्र में गांव सलेक्टेड हैं आप कम से कम उनका शत प्रतिशत एक ही काम कर दीजिए सारे राजस्थान में कि इस साल का बजट जैसे शिक्षा को समर्पित, कभी हैल्थ को समर्पित। एक साल आप बिजली को ही समर्पित कर दीजिए कि सारे जनजाति गांवों में बिजली लगेगी सारे जनजाति गांव इलेक्ट्रिफाइड हो जायेंगे। आप कर दीजिये यह (व्यवधान) ऐसा कोई बड़ा काम करिये जिससे कि यह जो जनजाति कमिश्नर बना हुआ है, इसकी कोई उपयोगिता हो। आज इसको कोई जानता नहीं है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 200 गांव हैं। वहां पूरे जिले में एक हैण्ड-पम्प आया। आपने एक छात्रावास नहीं खोला। आपने कहीं एक किलोमीटर सड़क नहीं बनायी माडा में। आप क्या कर रहे हैं इस विभाग का? अगर आप इसको जिला लेवल तक ले जायेंगे, आप खुद जिला लेवल पर जाकर इसकी मानीटरिंग करेंगे तो हो सकता है अध्यक्ष महोदय, इसके अच्छे नतीजे आएं। मैंने देखा है, आपने खुद भी देखा होगा कि आपके बजट का कितना उपयोग हो रहा है और जो उपयोग हो रहा है इसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार है। कहीं कोई आपका देखने वाला, आपके विभाग का अधिकारी यह जाकर डी. आर. डी. ए. में नहीं देखता कि बजट का जो हमारा पैसा आया उसका कहां उपयोग हुआ, कहां नहीं हुआ। साल में जिला लेवल के एम. एल. एज. की मीटिंग भी कोई कलक्टर एक बार बुला ले तो अच्छी बात, नहीं तो कलक्टर को फुरसत कहां है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं कि विकास के नाम पर जो बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बहुत बजट आ रहा है। केन्द्र भी दे रहा है, यहां भी दे रहे हैं पर इसका उपयोग कहां हो रहा है? जब 2-4-5 साल का बजट आपका एक्सेस हो जाता है तो आप उसको दूसरे में, इसको इन्दिरा आवास में परिवर्तन कर दो, इसमें पी. डब्ल्यू. डी. वालों को पैसा दे दिया जाता है, सड़कें नहीं बनाते हैं। दूसरे विभाग में बजट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कुएं गहरा कराने का बजट आपका आता है, नये एनीकट बनाने का बजट आता है। मंत्री महोदय, हमारे जिले में तो आपके इस एनीकट के प्रोग्राम में, सिंचाई के प्रोग्राम में एक कौड़ी भी, एक भी एनीकट आपने पिछले 5 साल में नहीं बनाया है। एक भी कहीं सिंचाई का काम आपने पिछले 5 साल में नहीं कराया है। इसलिये आपके विभाग की जो कार्य प्रणाली है आप इसको मेहरबानी करके ठीक करें।

दूसरे, हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी को तो, अध्यक्ष महोदय, क्या कहें?

श्री अध्यक्ष : श्रीमान्, समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको तो कोई अपने विभाग का अता-पता ही नहीं है। कहीं आवासनियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं बच्चों को फरार किया जा रहा है, कहीं खुद भी मुकदमे में फंस रहे हैं। अब ऐसे मंत्री को, अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं? प्रमोशन के मामले में जिस मंत्री पर मुकदमा चले, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वह इस समाज और गरीब तबके के लोगों का, अध्यक्ष महोदय, क्या

(श्री परसादीलाल मीणा)

कल्याण कर सकता है ? उनसे लोगों को क्या आस है ? मेरे को तो ताज्जुब होता है, मेरे को तो आश्चर्य होता है एक नौजवान आदमी को देखकर, भैरोंसिंहजी ने मंत्री बनाया, इनकी कोई परफारमेंस ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय को, नन्दलालजी हैं, आप कहेंगे कि अपनी जाति का पक्ष ले रहे हैं, पर इन्होंने दो बार, तीन बार अपने कार्यालय में मीटिंग की, लोगों को सुना, इन्होंने जो कुछ भी किया, कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन मंत्रीजी का तो कोई अता-पता ही नहीं है कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सजेशन दें और समाप्त करें। अब आपका एक मिनट और रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, इनकी कोई एक्टीविटीज नहीं हैं। यह गाड़ी-घोड़े में मस्त हैं, प्रमोशन के नाम पर पता नहीं उनकी क्या है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, मतलब इतना बड़ा विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिन खम्भों के ऊपर, एस. टी. और एस. सी. के खम्भों के ऊपर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है, उसका मंत्री बौना साबित हो, इस तरह का हो जिसके खिलाफ रिश्वत के मामलों में मुकदमे दर्ज कराये गये हैं और वह मंत्री आज तक अखबारों में इसका खण्डन नहीं करे कि यह मैंने नहीं किया, यह मेरा काम नहीं है। कम से कम आप मेहरबानी करके ...

श्री अध्यक्ष : आप सजेशन दें। माननीय सदस्य, किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का अभी समय नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आज आवासनियों की क्या हालत है ? आज उनको सुप्रीम कोर्ट तक तलब कर रहा है, हाई कोर्ट तक तलब कर रहा है कि जिनके गर्भ रह गया उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला कर पूछा जाये। इस तरह के जघन्य अपराध आवास गृहों में हो रहे हों, बच्चों की कोई गिनती नहीं हो, ऐसे समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय आप कोई दूसरा विभाग ले लीजिये मेहरबानी करके। होता क्या है, आप कमजोर तबके के हो, आप इस वर्ग के हो, यह मुख्य मंत्रीजी की चाल है कि यह बहुत बोलता था, प्रमोशन के मामले में बहुत सवाल करता था। बालचंदजी आर्यवीर को हटा दिया, ऐसे अगली बार आप चुनाव जीतने वाले नहीं हो अगर इस तरह का आपका विभाग रहा, आपकी कार्य-प्रणाली यह रही तो यह भैरोंसिंहजी की आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, जिसके आप शिकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सजेशन दें आप, यह क्या है, क्या नहीं है आप इसका यहां विश्लेषण नहीं करें। माननीय, आप यहां सजेशन दें। उपयोगी सजेशन हैं आपके और आप सजेशन दें।

श्री मदन दिलावर : परसादीलालजी, आपको चैलेंज देता हूं कि मेरे सामने लड़कर देख लेना....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपकी सीट पर लड़ ही नहीं सकता।

श्री भवन विलावर : जनरल सीट पर आ जायें।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी, आपकी सीट पर लड़ ही नहीं सकता।

श्री भवन विलावर : आप जनरल सीट से आ जायें। माननीय सदस्य, लड़ कर देख लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन दोनों को मेरी जनरल सीट से लड़ कर देखने दो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास चलते हैं उनकी यह हालत है कि लड़के तो क्या कोई जानवर भी नहीं रह सकते हैं। न चारपाई है, न बरतन हैं, न कोई उनके पास कोई दूसरी सुविधा है। इनके व्यवस्थापक, इनको चलाने वाले अधिकारी ऊपर के ऊपर पैसे को खा रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। आज छात्रावासों की यह हालत है, कोई भवन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : कहीं वहां पर टूट-फूट....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, विराजिये आप। श्री प्रभूराम जी गरासिया।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से देखें और व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिये आप मंत्री महोदय से कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूराम गरासिया।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर मैं मेरे क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूं। जहां तक मेरे क्षेत्र में जो आबूरोड, टी. ए. डी. में आता है, उस आबूरोड में 40-42 साल से कांग्रेस वालों ने सिर्फ एक रोड बनवायी है, बाकी वहां आदिवासी एरिया में आज दिन तक न तो रोड्स हुई हैं और न कुछ हुआ है। आने-जाने के लिये, जो बीमार होते हैं उनको झोली में डालकर अस्पताल ले जाते हैं .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें इनको। कभी-कभी तो बोलते हैं, माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री प्रभूराम गरासिया : इस तरह की कंडीशन है। उसके बाद मैं आपको बताऊं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लिख कर दे देना, करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवालजी, इनको बोलने दें।

श्री प्रभूराम गरासिया : हमारे माननीय मंत्री महोदय ने दो तीन रोड्स सैंक्शन करवायीं (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बो,लें माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभूराम गरासिया : आज भी काम चालू है और एक रोड पक्की बनवायी लेकिन

(श्री प्रभूराम गरासिया)

सारा पैसा, टी. ए. डी. का पैसा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में डाला और आज दिन तक आबूरोड को वंचित रखा, यह किया इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। जबकि आबूरोड तहसील, टी. ए. डी. में है और एक ही क्षेत्र है मेरा, जो पिंडवाड़ा तहसील है वह उसको माडा में रखा है। इस तरह का उन्होंने एक सौतेला व्यवहार किया है और इस बार हमारे माननीय मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव भेजा है, दिल्ली के लिये जो पिंडवाड़ा को भी टी. ए. डी. में किया जायेगा और पिंडवाड़ा तहसील शत-प्रतिशत आदिवासी है और उसको भी टी. ए. डी. में लिया जाए, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है और वहां के आदिवासियों के लिये आने जाने के लिये साधन नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, रोड्स सेंक्शन की जायें और माडा में जो पिंडवाड़ा तहसील में आते हैं, कोई पुल नहीं बने हैं, रोड्स बन गयी है, पुल नहीं हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कई लोग ट्रेक्टर के पलटी खाने से मर जाते हैं। इस तरह से हमारे उस आदिवासी क्षेत्र में कोई छोटा-मोटा पुल बनाया जाय और समाज कल्याण विभाग का आबूरोड़ में जो छात्रावास चल रहा है, बहुत पुराना है और वहां दस बाई दस के कमरे हैं। पहले स्टेट की टाइम के बने हुए हैं, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आबूरोड़ का छात्रावास जो कि समाज कल्याण का है, उसको एक नया भवन बना कर दिया जाय और आश्रम, जैसे भूला में है, एक आश्रम छात्रावास खोला जाय और एक आमली में है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस एरिया में आमली और भूला में दो छात्रावास खोले जायें और जैसे सिरोही में एस. सी. और एस. टी. का जो समाज कल्याण विभाग का छात्रावास है, वह बहुत पुराना है....

श्रीमती तारा भण्डारी : 150 साल पुराना है।

श्री प्रभूराम गरासिया : 150 साल पुराना है। हमारे मंत्री महोदय पहले वहां पर रह कर भी आये हैं, उनके ध्यान में है कि वास्तविक कंडीशन उसकी कैसी है तो इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस छात्रावास को अलग से भवन बना कर दिया जाय और एस. टी. और एस. सी. के लिये अलग-अलग भवन बनाया जाए। जैसे (व्यवधान) .. नहीं वह शामिल है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते रहें।

श्री प्रभूराम गरासिया : जिस तरह से स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा इन गांवों में जैसे सड़कें तो बन गयी हैं, वहां पुल नहीं हैं तो छोटे-छोटे पुल बनाये जायें, जिससे आने-जाने वालों को सुविधा हो। बरसात में वे लोग इधर से उधर आ नहीं सकते। आदिवासी सारे लोग वहां रहते हैं इसलिये वहां छोटे-छोटे पुल बनाये जायें और हमारे आदिवासी एरिया में जो कच्चे बांध बना कर पानी रोक कर सिचाई के लिये वे ले जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन नालियों को पक्की बनायी जायें जिससे उनका पानी -वेस्ट नहीं जाय और वहां कम से कम सिंचाई हो सकती है और छोटे-छोटे बांध बनाये जायें जिससे आदिवासी लोगों की जमीन में सिंचाई हो सके और मेरा यह भी निवेदन है कि वन-विभाग में,

(204)

(श्री प्रभूराम गरासिया)

जो आदिवासी लोगों की जमीन आयी है, जो पहले से 40--50 साल से उन जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं, उनको अलॉटमेंट की जाय जिससे उनको राहत मिलेगी और अभी, फिलहाल जैसे कांग्रेस के + + + थे, उन्होंने जमीन के बारे में वन विभाग के जोहड़ को तुड़वाने के लिये पचास-पचास और सौ-सौ रुपये आदिवासी लोगों से लिये और उनको यह कह रहे थे कि आप उस जोहड़ में जाकर, 12 या 13 तारीख को वहां कम से कम चार-पांच हजार लोग आकर, के वन-विभाग में आकर बैठें और उन्होंने कहा कि यह लो और वन-विभाग के जोहड़ के लिये आदिवासियों को गुमराह करके कि जीतने के बाद मैं आपको जमीन दूंगा और इस तरह से उन्होंने हथकंडे अपना कर आदिवासियों से 100-100, 200-200 रुपये हड़पे। इसके लिये आप कुछ कार्यवाही करें। इस तरह से आदिवासियों को गुमराह करके पैसे लिये जा रहे हैं तो यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 30 और 33 के बारे में अभिव्यक्ति करना चाहूंगा। दौसा जिला माडा योजना के लिए चयनित है जिसमें इस वर्ष 44.918 लाख रुपये का बजट है इसके बारे में निवेदन करूं कि हर बार दौसा जिले का बजट लैप्स होता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए जो बजट केन्द्रीय सरकार से निर्धारित होता है वह लैप्स हो तो आप तत्काल प्रशासनिक अधिकारी जो भी है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, इसका भरोसा दिलाएं। यह मेरा सुझाव है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए जो पैसा आता वह लैप्स नहीं हो पाये। और यदि लैप्स हो तो

(18.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

उसकी बहुत सख्ती से इन्क्वायरी की जाय। पहला सुझाव मेरा यह है। दूसरा मेरा निवेदन है कि दौसा जिले में एक हैण्डपम्प रखा गया है, एक हैण्डपम्प जिसके लिये परसादीलालजी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में हो, महेन्द्र मीणा जी कह रहे है कि मेरे क्षेत्र में हो, हरिसिंहजी महुआ कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में हो, और जियालालजी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में हो, मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हो। एक हैण्डपम्प पांच तहसील और फिर क्या परसादीलालजी के क्षेत्र में आज तक हैण्डपम्प नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ? माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास का जो पैसा आता है उसको कोई विभाग संचालित नहीं करता है। आपके साथ तो सौतेला व्यवहार होता है। आपका हैण्डपम्प का पैसा, पी. एच. ई. डी. अपना पूरा काम कर लेगा उसके बाद यदि उसके पास समय रहेगा, मशीन रहेगी तो आपका हैण्डपम्प लगायेगा नहीं तो नहीं लगायेगा। यदि बिजली विभाग की जो योजना है वह पूरी हो जायेगी उसके बाद यदि माडा योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण होगा तो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वह करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे । क्योंकि उनके मुख्य विभाग का कार्य नहीं है यह आपका कार्य है । यदि आपने किसी भी छात्रावास को जोड़ने के लिये सड़क बनायी, सम्पर्क सड़क के लिए पैसा दिया तो पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के पास जो पूर्वी वर्ष का बजट है वह पूरा खतम करेगा उसके बाद आपकी एक अतिरिक्त आफत जो उनको नजर आती है, वह अतिरिक्त आफत के रूप में वह काम करेंगे तो करेंगे नहीं तो पैसा लैप्स होगा । बताइये यह आपकी स्थिति है कि नहीं ? आज जनजाति क्षेत्रीय विकास का जो पैसा आता है वह, माननीय मंत्री महोदय, बीज वितरण के पैकेट, खाद वितरण, पशुपालन शिविर, डीजल पम्प का वितरण, शल्य चिकित्सा शिविर, आयुर्वेदिक शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम और कुएं की ब्लास्टिंग द्वारा कुओं को गहरा करना, यह नुमाइशी तौर पर पैसा खर्च होता है । जैसे हमें किसी चीज का डिमोंस्ट्रेशन करना, इशेंसियल है साल में, जैसे हमें किसी चीज की प्रदर्शनी करना जरूरी है उसी तरह वह पैकेट कहां जाते हैं कहां नहीं जाते और वह फलों के पैकेट, बीजों के पैकेट किस को दिये जाते हैं और किस को नहीं दिये जाते, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ करने वाला नहीं, हमें तो दौसा जिले में 44 लाख रुपये बिखेरने हैं । बिगाड़ने हैं । उनका क्या रिटर्न आया, उसकी कोई मानीटरिंग नहीं, उसके लिये कोई रेस्पांसिबल पर्सन नहीं । क्योंकि वह पैसा आप करीब 12 या 14 विभागों में बांटते हैं, उसकी मानीटरिंग कौन करे ? 14 विभाग अपने-अपने कार्य को पहले प्राथमिकता देंगे या आपके द्वारा । जो छोटे-छोटे पैसे देकर काम करवाये जायेंगे उसके लिये करेंगे ? तो जनजाति क्षेत्रीय विकास का जो पैसा आता है उसको खर्च करने के लिये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिये । आपके पास एक तरह से पूरा कार्य संचालन करने के लिये, कुएं खुदवाने हैं, हैण्डपम्प लगाना है तो उसके लिये आपके पास मशीन हो, सड़क बनानी है तो उसके लिये आपके पास इंजीनियर हो, जिस तरह से कृषि उपज मण्डी समिति सड़क बनाती है तो पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर से नहीं बनवाती है उनके पास अलग सैक्शन होता है । यदि इरिगेशन अपना डैम बनायेगा तो उनके पास अपने अलग टेक्नोक्रेट्स होते हैं । इसी तरह, जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये जो पैसा आये वह खर्च हो । और उधारे रूप से कारीगर खरीदें आप कृषि विभाग के या किसी और विभाग के उसके बजाए आप खुद के मातहत विभाग के, खुद के विभाग में पैदा कीजिये स्पेशलिस्ट जिनके द्वारा पैसा खर्चा हो तो जवाबदेही सीधी आयेगी अन्यथा ऐसी स्थिति रहेगी । इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि दौसा जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र है, श्रीमान्, तीन तो रिजर्व सीट हैं इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 28,000 जनजाति के मतदाता रहते हैं और यह करीब 75 हजार की आबादी है लेकिन वहां पर मात्र एक छात्रावास है । निहालपुर में जो कि माडा क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत एक साल पहले एक सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिये प्रस्तावना की गयी थी, आज तक सड़क नहीं बनायी गयी क्योंकि वह सड़क बनाने का पैसा आपने पी. डब्ल्यू. डी. को दे दिया । पी. डब्ल्यू. डी उस कार्य को प्राथमिकता से क्यों लेगी ? पी. डब्ल्यू. डी. उस कार्य

206

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को प्राथमिकता से लेगी जो उनके लिये ज्यादा फायदे के हैं, जिनमें उनको ठेकेदारों से ज्यादा लाभ होता है। आप तो पैसा कम देते हैं, कम पैसा देंगे काम ज्यादा करायेंगे तो कौनसे विभाग के अधिकारी + + + हैं जो आपका विकास का काम करेंगे ? ऐसी स्थिति में आपको कार्य पद्धति और निष्पादन की पद्धति बदलनी होगी।

इसके अलावा, मेरा यह भी कहना है कि छात्रावास की बहुत ही खराब दशा है। न उसमें बिजली हैं, न पानी है और गंदगी बनी हुई है। इसके अलावा, जगह-जगह निहालपुरा, डिगारिया, बैंजुपाड़ा, इंगोटा, लोटवाड़ा, पुंदापाड़ा और मऊखेड़ा यह सब ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं जिनमें करीब 85 प्रतिशत जनजाति की बाहुलता है। इसमें एनीकट्स के लिये भी प्रावधान रखा गया था लेकिन पूरे दौसा जिले में एक भी एनीकट नहीं बनाया गया, कोई सिचाई की योजना नहीं बनायी गयी। जनजाति बहुल क्षेत्र के विकास के लिये कोई कार्यक्रम नहीं अपनाये गये और ताज्जुब यह है कि बजट का करीब 60 प्रतिशत पैसा खर्च हो जाता है। कहीं भी दिखाई नहीं देता है।

सभापति महोदय, जहां तक कुओं को गहरा करने की बात है, एक भी कुआं गहरा नहीं किया गया, एक भी शिविर नहीं लगाया गया आयुर्वेदिक का और न एलोपैथिक का, पता नहीं कहां किस तरह बजट पूरा हो जाता है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ट्यूबवैल खुदवाने के लिये पंचायत मुख्यालयों को और तो और, आप संकल्पबद्ध होकर जो जनजातिय क्षेत्रीय पंचायतें हैं, जो माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, जहां पर एक निश्चित सीमा से जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां पर उन पचायतों को सड़क से जोड़ देंगे, ऐसी ही प्रस्तावना लेकर चलिये। आप योजना लेते हैं 30 काम की और होता नहीं है एक काम। आपने आपकी जनजातीय क्षेत्रीय विकास परिषद के अन्तर्गत 18 काम ले रखे हैं, 18 में से कुछ नहीं होता नुमाइश होती है। आप हर जिले में एक साल में दो-तीन काम हाथ में लीजिये फिर प्रगति का जायजा लीजिये। आप स्वयं वहां पर आयें और देखें कि इस पैसे का कितना यूज हो रहा है, ज्यादा मिसयूज हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, मुझे यह भी कहना है कि माडा क्षेत्र में चिकित्सालय भवन और विद्यालय भवन बनाने की योजना है, इसमें भी कोई कारगर काम नहीं हो रहा है। आज क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पर भी विचार है, वाद-विवाद है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भिक्षावृत्ति के बारे में अभी तक हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कारगर उपाय नहीं किये गये हैं। सभापति महोदय, भिक्षावृत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा करना तो फिर भी समझ में आता है जो अभागा है, विकलांग है, जिसको दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हृष्ट-पुष्ट हैं, जो शारीरिक सौष्ठव रखते हैं उसके बाद भी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भिक्षा लेते हैं. उस पर कोई भी भिक्षावृत्ति कानून का नियंत्रण नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो मेहनत कर सकते हैं लेकिन हराम में भिक्षा मांगना चाहते हैं, एक राम का नाम लेकर, एक और किसी धर्म का नाम लेकर यदि पैसा आता है और सुबह से शाम तक कलेक्शन हो जाता है तो उनको क्या जरूरत है जो अगल-बगल से पसीना टपकाएं मेहनत करके ? ऐसे लोगों पर कोई प्रभावी कानून बनाकर रोक लगाई जाए। यह सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है, सभापति महोदय, कि जो पेन्शन अभी दी जा रही है पति-पत्नी को 150 रुपये पर मन्थ, यह बहुत ही कम है, आज ऐसे भी पुत्र हैं जो कि काफी कमाने के बाद भी अपने मां-बाप को एक तरह से मेन्टीनेंस नहीं देते हैं, उनका मेन्टीनेंस नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को 150 रुपये पर मन्थ देना बहुत ही कम है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।

साथ ही, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेण्डर एक्ट के अन्तर्गत धारा 3 और 4 के अन्तर्गत न्यायालय के द्वारा सदाचार की परिवीक्षा पर अपराधियों को छोड़ा जाता है जिनकी उम्र 21 साल से कम होती है। लेकिन, सभापति महोदय, यह कितना एक विचारणीय विषय है कि आज तक कोई भी जिला परिवीक्षा अधिकारी ने किसी भी न्यायालय में आकर यह नहीं बताया जबकि डाइरेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी को कि अमुक-अमुक अपराधी का कैसा आचरण रहा और उसने जो अवधि दी गयी है उसमें पुनः अपराध किया या नहीं किया, सोशल वेलफेयर आफिसर हैं वह ऐसे कोई भी रिकार्ड मेण्टेन नहीं करते हैं। गांधीजी ने कहा था कि अपराधी की सजा उसको सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में है, उसका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जब तक जिला परिवीक्षा अधिकारी जाकर समय-समय पर उसकी जो एक गाइडेंस मिली है उनको, उनके पास लैटर आते हैं लेकिन वह कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं, न ही समाज कल्याण विभाग इसके प्रति अपने दायित्व समझता है। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग अपने दायित्व-बोध से अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य-परायणता बरतते हुए ऐसा कार्य करे कि जो बाल अपराधी, जिसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेण्डर एक्ट का फायदा दिया गया है लेकिन उसने पुनरावृत्ति कर दी अपराध की, उसकी सूचना दे ताकि उसको सजा मिले और अपराधी मनोवृत्ति समाज से दूर हो। यह सामाजिक सुरक्षा और उपाय में बहुत है। आज यह देखा जा रहा है कि बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि 13 साल में मर्डर कर दिया, 13 साल, 14 साल में चोरी की, सैक्शन तीन चार का बेनिफिट कर लिया, बाल न्यायालय से अपराधी छूट गया, उसके बाद कोई रिकार्ड नहीं उसका। 16, 17, 18, 19, 20 साल तक अनेक अपराध करता है, वह हिस्ट्रीशीटर बन जाता है लेकिन उधर तो 21 साल से ज्यादा उसके विहादण्ड दी बार नहीं हो पाता है, सीधा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सरकार के जिला परिवीक्षा अधिकारी के +++ । कोई दायित्व नहीं समझते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि समाज कल्याण मंत्री महोदय अपने जिला परिवीक्षा अधिकारियों को यह हिदायत दें कि वह जितने भी न्यायालय से प्राप्त हैं उनका बाकायदा रिकार्ड मेण्टेन करे ताकि अपराधियों की संख्या में कमी हो। धन्यवाद।

(19.00)

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 30 और 33 के बारे में अपने विचार रखूंगा। अभी हमारे सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य, श्री कांतजी ने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम दस नम्बर पर है।

श्री अमराराम चौधरी : जब आपने विचार प्रकट किये और उन्होंने समाज कल्याण छात्रावासों के बारे में, समाज कल्याण विभाग के बारे में जो कुछ बताया, उसमें वास्तविकता कुछ और है और मौके पर जो हालत छात्रावासों की है, वह बहुत ही शोचनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बालोतरा में एक ट्राइबल छात्रावास है और करीब बीस वर्षों से वह छात्रावास, मैं देख रहा हूं, उस छात्रावास में लड़कों को जो खाना दिया जा रहा है, कैदियों से भी गया बीता खाना दिया जा रहा है। आज ठीक है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 100 रुपये बढ़ाए। लेकिन खाना बनाने के लिये सरवेण्ट जब तक नहीं होगा उनके लिये और कोई पियोन नहीं होगा तो यह जो पैसा बढ़ाना है, आज के इस महंगाई के जमाने में उन विद्यार्थियों के लिये खाली एक जेल में रखने के, उससे भी खराब हालत उनकी रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन यही है कि यदि आप समाज-कल्याण छात्रावास चलाना चाहते हैं और जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनका आप भला करना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिये। जो भी उनको ड्रेस दी जा रही है, उनकी खाने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो मैंने अपने यहां के समाज कल्याण छात्रावास जो कि महिलाओं के, पागल महिलाओं के छात्रावासों को हमारी यहां की कमेटी-महिला एवं बाल विकास कमेटी ने जाकर देखा। वहां इतनी जीर्ण-शीर्ण हालत है और धुआं लगा हुआ था सारे मकान में। आदमी जहां पागल औरतें रहती हैं, वह मंदिर के समान होना चाहिये ताकि उनमें कुछ न कुछ मानसिक परिवर्तन आये। ऐसे मकान में रहने से तो स्वत: ही अच्छा आदमी भी होगा तो वह भी पागल बन जायेगा उनकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। इतनी गन्दगी थी उसमें, जो कहने की बात नहीं है जिसका वर्णन नहीं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम चौधरी)

किया जा सकता। यही हालत गांवों में छात्रावास की है। बालोतरा में यही है। आपका कोई भवन नहीं है बालोतरा में। यही का यही पाटौदी में खोला। पाटौदी में आपका छात्रावास भवन नहीं है और एक घुम्मकड़ छात्रावास है। जो मेरे पंचपदरा में तो पहले ये भाट होते हैं, बंजारे, वहां बहुत रहते थे। उनके लिये एक घुम्मकड़ छात्रावास है। मैं चाहूंगा उसको ट्राइबल छात्रावास बना दें। ट्राइबल के लड़के ही वहां पढ़ रहे हैं ताकि उनको उस हिसाब से से एड मिल जाय। बालोतरा के छात्रावास को आप, जो ट्राइबल है, उसको आप शिड्यूल्ड कास्ट में परिवर्तन कर दें और भवन आपको बनाने चाहिये। कल्याणपुर, जहां हायर सैकण्डरी स्कूल है, 60 मील में जहां कोई नजदीक स्कूल नहीं है, वहां पर भी एक छात्रावास खोलें, इस साल।

आप जो छात्रावास खोल रहे हैं वह ऐसे एरिया में खोलें तो आपको हमेशा याद करें शिड्यूल्ड कास्ट के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग। आप ऐसे छात्रावास खोलेंगे जब ही होगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी कई जातियों को पिछड़ी जातियों में लिया गया। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने यूनिवर्सिटीज के अन्दर नौकरियों में तो कहा कि उनको रिजर्वेशन हम दे देंगे। लेकिन मेडिकल कालेज में और शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों के अलावा उनकी भर्ती के लिये भी आप रिजर्वेशन करें ताकि जो लोग पिछड़े हैं, जिनके प्रति आप चिन्तित हैं तो उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, कुछ हमारे यहां जैसे शहर या राजस्थान में कास्ट है, उसी प्रकार हमारे यहां सांसी लोग भी हैं। उनके लिये अलग बजट रखकर उनका विकास करने के लिये, वह अनुसूचित जाति से भी नीचे है, उनके अभी तक कोई मकान नहीं हैं रहने के लिये, उनके पास कोई धन्धा नहीं है, तो ऐसे लोगों की वाकई में आप मदद करें ताकि उनकी दुआएं मिलेंगी। मंत्रीजी ऐसे लोगों का आप पूरा भला करने में लगेंगे तो इसमें आपकी वाहवाही होगी। मैं आपके माध्यम से खास तौर से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के अन्दर, इस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो गवर्नमेंट सर्वेण्ट हैं, उनकी इंश्योरेंस जमा हो रही है तो उनकी स्लिप मिलनी चाहिये मंथली, ताकि उनको स्लिप मिलती रहेगी, लेजर में उनका पैसा चढ़ता रहेगा। जब वह रिटायर होने के बाद में उनके इंश्योरेंस में उनके कागज उनके पास रहेंगे तो उनको टाइम पर इंश्योरेंस का फायदा मिल जायेगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, आज हम सदन में

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

मांग संख्या-30 व 33 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे अनुरोध पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के सुनेल ग्राम में अनुसूचित जनजाति का छात्रावास सैंक्शन किया और वह आज कार्य रूप में परिणत है। मै इस वर्ष फिर आपसे आग्रह करता हूं यह छात्रावास, जो अभी एक किराये के भवन में चल रहा है, उसमें पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हम पंचायत के माध्यम से वहां आपको जमीन उपलब्ध करायेंगे। मेरे यहां छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

सभापति जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बारम्बार धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स या पिछड़े वर्गों के भाई, जो हमेशा केवल वोट देने का काम करते थे, आज मुख्य मंत्री जी ने इन वर्गों को आरक्षण प्रदान किया और सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि पदों के ऊपर आसीन करवाया। इन जन-प्रतिनिधियों के बन जाने से उन वर्गों के लोगों को काफी हिम्मत बंधी है और यह जन-प्रतिनिधि उन वर्गों का पूरा ख्याल रखेंगे। मेरा अनुमान है कि निश्चित रूप से इस कदम से भी हमारे इन वर्गों की उन्नति अवश्यम्भावी है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हमारे इन वर्गों के कल्याण के लिये चलायी हुई हैं। लेकिन झालावाड़ जिले में जो समाज कल्याण विभाग कार्यरत है, वह एकदम से निष्क्रिय साबित हो रहा है। कौन-कौनसी योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं, इनकी जानकारी न तो किसी जनप्रतिनिधि को है, न अधिकारियों को है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि झालावाड़ जिले के समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करें और जन-प्रतिनिधियों की व विकास अधिकारियों की एक सम्मिलित बैठक बुलायी जाये और उसमें जो भी सरकार द्वारा योजना चलायी जा रही है, उन सभी की जानकारी दी जाये ताकि अधिक से अधिक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के भाई इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। सभापति जी, पहले वर्ष भी हालांकि विभाग ने तो इन योजनाओं का प्रचार नहीं किया था लेकिन हमने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों की बहुत सारी दरख्वास्तें समाज कल्याण विभाग में लगायी थीं लेकिन एक को भी लाभान्वित नहीं कराया गया है। मेरा अनुरोध है कि यदि झालावाड़ जिले में हम सक्रिय रूप से कार्य करेंगे तो वहां बहुत बेरोजगार हैं जो शिड्ल्यूड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं और शिक्षित भी हैं लेकिन उनके पास कोई धंधा नहीं है। यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से वहां लागू किया जायेगा तो इन वर्गों के कितने ही बेरोजगार युवा अपने धंधे से लग पायेंगे।

सभापति जी, आई. आर. डी. पी. योजना भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही है। उसमें चयनित लोगों को लाभान्वित कराया जाता है। लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के दो बैंक मैनेजरों की आज सदन

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

में शिकायत करता हूं कि वे जो फाइलें पंचायत समिति से तैयार होकर जाती हैं, उन चयनित परिवार के लोगों को वह मैनेजर बुरी तरह से दुत्कारते हैं। बार-बार बैंकों के चक्कर लगवाते हैं और तो और हाट और मेले में भी उन लोगों को बुला लिया जाता है फिर बिना लाभान्वित किये हुए उन्हें वापिस लौटा दिया जाता है। इन दोनों लीड बैंकों के लिये कोई भी कार्यवाही कर इनका रवैया ठीक करवाया जाये ताकि जो हमारे चयनित भाई हैं उनको इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

एक और हमारे झालावाड़ जिले में अनियमितता है। इन्दिरा आवास हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों को आवंटित किये जाते हैं लेकिन वहां जिला कलक्टर ने एक इन्दिरा आवास के ऊपर दो परिवार नियोजन के केस थोपे हुए हैं। परिवार नियोजन के केसों की यह हालत है कि एक केस यदि कोई देता है तो दो हजार रुपये उससे लेता है। जिस व्यक्ति का चयन हुआ है वह वैसे ही आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है और दो हजार रुपये देकर एक केस नहीं खरीद सकता। दो केस खरीदने पड़ेंगे, चार हजार रुपये देगा और फिर उसे इन्दिरा आवास प्राप्त होगा। यह एक अनियमितता है इसमें सुधार कराया जाये।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं जिनमें सौ प्रतिशत आबादी शिड्यूल्ड कास्ट की रहती है। मेरे बार-बार आग्रह के ऊपर भी पी. डी. साहब ने या जो अधिकारी इस योजना से सम्बन्धित है उन लोगों ने सम्बल योजना में इन गांवों को सम्मिलित नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे इन दोनों गांवों को सनोदिया खेड़ा और खलिल नगर जो सौ प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी वाले गांव हैं उनको सम्बल योजना में शामिल किया जाये। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-33 जो समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित है और मांग संख्या-30 जो जनजाति विकास से सम्बन्धित है, चर्चा हो रही है मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं। सभापति महोदय, समाज कल्याण मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। मंत्री जी बहुत एक्टिव आदमी हैं। उन्होंने पहले पहले तो सुधारने की कोशिश की लेकिन अभी वह थोड़े दब गये हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह दबें नहीं।

समाज कल्याण के होस्टलों की जो आज की स्थिति है उससे आप वाकिफ हैं, आपने सब होस्टल देखें हैं। कहीं खाट है तो बिस्तर नहीं, कहीं बिस्तर है तो खाट नहीं। रहने के लिये मकान की कोई व्यवस्था नहीं है और फिर इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए आपका व्यवस्थापक जो लगा हुआ है उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे वहां पर एक वार्डन के पास में पांच होस्टलों का चार्ज है और एक महिला छात्रावास है उसमें भी वह लगा रखा है। तो पता नहीं पांच होस्टलों की व्यवस्था वह किस तरह से

(212)

(श्री दयाराम परमार)

देखता होगा, किस तरह से खाने-पीने की व्यवस्था करता होगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन माननीय मंत्री जी को चाहिये कि अपने डिपार्टमेंट की व्यवस्था को सुधारें।

जहां तक ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट का सवाल है, विधान सभा में आने के बाद में इस डिपार्टमेंट को मैंने बहुत समझने की कोशिश की और यह डिपार्टमेंट बना तब से ही यह कहा गया था कि ट्राइबल एरिया, जो बहुत पिछड़ा हुआ है और उनके विकास के लिए सामान्य योजना का पैसा उसमें खर्च होता है। इसके अतिरिक्त उसकी जितनी जनसंख्या साढ़े बारह प्रतिशत है, जो भी है, उनका पैसा खर्च करके उनका एकदम विकास कर दिया जाये ताकि सब एरिया के समान एक साथ हो जाये। लेकिन मंत्री कभी ट्राइबल मिनिस्टर भी रहे हैं, कभी और जाति के मंत्री भी रहे, पता नहीं हम इस काम को समझ नहीं पाये। इसलिए नहीं समझ पाये कि हमें स्कूल खुलवाने हैं तो हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि हमको ट्राइबल एरिया में हमारा स्कूल खोलना है। जनजाति मंत्री जी को कहेंगे तो वह कहेंगे कि स्कूल मैं तो खोलता नहीं, स्कूल तो वो खोलता है। तो इनको बनाया है ट्राइबल एरिया डवलपमेंट मिनिस्टर और ट्राइबल एरिया डवलपमेंट मिनिस्टर को क्या-क्या काम करने हैं उनको सम्बन्धित डिपार्टमेंट से पैसा लेना है तो क्या मंत्री जी वह काम करेंगे, वे पावरफुल हैं या ये पावरफुल हैं? ऐसा मोटे रूप से देखा जाये तो इस तरह से यह लगता है कि यह सारे डिपार्टमेंट के अकेले मंत्री हैं। जितने भी हों पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे इर्रिगेशन हो, सारे डिपार्टमेंट हैं ट्राइबल एरिया डवलपमेंट मिनिस्टर सारे पावर्स लेकर बैठे हों। लेकिन अगर काम करने के लिए कागज चलावें तो पता नहीं वह कागज किस तरफ जायेगा और कहां जाकर के क्रियान्विति होकर के हमारा काम कहां होगा। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पहले आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें कि मेरे को किस तरह के पावर्स मिले हुए हैं और मैं किस तरह करूंगा।

मान लो मैं आया कि मेरे वहां पर रोड़ बनवानी है, क्या रोड़ आप मंजूर कर देंगे और मंजूर कर देंगे तो फिर उसको बनवायेगा कौन? यह मामला अभी तक अस्पष्ट है और अस्पष्ट है इसलिए आज तक ट्राइबल एरिया में हुआ क्या कि ट्राइबल एरिया के कुल गांव हैं 4264 उसमें से 932 तो गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं अभी तक। इसी तरह 2806 गांव बिना किसी सड़क के हैं। सभापति महोदय, ट्राइबल सब प्लान बना 1975 में, और तब से लेकर के आज तक वहां पर हम सड़क ही नहीं बना पाये तो किसी तरह का टूटा-फूटा रास्ता भी नहीं बना पाये तो ट्राइबल डवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपया आया और विकास हम कर रहे हैं तो क्या विकास कर रहे हैं?

ट्राइबल डिपार्टमेंट बनने के बाद कमिश्नर साहब को नियुक्त किया कि उसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब होंगे। उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों में यह बात कही गयी कि वह हर पंचायत समिति में मीटिंग में जायेंगे और वहां के लोगों की तकलीफों

(श्री दयाराम परमार)

को सुनेंगे, सुनकर के उनका समाधान करने का रास्ता निकालेंगे और फिर भारत सरकार को जाकर सुझाव देंगे कि ट्राइबल एरिया में डवलपमेंट करने के लिए आपको यह वह कदम उठाने हैं।

सभापति महोदय, मैं 1962 से बराबर पंचायत समिति में जा रहा हूं यह डिपार्टमेंट तो बाद में बना है। उसके पहले से 18 साल सरपंच के रूप में गया हूं, प्रधान के रूप में गया हुं और एम. एल. ए. के रूप में जा रहा हूं। मैंने आज तक कोई भी ट्राइबल कमिश्नर पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं देखा और ट्राइबल कमिश्नर ही नहीं दूसरा अफसर भी जाकर के कभी हमारे बीच में नहीं बैठा कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या आपकी तकलीफें हैं, कभी कोई नहीं गया। अब इसका नतीजा यह हुआ कि हम हमारी तकलीफें किसी को नहीं सुना पाये और जो डिपार्टमेंट हमारी तकलीफें सुनाने के लिए बनाया उस डिपार्टमेंट ने हमारी तकलीफें सुनने की कोशिश ही नहीं की तो हमारी तकलीफें दूर नहीं हुई हैं। कमिश्नर, ट्राइबल डवलपमेंट कमिश्नर और उसके साथ में रीजनल कमिश्नर। रीजनल कमिश्नर को आई. ए. एस. के ऊपर रोब मारने का अवसर मिले, कलेक्टर जाये खमाघणी। अब दयाराम जैसा गया हमारे गांव का आदमी मजदूर जाकर कलेक्टर साहब को खमाघणी कहे तो कमिश्नर साहब को उस काम को झेलने की कहां फुर्सत। वह देखता है कि यह तो शान के खिलाफ है आई. ए. एस. आकर के मेरे को खमाघणी करते हैं तो मैं उनका खमाघणी झेलूंगा बाकी उस गरीब की बात सुनने के लिए उनको कहां फुर्सत है।

मैं इसलिए बार-बार माननीय मंत्री जी से और विधान सभा में इस बात को कहता रहा हूं आप अगर चाहते हैं कुछ काम कराना तो ट्राइबल कमिश्नर के पद अलग करिये रीजनल कमिश्नर से। इस बात की मैं बराबर मांग करता आया हूं और मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं अगर इस बात के लिए कुछ करना चाहते हैं, जानता हूं मैं आप बहुत होशियार और एक्टिव आदमी हैं और चाहते हैं कि कुछ न कुछ कर डालूं। लेकिन करने के बाद थोड़ा पार्टी का राज है और उसमें भी यह दिक्कत है, सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब से यह ट्राइबल डिपार्टमेंट बना है, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बी. जे. पी. की। सभी पार्टियों की सरकार की नीयत खोटी है हमारे लिए। कोई नहीं चाहता कि इनका काम हो जाये, इनका विकास हो जाये, इनके यहां सड़कें बन जायें, यह पढ़-लिख जायें, होशियार हो जायें, कोई नहीं चाहता है। अभी भी नहीं चाहते हैं यह। और इसलिए मंत्री जी को बना दिया मंत्री और लाल बत्ती वाली गाड़ी दे दी मंत्री जी बैठकर के जायें। अब कहें किसको ? किस तरह का आर्डर देकर उस गरीब की बात सुन लें और कर दें उसका। इसलिए माननीय मंत्री जी आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइये। आज कुर्सी चली जाती है। आज गांव में हमारा आदिवासी भाई, आप और हम सब उस समाज से निकल कर आते हैं, अंधेरे में ही पैदा होता है।

(श्री दयाराम परमार)

अंधेरे में ही जिन्दा रहता है और अंधेरे में ही धरती से अलविदा होकर चला जाता है। उसकी लाइट नहीं लगेगी इसलिये नहीं लगेगी कि वहां जब उसके देखकर जाते हैं तो दस खम्भे लगेंगे और उसका इतना रुपया आयेगा। दस खम्भे लगें कि हजार खम्भे लगें, सरकार का यह काम होगा कि उसकी एक झोपड़ी तक लाइट ले जाये। उसको उजाले में पैदा करे, उजाले में जिंदा रखे। सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़े-बड़े महल, बड़ी-बड़ी कोठियां उजाले में चमक रही हैं वह खतरे में हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमको उसको खतरे से बचाना है तो गरीबों की बात सुननी पड़ेगी। आज वह सब हमको आकर वोट देते हैं, हम विधान सभा में आकर बैठते हैं। मौका मिलता है कोई मंत्री बन जाता है, कोई एम. एल. ए. होकर बैठ गया। लेकिन हमने वोट की एवज में उसको क्या दिया ? उसको काम नहीं मिले। हमने प्रदेश में उद्योग नीति बनायी और उस उद्योग नीति में उद्योग कहां स्थापित होंगे, उसकी बात नहीं कही, क्यों ? क्योंकि वह चाहते थे कि यहां जयपुर के आस-पास भी हों, भिवाड़ी में हों, बड़े-बड़े शहरों के पास उद्योग धंधे हो गये और हमारा वह गरीब आदमी खून पसीना एक करके पैसा कमाना चाहता है उसके लिये उस एरिये में धंधे लगाने की बात के लिए नहीं कहेंगे तो फिर हम उसको किस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं ? हमारी योजना है। मैं मंत्रीजी, आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विकास के कई कार्यक्रम चला रखे हैं। मुर्गी पालन, सूअर पालन और बतख पालन। क्या खेल तमाशा है ? क्या खेल तमाशा बना रखा है ? इस गरीब आदमी को 5 मुर्गी और दो बतख देकर लखपति बनाना चाहते हैं ? ऐसी सारी स्कीम्स बन्द कर कीजिये जिसका उपयोग नहीं है। जो भी इस तरह की स्कीम्स हैं उनको आप बन्द कर दीजिये और बैठकर सोचिये, ट्राइबल साइकोलोजी को समझिये, ट्राइबल एरिया को समझकर हम उसके लिये क्या काम कर सकते हैं जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है। उसका उपयोग करके अपना विकास कर सकता है, यह आपको सोचकर स्कीम बनानी पड़ेगी। यह स्कीम्स लेकर कहां बैठोगे ? मुर्गी और सूअर पालने वाली, यह छोड़ दो सारी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और इंतजार कर लें तो आपकी अति कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी होशियार तो हैं ही, काम भी करना चाहते हैं। उस काम में अगर सरकार आड़े आती हो और आपको धमकाया जाता है कि आपका मंत्री पद भी नहीं रहता, आप छोड़िये। हम आपको लालू यादव बनाना चाहते हैं। गरीबों को जिन्दा रखने के लिये काम कर रहे हैं, हमारी एम. एल. ए. शिप, हमारी लालबत्ती की गाड़ियां अगर भाई अंधेरे में घूमते हैं उनके आने जाने के लिये सड़क नहीं है वहां पढ़ने के लिये स्कूल नहीं है तो हम यहां आकर क्या करते हैं ? क्यों हम उनका वोट लेकर आते हैं ? हमको वह किसलिए भेजते हैं ? मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि आप जो भी कुछ कर

(श्री दयाराम परमार)

सकते हैं रात दिन बैठकर अपने अधिकारों को समझें, अपने काम को समझें और हमारे भाइयों के लिये क्या कर सकते हैं ? आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हुए हैं। ट्राइबल-कल्चर खतम हो रहा है उसको बनाये रखने के लिये वहां एक कार्यक्रम कर दिया और उसमें पता नहीं, हमारे भाई बता रहे थे कि 14-15 लाख रुपया खर्च कर दिया । मैं, इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी जमीन पर जिन्दा रहेंगे तब तक उनका कल्चर खतम नहीं होगा । आप क्यों फालतू का, व्यर्थ का खर्चा कर रहे हो ? आप मत करो खर्चा, कोई भी कल्चर खतम होने वाली नहीं है। वह नाचना जानता है, गाना जानता है और जो भी कुछ उसके यहां कल्चर है वह करते रहेंगे जब तक जिन्दा रहेंगे । आप रुपया खर्च करके किसको दिखाना चाहते थे ? उदयपुर को, उदयपुर शहर वालों को या फिर आप देखना चाहते थे । हमारे भाई तो गांव में रहते हैं ।

श्री सभापति : कृपया आसन की ओर देखें ।

श्री दयाराम परमार : इसलिए मेहरबानी करके आप ऐसे कल्चर कार्यक्रम करके पैसा बरबाद मत कीजिये और अगर ऐसा कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आपने मंत्रीजी से भी नहीं पूछा । आप मंत्रीजी से राय लेकर उस कमेटी में भी रख सकते थे, आप लेक पैलेस होटल के मैनेजर को रख सकते हो, और संस्थाओं के लोगों को रख सकते हो, लेकिन मंत्री हमारा उसमें आ ही नहीं सकता । देखिये यह मोनोपोली है । आपकी यह मोनोपोली नहीं चलेगी । आपको इस काम को करना है, तो सही तरीके से काम करना है और नहीं करना है तो अधिकारी अपनी तरफ से चले जायें, जो भी करना है करो । बाकी हम इस तरह के गलत काम चलने नहीं देंगे । सभापति महोदय, आप जल्दी चाहते हैं मैं खतम कर दूं, मैं खतम करना चाह ही रहा हूं । हमारे यहां उदयपुर में एक माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान बना रखा है । वहां लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए सौ के आस-पास पत्रिकाएं रहती हैं । कितने आदिवासियों को पढ़ाते हो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें ? वहां कोई पढ़ने नहीं आता लाइब्रेरी में एक भी और वहां तीन हजार किताबें हैं । वहां तीन हजार किताबें पड़ी हैं और लिखा है कि बड़े-बड़े विद्वानों की किताबें हैं और वह क्या शोध करेंगे हमारे पर ? हमारे घर नजर आते हैं । हमारा आदमी बिना जूते के घूमता है, झोंपड़ी में रहता है, उसके रहने के लिए घर कब दिखता है ? उस पर क्या शोध करेंगे ? शोध करके क्या हमको लखपति बनाओगे ? यह सारे इस तरह के फर्जी डिपार्टमेंट चला रखे हैं आदिवासियों के नाम पर । यह सारे डिपार्टमेंट मंत्रीजी आप बन्द करिये और जो भी कुछ आप अपने विवेक से काम लेकर उस कार्यक्रम को रखकर सरकार को मनवाइये कि इससे हमारे लोगों का भला हो सकता है । सभापति महोदय, आपने मेरे को समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30

218

(श्री बाबूलाल वर्मा)

और 33 पर विचार चल रहा है। समाज कल्याण विभाग के बारे में जो चर्चा अभी हुई, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण की जो गतिविधियां चल रही हैं, जो खास-खास गतिविधियां चल रही हैं समाज कल्याण की बाल कल्याण, महिला कल्याण, नशामुक्ति कार्यक्रम, विकलांग कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का कोई दायरा नहीं है। लम्बे-चौड़े दायरे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बढ़िया नीतियां बनाकर एक कमजोर वर्ग को उठाने के लिए बात रखी। लेकिन आज प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि क्या यह नीतियां क्षेत्र में सही रूप से चल पा रही हैं। बाल कल्याण का जहां तक सवाल आता है तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो विभाग इसको चला रहा है, मेरे ख्याल से वह विभाग अपने पैसे को वापस अपने पास कलक्ट कर रहा है क्योंकि जो बालकों को लाभान्वित किये जाने की बात की जा रही है आज यह उन बालकों को पता नहीं है कि आंगनबाड़ी के अन्दर क्या लिया जाना चाहिये। जब तक उस बालक को, उस बालक के परिवार को और अनुसूचित जाति के परिवार को इस चीज का पता नहीं होगा कि इस योजना के तहत क्या-क्या चीज उसको मिलनी चाहिए तब तक उस चीज का फायदा वह किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता और आज इस चीज का फायदा जो विभाग इसको चला रहे हैं, मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस चीज का फायदा अधिकारी वर्ग उठा रहे हैं। अधिकारी वर्ग जिले में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, अपने हिसाब से इस चीज को सही रूप से फलीभूत नहीं कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो नीतियां हमारी सरकार ने बनायीं, उन नीतियों का सही क्रियान्वयन सही दिशा में हो। जितनी भी समाज कल्याण विभाग की नीतियां चल रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी विभाग की नीतियां हैं इसका प्रचार प्रसार पूरे राजस्थान में होना चाहिए। चाहे महिलाओं का कल्याण हो चाहे बालकों का, अनुसूचित वर्ग का, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आरक्षण का जो मुद्दा रखा, जो फैसला किया, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। उनके टाइम में ठीक टाइम पर प्रमोशन हुए लेकिन एक निवेदन मैं, आपके माध्यम से करना चाहूंगा जैसे राज्य सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्रीजी अनुसूचित वर्ग के विद्यमान हैं। गृह मंत्री पद पर विद्यमान होने के नाते यह इस चीज को दर्शाता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को कितना महत्वपूर्ण स्थान देने जा रही है। जैसा प्रतिनिधित्व आज सरकार में है मैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सरकारी पद हैं, जो ऊंचे पद हैं इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत स्थान दिया जाना चाहिये।

आज, माननीय सभापति महोदय, नीचे के स्थानों पर अनुसूचित जाति के पद तो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

भरे जा रहे हैं लेकिन सही प्रमोशन सही स्थानों पर यदि होंगे तो निश्चित रूप से पूरा वर्ग लाभान्वित होगा ।

माननीय सभापति महोदय, यह पूरा समाज कल्याण का मुद्दा है, समाज विभाग की चर्चा है । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि आज कुछ विभागों में ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके कारण विधवाओं को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है । माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति की महिला हो, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, यदि कोई विधवा हो जाती है, किसी महिला का यदि पति मर जाता है तो उसको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है । आज 400 रुपये की पेन्शन मिल रही है । 400 रुपयों में, मैं समझता हूं, यदि उसके दो-तीन बच्चे होंगे तो न तो वह रह सकती है और न ही किसी प्रकार से वह अपने बच्चों को लिखा-पढ़ा सकती है । मैं आपके माध्यम से एक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, कम से कम विधवाओं को कम्पेनसेटरी ग्राउण्ड पर नौकरी दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये । ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे सामने आये हैं, चार-चार बच्चे हैं और विधवा को पेन्शन के 400 रुपये मिलते हैं । उन रुपयों में वह महिला रोटी खाने के लिए मोहताज हो रही है । इसलिए यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए सन् 1980 में अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की गयी । अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था इस वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा कर उन्नति के अवसर प्रदान करना । माननीय सभापति महोदय, जब से इसकी स्थापना हुई है, 1993-94 तक की फिगर मेरे पास है, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आज तक निगम को 1 अरब 35 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है और 1993-94 तक के राशि प्राप्त हुई है उसमें भी लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि इस निगम की शेष थी । आज आवश्यकता इस बात की है कि जब एक बार सरकार ने इतनी अच्छी नीतियां बना दी, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिशा निर्देश विभाग को दिया कि आपको इस वर्ग के लिए यह-यह काम करना है लेकिन उसके बाद भी 1993-94 तक किसी भी गलती से चाहे इनकी डिफेक्टिव प्लानिंग रही हो या कोई भी बात रही हो लेकिन 42 करोड़ रुपया यदि इनके पास शेष रहता है तो यह जिम्मेदारी मैं समझता हूं विभाग को महसूस करनी चाहिये, विभाग को इस जिम्मेदारी को मानना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष भी हमने इस बात को आपके माध्यम से निवेदन किया था कि 42 करोड़ रुपये की राशि शेष रही । जब इस बार योजनाएं बनाने का नम्बर आया तो जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के विकास के उत्थान के लिए आधारभूत योजनाएं बननी चाहिये थी उस प्रकार की योजनाएं बनाने की तरफ विभाग ने कोई काम नहीं किया और किसी भी प्रकार की योजनाएं ऐसी नहीं

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बनायीं जिससे उनको आधारभूत सुविधाएं मिले, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो आंकड़े रखना चाहता हूं। जैसा पहले जिक्र किया कि 42 करोड़ रुपया शेष था और केन्द्रीय सरकार से हर साल सहायता मिलती है, माननीय सभापति महोदय, 24 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि इस निगम के द्वारा उस काम में खर्च की गयी है जो व्यक्तिगत 2-2, 5-5 हजार के लोन होते हैं। अभी एक मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बकरी पालन, मैं नहीं मानता आज योजनाएं होनी चाहिये लेकिन योजना होने का यह मतलब नहीं है कि सरकार का करोड़ों रुपया बिना आधारभूत योजनाओं के खर्च कर दिया जाय।

सम्बल योजना, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से सम्बल योजना इतनी अच्छी योजना है यदि उस योजना के तहत यह विभाग काम करता तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति का भला होता। आधारभूत सुविधाएं चाहे बिजली हो, सिंचाई हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, यदि किसी अनुसूचित जाति के गांवों में लागू की जायेगी तो पूरा पैसा विभाग देगा लेकिन आज तक विभाग ने सम्बल योजना में कितना पैसा खर्च किया ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मात्र 44 हजार रुपये का काम सम्बल योजना के तहत इस विभाग ने किया जबकि इनके पास पूरे 42 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। यदि विभाग एक करोड़ रुपया एक-एक जिले में दे देता तो, मैं समझता हूं, अनुसूचित जाति का भला हो सकता था लेकिन उस चीज को भी इस विभाग ने नजरंदाज कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा सरकार के पास जरूर है, हमारी सरकार भी यह चाहती है कि अनुसूचित जाति का विकास हो लेकिन विभाग की कोई प्लानिंग नहीं है, उद्देश्य नहीं है केवल आधारभूत अपनी योजनाएं बना रखी है। तो यह जिम्मेदारी हमको, हमारे विभाग के लोगों को महसूस करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एक एन. एस. एफ. डी. सी. की केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा एन. एस. एफ. डी. सी. के माध्यम से 19 या 20 ट्रेड में लोन दिया जाता है और इसके लिए अनुसूचित जाति के लोगों को चार प्रतिशत की दर पर लोन दिया जाता है।....

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी तो चले गये।

श्री बाबूलाल वर्मा : मंत्रीजी जायेंगे तो विभाग सुनेगा, मैं तो निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इतने पैसा का प्रोविजन इस विभाग के लिए है, उसके बाद वहां पैसा खर्च किया गया है। 1994-95 में मात्र 3.75 पर्सेण्ट। मतलब अगर यह विभाग कहता है कि पैसा नहीं है तो यह विभाग गलत कह रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी कई बार इस

(श्री बाबूलाल वर्मा)

विभाग में गया हूं, झालावाड़ जिले में आज तक एक रुपये का लोन इस विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। कई बार मैंने निवेदन किया, डेढ़-दो साल से मैंने अनुसूचित जातियों की फाइलें तैयार करवा रखी हैं परन्तु वहां समाज कल्याण अधिकारी ऐसा बैठा रखा है जो कुछ जानता ही नहीं है। माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में कई बार बैठक में हम लोगों ने भाग लिया, हमने उनकी मौजूदगी में निवेदन किया लेकिन आज तक एक रुपये का लोन झालावाड़ जिले में एन. एस. एफ. डी. सी. के माध्यम से नहीं बांटा गया। सवाल इस बात का है कि विभाग कहता कि हमारे पास पैसा नहीं है, माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से 2 करोड़ 19 लाख रुपये इनको और मिल चुके हैं आज की तारीख में केन्द्र सरकार का 2 करोड़ 19 लाख 33 हजार रुपये इस विभाग के पास मौजूद है परन्तु इन्होंने फरवरी, 1995 तक मात्र 70 लाख और 15 हजार रुपये का लोन बांटा है। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ 49 लाख रुपया इस विभाग के पास है। तो यह लोन क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नीतियां बनायीं, उद्देश्य बनाये, उन्हें पूरा करने में रोड़े कहां अटका रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं,....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जो पैसा हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दिया है, जो पैसा हमारे पास है, माननीय सभापति महोदय, एक चीज आपके माध्यम से मैं और निवेदन करना चाहूंगा, झालावाड़ जिले में इस क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बहुत अधिक गरीबी है, मेरे इस क्षेत्र में सम्बल योजना लागू हो सकती है। यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की क्रियान्विति करायी जाय। विभाग के माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्ट है तो आप उस भ्रष्ट कर्मचारी को निकालिये, यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उसे काम करने के लिए मजबूर कीजिये लेकिन अपने विभाग को पूरी तरह से देखिये। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग को आगे आयें, तो इस वर्ग के लिए जितना पैसा जिस वर्ष की योजना में है उस योजना में खर्च होना चाहिये।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति-महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा चल रही है, मांग, संख्या 30 और 33 के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने रिजर्वेशन दिलवाया था। हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा और बूंद रहेगी तब तक हम कांग्रेस के अहसान को नहीं

(श्री रामस्वरूप)

भूल सकते। आज उसी रिजर्वेशन की देन है, जागीरदारों की जागीरदारी खतम करके हम जैसे छोटे परिवार के लड़कों को भी आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद तक भेजने वाली कांग्रेस पार्टी है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। आज कांग्रेस ने वह कुछ दिया, आज जो हम सब बैठे हुए हैं और हमारे एस. सी., एस. टी. के जितने भी जीतकर आए हैं, ज्यादातर हम रिजर्वेशन सीटों पर जीतकर आये। रिजर्वेशन दिलाने वाली वही कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस ने हमको रिजर्वेशन दिया है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते। सच को सच कहूंगा और आपको भी सच कहना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के।

श्री रामस्वरूप : एस. सी, एस. टी. के लिए जो योजनाएं आयीं, जो रिजर्वेशन दिया गया, उन्होंने तो दे दिया लेकिन जैसे ही सरकार बदली कांग्रेस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सदस्य यहां पधारे। बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिन कांग्रेसियों ने एक गरीब तबके को हमारे एस. टी. के लोगों को नीचे से उठा करके आई. ए. एस., आई. पी. एस. तक बनाया और यह सरकार जैसे आयी, इस सरकार ने आपके और हमारे एस. टी. के लोगों के साथ बाइण्ड करना शुरू किया। केस लगा दिया झूठा बी. के. मीणा जो समाज कल्याण विभाग में था, यह समाज कल्याण मंत्रीजी आज बात करते हैं, इन्हीं के विभाग में डायरेक्टर जिन पर झूठा मुकदमा, उनके साथ के अधिकारी जो फंसे हुए थे, जो वास्तव में सत्य फंसे हुए थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई लेकिन बी. के. मीणा के साथ क्या नहीं हुआ, यह आप सब जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह गरीब का बेटा था।

श्री रामस्वरूप : + + + आने की बात है आपके लिए, हमारे लिए। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, वही बी. के. मीणा को जब राष्ट्रपति शासन आया, राज्यपाल महोदय का जब शासन आया उस समय उसको बहाल किया, नहीं तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसके साथ। दूसरा उदाहरण पेश करूं हरिराम मीणा का, वह भी एक आई. ए. एस. अफसर थे, आपकी सरकार ने हरिराम मीणा के साथ क्या नहीं किया? यह सब लोग जानते हैं, सारे अखबारों में बात आयी थी। उस हरिराम के साथ यह किया कि वह + + + जिंदगी से उठ गया। यह हालत है। आप एस. सी., एस. टी. के लोगों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते इसलिए आपकी यह जागीरदारों की पार्टी और ये आपके ऊंचे लोगों की पार्टी हम एस. सी., एस. टी. के लोगों के पतन के लिए आयी है। उसी का कारण है, हमारे श्राप के कारण आपकी ढैया सरकार, आप ढाई साल चलते हो और मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा, अगर आप लोगों की सरकार ज्यादा दिन तक चलती

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

तो हाल क्या होगा जमीन बेच दोगे तुम आसमान तुम बेच सकते हो धरती को तुम बेच सकते हो और ज्यादा दिन रहे तो चमन भी बेच सकते हो, हमारा तो क्या भला करोगे। एस. सी. और एस. टी. के लोगों का तुम कफन भी बेच सकते हो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अरे वाह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ज्यादा दिन रहे तो कफन भी बेच सकते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं कहता हूं, आप बैठ जाइये। यह एस. सी., एस टी का मामला है, यह मखौल नहीं है। आप सबका सिर + + + से झुक जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एस सी., एस. टी. के लोगों का कॉलेज और जो केन्द्रीय स्कूलें हैं, उनके अन्दर और जो बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं, उनके अन्दर हमको दिया गया है, 5–5, 10–10 प्रतिशत तक हमारा रिजर्वेशन है लेकिन बड़े दुःख की बात है, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने, हमारे राजस्थान में एक कॉलेज है, मेयो कॉलेज, जो अजमेर में है। इस मेयो कॉलेज, अजमेर के अन्दर हमारे साथी श्री कैलाश मीणा ने एडमिशन लिया लेकिन आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है, अब उसी कैलाश मीणा को एडमिशन के लिए 4 लाख रुपये का डोनेशन देना पड़ा। 4 लाख रुपया कहां से आया? ताज्जुब की बात है, 4 लाख रुपया कहां से आया? उसने अपनी जमीन बेची, + + + ने अपनी मां के जेवर उतार कर भी बिकवाये. वह चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले और उसको एडमिशन दिलाया लेकिन क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, उसने वहीं पर एडमिशन लिया, वहीं पर पास हुआ, 10 वीं कक्षा पास की ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री) : वहां भर्ती होने की क्या जरूरत है?

श्री रामस्वरूप : 11 वीं कक्षा पास की उसने, उसके बाद चेयरमैन महोदय, प्रिंसीपल महोदय ने उससे कहा आप इस कॉलेज में रहने योग्य नहीं हो, तुम एस. सी., एस. टी. के बच्चे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे को हम निकाल रहे हैं, अब तुम 12 वीं की परीक्षा नहीं दे सकते। मैं आपके सामने प्रमाण सहित निवेदन कर रहा हूं, उस बच्चे को 12 वीं की परीक्षा नहीं देने दी और उसे क्या कहा गया, कॉलेज के प्राचार्य ने क्या कहा? आप हमको वी. सी. आर लाकर के दे दो तो हम तुम्हारा एडमिशन रख सकते हैं वरना तुमको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं लेते हैं तुमको और उसको निकाल दिया। माननीय सभापति महोदय, एस. सी., एस. टी. के लोगों के साथ, बच्चों के साथ यह खिलवाड़ हुआ, उनकी जिन्दगी के साथ इस प्रकार

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

को हो, जिन्हें एडमिशन होने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त न हो, जिस रिजर्वेशन के बहाने इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो, माननीय सभापति महोदय, सदन में इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी?

यह तो एक उदाहरण आपको पेश किया है। ऐसे कितने सारे उदाहरण मौजूद है। दूसरे स्कूलों में इस प्रकार डोनेशन ले लेकर के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उसको एडमिशन दिलाया जाए और जिन बच्चों के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, भेदभाव हो रहा है, रिजर्वेशन की जगह खाली छोड़ दी जाती है, उनको रिजर्वेशन देकर उन जगहों को भरवाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, मेयो कॉलेज, स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है ?

श्री रामस्वरूप : कॉलेज है साहब, आप सब जानते हैं, आप भी वहीं पढ़े हैं। आपको सब पता है इन बातों का लेकिन आप भी बच्चे बने हुए हैं क्योंकि एस. सी., एस. टी. का मामला है आपको हंसी आ रही है हमारे लोगों के ऊपर।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : एस. सी., एस. टी. का मजाक उड़ाते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : जमीनें बेच दीं।

श्री रामस्वरूप : एक मां का हृदय बड़ा कोमल होता है, आपका बच्चा होता तो आपको पता लग जाता इस बात का। एक एस. टी. का बच्चा है इसलिए आपको क्या पता ? यह लड़के बता रहे हैं। आपकी कोख से जन्म नहीं लिया उसने, उसने मीणा के घर से जन्म ले लिया....

श्रीमती तारा भण्डारी : एक किसान का बेटा जमीन नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, किसान का बेटा पढ़ने के लिए जमीन और जेवर नहीं बेच सकता। अगर रिश्वत दी है तो वह भ्रष्टाचारी का बेटा होगा, किसान का बेटा नहीं हो सकता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या किसान की महिला 4 लाख रुपये का जेवर नहीं पहन सकती है ? क्या दिक्कत है ? आप 4 लाख रुपये की अंगूठी पहन कर आयी हो, क्या बड़ी बात है ?.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया रामस्वरूप जी, आप बोलिये, कंटीन्यू रखिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : असत्य भी बोलो तो सीमा में तो बोलो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करूं..(व्यवधान) यह सब बच्चों के एडमिशन का मामला है.. (व्यवधान) मैं तो यहां तक कहूंगा, आपको दुःख क्यों होता है ? आपको दुःख इसलिए होता है कि हमारे वी. पी. सिंहजी बैठे हैं। यह वी. पी. सिंह भी उसी कॉलेज के मेम्बर

(श्री रामस्वरूप)

हैं, उसी कमेटी में। + + + इनको कि आप मेम्बर बन करके बैठे हैं उसी कॉलेज के और वहां जोधपुर के महाराजा को चेयरमैन रखा है। माननीय सभापति महोदय, महाराजा को चेयरमैन, वह क्या भला करेंगे एस. सी., एस. टी. का ? अगर कोई चेयरमैन बनाओ तो एस. सी., एस. टी के व्यक्ति को बनाओ, चाहे किसी माननीय सदस्य को बनाओ परन्तु एस सी., एस. टी. की जाति के लोगों को बनाओ, आई. ए. एस. अफसर को बनाओ, वह उसका चेयरमैन होना चाहिए लेकिन उसके मैम्बर और चेयरमैन किनको बना रखा है ? उन लोगों को + + + उनको बना रखा है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है ? इसलिए हमारे साथ अन्याय तो होना ही है।....

श्री रामप्रताप कासनियां : खून तो आपने छोड़ा ही नहीं 40 वर्षों में। खून कहां है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मोटे हो रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : ये वी. पी. सिंहजी उसके मैम्बर हैं। पूछो आप इनसे, मैं आपसे कोई असत्य नहीं बोल रहा, इस बात के लिए। ये मैम्बर हैं लेकिन इन्होंने भी आज तक किसी का भला नहीं किया।

यह तो था एडमिशन का मामला, इसके साथ-साथ दूसरा मैं उदाहरण पेश करूं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)..

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, बोलिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति में....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप आरोप लगाओ वी पी. सिंहजी पर।

श्री रामस्वरूप : वी. पी. सिंहजी तो बैठे हैं। मैंने उनके बारे में जो कहना था वह कह दिया, वह हट जाएंगे और एस. सी., एस. टी. के लोगों को बना देंगे उनकी जगह। दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय जा रहा है सारा।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, आप शांति बनवाइये, उधर बोलते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की जो बात है, हमारे साथ जो कुछ धोखा किया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 19-12-95 को सामाजिक एवं मानविक महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाति और जनजाति के शिक्षण

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की

(श्री रामस्वरूप)

विषय पर चर्चा हुई। इसमें वर्तमान में यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान में वर्णित रोस्टर प्रणाली को धक्का देकर अधिकांश 99 पदों पर किसी प्रकार के आरक्षण को न मानने का मार्ग खोल दिया गया है। स्कूलों में आपने नहीं रोका तो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में आरक्षण की रोस्टर प्रणाली स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। यह रोस्टर प्रणाली को समाप्त करने का एक तरीका इन्होंने निकाला है।

इसके साथ मेरा निवेदन है, आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्थान हैं उन पर तदर्थ, एडहाक नियुक्तियां देने के बारे में। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों के बारे में ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति : श्री वी. पी. सिंहजी। पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं हाउस में नहीं था और एक चार्ज लगाया गया कि मेयो कॉलेज के अन्दर, मैनेजिंग कमेटी के अन्दर उन लोगों ने 4 लाख रुपये लिये। किसने लिए ? कौन है कैलाश मीणा ?

श्री रामस्वरूप : कैलाश मीणा, जिसका वहां एडमिशन हो चुका था जिसने दसवीं कक्षा वहां से की थी, 11 वीं कक्षा वहां से की थी। 12 वीं कक्षा में उसको नहीं बैठने दिया और उसको वहां से निकाल दिया गया। 4 लाख रुपये का डोनेशन देकर वहां उसका एडमिशन हुआ था। आप उसके मैम्बर हैं और चेयरमैन उसके जोधपुर के महाराजा हैं।

एक माननीय सदस्य : उसका एडमिशन कौनसे वर्ष में हुआ था, बताइये आप ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, जो हाउस में नहीं होता है उसका भी नाम ... यह क्या बात हुई ?.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक मिनट, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। (व्यवधान) ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इससे ज्यादा और क्या चार्ज लगायेंगे यह ? ++ आज जोधपुर महाराजा का भी नाम लिया इन्होंने। 4 लाख रुपये दिये तो 4 लाख की रसीद बताइये। 4 लाख कोई ऐसे ही दे दिये क्या ?

श्री विष्णु मोदी : उस लड़के के एडमिशन के अन्दर, पैसे ही नहीं लिये गये बल्कि दो ट्यूबवैल भी खुदवाये गये ... (व्यवधान)

–++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, 4 लाख रुपये दिये हैं तो डोनेशन की रसीद तो दी होगी। अगर दी है तो बताइये।

श्री विष्णु मोदी : .... (व्यवधान) .. 2 ट्यूब वैल खुदे और उसके बाद सिर्फ इसलिए कि वह अनुसूचित जनजाति का लड़का है उसको कालेज से निकाल दिया गया ... (व्यवधान) वहां से उसको टर्मिनेट कर दिया। उसके 3 लड़के पढ़ते थे और 4 लाख रुपये लिए गये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री हरिनारायण बैरवा।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है उस बच्चे को एडमिशन दिलाया जाये कालेज के अन्दर और उसके अधिकारों की रक्षा की जाये।... (व्यवधान) .. इसके साथ ही जनजाति के बच्चों का जो रिजर्वेशन है, उसको कायम रखा जाये... (व्यवधान)..

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक मिनट, जवाब दे दूं।

श्री रामस्वरूप : .... (व्यवधान).... और वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बनाया जाये.... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : अगर आपकी सरकार यह चाहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की रक्षा हो तो आपको उस लड़के को वापस वहां एडमिशन दिलाना चाहिए.... (व्यवधान) ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मोदी जी, आप बिराजें और रामस्वरूप जी, आप भी बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मेयो कालेज एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन है और कोई भी आरोप उस पर लगाये वह गलत होगा। दूसरी बात कैंपीटेशन के नाम पर बहुत सारे स्कूल आज दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ या कहीं भी जाओ सब लेते हैं। एक मेयो कालेज ही ऐसा इन्स्टीट्यूशन है जिसने कोई डोनेशन तीन साल से, जब से मैं कमेटी में हूं, एक पैसे का नहीं लिया है और न हम लेते आये हैं। 3 साल से तो नहीं लेते आये हैं जबसे मैं कमेटी के अन्दर हूं....

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : Don't mislead the House.

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री पराक्रम सिंह : I am also a student of Mayo College. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री पराक्रम सिंह : मीणा जाति के बच्चे के प्रति अन्याय हुआ है इसलिए बोल रहा हूं मैं।.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। .. (व्यवधान).... माननीय सदस्य, बिराजें.... (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं ... (व्यवधान)....

श्री सभापति : पहले वी. पी. सिंहजी बिराजें। श्री हरिनारायण बैरवा....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा यह कहना है कि चार्ज आप लगायें.. (व्यवधान)..

श्री विष्णु मोदी : राज्य सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। उस लड़के को एडमिशन पैसा लेकर दिया गया और दो ट्यूबवैल खुदवाये गये। अनुसूचित जाति का लड़का है इसलिए उसको टर्मिनेट किया गया है। 3 भाई वहां पर पढ़ते हैं और अकेले उस लड़के को निकाल दिया गया.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आप सदन में घोषणा करें कि उस बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति के लड़के के साथ अन्याय हो रहा है (व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सदस्य हैं, बिना डोनेशन के क्या आप अनुसूचित जनजाति के लड़कों का एडमिशन करा देंगे ? इस बात की गारन्टी दे सकते हैं क्या ?...; (व्यवधान) ..

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : मेरा एक निवेदन है कि जोधपुर के हिज हाईनेस के ऊपर लांछन लगाया, मैं इसको कभी नहीं मानता क्योंकि हमारे वहां जोधपुर के अन्दर महाराजा गजसिंह जी अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा तक का पैसा देने वाले हैं और उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, यह सरासर गलत है.... (व्यवधान) ..

श्री रामस्वरूप : ... (व्यवधान).... अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको एडमिशन दिलाया जाये। माननीय सभापति जी ... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझ पर आरोप लगाया गया (व्यवधान)....

श्री सभापति : वी. पी. सिंहजी, आपने क्लेरीफिकेशन कर दिया है। आप बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दो मिनट का टाइम और दीजिए।

श्री सभापति : आप बिराजें। श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी....

श्री राजेन्द्र गहलोत : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति जी। ...

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पहले मेरा है ।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, क्योंकि चिकित्सा मंत्रीजी ने वहां जाकर जो ग्राग में घी का काम किया है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ग्रारोप लगाया, बी. पी. जी का नाम लेकर लगाया....

श्री सभापति : कृपया आप पूरी बात सुनिये । मंत्रीजी सुनिये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य पर कोई ग्रारोप नहीं था । डोनेशन या कैपीटेशन फीस एक डिफरेन्ट मैटर है । वह इन्स्टीट्यूशन लेता है । वे उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी में हैं, यह बात ही, फैक्ट उन्होंने कहा लेकिन इनको तो इस तरह से फंसाया कि न वहां कैपीटेशन फीस ली जाती है । तो बनेड़ा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने प्रतिवाद कर दिया इसका । प्रतिवाद करते ही उनकी पोजीशन एम्बेरेसिंग कराई फालतू ही । डोनेशन लेने वाली बात कही, वह कई इन्स्टीट्यूशन्स लेते हैं । यही बात इन्होंने कही । इनके ऊपर न तो आरोप ग्रौर न एस्पर्शन है, न इनकी इन्टीग्रिटी की कोई बात कही गयी है कि इन्होंने खुद ने ले लिया....

श्री मोहन मेघवाल : मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा ही है कि इन्होंने जोधपुर हिज हाइनेस पर आरोप लगाया है । ...

श्री परसराम मदेरणा : बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब करते हो . (व्यवधान) ..

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं । आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है । डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली ग्रापके बारे में कोई बात नहीं है ।.. (व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मदेरणा साहब, साफ कहा था इन्होंने कि जोधपुर के हिज हाईनेस क्या भला करेंगे गरीबों का । यह शब्द थे इनके । ग्राप इनकी बात को संवारना चाहते हैं ? ग्राप बहुत बुजुर्ग हैं ग्रौर ग्राप बहुत सीनियर सदस्य हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, इन्होंने साफ यह शब्द इस्तेमाल किये थे कि जोधपुर हिज हाईनेस क्या भला करेगा । यह बहुत बुरा लगा ग्रौर ग्रच्छा नहीं लगा । मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राप इतने पुराने सदस्य हैं ग्राप इनको यह कहें कि इनको यह शब्द नहीं कहने चाहिए । आप क्या बात कर रहे हैं, इतने पुराने सदस्य होकर ? यह ऐसा कैसे कह दिया कि जोधपुर हिज हाइनेस क्या भला करेगा ? जोधपुर दरबार ने क्या नहीं किया यह बताइये आप ।.... (व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया विराजें, माननीय सदस्य । प्रतिपक्ष के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कह रहे थे कि माननीय सदस्य एक्जीक्यूटिव कमेटी के मैम्बर हो सकते हैं लेकिन आपके स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं कहा। एक इन्स्टीट्यूशन में आप एक्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। अब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आप पर कोई आरोप लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है।

श्री सभापति : श्री हरिनारायण बैरवा।

(20 00)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसकी जांच कराई जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। जो तथ्य है ही नहीं ..

श्री विष्णु मोदी : मैं बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मोदी जी, आपका लड़का पढ़ता है, आपके लड़के से पैसा लिया है क्या ? .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बताओ मोदी जी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-30 और मांग संख्या 33 पर सदन में चर्चा हो रही हैं, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूं। आज दिन तक अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यह तो सुनने में आता है कि सवर्ण जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं किन्तु सरकार द्वारा भी जो अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। चाहे राजाओं की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता किन्तु जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दोष देना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लोग सन् 1944 के अन्दर अत्याचार सहन करते हुए, पुराने गांव में सवर्ण जाति के लोगों द्वारा अत्याचार किये जाने पर वहां से पीड़ित होकर दुखी होकर निकल गए और चक चयनपुरा उन्होंने नया गांव बसाया। उनको 51 वर्ष हो गये परन्तु अब भी उनकी जमीन सिवाय चक में चल रही है। मैंने अभी एक प्रश्न लगाया है कि आपने 6 आदमियों को, 1476 में से, खातेदारी किस नियम के तहत दे दी है और बाकी आदमियों को खातेदारी क्यों नहीं दी। उन्होंने जवाब दिया है कि बाकी को खातेदारी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यह गांव नगरपालिका में है। नगरपालिका सन् 1965 में बन चुकी थी। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 1476 में से 6 आदमियों को खातेदारी दे दी अतः बाकी आदमियों को भी उस नियम के तहत खातेदारी दिलाई जावे।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों को ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर में भूमि आवंटन हुई थी परन्तु उस भूमि के

(श्री हरिनारायण बैरवा)

ऊपर उन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया और यह कह करके उस आवंटन को खारिज कर दिया गया कि यह भूमि वन विभाग की है। वहां के बाल परियोजना के क्षेत्रीय निदेशक माननीय फतेहसिंह जी थे उनको वह जमीन आवंटन हो गई। जब एक ऑफिसर को, सवर्ण जाति को आवंटन हुई तो वह जमीन सिवाय चक हो गई और जब अनुसूचि जाति के लोगों को आवंटन हुई थी तो उस आवंटन को इस नाते खारिज कर दिया कि वह जमीन वन विभाग की है।

इसी प्रकार आपातकाल में अनुसूचित जाति के लोगों को सन् 1975 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जमीनें आवंटित की थीं और यह कहकर आवंटित की थीं कि आप परिवार नियोजन करवा लो आपको पांच बीघा जमीन देंगे। वह पांच बीघा जमीन किस प्रकार से दी गई ? उनको वहां अच्छी जमीन तो बता दी कि यह जमीन आपको आवंटित कर रहे हैं परन्तु खसरा नं. कौन-सा दिया वे या तो पहाड़ी के माथे थे या तालाब के पेटे थे या मीणाओं के खलिहान थे, गूजरों के बाढ़े थे और जिनको आवंटन की, उनके मुकदमे चले, उनको मारा-पीटा और फिर उन जमीनों के ऊपर उनका कब्जा भी नहीं हुआ। यह उस वक्त कांग्रेस ने ही किया था।

इसी प्रकार सदन में चर्चा चली थी कि कई जगह ओले पड़ गए, कई जगह खलिहानों में आग लग गई और किसानों को मुआवजा क्यों नहीं देते लेकिन खेतिहर मजदूरों के बारे में कभी चर्चा नहीं चली। गांवों के अन्दर ऐसे भी अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं जिनके पास जमीन नहीं है परन्तु वे खेती के ऊपर आधारित हैं। उनका रोटी-रोजी का साधन मात्र किसानों के यहां मजदूरी करना है। जब किसान के ओले पड़ गए या खलिहान में आग लग गई तो उस काश्तकार का क्या होगा, उस खेतिहर मजदूर का क्या होगा ? वह तो साल भर की कमाई वहां मेहनत मजदूरी करके पैदा करता है। इसलिए उन खेतिहर मजदूरों के बारे में भी सोचा जाए। जिस गांव में आग लग जाए या ओले पड़ जाएं तो उन खेतिहर मजदूरों को भी मुआवजा दिया जाय।

इसी प्रकार अभी बनास नदी के अन्दर जो बरसात से काश्त करने वाले हैं उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। अनुसूचित जाति के लोग, लाखों लोग उस बनास नदी के अन्दर पड़े हुए हैं और वह काश्त करते हैं बनास नदी में पानी आने के कारण लाखों रुपयों की फसल नष्ट हो गई लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, उनको भी मुआवजा दिलाया जावे। इनमें जो काश्त करने वाले हैं, जिनको अस्थायी तौर पर जमीन आवंटन होती है नदी के पेटे में उनको भी मुआवजा दिलाया जावे।

सभापति महोदय, महिला और बाल विकास की ओर से आंगनबाड़ी और पोषाहार केन्द्र चलते हैं। इन पोषाहार केन्द्रों के अन्दर कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों को पूरा सामान नहीं दिया जाता है। केन्द्र सरकार की योजना के तहत यह माल बाहर से आता है परन्तु सोयाबीन की खल अनुसूचित जाति की महिलाओं और बच्चों को बांटी जाती है। इनके बच्चे तो खाएं काजू और किशमिश और हमारे बच्चों को खल खिलाई जाती है। ...

एक माननीय सदस्य : प्रोटीन है, प्रोटीन।

श्री हरिनारायण बैरवा : हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रोटीन।

इसी प्रकार अभी सवाई माधोपुर में खनिज विभाग ने जो खानें लगा रखी हैं, उनमें से अनुसूचित जाति के लोगों की जो मेहनत मजदूरी करके हाथों से पत्थर फोड़ते थे उनकी सबकी खानें बन्द कर दी हैं और वहां मात्र पैसे वालों की खानें चल रही हैं। इस प्रकार आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होता है और कहीं भी इनको कीड़े-मकोड़ों की तरह बिल्कुल मार दिया जाता है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इनकी सुनवाई की जाए। हिन्दुस्तान के अन्दर चींटियों को चूगा डाला जाता है पक्षियों को दाना डाला जाता है, गायों को चारा डाला जाता है और जब चेचक निकल आती है तो गधों को भी दाना चुगाया करते हैं लेकिन हमारे बच्चों को जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको रोटी के टुकड़े मांगने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति आ रही है। यह आज से नहीं है, आपकी कांग्रेस की सरकार थी तब से चली आ रही है। लम्बे समय तक आपने वोट लिये हैं और आपने राज किया है। हम यह समझते हैं।

इसी तरह से बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें जो अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं वह नालों के अन्दर बसे हुए हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर, कहीं देख लो, नालों के अन्दर बसे हुए हैं। इसलिए उनको वहां से निकालकर दूसरी ऊंची जगह जमीन देकर बसाया जाए। कभी बाढ़ आयेगी या महामारी आयेगी वह तो मरेंगे ही लेकिन वह शहर भी नहीं बच सकता। वह सारे मरेंगे। नालों में बस गए, अतः बरसात का पानी अवरुद्ध होगा तो वह पानी शहर में फैलेगा, उसमें बहेंगे। महामारी आयेगी तो महामारी शहर में आये बिना नहीं रह सकती.. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें। कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री हरिनारायण बैरवा : यह जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में नल और बिजली नहीं है जबकि पूरे शहर में नल और बिजली है। इसलिए इन बस्तियों में भी नल और बिजली दी जावे।

जो सरकारी कर्जा है उसमें भी काफी भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्यों ने भी बताया है। यह आपके टाइम की बात है। इन्दिरा आवास के क्वार्टर भी आपने दिये हैं, कुछ क्वार्टर आपने 500-500 रुपये लेकर दिए हैं और कब्जा लेने से पहले ही वह सारे ढह गए। यह सारी की सारी व्यवस्था आपने बनाई थी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री हरिनारायण बैरवा : मैं पहले कह चुका, व्यवस्था सुधारने की बात कही है। व्यवस्था सुधारी जावे। जीवन धारा में और अन्य जो कर्ज लिए जाते हैं उसमें अभी एक बात सामने आयी थी कि कुछ व्यक्ति नो-ड्यूज के लिए बैंकों में गये और बैंकों में 10-10 रुपये नो-ड्यूज के दिये।

श्री परसादीलाल मीणा : कोआपरेटिव बैंक में ?

231

श्री हरिनारायण बैरवा : नहीं, यह लिये थे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में। केन्द्रीय सरकार के....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिनारायण बैरवा : हां, समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी एस. सी. कारपोरेशन की तीन गांवों में सड़कें बन रही हैं और तीनों गांव पहले से ही सड़कों के ऊपर हैं। सड़कें वहां बनायी जाएं जहां सड़कों की जरूरत हो। जो गांव पहले से ही सड़कों पर बसे हुए हैं वहां पर सड़कें बनाने से क्या फायदा ? इसलिए और अन्य जो अनुसूचित जनजाति के गांव हैं वहां पर जिन गांवों में स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोली जाएं, सड़कें बनायी जाएं, नल और बिजली दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी (अनुपस्थित) श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको मांग संख्या, कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : मांग पता नहीं है ? जनजाति की और समाज कल्याण की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं 33 तक ही सीमित रखूंगा और 33 में भी इस सहरिया विकास परियोजना के लिए कुछ शब्द निवेदन करना चाहूंगा। सहरिया विकास परियोजना जो सरकार के द्वारा चलायी जा रही है, इसमें 50 लाख रुपये तो केन्द्रीय सरकार से आते हैं, राज्य सरकार तो सिर्फ 5-7 लाख रुपये देती है और इसका जो टोटल क्षेत्र है वह है बारां जिले में किशनगंज और शाहबाद तहसील। इसके अलावा सहरिया राजस्थान में कहीं भी नहीं है। जो कुछ इसका प्रशासनिक नियंत्रण है योजना का, दफ्तर खोल रखा है उदयपुर में। मिसाल के तौर पर अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, चक्कर यही पड़ता है कि आप भी उधर ही रहते हों। लेकिन बात तो कहनी ही पड़ेगी। इन सहरियाओं के बच्चों के लिए जो पोशाकें आती हैं, न तो उनका नाप होता है, न उनकी संख्या जानी जाती है और बोरियों में भरकर पोशाकें उदयपुर से बनकर आ जाती हैं। सत्यानाश होता है।

श्री कालीचरण सराफ : यह आपके जमाने में होता था।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। समय लिमिटेड है, 8 10 से ऊपर हो गये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कालीचरण जी, कभी तो गम्भीरता से बात किया करो मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं। जब कोई मजाक का विषय हो तो आप बीच में खड़े हो जाया करो और यह गम्भीर बात है, बच्चों की पोशाक बनवाना..

श्री कालीचरण सराफ : वे पहले की जाती थी, आज नकद पैसे देते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे सुझाव हैं, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। उनको अगर इस योजना में सुधार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लाने के लिए नोट फरमा लेंगे तो बड़ा आपका सहरिया विकास योजना के प्रति योगदान होगा। एक तो देखिये कि मैक्सिमम लाभ सहरियाओं को इस योजना के अन्तर्गत जो दिलवाया जा रहा है, यह डीजल पम्प सैट जो सामूहिक तौर पर आप देते हैं उससे सबसे बड़ा फायदा पहुंचता है। एक तो इनकी संख्या बढ़ाइये। दूसरी ये जो आपने खानापूर्ति की योजनाएं बना रखी हैं आपको मैं एक योजना का बताता हूं। औषधियां नर्सरी, यह बिलकुल वाहियात है। जितना पैसा आप इस पर खर्च कर रहे हैं वह पानी में डम्प हो रहा है। बाधा रोग की रोकथाम, कोई रोकथाम नहीं है, आप जो कैम्प लगाते हो वहां पर, सवर्ण सारी दवाइयां अपनी जेब में भरकर के ले जाते हैं और सहरिया तो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सब जो योजनाएं हैं जिनमें लाखों रुपये खर्च हो रहा है, कृपया इन्हें तो बन्द कर दें और सहरियाओं का ही अगर आप जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सामूहिक डीजल पम्प की योजना आप जरूर चालू रखें। इसके रिजल्ट्स सामने आये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इधर मत देखिये, अध्यक्ष महोदय की तरफ देखिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके ही डिपार्टमेंट के द्वारा एक चेतना शिविर चलाया जाता है। वह चेतना शिविर क्या होता है ? इसमें इतना बड़ा पेम्फलेट छापा जाता है। पेम्फलेट में लिखा हुआ है, मंत्री महोदय, बन्धुआ सामाजिक बुराई, बन्धुआ नजदीकी शिविर, आ जाओ, आइये क्या, आप बन्धुआ श्रमिक हैं, यदि हां, तो ध्यान देवें। इस तरीके से 7-8 चीजें उसमें लिख करके नीचे तारीखें दे दी जाती हैं कि रेलावन गांव में तो 21 तारीख को भरेगा, 25 तारीख को किशनगंज में और 26 को केलावाड़ा, 28 को राजपुर में। कौन आमंत्रित करता है इस शिविर को ? कौन आर्गेनाइज करता है ? उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।

श्री रामप्रताप कासनियां : क्या बुराई है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी बताता हूं बुराई। 8-10 शिविर इस तरीके के फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किये गये, हजारों की तादाद में वहां पर काश्तकार और सहरिया लोग पहुंच गये लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी वहां पर नहीं पहुंचा और इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों और सहरियाओं के बीच में वर्ग संघर्ष की नौबत आ गयी। प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा ? क्योंकि सरकार की पॉलिसी बिलकुल साफ नहीं थी। अगर बन्धुआ मजदूर को वह छुड़वाते हैं, उसको आजाद करवाते हैं तो बन्धुआ मजदूर यह कहता है कि मेरे स्थायी रोजगार का आपकी सरकार के पास क्या साधन है। आपके पास बन्धुआ मजदूर के नाम पर प्रचार करने के लिये है कि हमने इतने बन्धुआ मजदूर छुड़वाये लेकिन उनको स्थायी रोजगार का कोई प्रबन्ध नहीं। नतीजा यह हुआ कि हजारों हैक्टर जमीन की कटाई ये सहरिया लोग किया करते थे, हाड़ौती क्षेत्र के कई विधायक यहां मौजूद

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हैं, हमारे भाई साहब रघुवीरसिंहजी मौजूद हैं, आप इनसे पूछिये, आज की तारीख में हाड़ौती क्षेत्र में कम से कम भी 30-35 प्रतिशत किसानों की कटाई और बुवाई का काम अगर कोई करता है तो सहरिया करता है चाहे वह झालावाड़ हो, चाहे वह बूंदी जिला हो, चाहे कोटा जिला हो, चाहे बारां जिला हो लेकिन इस झूठे प्रचार से कि हम तुम्हें मुक्त करायेंगे, हम तुम्हें रोजगार उपलब्ध करायेंगे, नतीजा यह हो गया कि हर जगह वर्ग संघर्ष की नौबत आ गयी, किसानों में हाहाकार मच गया और यह प्रशासन के गले की हड्डी साबित हुई। आज प्रशासन इसलिए नहीं पहुंच पाया इन कैम्प्स में प्रचार करने के बावजूद भी क्योंकि उनके पास रेमेडी नहीं थी। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें गौर फरमायें वरना इससे बड़ा जबरदस्त असंतोष पैदा हो रहा है। यह मामूली बात नहीं है, पूरा सम्भाग आग की लपेट में चला जा रहा है। किसानों के बीच में आपकी सरकार की रेपुटेशन आज नीचे आती जा रही है .. (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : सहरियों की जो खेती की जमीन हैं, जिन पर गैर सहरियाओं ने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके बारे में मेरी यह राय है कि आप कानून की पालना करें। और मुझसे क्या चाहते हैं ?

मैं तो आपसे इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि यह जो (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने यह जो पैम्पलेट पढ़ा है, क्या यह प्रमाणित है ? आपने इसकी जांच कर ली है ? इसको पढ़ने से पहले देख लेना चाहिए था कि फाल्स है या ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आदरणीय माताजी, मैं इसको आपके पास भेज देता हूं, आप इसकी जांच करवा लें, अगर यह गलत हो, यह झूठा हो या मेरे द्वारा छपवाया गया हो तो जो भी दण्ड देगी वह ले लूंगा.... (व्यवधान) बुआजी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : लाओ, देखो जांच कराती हूं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो सहरिया विकास परियोजना के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा इतना पैसा आता है, उसका सदुपयोग करने की बात करें। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने 2-4 आदमियों से सुना है कि आप कायदे के आदमी हैं, थोड़ा बहुत ध्यान भी दे लेते हैं, इसलिए आप किशनगंज-शाहबाद का तो दौरा रखो और क्षेत्रीय विधायक को साथ में लेकर इस पूरी परियोजना की सारी जांच कीजिये। इसमें बड़े तगड़े घोटाले हैं। इतना ही निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।.... बोलने दें उन्हें।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर चर्चा

(839)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हो रही है, उन पर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वास्तव में अगर गौर किया जाय तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो योजनाएं बनायी गयीं और उनके द्वारा उनका जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण अक्सर देती हूं, मैं अक्सर जाती रहती हूं अनुसूचित जाति के होस्टलों में, मैं वहां उन बच्चों से पूछती हूं कि भाई, खाना क्या मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सुबह 10 बजे रोटी मिलती है 2 या 3 गिन कर और शाम को 5 बजे या 3 रोटी गिनकर। अब जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको कम से कम 4 बार खाना चाहिये (व्यवधान) अब आप सुनते जाओ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह सब आप ही के करने-धरने हैं जिन्हें हम भुगत रहे हैं। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह बात 1990 की है। मेरे जीतते ही मेरे पास एस. सी. के बालक आये थे और वह कह रहे थे कि आज हमारा वार्डन नहीं है और हमको जबर्दस्ती आज घर जाने को कह रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों तो उन्होंने कहा कि रोटी कौन बनायेगा। यह व्यवस्था इन लोगों की की हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि इस बार बच्चों का मैस भत्ता उन्होंने बढ़ाया, अच्छा काम किया है ताकि बच्चों को अच्छी डाइट मिल सके। लेकिन बात जो मुद्दे की है, जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। जिस एस. सी. के छात्रावास का माननीय श्री प्रभूराम जी जिक्र कर रहे थे, सिरोही मुख्यालय पर डेढ़ सौ वर्ष पुराना भवन केसर इन्फेन्ट्री के नाम से महाराजा केसरसिंह के समय का बनाया हुआ, जिनका स्वर्गवास हुए भी कई वर्ष हो गये, डेढ़ सौ वर्षों से पुराने भवन में एक एस. सी. और एक एस. टी. का छात्रावास चलता है और दोनों ही समाज कल्याण विभाग द्वारा, संचालित है। अध्यक्ष महोदय, वह भवन नहीं, कैदीयों की बैरकें हैं। हवा-पानी का कोई साधन नहीं है, बच्चों के रहने लायक फर्श नहीं है। और तो और, शिवगंज के छात्रावास का अगर आपको जिक्र करूं तो मैं वह आपको कहने में असमर्थ हूं क्योंकि वह छात्रावास पूरा का पूरा जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, छात्रावास की खिड़कियों को पत्थर भर-कर बच्चों ने बन्द कर रखा है, दरवाजे सारे टूट गये हैं, दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें हैं, उसमें सांप-बिच्छुओं ने अपनी बाम्बी बना रखी हैं और यदा-कदा वह दर्शन देते रहते हैं बच्चों को। ऐसी बुरी व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की है। मैं यह नहीं कहूंगी सभी ऐसे हैं, क्योंकि नये भी बहुत निर्मित हुए हैं। विशेष तौर से मेरा जिला पिछड़ा जिला है, एस. सी. और एस. टी. बाहुल्य क्षेत्र है। वहां आश्रम स्कूलों में बहुत अच्छे आश्रम चल रहे हैं। आप आइये, व्यवस्था देखिये वहां की। बच्चों को समय पर खाना, समय पर वृद्धि और सारा कुछ अच्छा, छात्रावास जिनको आश्रम स्कूल कहते हैं मेंटीनेंस भी बहुत

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अच्छी है। लेकिन कुछ पुराने भवन हैं उन्हें रिनोवेट करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर महिला बच्चों के कार्यक्रम पर अपनी बात कह कर समाप्त करूंगी। जिसको किवदंती कहते हैं, कांग्रेस के जमाने में हम भी कहते थे, अध्यक्ष महोदय, "महिला बच्चे पोषाहार" कार्यक्रम को कहते थे "महिला बच्चे पोषाहार"। यह हकीकत है, बच्चों को जो नाश्ता और जो पोषाहार मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है, उनकी मानिटरिंग सही नहीं है। इसलिए उनकी मानिटरिंग समय पर होनी चाहिये और मैं समझती हूं कि जो पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं उनमें निश्चित रूप से इस पोषाहार कार्यक्रम पर भी नजर रखी जाएगी। कुल मिलाकर जो सामुदायिक विकास या समाज का उत्थान करना चाहते हैं, वहां हमको गहराई से सोचना पड़ेगा कि आजादी के 45 वर्षों के बाद भी जो एस. सी. और एस. टी. का विकास होना चाहिये था या महिलाओं की जो स्थिति सुधरनी चाहिये थी, उसमें अपेक्षित सुधार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पेंशन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी कि विधवाओं को जो पेंशन दी जाती है, उसमें या तो उसका 18 वर्ष का बच्चा आड़े आ जाता है या 5 बीघा जमीन होने के कारण विधवाओं को पेंशन नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 18 वर्ष का बच्चा हो या 20 वर्ष का बच्चा हो या 4 बच्चे हों या एक बच्चा हो, बच्चे को अगर मां से प्रेम है, संस्कारित है तब तो उस मां को इज्जत देगा, रोटी देगा वरना उस मां को रोटी नहीं देता है। इस प्रकार की जो छोटी-छोटी बाधाएं हैं विधवाओं को पेंशन देने में, परित्यक्ताओं को पेंशन देने में, अक्षमों और विकलांगों की हालत तो दूसरी है, एक विकलांग की पत्नी अच्छी हालत में है तो उस विकलांग पति को पेंशन नहीं मिलती है या पति की पत्नी विकलांग है तो उस पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई के जमाने में कौन पत्नी इतनी सक्षम है कि जो अपने विकलांग पति के साथ-साथ घर का भी बोझ उठा सके। अध्यक्ष महोदय, पेंशन में एक और विडम्बना है कि अगर पति-पत्नी को जोड़े से पेंशन मिलती है तो 150 रुपये ही देते हैं वरना इण्डीविजुअल को 100 रुपये देते हैं। आज के जमाने में 100 रुपये से भी कुछ नहीं हो पाता है और जहां पति-पत्नी होते हैं वहां क्या खाने वाले व्यक्ति कम हो जाते हैं या खुराक कम हो जाती है जो उनको 200 रुपये की जगह 150 रुपये दिये जाते हैं ?

मैं आज की इस मांग के आधार पर यही कहना चाहूंगी कि जो सम्बन्धित मंत्रीगण हैं, वह हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास के मंत्री भी हैं, समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं और हमारी महिला मंत्री भी हैं जो अभी बाहर गयी हुई हैं, वे इस बारे में गहन चिन्तन करें, मनन करें और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, पेंशन कानून में संशोधन जरूर किया जाय वरना पेंशन देने का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेरसिंह जी। (अनुपस्थित)। श्री शंकरलालजी। संक्षिप्त

(श्री अध्यक्ष)

में कहें। बहुत सुझाव आ गये हैं। आपके डूंगरपुर की बात आ गयी है।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : मांग संख्या 30 और 33 अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज कल्याण पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, मैंने यह वार्षिक और प्रशासनिक प्रतिवेदन है, उनको गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद यह महसूस किया कि सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास में कितनी रुचि लेती है। कई योजनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए बनायीं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनायीं परन्तु इनको देखने से यह पता चलता है कि जो वार्षिक लक्ष्य दिये थे, जो राशि इस प्रयोजन हेतु दी थी वह विभागों ने समयानुसार खर्च नहीं की और काफी पैसा बचाया। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बड़ा उदासीन है पता नहीं वह इन लोगों को किस रूप में देखना चाहता है। हमारा जो विभाग है, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, जो उसकी बराबर देखरेख करता है, मैं आज हमारे जनजाति क्षेत्र विकास विभाग पर आरोप लगा रहा हूं कि उसको सही ढंग से देखना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था वह नहीं किया और नजर अन्दाज करता ही रहा। इस प्रकार जो हमारे कमिश्नर बैठते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से कमिश्नर को अलग कर देना चाहिये। उसके स्थान पर मेरा सुझाव है और वह सुझाव मैं तहेदिल से और सच्चाई से देना चाहता हूं कि एक बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की उस घोषणा से सहमत हूं और शायद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह घोषणा इस आधार पर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने काफी पढ़ा होगा, इस सम्बन्ध में चिन्तन और मन्थन किया गया होगा तब जाकर उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के लिए एक स्वायत्तशाषी विकास परिषद् का गठन होना चाहिये ताकि वह सारा जिम्मा अपने ऊपर लेकर काम करे। वह आर्थिक स्थिति को हाथ में लेवे, सामाजिक स्थिति को हाथ में लेवे, सांस्कृतिक दृष्टि को हाथ में लेवे, शैक्षणिक दृष्टि को हाथ में लेवे और उनके उत्थान का काम अपने हाथ में लेकर करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे अन्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनके पास तो एक-एक विभाग है, दो-दो विभाग हैं परन्तु हमारी जनजाति मंत्री हैं उनके पास 15-15, 20-20 विभाग हैं और मैं समझता हूं, राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी ऊपर ऐसा है। माननीय मंत्रीजी, सारा आदिवासी वर्ग आपके साथ है और आपको सरकार से ऊपर उठकर आदिवासियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक अलख जगानी पड़ेगी। आप ढाणी-ढाणी, घर घर और गांव-गांव में घूमिये और एक आन्दोलन के रूप में उसको चलाइये, हम आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोई सजेशन दें। आप समाप्त करें।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे लोगों से कृषि कैसी कराना चाहते हैं? रतनजोत की कृषि कराके हमारा आर्थिक विकास देखना चाहते हैं। रतनजोत की कृषि से हमारा भला हो सकता है? कृषि से सम्बन्धित मैं छोटे-छोटे सुझाव दे रहा हूं। मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाऊंगा। कृषि के क्षेत्र में हमको समय पर उन्नत बीज नहीं मिलते हैं, समय पर खाद नहीं मिलती है। जब चौमासा सिर पर आ जाता है तो सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं होती हैं तो हम खेती में भी पिछड़ जाते हैं। मंत्री महोदय, आपकी पूरी निगरानी होनी चाहिए उन ट्राइबल एरियाज के ऊपर, विशेष रूप से आप अपनी सूझबूझ से जो लैम्प्स-पेक्स काम कर रहे हैं उनको सजग करें और कृषि विभाग के माध्यम से बीज समय पर वितरण करायें।

पी. वी. सी पाइप लाइन की बात है। हमको बाउण्ड किया है कि आप 100 मीटर ही खरीद सकते हैं और 100 मीटर पर आपको 1800 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। जबकि हमारे खेत लम्बे हैं, 300-300 मीटर की आवश्यकता होती है। तो अनुदान की राशि बढ़ायी जाय।

दूसरी बात यह थी कि राजस्व रिकार्ड में कुएं बिलकुल सही हैं, राजस्व रिकार्ड में कुएं बोल रहे हैं पर मौके पर जाओ तो वहां खड्डे हैं। तो मैं आपसे पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे खड्डे हैं उनको कुएं बनवाये जायें। जीवनधारा में जो कुएं हैं, सारे अधूरे पड़े हुए हैं। आप विशेष रोजगार देकर काम चलावें और वे कुएं पूरे करावें तभी जाकर हम कृषि में ज्यादा से ज्यादा सिंचित करके अन्न उपजा सकते हैं।

एक फव्वारा स्कीम निकली थी। फव्वारा स्कीम में भी आपने रुपये 7000 का अनुदान देने की बात की। हम चाहते हैं 15,000 का अनुदान दो ताकि जो भी लगाना चाहते हैं वे तबीयत से लगायें और काम करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) 7 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी दो मिनट ही तो हुए हैं। वन विकास के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं डूंगरपुर जिला पहाड़ी जिला है, 70 प्रतिशत पहाड़ों से घिरा हुआ है और 30 प्रतिशत में ही खेती होती है। ऐसी परिस्थितियों में जो जंगल हैं, हमारी आंखों के सामने कट गये, खतम हो गये। अब आपकी जो वन विभाग की जमीन है उसका खातेदारों को किसी न किसी ढंग से हक दो, अलाट करो और उसको पाबन्द करो कि आप इसमें बीज लगाओ, पौधा लगाओ और यह लगाओ तब तो जंगल से वापस जुड़ पायेंगे और मानसून से भी लाभ ले पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : सिंचाई के लिए थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। आदिवासी

(श्री शंकरलाल अहारी)

क्षेत्र में सख्त आवश्यकता है, वहां नदी-नाले हैं, पहाड़ियों से नाले गुजरते हैं, हमारे यहां अधिक से अधिक एनीकट बनने चाहिए और अधिक से अधिक 50-50 लाख के छोटे-छोटे तालाब बनने चाहिए। लिफ्ट योजना जो आपने दी है, इसमें दर्शायी है, यह बहुत कम है। विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में लिफ्ट ज्यादा लगवाइये और काफी गुंजाइश है। सिंचाई के छोटे-छोटे नाले हैं उन नालों पर अगर हम लिफ्ट लगा दें तो हम 10-10 गांवों को जोड़ सकते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि आप हमारी इस बात पर पुरजोर शब्दों में ध्यान देते हुए कार्य रूप में परिणत करेंगे।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद और चिकित्सा के समय-समय पर शिविर लगाये गये हैं। वे दो-दो शिविर लगा रहे हैं। दो-दो से क्या होगा। आदिवासी क्षेत्रों में बीमारी की भरमार है। मैं किसी एक बीमारी का नाम नहीं बताता हूं लेकिन बीमारी की भरमार है। उसको मिटाने के लिए आपको 3–3, 4–4, 5–5 शिविर लगाने पड़ेंगे। आप इसके लिए बजट ज्यादा बढ़ाइये, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : आश्रम स्कूल के बारे में बात की। हमारे यहां दो आश्रम स्कूल हैं। दोनों स्कूलों में 100–100 छात्र पढ़ते हैं। आपको याद दिला रहा हूं, मंत्री महोदय, तलाइया और टिंगरवाड़ा जो हिल्ली शेप एरिया है, उनमें चिकित्सा सुविधा नहीं है लूका और तलाइया टिंगरवाड़ा के जो दो आश्रम स्कूल हैं ..

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : वे भी मैंने ही खोले थे।

श्री शंकरलाल अहारी : आपने खोले हैं, आपको धन्यवाद है। उनमें आपको चिकित्सा की व्यवस्था करनी है। पी. एच. सी. खोलो, चाहे डिस्पेंसरी खोलो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। अब विराजिये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण पर दो शब्द और कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अब क्या कहना है समाज कल्याण विभाग के बारे में ? (व्यवधान) आप तो आदिवासी हैं। विराजिये आप। श्री ओमप्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित) श्री गोपीराम जाट। (अनुपस्थित) श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में अगर सचमुच में....

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि विधवा, विकलांग ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : एक मिनट दो ना मुझे।

श्री अध्यक्ष : बहुत देर हो गयी है आपको।

श्री शंकरलाल अहारी : एक मिनट दे दो।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में बता दो आप। सुझाव अच्छे हैं आपके।

श्री शंकरलाल अहारी : मैंने गत विधान सभा में प्रश्न उठाया था, ट्राइबल एरिया में एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से कुछ छात्रावास चलते हैं। माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि अगर संस्था वापस लेना चाहती है और मुझे कागज मूव कर देगी तो उसको वापस दे देंगे। मंत्रीजी, हमने वादा पूरा कर दिया, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि संस्था ने जो डिमांड की है, छात्रावासों को वापस देवें। छात्रावास में अधीक्षकों के पद खाली हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है परन्तु आपको वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। परिस्थितियां गम्भीर होती जा रही हैं। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशन के फार्म भरने में कम से कम 25–30 रुपया खर्च होता है जैसे कि फोटो है, एफिडेविट बनाना, राशन कार्ड है, कई प्रमाण-पत्र आदि बनाने का काम है। फार्म भरने के बाद भी उसका रिजल्ट यह निकलता है कि आपका फार्म काम में नहीं आ सका। इसलिए फार्म की पूर्ति कम होनी चाहिए। इसके अलावा पेंशन का प्रचार नहीं है। कई बार फार्म विधवा, वृद्ध को यह कहकर लौटा देते हैं कि आपके पास बेटे-बहू हैं, घर का मकान है। तो आज के समय में कुछ लोगों की बेटे-बहू से बनती नहीं है, न रहने देते हैं, न उनको खर्चा देते हैं ऐसी हालत में पेंशन का ही सहारा होता है। 70 साल के लोग घर से बाहर काम करते हैं मगर उनसे काम नहीं हो पाता है, एक तो उम्र का लिहाज, दूसरा बीमारी का शरीर होने के कारण। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं हूं मंत्रीजी से कि इनकी पेंशन बढ़ायी जाय क्योंकि महंगाई है और इनको समाज सेवा के काम में लगाया जाय जैसे कि पर्यावरण, कालोनियों के पार्क, परिवार नियोजन, साक्षरता अभियान आदि में ये काम आराम से कर सकते हैं। इससे राष्ट्र का निर्माण होगा, एक टीम बनेगी। राष्ट्रीय अभियान, राज्यीय अभियान भी चल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अपने यहां जैसे विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांग पेंशन हैं, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन है, असहाय पेंशन है, ये साक्षरता अभियान जोर-शोर से कर सकते हैं। क्योंकि अधिकारी और टीचर्स दो ड्यूटी एक साथ नहीं दे सकते हैं इसलिए नाम-पत्र में, कागज में पूरा कर देते हैं। काम मैंने देखा, पंचायत चुनावों में महिलाओं ने जब फार्म भरा तो हस्ताक्षर करना नहीं जानती थीं। तीसरे दिन जब वे सिम्बल लेने गयीं तो हस्ताक्षर कर दिये। उनका फार्म अटक गया कि तीन दिन में

(242)

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

आपने नाम लिखना कैसे सीख लिया। मूर्ति देवी को देवर ने उसका नाम लिखना सिखाया। फिर उसके फार्म को हमने किसी तरह पास करवाया। साक्षरता अभियान में टीचर्स एवं अधिकारियों को नहीं लगायें, रिटायर अधिकारी, पेंशन वालों को लगायें जिससे कि पेंशन वालों को भी काम मिलेगा और आसानी से वे कर सकेंगे। अब इससे पेंशन पर जो खर्चा होता है, सरकार को भी लाभ मिलेगा, राष्ट्र का निर्माण भी होगा, पैसे की बचत भी होगी। पेंशन वालों के जरिये हमारी एक काफी बड़ी टीम तैयार हो जायेगी।

इसी तरह समाज कल्याण की कई योजनाओं में बजट लैप्स हो जाता है। सरकार बजट देती है गरीब और एस. सी. को सहायता के लिए, रोजगार के लिए और जैसे अशक्त शरीर और यह हत्ता-बलात्कारी आदि के लिए, वह बजट लैप्स हो जाता है, उसके बारे में भी हमें विचार करना है। समाज कल्याण योजनाओं का पर्याप्त प्रचार नहीं होता है, प्रचार नहीं होने से बहुत से लोग जानते नहीं हैं। इस साल के बजट में ढाई सौ रुपये से साढ़े तीन सौ रुपये छात्र-वृत्ति दी, यह स्वागत योग्य है। दो हजार रुपये आर्थिक सहायता समाज कल्याण विभाग देता है, यह भी आज महंगाई के जमाने में बहुत कम है। इसके अलावा मैं एक मांग और करना चाहती हूं कि हमारे वृद्धाश्रम खोले जायें जिससे कि जो बेघर लोग हैं वह अपना घर समझें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री नरेन्द्रजी बुड़ानिया। (अनुपस्थित) श्री माधव सिंह दीवान। (अनुपस्थित)। श्री जितेन्द्र सिंहजी (अनुपस्थित)। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज चर्चा हो रही है मांग संख्या 33– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं मांग संख्या 30– जनजातिय क्षेत्र विकास पर। यह जो खूबसूरत किताबें सजा कर सरकार ने भेजी हैं इनको एक नजर जब हमने देखा....

श्री अध्यक्ष : अब खूबसूरत तो अपनी है, अभी आप जल्दी से जल्दी सजेशन दीजिये।

श्री जुबेर खान : तो यह पाया कि जिस तरह से एस सी. और एस. टी. का नाम लेकर हम लोग यहां बार-बार भाषण देते हैं, राजनीति करते हैं, वास्तव में इन लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचायी जाती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो तथ्यों के आधार पर कहना चाहूंगा कि शायद ही कोई स्कीम हो, चाहे केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद दी जाती हो या राज्य सरकार से, उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता। मैं माडा योजना का आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 1994–95 में लक्ष्य रखा 491 लाख रुपये और खर्च हम कर पाये सिर्फ 313 लाख रुपये। इसी तरह सहरिया योजना में लक्ष्य रखा 50 लाख रुपये और खर्च कर पाये 39 लाख रुपये। व्यवसायिक गति-विधियों की प्रगति के ऊपर लक्ष्य का सिर्फ 66 प्रतिशत पूरा कर पाये। इसी तरह से एस. सी. और एस. टी. के बच्चों को पढ़ने की किताबें दी जाती हैं उसमें दस लाख में

(श्री जुबेर खान)

से सिर्फ 4 लाख 10 हजार रुपये खर्च कर पाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह के यह निगम बने हुए हैं, इनमें लोग बैठे हुए हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग क्रियान्वित कर रहे हैं स्कीम्स को, उनमें यह इच्छा शक्ति नहीं है कि हम हरिजनों को, एस. सी. और एस. टी. को इनका लाभ पहुंचा पायें। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग में आप देखेंगे आंकड़े 1990-91 में लक्ष्य था 43 लाख रुपये, खर्च हुए 5 लाख 80 हजार रुपये। 1991-92 में 70 लाख में से खर्च हुए 37 लाख रुपये। 1994-95 में 170 लाख में से खर्च हुए 83 लाख रुपये। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आपके पास पैसा है, आपके पास मशीनरी है, यह लोगों तक सही ढंग से पहुंच सके, आप इसका उपाय कीजिये क्योंकि आप भी अनुसूचित जनजाति से हैं और आपके समय में भी अगर विकास नहीं हो पाया, सुधार नहीं हो पाया तो मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। मेरा इसमें सुझाव है कि जब तक उस मशीनरी, जो इसको क्रियान्वित कर रही है, में हम इस समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को नहीं जोड़ेंगे और जब तक; मंत्री महोदय, दिल में दर्द नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। जब तक कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। आपके पास केन्द्रीय सरकार के लाखों रुपये पड़े रहते हैं और खर्च नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा मंत्रीजी का देखिये, हरिजन बस्तियों के लिए विद्युतीकरण का लक्ष्य था 750 बस्तियों का और आपने करीं 142 बस्तियां। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें आपका क्या जा रहा था, सारा तो समाज कल्याण का भारत सरकार पैसा देती है, आपको तो हरिजनों की बस्तियों का विद्युतीकरण करना है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप उसको लगा नहीं पाते।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह पम्प सैट जो हरिजनों को देते हैं सामुदायिक योजना बना कर, जो आपके नार्म्स बने हुए हैं, पम्प सैट का जो पंखा होता है जो पानी खींचता है, इसमें प्रावधान है कि 4 × 3 के पाइप का पंखा होना चाहिए और अलवर में तो मैं कहूंगा कि दे रहे हैं ढाई और तीन का पंखा। और कीमत में कितना फर्क है? आप तो 10-12 हजार की कीमत का देते हो और निगम से वसूल करते हो 15-17 हजार रुपये। मैं पूछना चाहूंगा कि यह पैसा कहां जा रहा है? जब संवेदनशील सरकार बनती है और बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि हम तो अनुसूचित जनजाति के लिए ही पैदा हुए हैं, हमारी तो सरकार ही इसके लिए बनी है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें क्या कोताही आ रही है कि आप लोगों को इसका लाभ नहीं दिला पाते? अभी यह काफी कमी है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में जितना भी पैसों का आबटन अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए किया जाता है, किसी तरह से यह हम निर्धारण कर पायें कि पूरा पैसा गरीबों तक पहुंच पायेगा। सही रूप से पहुंच पायेगा तो सही मायने में यहां सदन में चर्चा करने का कोई हल होगा वरना मैं समझता हूं कि हम भाषण देते रहेंगे, चाहे इस पक्ष के लोग

(श्री जुबेर खान)

हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों और इन अनुसूचित जनजातियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और यह द्वेष भावना से काम करते रहेंगे, इन तक फायदा नहीं पहुंचायेंगे। मेरी इसीलिए आपसे मांग है कि जितने भी कर्मचारी हैं, इनमें इन जातियों के लोगों को सम्मिलित किया जाय तभी हम सही मायने में यह कदम उठा सकते हैं कि इन लोगों को सही रूप से फायदा पहुंच पाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री चुन्नीलाल धाकड़। श्री किशन गोपाल कोगटा। नहीं बोल रहे हैं? श्री रामनारायण जी। आपका भी है, आप थोड़ा चूक गये थे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी चर्चा हुई। मैं कुछ बात निवेदन करना चाहूंगा और यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं। हम काफी पैसा (व्यवधान) आप तो आदिवासी विरोधी पक्ष के हैं, आप तो थोड़ा शांत रहें, आप माननीय मंत्री हैं। मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा, लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहनी है। अध्यक्षजी, मुख्य बात यह है हमारे आदिवासी मंत्रीजी हैं, आदिवासियों के नेता अपने आप को मानते भी हैं, लोग कहते भी हैं, हम भी सोचते हैं कि आदिवासियों के नेता बने हैं, यह स्वायत्तशासी उस क्षेत्र के लिए कोई परिषद् का गठन कर पायें या नहीं कर पायें लेकिन एक बात आपके दिल और दिमाग में आप बैठा लें कि आप राजस्थान की लीडरशिप की बात करें, एक छोटे से एरिया के लीडर बनने की बात न करें। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कुछ योजनाएं चलायी जा रही हैं, गरीब आदमी सवाईमाधोपुर में भी हैं, बूंदी में भी हैं, कोटा में भी हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रोडवेज की बसों में बच्चों के लिए घोषणा की। इधर के गरीब आदिवासी, मेरे कल्याणपुरा में तो सारे भील रहते हैं, क्या इस एरिया के आदिवासी बच्चियों को स्कूल में पढ़ने जाने के लिए हम छूट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस बारे में आप पुनर्विचार करें। आप रेस्ट्रिक्शन्स डाल दें कि इस आमदनी से ज्यादा कोई हो तो वह ठीक है। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप उस एरिया में ट्राइबल की तो बात कर रहे हैं लेकिन तकलीफ यह आती है कि आपके अधिकारियों को लिखते-लिखते मैं कहता हूं कि हजारों रुपये तो कागजों में खर्च हो जाते हैं एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी हमारे और जो बनी है, अध्यक्षजी, वह सड़क इन्होंने बनायी है ऐसे एरिया में, सथुर गांव है, जहां एक आदिवासी को बेनिफिट नहीं हुआ। उसके सारे मजरे आदिवासियों के हैं लेकिन उन लोगों के लिए बनायी गयी है जिससे एक आदिवासी को बैनिफिट नहीं होता। वह आदिवासी उसमें तभी चलकर जायेंगे जब कहीं किसी से कर्ज लेना होगा, कोई बात होगी। इस तरह के जो काम अधिकारी कर रहे हैं, यह बात अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कही कि उनको सीधा बेनिफिट दिया जाय, उनका ध्यान रखा जाय, सीधा लाभ पहुचाया जाय, बिल्कुल सही कहा है जब तक वहां अधिकारी ऐसे नहीं लगाये जायेंगे तब तक उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

एक योजना है, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आप तो शिव सेना के टाइम में बहुत ज्यादा बोलते थे गरीबों के हित में, आजकल पता नहीं क्या बात हो गयी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे एट्रोसिटीज केसेज में दस हजार से लेकर एक हजार रुपये तक हम देते हैं, दस हजार रुपये कोई मर्डर हो, रेप केस हो तो देते हैं। ऐसे मामले लोगों को पता है या नहीं है, ऐसे केसेज जो पुलिस में रजिस्टर होते हैं, गृह मंत्रीजी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप जिस तबके के हैं हम उस तबके के आपको इसलिए नहीं मान पाते दिल में कि आप उनके हित की बात नहीं करते हैं और मुख्य मंत्रीजी तो बहुत समझदार हैं कि उन्होंने ऐसे गृह मंत्री बैठा दिये जो गरीबों के हित की बात ही न करें। हां, आपको गरीबों का हितैषी मानते हैं और मुख्य मंत्रीजी ने आपको बैठा दिया, इसलिए आप कम से कम उसका फायदा उठाओ और यह फायदा उठाओ कि उन लोगों के लिए कैसे आप दे सकते हो। एक गरीब को दस हजार रुपये मिल जायेंगे उससे वह कोई करोड़पति नहीं बन जायेगा। आप देख लीजिये, मैं उस बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा। बूंदी जिले में तीन आदिवासी मरे हैं, दूसरे लोग मरे हैं। अभी विद्युत मंत्रीजी कह रहे थे, खान में दबकर किसी ठेकेदार का कर्मचारी मर गया, कलक्टर को टेलीफोन कर दिया, उसको तो दस हजार रुपये दे दिये, कोई आदिवासी मर जाता है उसके लिए कोई कहने वाला नहीं है। यह जो परिपाटी और प्रथा चल रही है, बहुत गलत है, माननीय अध्यक्षजी महोदय, इसलिए ऐसे मामलों में भी कृपा करके आप थोड़ा ध्यान दें।

इसके साथ मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं, आप इन्दिरा आवास बना रहे हैं, गरीबों के लिए पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मैं 1990 से इस हाउस के माध्यम से बात उठाता आ रहा हूं कि जिनके मकानात पूरे नहीं बन पाये हैं, अधूरे हैं, आप कहते हैं, साहब, वह रहना चाहेंगे तो 26 सौ रुपये देंगे सारे रहना चाहते हैं। एक भी मकान ऐसा नहीं है जहां कोई नहीं रहना चाहता होगा। आपने शिड्यूल्ड कास्ट की कालोनी बनायी, किसी भी शासन में बनी हो, आज बने, पहले बने मैं यह कहना नहीं चाहता, दिल दिमाग साफ करेंगे, गरीब की मदद हम करना चाहते हैं, एक आदमी को एक दुकान मिल जाती है तो कोई हमारे बराबर नहीं होगा और हमसे बड़ा भी होगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। वह दुकानें ऐसे मोहल्लों में बनायी गयी हैं, ऐसी जगह बनायी गयी हैं जहां कोई जाकर उस दुकान को लेने वाला नहीं है। इसलिए एक बार भूल जाइये कि मकान में कोई नहीं रहना चाहता। मुझे कोरमा के एक बैरवा मिले जो आज भी चमार लिखता है अपने आपमें, उसका मकान अधूरा दिखता है जब भी जाता हूं। 4-5 प्रश्न मैंने रखे हैं। मैंने समाज कल्याण अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। वह मकान आज तक भी पूरा नहीं हुआ एक एम.एल.ए. कह रहा है उसके बावजूद भी। ऐसे केसेज आप पकड़िये, उस गरीब की बात करिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

सामूहिक बीमा के लिए हमने माननीय जनजाति मंत्री महोदय को लिखा। आप आदिवासियों का भला करना चाहते हैं तो सामूहिक बीमा योजना आप क्यों नहीं लागू करते ? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है दूसरे प्रांतों में भी हो। आपको चिट्ठियां लिखी गयीं पर एम. एल. एज. चिट्ठियां लिखें, एक भी चिट्ठी का आज दिन तक हमारे पास जवाब नहीं आया। इसी तरह से, हम रोज आपको चिट्ठियां लिखते हैं, आप हमें लिखते हो भेज दिया गया है। आप मुख्य मंत्री जी से सीखिये। वह लीडर हैं, आपके ही नहीं हमारे सदन के लीडर हैं। मुख्य मंत्रीजी चिट्ठी का जवाब देते हैं। हो सकता है इनके अधिकारी इस बात की सीख नहीं लेते हों, कलक्टर और दूसरे अफसर जवाब नहीं देते हों, यह उनके पार्ट की बात है, उनके सोचने की बात है। राजस्थान का मुख्य मंत्री एक विधायक की चिट्ठी का जवाब देता है, 10 में से 8 का देता हो, 7 का देता हो लेकिन देने की कोशिश करते हैं मुख्य मंत्रीजी और आपकी ओर से चिट्ठी का जवाब आज दिन तक नहीं। आपने कहा, छावनी गांव पूरा आदिवासियों का गांव है, मैं भेज रहा हूं। उस सड़क के कागजात चले, उसका क्या रिजल्ट रहा आज दिन तक हमें पता नहीं चला। यह साल भर पहले की बात है। इसी तरह के दूसरे मामले हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं राजस्थान में जो ठीक नहीं है। आप शिड्यूल्ड कास्ट कारपोरेशन का पैसा राइट आफ कर रहे हैं। ऐसे पैसे राइट आफ तब करें जब कि राजस्थान सरकार उस पैसे को वापस दे, फैक्ट्रियां बेचे, कहीं से करे। आर. एस. ई. बी. को आपने पैसा दिया। पैसा आप वापस जमा करा रहे हैं। आपके सचिव महोदय को भी इस बात का ध्यान है कि पैसा कैसे जमा कराया जा रहा है। कहनी पड़ रही हैं ऐसी बातें। जो शिड्यूल्ड कास्ट का पैसा है, एक-एक पैसे का उपयोग हो, यह मैंने पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : समाज कल्याण मंत्रीजी, आप गरीब की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। बिजली का कनेक्शन आदिवासी का हो, हरिजन का हो या दूसरी कौम का हो, जो कुआं खोदता है जिसको हम 20–25 हजार रुपये कुएं के लिए देते हैं उसकी जमीन की कीमत आज 10 हजार नहीं है, दो हजार रुपये बीघा की जमीन है बड़ी मुश्किल से, पथरीली जमीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, उनके मंत्रीजी इस स्थिति में हैं कि नहीं हैं लेकिन, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो गरीब हैं जो बिजली के कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस आ रहे हैं, 40 हजार रुपये, 45 हजार रुपये के डिमाण्ड नोटिस आ रहे हैं, 30 हजार रुपये के डिमाण्ड नोटिस आ रहे हैं. ऐसे केसेज में गरीबों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह देखें। इस बात का, पहले हमें भी भ्रम था समाज कल्याण विभाग पैसा नहीं देता, इलेक्ट्रिफिकेशन के गरीबों के लिए पुराने कानून हैं, ऊर्जा मंत्रीजी, हम आपसे कह चुके हैं, कृपा करके उन कानूनों

(श्री रामनारायण मीणा)

को लागू करें। एक्स. ईएनस. को लायबल ठहरायें, जिम्मेदार ठहरायें कि जिस गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है वहीं पहले शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में इलेक्ट्रिफिकेशन करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें, समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : शायद आपको मेरी बात पसन्द नहीं आ रही है। मैं आपको कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बातें बहुत हैं, माननीय अध्यक्ष जी, समय हो गया। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, सदन की भावना की कद्र करता हूं लेकिन एक नहीं अनेक केसेज हैं जिनको आप छांटिये। माननीय जनजाति मंत्रीजी, आपने एक दफा मीटिंग में हमें बुलाया, हो सकता है तीन बार बुलाया हो, आप तीन महीने में मीटिंग कीजिये। उस मीटिंग में आपने देखा, असर हुआ। आपके अफसर ने क्या कहा था और हमने क्या कहा था उसके बारे में अफसर ठीक हो गया होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : आपको चिट्ठी लिखी थी।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे को चिट्ठी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द।

श्री रामनारायण मीणा : यह सारी बातें हैं जिसको हम देखें और उसी के मुताबिक काम करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया है, गरीबों के प्रति आप सोचते हो, गरीबों के हित के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करें और जो पैसा भारत सरकार दे रही है, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 100 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है उन पैसों को गरीबों को सीधा लाभ पहुंचे, उसमें बेईमानी नहीं हो और खिलाने पिलाने वाली बात है, जो सब्सिडी वाली बात है जो बड़ी मुश्किल से मिल पाती है उसका आप मानीटरिंग कराने के लिए व्यवस्था करें। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर आज इस हाउस में चर्चा हो रही है, मैं इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ विषयों पर बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर है उस पर कुछ चर्चा करूंगा। बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट ऐसी है जहां 93 प्रतिशत जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहां शिक्षा का स्तर 11.10 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने सारा बजट शिक्षा को समर्पित किया था और उन्होंने यह घोषणा की थी कि बिखरी हुई आबादी वाले क्षेत्रों में डेढ़ सौ की आबादी पर स्कूल खोला जायेगा। जहां तक मैं मानता हूं वहां पहाड़ी इलाका है और दूरदराज में बसे आदिवासियों को 10–10, 15–15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वहां जनसंख्या का अधिक अनुपात मानते हुए अधिक से अधिक स्कूलें खोली जायें ताकि वहां शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाया जा सके।

(श्री दलीचन्द)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही विशेषकर महिला शिक्षा पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति पीपलखूंट में एक भी महिला स्कूल नहीं है, न महिला छात्रावास है। गत सत्र में भी मैंने मंत्री महोदय को एक दो जगह का लिखित में दिया था कि वहां बालिका छात्रावास खोले जायें लेकिन अभी तक वहां कोई ऐसा छात्रावास नहीं खोला गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाकों को ध्यान में रखते हुए, वहां के शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक स्कूलें खोली जायें और वहां छात्रावासों की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा जिला डूंगरपुर, पहाड़ी इलाका है, वहां छोटे-मोटे नदी-नाले हैं, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वहां अधिक से अधिक एनीकट बनवाये जायें और वहां लिफ्ट योजना लगायी जाये ताकि वहां के काश्तकारों को सिंचाई के साधन मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो तालाब बनते हैं उन पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और वहां पर बहुत सारे काश्तकार डूब में आते हैं और बहुत सारे काश्तकार बेघर होते हैं, ऐसी स्थिति में जो तालाबों पर पैसा खर्च किया जाता है उसकी एवज में छोटे-छोटे एनीकट बनायें और उस एनीकट से लिफ्ट योजना लागू की जाय जिससे जमीन भी डूब में न आवे और वहां हैण्ड टू हैण्ड काश्तकार को लाभ मिल जाय।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि गुजरात में सतगुरू फाउण्डेशन करके एक संस्था काम कर रही है उसने ऐसे एनीकट बांध बनवाये हैं, जहां तक मैं मानता हूं यहां कमेटी बनाकर उन एनीकट का सर्वे करवाया जाय ताकि वैसे एनीकट बांधें और उसके साथ ही साथ उन्होंने लिफ्ट योजना लगायी है वह सक्सेसफुल गयी है, वहां अच्छा साधन हो रहा है और वही सस्ता साधन हमारे बांसवाड़ा में अनगपुरी और बागीडोरा और सज्जनगढ़ इलाके में 7–8 जगह हैं वहां हो सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे एनीकट और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगायी है और अभी भी 4–5 एनीकट का कार्य चालू है।

मैं इस मौके पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वर्ल्ड बैंक की योजना के माध्यम से लिफ्ट योजना का कार्य यहां प्रारम्भ किया जा रहा है जिसमें से 80 प्रतिशत पैसा वर्ल्ड बैंक दे रहा है

(21.00)

और बाकी बीस प्रतिशत काश्तकारों से लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन यह करना चाहूंगा कि आज अगर 20 लाख की लागत उस लिफ्ट इरिगेशन योजना में आती है तो उसमें 20 प्रतिशत के हिसाब से चार लाख रुपये उन काश्तकारों से वसूल किये जाते हैं, उन काश्तकारों की हैसियत ही नहीं है कि वह चार लाख रुपये उस लिफ्ट इरिगेशन योजना में लगाकर उस चीज का लाभ उठा लें। इसके पहले मंत्री महोदय ने 10 प्रतिशत राशि टी. ए. डी. मद में से देने की घोषणा

(श्री दलीचन्द)

की वह मिलकर 90 प्रतिशत हो गयी लेकिन 10 प्रतिशत की राशि फिर भी काश्तकारों से वसूल की जाती है । तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें ।

श्री दलीचन्द : साहब, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : स्टार्ट ही नहीं, मैं पूरा समय देख रहा हूं 7 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिये । विराजिये ।

श्री दलीचन्द : नहीं, साहब, अभी नहीं । इस हिसाब से मैं यहां तक मानता हूं कि 100 प्रतिशत पैसा अनुदान में दिया जाय ताकि वहां काश्तकारों को इस बात का लाभ मिल जाय । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जीवनधारा योजना जो इस जन-जाति क्षेत्र में चालू कर रखी है उस जीवन-धारा योजना में मेरा यह मानना है कि वहां कुओं की लागत बहुत सीमित दे रखी है जिससे वहां पर हार्ड रॉक आने की वजह से कुएं पूरे नहीं होते । इसके लिए 2-3 विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से एस्टीमेट बनवाया जाय कि एक कुए की लागत कहां तक आती है । अगर उस लागत के माफिक वह कुआ स्वीकृत किया जाय तो मैं यह मानूंगा कि उन काश्तकारों को बहुत बड़ा इससे ...

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट ।

श्री दलीचन्द : फायदा मिलेगा । क्योंकि वहां पूरी सहायता नहीं मिलती है, वहां हार्ड रॉक है । वहां ब्लास्टिंग के बिना कुआ ज्यादा गहरा होता ही नहीं है और ब्लास्टिंग की इतनी भारी कीमत है जिससे काश्तकार वहां कुआं पूरा नहीं करा पा रहा है । इसलिए असली लागत जो उस क्षेत्र की आती है उस हिसाब से उसका आकलन करके उस जीवनधारा योजना को लागू किया जाय । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इस जीवनधारा योजना में जहां आपने चयनित परिवार को लाभ देने का लक्ष्य रखा है, मैं आपके माध्यम से यह भी सरकार को याद दिलाऊंगा कि चयनित परिवार को न ले करके वहां लघु सीमान्त कृषक को वह योजना दी जाय ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सकता है ।

इसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहूंगा । हमारे यहां सैटलमेण्ट बहुत वर्षों पहले हुआ था और आज की तारीख में ऐसे खाते हैं जहां एक खाते में कम से कम 20-20 आदमी इन्वाल्व्ड हैं । खातों में बंटवारा न होने की वजह से हर काश्तकार को उसका लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं मिल पाता है कि 10 काश्तकार एक खाते में चल रहे हैं और एक आदमी को लाभ मिल जाता है तो साराखाता एक आदमी के बीच में अटक जाता है.....

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्री कन्हैयालालजी ।

श्री दलीचन्द : तो इसलिए ऐसा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट में बात खतम करेंगे आप (व्यवधान) दिला रहे हैं, दिला रहे हैं (व्यवधान) विराजिये आप ।

श्री दलीचन्द : हां, साहब ।

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी अब । सात मिनट हो गये पूरे । बिराजिये आप ।

श्री दलीचन्द : अभी कहां, मैं बोल ही रहा हूं, खड़ा ही हुआ हूं अभी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री कन्हैयालालजी ।

श्री दलीचन्द : अभी बहुत सारी बातें कहनी हैं मेरे को । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप भूमिका बनाओ और सजेशन न दो तो इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है । श्री कन्हैयालालजी ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय....

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन....

श्री अध्यक्ष : और दे देना आप बाद में ।

श्री दलीचन्द : नहीं साहब, मौका ही अभी है, जनजाति की बात करा रहे हो इसलिए कब से (व्यवधान) इंतजार कर रहा हूं ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं आपके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री दलीचन्द : पर हम को थोड़ा सा समय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए (व्यवधान) ...

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी को....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप । अच्छे सजेशन हैं आपके । (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : कमाल कर रहे हो ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : और हमारे जनजाति मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास की जो मन में यह ठानी है कि पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों का आमूलचूल परिवर्तन हो और जिसके लिए उनको अपने अधिकार का ज्ञान कराने के लिये उन्होंने ग्राम पंचायत के पंच से लेकर सरपंच तक और निगमों के अन्दर चेयरमैन से लेकर जिला प्रमुख तक के पदों पर बैठाया । इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा । मैं उनको इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ... (व्यवधान) और अनुसूचित जाति के भाईयों ने देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक जयपुर में छात्रावास की भूमि के आबंटन के लिये बार-बार सरकार के यहां चक्कर लगाते रहे लेकिन माननीय शेखावत साहब

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन किया।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को। ये योजनाएं जो सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए बनायी जाती हैं, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति के निगम के माध्यम से ऋण देने का काम हो, चाहे अन्य सुविधाएं देने का काम हो, इनके लिए जितना लक्ष्य रखा जाता है उस लक्ष्य का आधा भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका एक मुख्य कारण तो यह है कि इसकी जानकारी गांवों तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों तक नहीं पहुच पाती है। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसलिए एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पंचायतों के माध्यम से, चाहे पंचायत समितियों के माध्यम से या शिविर लगाकर के इन योजनाओं की पूरी जानकारी उन लोगों को दी जाय कि आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए ये योजनाएं हमने लागू की हैं। तो वे लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करके यदि आप ये योजनाएं क्रियान्वित करायें तो इसका बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं।

दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के मजदूर हैं, ज्यादातर भूमिहीन व्यक्ति हैं, आज हजारों की संख्या में खानों के अन्दर शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी वे चेजा पत्थर निकालने का काम करते आ रहे हैं। इसके लिए मेरी आपसे मांग है, जो अनुसूचित जाति व जनजाति के भाई हैं आज वे उन पहाड़ों के अन्दर पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार करते आ रहे हैं उनको अलाटमेण्ट न हो करके, उस पहाड़ का 10-10, 20-20 किलोमीटर तक अलाटमेण्ट एक व्यक्ति को हो जाता है जिससे हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, इस सम्बन्ध में माननीय खनिज मंत्री महोदय से काफी लोगों का एक डेपुटेशन भी मिला था, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलाटमेण्ट के लिए इनको पता भी नहीं होता, अगर 20–20 मीटर का टुकड़ा भी इनको दे दिया जाए तो उस 10 किलोमीटर में एक हजार व्यक्ति अपनी रोजी–रोटी कमा सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इनको इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

साथ ही, छात्रावास के लिए तो मैं माननीय शेखावत साहब को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, अकेले जयपुर जिले में जिस प्रकार 23 छात्रावास स्वीकृत करके उनको पूरा करवाया उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं लेकिन उन छात्रावासों में जिस प्रकार की परेशानियां हैं, जो समस्याएं माननीय मंत्री महोदय ने भी मौके पर जाकर देखी हैं, जिस प्रकार की दुर्दशा अन्य माननीय सदस्यों ने भी बतायी हैं वह वास्तव में दयनीय स्थिति है इसलिए उनकी दशा भी सुधारने की कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें अब ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अनेक गांवों को सम्बल योजना में चयनित करके राजस्थान में आपने उन गांवों को गोद ले करके चहुंमुखी विकास करने के लिए, उस गांव के अन्दर पेयजल की, उस गांव के अन्दर सड़क की, उस गांव में अगर कोई बेरोजगार है तो रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आपने ठानी है और गांव-गांव के अन्दर जिस प्रकार के कार्य का आपने शुभारम्भ किया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन गांवों को आपने चयनित किया है उन गांवों में अगर सड़क का काम चालू करना है तो करना है क्योंकि चयनित करने के उपरांत भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । बिराजिये आप ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अब तक भी उन गांवों में सड़कों का काम चालू नहीं हुआ । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उन गांवों में सड़कों की या पेयजल की या अन्य जो भी समस्याएं हैं उनको हल किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : वैसे आप रोज ही बोल रहे हैं, कहीं न कहीं सजेशन दे रहे हैं । बिराजिये आप । श्री नरेन्द्रजी बुडानिया । बिराजिये आप । यह लास्ट....

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही मेरा निवेदन है कि माडा योजना में

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रजी बुडानिया । पांच मिनट में बात खतम करें । बिराजिये आप ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माडा योजना के अन्दर जयपुर जिले में हर साल मात्र एक एक (व्यवधान) माडा के अन्दर दी जाती है और शायद पिछले 10 सालों में लगातार माडा योजना में एक किलोमीटर से ज्यादा सड़क भी नहीं दी गयी है । हैण्डपम्प के लिए अगर पूरे जिले में कोई माडा के गांव हैं उनमें मात्र तीन हैण्डपम्प जयपुर जिले में दिये जाएं, यह बड़े (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : यह मेरा सुझाव है कि कम से कम उनको चयनित करके....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो ढाणियां या गांव हैं इनमें ज्यादा संख्या इनकी बढ़ायी जाय । साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियां चाहे वे कस्बे में हों, चाहे शहर में हों, चाहे गांव में हो, अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने का मुख्य कारण है अनुसूचित जाति और जनजाति का तो वह है शराब । मैन उस शराब की वजह से ही आज इतने पिछड़े हुए हैं और आज वह रिजर्वेशन भी हुआ तो शराब की वजह से हुआ है । मेरी

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

आपसे पुरजोर मांग है कि शराब का जो ठेका है वह कम से कम एक किलोमीटर वहां से दूर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये। श्री बुडानिया जी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 30 और 33 के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्व-पूर्ण विभाग है और इन विभागों के माध्यम से जितनी भी हमारी योजनाएं सरकार चला रही है यह ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम उन असहाय लोगों, गरीब जाति के लोगों तक पहुच सकते हैं। शैक्षणिक विकास कार्य, आर्थिक विकास कार्य, सामाजिक उत्थान कार्य, इन योजनाओं के माध्यम से हम गरीब लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से सब सम्माननीय सदस्यों की चर्चा सुन रहा हूं, सबके सब चिन्तित इस बात से हैं कि जो राशि आबंटित की जाती है, जो राशि विभाग को दी जाती है वह राशि उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। वह योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है और सब साथी इसके लिए चिन्तित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं की कोई उपलब्धि नहीं है। इन योजनाओं पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यदि हमने पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन इन योजनाओं का नहीं किया तो मैं समझता हूं कि इस साल भी हम इनको पैसा देंगे और वह भी उसी प्रकार जो पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष होता आया है उस राशि के खर्च करने के सम्बन्ध में, वह होता रहेगा। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि राज कांग्रेस ने भी किया है और आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस ने भी अपने समय के अन्दर इन वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनायीं, आपने भी उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनायीं लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन योजनाओं पर जो राशि खर्च होती है उसका मूल्यांकन क्या है आखिर? जहां तक मैं समझता हूं, यह जो पैसा है, जितना उनके प्रशासनिक ढांचे में खर्च हो रहा है, योजना बनाने में खर्च हो रहा है उतना पैसा उन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। आंकड़े मेरे सामने रखे हैं और इन आंकड़ों में हम जाते हैं, देखते हैं तो पिछले वर्ष 1994–95 में चाहे वह समाज कल्याण विभाग को हमने राशि आबंटित की, चाहे हमने जनजाति क्षेत्रीय योजनाओं के लिए राशि आबंटित की, वह राशि पूरी की पूरी खर्च नहीं हुई है। वह खर्च क्यों नहीं हुई है? इसके क्या कारण है? यानि सरकार चाहती है गरीबों को लाभ देना, राजस्थान सरकार चाहती है, केन्द्रीय सरकार चाहती है, सारे के सारे जो जन-प्रतिनिधि हैं वे चाहते हैं फिर यह योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं? मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं के ऊपर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, यह बिलकुल साया लगाये हुए बैठे हैं। यह अधिकारी और कर्मचारी उन योजनाओं को सही जगह पर पहुंचने नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, मैं उनकी

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

मौजूदगी में यह कहना चाहता हूं कि यह जो योजनाएं हैं, इनका भौतिक सत्यापन आप क्यों नहीं करवाते ? आप मौके पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कम प्रतिशत में लोगों तक यह योजनाएं पहुंची हुई मिलेंगी । सारी की सारी योजनाओं में इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र-पूर्ण ढंग से लोग पैसा खा रहे हैं, पैसा हड़प रहे हैं । इसलिए मेरा सुझाव है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह योजनाएं जिनके लिए पैसा केन्द्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, गरीबों तक पहुंच सके, इनको राहत मिल सके, इस आधार पर इनका पुनर्मूल्यांकन कीजिये, पुनर्विचार कीजिये और इसका भौतिक सत्यापन करवाइये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी राशि हम आवंटित करते हैं, यहां पर हाउस में बैठकर इन गरीब लोगों के लिए लेकिन इन योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए एक भी जन-प्रतिनिधि इसके अन्दर शामिल नहीं है । सारी की सारी योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से होती हैं और अधिकारी इनका भौतिक सत्यापन करते नहीं हैं । मेरा यह विनम्र आग्रह है इन योजनाओं को लागू करने के लिए, इनका भौतिक सत्यापन करने के लिए और यह उन व्यक्तियों तक पहुंच सके इसके लिए इसमें जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए । ताकि उन पर दबाव बना रहे और समय-समय पर उन लोगों की बातें सामने आती रहें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब एक मिनट में आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट में कर देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट इसमें हरिजन छात्रावासों की देखी है । बहुत बुरा हाल है । मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मंत्रियों को कम से कम यह तो निर्देश दें कि राजस्थान के जो बने हुए हैं, दौरा वहां का करें । चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बी. जे. पी. के लोग हैं, चाहे निर्दलीय लोग हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के हैं, विधायकों को भी यह चाहिए, हमारे सम्माननीय सदस्यों को भी यह चाहिए कि वे उन छात्रावासों का दौरा करें । आज सारे ऐसी हालत में हैं, ज्यादातर संख्या में ऐसे छात्रावास हैं जो टूटे-फूटे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं । उनकी सालों-साल मरम्मत नहीं हुई है । उनके अन्दर जो हरिजन छात्र रहते हैं उनकी हालत आप जाकर देखिये, उनके खाने की देखिये, उनके रहने की देखिये, उनके पीने की व्यवस्था देखिये, उनके सोने की देखिये, उनके कपड़ों की देखिये, सारी हालत चौपट है । कागजों के अन्दर बहुत अच्छी बातें लिख रखी हैं उनकी ड्रेसेज के लिए, उनके भत्तों के लिए, उनकी किताबों के लिए, उनके खान-पान के लिए, उनके रहने के लिए लेकिन वहां मौजूदा के अन्दर ऐसे हालात नहीं हैं । सारे के सारे छात्र हैं वे दुःखी हैं । तो मेरा निवेदन है उनकी हालत सुधारी जानी चाहिए । भत्ता उनको मिलता है वह बहुत कम मिलता है । वह भत्ता और बढ़ाया जाना चाहिये । (व्यवधान) बढ़ा दिया तो अच्छी बात है ।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। जब तक हम उनके स्तर को ऊंचा नहीं करेंगे तब तक उनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका स्तर शिक्षा के माध्यम से ऊंचा हो सकता है। उनका स्तर आज स्थायी रोजगार, स्थायी साधन देने से ऊंचा हो सकता है। आज शिक्षा के माध्यम से आप देखिये, मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा का बजट सामने रखा है, जो इन्होंने राशि मांगी है, यह राशि उनके काम नहीं आयी, क्यों काम नहीं आयी? आप शिक्षा विभाग को यह बजट दीजिये और उनके ऊपर यह पाबन्दी लगा दीजिये कि यह जो समाज कल्याण का बजट है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है. अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है, उन्हीं के कल्याण के लिए लगना चाहिए। यह पाबन्दी लगाइये। यह जो एक विभाग इसके पास में है, दूसरा विभाग इसके पास में है, इस वजह से उन तक वह बात बैठती नहीं है।

दूसरा यह है कि आज हरिजन बस्तियां हैं, हरिजन बाहुल्य गांव हैं उनके बारे में कोई बात सोचता नहीं है। कागजों के अन्दर लिखा हुआ है कि कोई बिजली देंगे तो सबसे पहले हरिजन मोहल्ले को देंगे, पानी पहुंचे तो सबसे पहले हरिजन मोहल्ले को पहुंचे, स्कूल खुले तो हरिजन मोहल्ले का ध्यान रखा जाए, और कोई योजना हो तो हरिजनों का ध्यान रखा जाए लेकिन वास्तविकता इससे दूर है। उनसे परहेज करने की कोशिश करते हैं। हरिजन बस्तियों में जाते नहीं हैं। चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, कोई भी हरिजन बस्ती में जाता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : नेता भी नहीं जाते हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : जाना चाहिए, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं आप कोई ऐसी व्यवस्था करिये।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार जितने नये स्कूल कहां-कहां खोले जायें, विधायकों की तरफ से प्रस्ताव आये हैं, वे आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : गलत बात है। मैंने तो आपसे शुरू से ही यह बात कही है कि कोई भी चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सबसे पहले हरिजनों के बीच में जाना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मुख्य मंत्रीजी, जो स्कीम आप लागू करना चाहते हैं, मुझे पता है। पणजी के अन्दर आपका सम्मेलन हुआ है और क्लोज डोर से आपकी बात हुई है, एस. सी. और एस. टी. के लोगों को सुविधा देने की। आप भी चाहते हैं, मुझे पता है। मैं आपके विचारों से अवगत हूं लेकिन वास्तविकता कहां पर है और वास्तविकता पर चिन्तन और मनन करने की जरूरत है।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

आपके रिकार्ड आपके सामने पड़े हैं। आपके पचास तक आंकड़े मेरे पास में हैं। 50 प्रतिशत आपकी राशि खर्च नहीं हुई है और जो खर्च हुई है वह उन लोगों तक नहीं पहुंची है जिन तक पहुंचनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हरिजन छात्रावासों की स्थिति सुधारिये, उन छात्रों को सही लाभ पहुंचाइये। हरिजन बस्तियों के उत्थान के लिए उनको बिजली, पानी, सड़क दीजिये। उनके लिए स्कूल खोलिये और जो बहुल क्षेत्र आपका है उनकी ओर आप ध्यान दीजिये। इतना ही कहते हुए, आपने मुझे समय दिया, अध्यक्ष महोदय, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय खेत सिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज जिन दो डिमाण्ड्स पर माननीय सदस्य सवेरे से अभी तक बोल रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : कौनसी डिमाण्ड है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मांग संख्या 30 और 33। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से बैठा-बैठा यह विचार कर रहा था कि सन् 1977 तक कांग्रेस के साथ सारे कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग थे, एक-दो बाबा साहेब, बाला सहाय कि क्या है, वह आपके प्रतापगढ़ से जरूर जीत कर आ गये थे बाकी कोई इनके साथ नहीं था।

श्री अध्यक्ष : बाबा बालेश्वर दयालजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बालेश्वरजी। बालेश्वरजी की वजह से एक-दो इनके साथ में थे। इस दल के साथ में कोई हरिजन या किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का नाम नहीं था और यह लोग उन दिनों में बड़े रामभक्त थे। अब ज्यों ही इनके हाथ में राज आया है उसके बाद में इनमें इतना परिवर्तन आया है, अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने जितने रंग बदले हैं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। यह पहले तो जनसंघी कहलाते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में गये और साथ में वह राम को तो अलग रख दिया अब आजकल तो कास्ट्स और ट्राइब्स भक्त बने हुए हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : + + +

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, + + +, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। और इतना है, अध्यक्ष महोदय, यह जितनी भी योजनाएं अभी बता रहे थे बुडानियाजी, यह सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं। इन्होंने कौनसी एक नयी योजना बनायी है जिससे कि खास तौर से ट्राइब्स और कास्ट्स को कोई प्रिफरेन्स दिया हो या कोई और ऐसी योजना बना करके इनके सामने रखी हो। यह तो कांग्रेस की योजनाएं थीं। या तो हमारी कोई गलतियां रही हैं या हमारी कुछ नाकाबलियत रही है कि आज काफी बड़ी तादाद में यह भाई आपके साथ में आकर बैठ गये हैं। बाकी हकीकत तो यह है कि यह गांधीजी का प्रताप था। गांधीजी को

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भी यह नहीं मानते थे। सन् 1977 में पहली दफा जब यह राजघाट गये और उसके बाद शपथ ली उसके बाद में गांधीजी को पकड़ना शुरू किया और अब तो गांधी भक्त यह हो गये और हमको तो कहते हैं कि गांधी से आपका क्या लेना-देना है। इतना वक्त बदला है, अध्यक्ष महोदय, कि राज आते ही आजकल मुसलमानों पर कड़ा फेरने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हें भी अपना भाई बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हकीकत यह रह गयी है कि कांग्रेस की जितनी पालिसीज थीं और कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनीफेस्टो था, कांग्रेस की जितनी नीतियां थीं वह सारी की सारी धीरे-धीरे इन्होंने अपना ली और इनकी जो असली शकल थी वह शकल इन्होंने बदल दी है। अब इनकी सही शकल ही नहीं रही। वह पुरानी बातें कि हम इनको मन्दिर में नहीं जाने देंगे, हम तो राम भक्त हैं, मन्दिर आपके लिए नहीं हैं ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : खेतसिंह जी, आप यह इधर आने की भूमिका बना रहे हैं क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इधर तो काहे को आऊं ? तो आपने हमारी सारी नीतियां, हमारे सारे प्रोग्राम्स, हमारे सारे कार्यक्रम अपना लिए हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि (व्यवधान) ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आना ही पड़ेगा, आ जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान संस्था कांग्रेस के अन्दर मर्ज हो जावे, यह मौका देख रहे हो, और क्या है।

अन्त में मैं आप से दो ही निवेदन करना चाहता हूं, मुझे मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में दो बात आपसे कहनी थी। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है जहां ज्यादा पापूलेशन है वहां ज्यादा काम होना चाहिये। हम भी इस बात को मानते हैं कि जहां पर आदिवासी ज्यादा रहते हैं उनके लिए ज्यादा काम होगा, वहां आप होस्टल भी खोलेंगे, उनको ज्यादा प्रिफरेन्स देंगे लेकिन डेजर्ट के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है शिड्यूल्ड कास्ट्स की, ट्राइब्स तो कम हैं पर 18 पर्सेण्ट, 19 पर्सेण्ट इवन 20 पर्सेण्ट तक कास्ट्स के लोग डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर खास तौर से बाड़मेर, जोधपुर, और जालौर में रह रहे हैं, उधर आप कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। न तो कोई नया बोर्डिंग खोल रहे हैं, न वहां पर आप उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं, न आपने उनके बारे में कभी सोचा है। इसलिए मैं खास तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि बजट का एलोकेशन करते वक्त उनकी पापूलेशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको उनको भी प्रिफरेन्स देना चाहिये। अगर वह करोगे तो फिर हमारी जगह वह आ जायेंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हम आखिर में कांग्रेसी हैं और हमेशा हमने यही सोचा है कि जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं इनका उत्थान होना चाहिये और सवर्णों के बराबर इनकी हैसियत बननी चाहिये। कांग्रेस ने जिंदगी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भर यही कार्य किया है। आपने सम्भाला है, अच्छा है, अगर आप इस कार्य को पूरा करेंगे तो हमको तो खुशी ही होगी लेकिन एलोकेशन में आप यह पूरा ध्यान रखिये कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको यह एलोकेशन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सजेशन है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया बाकी ?

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें इतना टाइम लग गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो आदमी साढ़े नौ बजे तक बैठा है वह अकारण तो नहीं बैठा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, जवाब आ रहा है अब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सजेशन दूंगा, कोई फालतू बात नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सुबह से अब तक जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें एक बात जो मुख्य रूप से उभरकर आयी है वह यह है कि बजट जो कुछ भी इनको एलोकेट हुआ, उसका वहां पर पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। यह सब माननीय विधायकों की तरफ से एक विशेष मुद्दा रहा। मेरा इस मामले में आपका एक सुझाव है कि जिस तरह 30 जिला 30 काम, और निर्बन्ध राशि का विधायकों के माध्यम से जो उपयोग होता है उसी तरह से सम्बन्धित विधायक की कांस्टीट्यूएंसी में उस योजना के माध्यम से जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसकी इस विभाग की तरफ से विधायक को पहले से सूचना हो और यदि एम. एल. ए. की राय से यह कार्य करवाया जायेगा तो, मैं समझता हूं, एम. एल. ए. की अपनी निजी जिम्मेदारी होगी और वह एम. एल. ए. उस काम को करवाने के लिए बार-बार उन अधिकारियों के पास चक्कर लगा कर उस काम की क्रियान्विति करवा लेगा। इसलिए मेरा आपको यह एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है बिराजें आप। वाकई अच्छा सुझाव है। बिराजिये।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये जो चर्चा हुई है उसमें 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा 71 कट मोशंस मेरे को प्राप्त हुए हैं। चर्चा बहुत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई है और बहुत अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं। सारी चर्चा से लग रहा था कि सारे माननीय सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, निराश्रित, पराश्रित, अपंग, महिलाएं, इन सब के कल्याण के लिये चिंतित हैं। होना भी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि जब

(श्री मदन दिलावर)

मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने हैं तब से दरिद्रनारायण को आराध्यदेव मानकर हम गरीब की सेवा करने के लिये संकल्पबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग का कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है। अनुसूचित जाति, जनजाति का कल्याण, उनका शैक्षिक स्तर सुधारने की बात हो, उनका आर्थिक विकास करने की बात हो, चाहे फिर वह नशामुक्ति से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे बाल कल्याण सुधार की बात हो, सारे के सारे विषयों को समाज कल्याण विभाग छूता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिये समाज कल्याण विभाग 2 बड़ी योजनायें चला रहा है जिनमें मुख्य रूप से है छात्रावास और छात्रवृत्ति। लगभग 602 छात्रावास राजस्थान भर के लगभग सभी जिलों में चल रहे हैं। 21,000 विद्यार्थी छात्रावास सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने छात्रावासों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है वह वास्तव में चिंता का विषय था। मैंने भी जब इस विभाग को संभाला, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के बारे में मुझे बड़ी चिंता थी और वह चिंता इसलिये थी क्योंकि मैं स्वयं समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में पढ़ा हूं और उस समय बच्चों के साथ जो ज्यादतियां होती थीं, उनका मैं भी भुगतभोगी हूं। मैंने काफी घूम-फिरकर देखा। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे छात्रावास एक जैसे हैं, बहुत सारे छात्रावासों की स्थिति बहुत बढ़िया थी। हां, उनमें से कुछ छात्रावासों की स्थिति खराब थी। तब से मैंने प्रयत्न किया, विचार किया कि छात्रावासों की स्थिति को सुधारा जाय। इसलिये सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि इनको सुधारने के लिये छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा। जब से समाज कल्याण विभाग बना है, छात्रावास की कल्पना सरकार की रही है तब से आज तक छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, विचार ही नहीं किया गया कि किस प्रकार से छात्रावासों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाये और छात्रावासों को चलाने का उद्देश्य क्या है, यह भी छात्रावास अधीक्षक को पता नहीं था। तो मैंने छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण करवाया और उस प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि यह छात्रावास मात्र भोजन करने के अड्डे नहीं हैं। इन छात्रावासों के माध्यम से बालकों को संस्कार भी मिलने चाहिए और यह संस्कार केन्द्र के रूप में परिवर्तित होने चाहिए। सारे अधिकारियों के साथ बैठकर मैंने दैनिक दिनचर्या तय की और वह दैनिक दिनचर्या इस प्रकार की थी कि उसमें संस्कार मिले। हमने यह भी तय किया छात्रावासों में, कि सुबह जब दिनचर्या प्रारम्भ हो तो वन्दे मातरम् से प्रारम्भ हो और जब दिन विसर्जन हो,.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को वन्दे मातरम् बोलने से आपत्ति दिखायी दे रही है। दिन विसर्जन यानि रात्रि विश्राम जब बालक का हो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाथ खींच लो, वह तो पहले निपटने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तब वह राष्ट्रगीत से हो। इस प्रकार से हमने देश-भक्ति गीत, किस प्रकार से नैतिक शिक्षा की बात वहां कही जाय, इस सबका विचार करके हमने इस प्रकार का एक प्रशिक्षण दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। आप प्रजेन्स आफ माइण्ड रखेंगे तो सब समझ में आ जायेगा।

श्री मदन दिलावर : इन छात्रावासों में हमने शिक्षण से स्वावलम्बन योजना भी चलायी है। शिक्षण से स्वावलम्बन योजना का तात्पर्य है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहां मिले....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी छह घण्टे बात सुनी है, पांच मिनट इनकी भी सुन लीजिए। बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन दिलावर : मुद्दा यह है, आप सुनते जाइये, व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले, यह व्यवस्था वहां की है। बालक को अपना ट्रेड, किस ट्रेड में उसको अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना है, उस छात्रावास के बालक चुनते हैं, चाहे वह टाइप सीखना हो, चाहे उसको केनिंग सीखना हो। किसी भी प्रकार का व्यवसाय उन बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है और वह बच्चे जिस प्रकार का व्यवसाय चुनते हैं, उसकी ट्रेनिंग वहां दी जाती है।.. (व्यवधान)

केवल 163 छात्रावासों में, 602 में से, मैं बताना चाह रहा हूं, केवल 163 छात्रावासों के लिये सरकारी भवन थे और उसके कारण से किराये के भवनों में छात्रावास चल रहे थे, वह काफी जीर्ण-शीर्ण थे। छात्रावास मालिकों द्वारा मरम्मत व रख-रखाव नहीं करने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गयी थी। पिछली बार हमने 51 छात्रावासों का लगभग पौने आठ करोड़ की लागत से निर्माण प्रारम्भ करवाया है या वे निर्माणाधीन हैं। इस बार भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 63 छात्रावासों का हम निर्माण कराने जा रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि चरणबद्ध तरीके से कुछ वर्षों में सभी छात्रावासों को हम भवन उपलब्ध करवा देंगे (व्यवधान)

खेलकूद की, छात्रावासों में बच्चों के लिए खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, उनकी प्रतिभा उभरकर के आगे आये, प्रतिभावान बालक वहां से निकले खेलकूद में, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार बजट में दो लाख रुपये का प्रावधान किया है ताकि उनका कम्पीटिशन कराया जा सके जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और टूर्नामेंट के माध्यम से प्रतिभायें निखर कर आयें, ऐसी व्यवस्था भी समाज कल्याण के छात्रावासों में की गयी है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में बता चुके हैं कि जो मैस भत्ता एक बालक के ऊपर 250 रुपये महीने खर्च किया जाता था उसको 350 कर दिया है।...

श्री परसादीलाल मीणा : वह हो गयी बात।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये बता रहा हूं कि 170 रुपये से 250 रुपये भी माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने ही किये थे। माननीय सदस्य, जो आगे बैठे हैं, उनको तो कोई चिन्ता ही नहीं थी। मैं इसलिये कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी छात्रावासों के बारे में चिन्ता की गयी है, यह हमने की है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, छात्रावास के आटे में कीड़े निकलते हैं, आये दिन अखबारों में भी यह बात छपती है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के लिये बताना चाह रहा हूं। हमने अनुपयोगी सामान को बदलने का प्रयास किया है और पचास पर्सेण्ट से ज्यादा छात्रावासों का अनुपयोगी सामान जो बहुत पुराना हो गया था, उसको बदल दिया गया है। लगभग 15 लाख रुपये लगाकर हमने कुछ छात्रावासों की मरम्मत की है। छात्रावासों में जहां गैस उपलब्ध हो सकती थी, ऐसे सभी छात्रावासों में हमने गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये हैं ताकि छात्रावास काले नहीं हो, एवं गंदगी नहीं हो। इस बार हमने 92 लाख रुपये का प्रावधान किया है जिसमें अनुपयोगी सामान....(व्यवधान)....माननीय सदस्य, सुनें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। अब आप लिखकर दे दें माननीय।

श्री मदन दिलावर : इस बार हमने 92 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसमें गैस कनेक्शंस दिलायेंगे, हम भवनों की मरम्मत करायेंगे और उसी के अन्तर्गत अनुपयोगी सामान जैसे—गद्दा है, रजाई है, तकिया है, चादर है, यह सारा का सारा सामान जो अनुपयोगी हो गया है, हम उसको बदलेंगे। तो यह बहुत सारा काम इसमें हुआ है।

इसी प्रकार दूसरी गतिविधि जो मैंने बतायी थी, छात्रवृत्ति, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 करोड़ रुपये के लगभग छात्रवृत्ति 1993-94 में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी थी एवं 1995-96 में 18 करोड़ के लगभग छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी है। इस बार भी सभी अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास अच्छे चलें और छात्रावास अधीक्षक को प्रोत्साहित किया जाय, इसलिये अब की बार हमने यह प्रावधान किया है कि जो सर्वश्रेष्ठ छात्रावास अधीक्षक होगा जिला स्तर पर, उसको सम्मानित किया जायेगा। जो प्रदेश पर सर्वश्रेष्ठ छात्रावास अधीक्षक आयेगा, उसको सम्मानित किया जायेगा और एक मैडल दिया जायेगा। इसी प्रकार से जो जिले में सबसे ज्यादा अंक पाकर छात्र उत्तीर्ण होगा, उसको सम्मानित किया जायेगा। प्रदेश स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ अच्छे छात्र अंक लेकर आयेगा, उसको सम्मानित किया जायेगा और मैडल दिया जायेगा।

(श्री मदन दिलावर)

मैंने छात्रावासों के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से एक विकलांग कल्याण कार्यक्रम, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है इस समाज कल्याण विभाग का, यह इसके माध्यम से चलता है। मैं आपको जानकारी के लिये बता रहा हूं कि पहले इस विकलांग कल्याण में बजट का प्रावधान 10 लाख रुपये होता था, 15 लाख रुपये होता था, 20 लाख रुपये होता था लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार 65 लाख रुपये का प्रावधान किया और अब की बार एक करोड़ पांच लाख रुपये का प्रावधान किया है। हमने ऐसा प्रयत्न किया है .. (व्यवधान) एक करोड़ पांच लाख का ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बजट के प्रोविजन की बात हो रही है।

श्री मदन दिलावर : एक करोड़ पांच लाख रुपये का प्रावधान किया है। हमने यह भी प्रयत्न किया है कि जो हमारा विकलांग बन्धु था, वह ...

श्री परसादीलाल मीणा : कोई नयी बात बताओ आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नयी बात नहीं बतायी ? यह घोषणा नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता। कोई रुपये के लालच में विकलांग न हो जाय, मुझे इसकी चिन्ता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मेन्टली विकलांग हो जायेंगे, उनको भी पैसे मिलेंगे (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग लोगों को हर कार्यालय के चक्कर (व्यवधान) ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रतिभा खोजने का काम तो आपको नहीं करना पड़ेगा।.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, इसलिए अबकी बार हमने प्रत्येक विकलांग को परिचय पत्र देने का कार्यक्रम बनाया है जो फोटो सहित होगा . (व्यवधान) सुन लो आप, आपके काम की बात है। उस परिचय पत्र में आपकी फोटो होगी, विकलांग प्रमाण पत्र होगा, उसका मूल निवास प्रमाण-पत्र होगा, उसकी आय का प्रमाण पत्र होगा। वह आइडेंटिटी कार्ड मिलने के बाद, उस आइडेन्टिटी कार्ड की फोटो-स्टेट और साधारण दरख्वास्त देने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ वह ले सकेगा। उसको बार-बार विकलांगता का प्रमाण-पत्र लाने की आवश्यकता नहीं, बार-बार उसको इन्कम बताने की आवश्यकता नहीं, एक बार में सारा काम कर देंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय जिस योजना का उसने लाभ ले लिया, उसके लिए हमने पास-बुक टाइप तीन-चार पेपर उसके साथ लगाये हैं ताकि जिस योजना का लाभ मिल जायेगा उसकी एण्ट्री उसमें कर दी जायेगी। इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर हमने कैम्प लगाकर के परिचय पत्र देने का कार्यक्रम बना

(श्री मदन दिलावर)

लिया है, जो हम 15 अगस्त से प्रारम्भ करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने छात्रवृत्ति में किया है। आज तक होता क्या था कि कक्षा एक में जो बालक पढ़ेगा, छात्रवृत्ति लेगा, पिताजी का नाम बताओ, जाति बताओ, इन्कम बताओ, सारा का सारा उससे पूछते। फिर कक्षा दो में भी पूछते और फिर कक्षा तीन में भी पूछते। हमने अबकी बार इससे पिण्ड छुड़ा लिया है। जिस विद्यालय में वह अध्ययन कर रहा है उसकी प्रथम क्लास में उसको अपना आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन के आधार पर उसको चाहे दसवीं क्लास तक स्कूल हो, दसवीं क्लास तक छात्रवृत्ति अपने आप मिलती चली जायेगी, उसको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से हमने विकलांग छात्रवृत्ति में भी कर दिया है। इसी प्रकार से हमने स्वच्छकार छात्रवृत्ति में भी कर दिया है। सभी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए हमने इस प्रकार का कर दिया है ताकि अब सबको सुविधा हो जायेगी और सरकार का भी अनावश्यक खर्चा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो विकलांग कल्याण की बात कर रहा था, उसके लिए एक करोड़ पांच लाख का जो प्रावधान किया, वह तो है ही, इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के बाहर और संस्थाएं हैं जैसे एलिनको है कानपुर में, हमने उनसे भी बात की है। वे भी काफी एड देने को तैयार है और, जहां तक मुझे आशा है, लगभग डेढ़ दो करोड़ रुपये के उपकरण हमें उपलब्ध करवायेंगे ताकि हम उन उपकरणों को बांट सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि हम जिलेवाइज ले रहे हैं कि एक भी विकलांग जिस जिले को हम लें उसमें बचे नहीं, हमारी कोशिश यह है। बच सकता है, परन्तु हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि एक भी विकलांग बिना राहत के बचे नहीं और प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को हम राहत प्रदान कर दें। इस प्रकार का कार्यक्रम हम बांसवाड़ा में कर चुके हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम हम भरतपुर में कर चुके हैं। कुछ रह गये होंगे, मैं यह नहीं कहता, उनको भी जब वह आयेंगे या हम पुनः कैम्प लगाकर के शेष रहे लोगों को लाभान्वित कर देंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम अब 20, 21, 22, 23 मई को जोधपुर में होने वाला है। जोधपुर में इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं, बारां में भी इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं। दो पंचायत समितियों में हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेरगढ़ में भी चला रहे हो या नहीं ?

श्री मदन दिलावर : शेरगढ़ में भी ले लेंगे, खेतसिंह जी को भी ले लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एरिया की कहो, खेतसिंह जी को कहां विकलांगों में ले रहे हो।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंह जी के एरिया को, एरिया का मतलब है इनका।

262

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण सेवाओं में है। कई विकलांग लोग मिलते हैं कि हमारा कोटा पूरा नहीं किया गया। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोटा पूरा नहीं किया गया हो लेकिन इस बार हमारी कार्मिक विभाग से बात-चीत हुई है और हमारा प्रयत्न है कि इस बार हम कोई भी तिथि तय करके जो शेष कोटा बचा हो विशेष अभियान चलाकर के उनको भरें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पारीक साहब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ...

श्री मदन दिलावर : इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, विकलांगों में दृष्टिबाधित के लिए हमारे पास ट्रेन्ड शिक्षक नहीं हैं। हम इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण देंगे, 14 लोगों को तो हम ट्रेन्ड कर रहे हैं, और भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेंगे बाधित लोगों को पढ़ाने के लिए, ट्रेन्ड करने के लिए ताकि वह लोग ऐसे लोगों को पढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो बेरोजगारी भत्ता और छात्रावास की बात कर दो।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का सुनने का मूड नहीं लगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिड्यूल्ड कास्ट की चर्चा हो रही है, उसको आप सुनना नहीं चाहते ?... (व्यवधान).... सुनिये फिर, चुपचाप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह बता दीजिये कि लालू प्रसाद जी ने सारे मन्दिरों के अन्दर पुजारी शिड्यूल्ड कास्ट के रख दिये हैं, आपकी यहां राजस्थान के अन्दर जितने देवस्थान के और दूसरे मन्दिर हैं, उनके पुजारी शिड्यूल्ड कास्ट के रखने की औकात है कि नहीं, वह बात कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको पक्की जानकारी है क्या कि रख दिये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम उनसे मिलकर तो आये नहीं, हमने तो अखबारों में पढ़ा है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यहां निगम के बारे में बहुत चर्चा हुई है और यहां माननीय सदस्यों के द्वारा यह भी कहा गया है कि जितना पैसा केन्द्र से भेजा जाता है या जितनी राशि का अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए प्रावधान किया जाता है, वह खर्च नहीं होती। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि 42 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार काम करने के लिए माइनस में हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। इस बार हमने 37 करोड़ रुपया खर्च किया है, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर हमने 24 करोड़ रुपया खर्च किया है तथा शेष पैसा सम्बल गांव में पानी के लिए खर्च किया है, उनकी आधारभूत सुविधाओं के लिए खर्च किया है। इस प्रकार से 37 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है और आज यदि हम काम करना चाहें तो हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन पता नहीं किसने

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सदस्य को फीड किया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के लिए, जैसे मैं बता रहा था, 84 हजार लोगों को इस साल हमने लाभ दिया है जो कि रिकार्ड है। एक जानकारी के लिए और बता रहा हूं, पिछली बार विधान सभा में इसकी काफी चर्चा हुई थी और यह बताया गया था, मैंने भी जवाब दिया था तो यही था कि प्रशासनिक खर्च 15 प्रतिशत आता है, अबकी बार इस प्रशासनिक खर्च को घटाकर 4.03 रुपया कर दिया है। यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार प्रति व्यक्ति अनुदान 1920 रुपये पड़ता था, अबकी बार 2910 रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान पड़ा है। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा, यह नहीं हो रहा, अनुसूचित जाति के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति का विकास करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार की बात कहकर के आप गलत मैसेज न दें। इसके कारण से क्या होगा ...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : इस चीज को छांट के भौतिक सत्यापन करवा लीजिये, विधान सभा के सदस्यों के साथ करवा लीजिये कि वहां पहुच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद आप इस तरह की बात कहें। यह सुझाव दिया है कि वास्तव में नहीं पहुंच रहा है तो आपको इस बात को मानना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान तो लेंगे लेकिन आपने यह बात जांच करके कही है क्या ?

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, जांच करके कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां किस जगह की जांच की ?... (व्यवधान) आपने जो बात कही है, मैं मानता हूं, कि विधायकों को लेकर जांच करें। लेकिन आप ऐसे बोल रहे थे कि जैसे आपने जांच करके कही है और यह बिना जांच के ही बोल रहे हैं। यह नहीं है, इस बात को मैं भी मन्जूर करता हूं कि हर क्षेत्र में विधायकों को साथ लेकर जांच की जानी चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी को बात पूरी करने दें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब भी गवर्नर कौन्सिल की मीटिंग होती है, उसमें यह बात बार-बार उठती है कि जो पिछली सैंक्शन्स निकली हुई हैं, उन पर कार्य नहीं होता है। एम. एल. ए. वहां मौजूद होते हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्हें कम्पलीट करने दें आप। बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये एस. टी. सी. में हमने 652 लोगों को इस बार ट्रेन्ड किया है स्पेशल अनुसूचित जाति के अभियान चलाकर इसमें अलग से, जो

264

(श्री मदन दिलावर)

एस. टी. सी. रेगूलर चल रही है वह अलग है। इसी प्रकार बी. एड. के लिये हमने लगभग तीन सौ लोगों को किया है। यह पहले चलता था, बीच में बंद हो गया था, मेरे आने के बाद वापस मैंने पुनः उसको चालू करवाया है। इसी प्रकार से कई और नयी योजनाएं ली हैं। ब्यूटी पार्लर का काम भी नया स्टार्ट करवाया है। कम्प्यूटर कोर्स भी पहले से हो रहा है। इस प्रकार अनेक योजनाएं हम करवा रहे हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : ब्यूटी पार्लर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुन्दर लालजी के लिये, खेतसिंह जी के लिये।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई आदमियों की शक्ल ऐसी है कि ब्यूटी पार्लर में भी चले जाओ तो भी सुन्दर होते ही नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण देंगे, प्रबंधकीय प्रशिक्षण देंगे और जैसे मैंने बताया, ब्यूटी पार्लर का भी प्रशिक्षण देंगे। यह इस प्रकार की और हमारी नयी योजनाएं हैं।

झालावाड़ जिले के लिये भी कहा गया था कि यहां कोई काम नहीं हुआ। पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि झालावाड़ में कोई काम नहीं हुआ। माननीय सदस्य को मैं बताना चाह रहा हूं कि 90 लोगों को हमने शिल्प शाला दी, 330 लोगों को सामूहिक पम्प सैट उपलब्ध करवाया, 30 ग्रामीण दुकानें उपलब्ध करवायी। 123 लोगों को पोप योजना में हमने लोन दिया, शहर में चल रही पोप योजना में 40 लोगों को लोन दिलाया, 132 लोगों को हमने स्काइट में प्रशिक्षण दिया, चार आटो रिक्शा दिये। इस प्रकार से पैकेज आफ प्रोग्राम....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोप योजना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, पोप योजना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोप योजना है कि पोपा बाई योजना है।

श्री मदन दिलावर : मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला विकास की बात आती है। लोग चर्चा तो बहुत करते हैं कि महिला विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से हमने इस पर ध्यान दिया है। इस बार, आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं, पहली बार 25 लड़कियों की शादी, हुई जो महिला सदन में थीं या जिन नवजात शिशुओं को बालिका सदन में छोड़ जाते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा किया, जो 18 वर्ष से बड़ी हो गयी हैं, या जो संकटग्रस्त महिला महिला सदन में आयी थीं और जिन्होंने अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी, उनके लिए योग्य वर ढूंढकर मैंने 25 लड़कियों की शादी की है। 21 लड़कियों की तो मैंने सामूहिक रूप से की है और मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया था कन्यादान के लिए

(श्री मदन दिलावर)

लेकिन एक भी नहीं आया, यह आश्चर्य की बात है, इनको चाहिए था और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई इन्वीटेशन प्राप्त नहीं हुआ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, शंकर लाल जी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अब मैं एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में यहां बातचीत की गयी और ऐसा कहा गया है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे लिए लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से कहा कि कैसा + + + बैठा दिया है और क्या क्या, मैं उन शब्दों का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता हूं और ठीक भी नहीं है। यह भी कहा है कि मंत्री के ऊपर रिश्वत के आरोप लगे हैं और मंत्री रिश्वत में लिप्त है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : इस्तगासा है आपके खिलाफ तो, सी. आई. डी. जांच कर रही है, अभी आप उसको प्रभावित करने में लगे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने बयान नहीं दिये....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपने कोई बात कही है, उसका उत्तर दे रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने जो बात कही है, वह प्रमाणित कही है।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई बात कही है, उसका उत्तर दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी की बात सुनें। वैसे ही रात के 10.00 बज रहे हैं और दूसरी डिमाण्ड भी पास करानी है, दूसरी पर विचार कर रहे हैं... बिराजिये आप... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा टोलरेंस भी रखें। दूसरों की बात को सुनने की हमारी भी क्षमता होनी चाहिए। बार-बार क्यों ऊचक रहे हैं इस तरह से ?

श्री मदन दिलावर : जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही है, अखबार के माध्यम से, अखबार में पढ़कर ही इन्होंने कही है कि....

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री मदन दिलावर : मैं रिश्वत में लिप्त हूं। निश्चित रूप से इन्होंने अखबार में

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

पढ़कर कहा होगा। एक दो अखबार में इस प्रकार की बात छपी है.... (व्यवधान) थोड़ा भगवान के नाम पर सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा और कुछ वहां के प्रताड़ित लोगों के द्वारा मुझे शिकायत मिली कि उदयपुर अनुसूचित जाति जनजाति निगम में दो सौ फाइलें लगायी हैं और उन दो सौ फाइलों में एक व्यक्ति ने, जिसका नाम नारायण लाल सहगल है, उस व्यक्ति ने या उसके माध्यम से सारी की सारी फाइलें लगायी और यह कहा गया कि पांच हजार रुपये से बीस हजार रुपये तक की रिश्वत ली है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री चुन्नीलाल गरासिया : × × ×

श्री रामनारायण (नैनवां) : × × × (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें .. (व्यवधान) आप बिराजिये।

(22.00)

(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री किशनगोपाल कोगटा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री चुन्नीलाल गरासिया × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं, जब उसको अरेस्ट किया.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : × × ×

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पत्नी और उसका बेटा.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय परसादीलालजी से कहना चाहता हूं.. (व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परसादीलालजी से कहना चाहता हूं.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय परसादीलालजी से कहना चाहता हूं, यह अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बना लें, यह जांच कर लें और यदि यह खुद जांच में प्रूव करते हैं कि मैंने रिश्वत खायी है तो मैं इस सदन से ही नहीं इस दुनिया से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यदि दम है तो.... (व्यवधान) इनको मैं छूट देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं फैक्ट बता रहा हूं, अब मैं फैक्ट्स पर आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 30 हजार रुपये का चैक है, देखिये, यह 30 हजार रुपये का चैक है। यह चैक कैसे आया, उसकी पत्नी, उसका बेटा, जिसका नाम बसंत है, उसको अरेस्ट करते ही भागे और फरियादी के आगे रोये-बिलखे, नौकरी का सवाल है भूखे मर जायेंगे।.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चैक से 30 हजार रुपये ली हुई रिश्वत वापस दी है। यह नारायणलाल के हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वहां दोनों मिलकर फरियादी के पास जाकर रोये, उनकी पत्नी भी रोयी तो उन्होंने यह कहा कि समझौता कर लेते है। आप पुलिस में यह लिख कर दे दें कि हमारा कोई लेन-देन नहीं है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : उन्होंने थाने में ही चैक पर हस्ताक्षर करके चैक दे दिया 30 हजार रुपये का और फरियादी ने यह लिखा है, इनके भी हस्ताक्षर हैं, यह लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस धारा में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस आरोप के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था, उस आरोप के तहत इन्होंने मेरे को यह पैसा रिटर्न कर दिया है, इसलिए मेरा कोई लेन-देन नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अदालत में गया, उसकी अदालत से जमानत हुई वहां भी फरियादी ने जो लिखा है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं-सेवा में, श्रीमान अपर मुख्य न्यायाधीश.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा में, श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्बर-3, उदयपुर, राजस्थान सरकार बनाम नारायणलाल पिता चतुर्भुज, मुकदमा नम्बर 156/94 जुर्म धारा 420 आई. पी. सी., उपरोक्त मुकदमे में मुझे फरियादी मुरलीधर वर्मा पिता श्री देवीलाल वर्मा निवासी अम्बा माता, उदयपुर की ओर से निम्न निवेदन है... (व्यवधान) यह कि उक्त मुकदमे में मेरे द्वारा थाने में रजामन्दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : मेरे से कोई लेन-देन बकाया नहीं है, मैंने चैक प्राप्त कर लिया है और कोई चैक नहीं रहा है, आपस में समझौता कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायाधीश ने इस मुकदमे को बन्द करते हुए यह हवाला दिया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह रिप्लाई यहां देने की क्या जरूरत है ? ख्वामख्वाह इसको पढ़ रहे हो।

श्री मदन दिलावर : इसमें जो जुर्म किया है, उसमें इन्होंने कबूल किया है और रिश्वत वापस हो गई है, फरियादी ने भी कहा है कि इसको बंद कर दिया जाये, इसलिये इसको बंद किया जाता है।

अब जानकारी के लिए और बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति को 1969 में, कोटा के मजिस्ट्रेट ने 2 महीने की सजा दी, यह जेल में रहा, दो महीने तक जेल में रहा और दो सौ रुपये जुर्माना दिया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक महिला छेड़ने के आरोप में मुलाकात कैसे हुई, यह बताइये। मुलाकात कैसे हुई ? आपने कह करके बुलवाया उसको।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी तक 5 बार निलम्बित हुआ है, ए. सी. डी. में इसके केस चल रहे हैं, 5 बार अभी तक इसकी कोई भी जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मुख्य मंत्रीजी, यह कोई डिमांड की रिप्लाई नहीं है। इसको खतम कीजिये।

श्री मदन दिलावर : यदि मैंने रिश्वत ली है तो यह....(व्यवधान) जांच हुई है ... (व्यवधान)....

श्री किशनगोपाल कोगटा : जिस आदमी के साथ यह भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच हो, इनका कितना सम्बन्ध कब से हैं, इसकी पूरी जांच की जाये।

श्री मदन दिलावर : यह जांच रिपोर्ट आ गयी है।

श्री किशनगोपाल कोगटा : जो सदस्य बोल रहे हैं, इनके क्या सम्बन्ध हैं, इसकी जांच करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं जांच की मांग करता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह कोई रिप्लाई हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, ऐसी लचर रिप्लाई कभी नहीं हुई (व्यवधान) ...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट आ गयी है और जांच में इसको दोषी पाया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जांच कराने की मांग वह ठीक कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की रिप्लाई के बाद मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इस केस के सम्बन्ध में नहीं, मैं तो डिमांड के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहूंगा। क्या रिप्लाई हो रही है? शोर्ट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप क्या बोले जो उसकी रिप्लाई दें ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सदन में उनको प्रशिक्षित करने के लिए ममता किट बनवाने की हमने योजना बनाई है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : जांच के लिए सबने, आपकी खुद की पार्टी के मैम्बर ने कहा कि इसकी जांच करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस अपराधी से इनका सम्बन्ध क्यों है, इसके लिए ... (व्यवधान) ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो भी जांच हो जाये। .. (व्यवधान) ...

श्री किशनगोपाल कोगटा : क्या सम्बन्ध है, यह जांच बहुत जरूरी है। ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : शांत रहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हमने अखबार में पढ़ा है। अगर मंत्री ने उसका खंडन किया है, मुख्य मंत्रीजी, इसका हमको कोई पता नहीं, हमने अखबारों में पढ़ा है केवल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर बात को आप जानते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने कहा है, मंत्रीजी के खिलाफ कई चार्जेज लगाये हैं। आज ही नहीं, पहले भी लगाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो इन्होंने सफाई दे दी सारी। आप इस बात का फैसला नहीं लेंगे ? आपने चार्ज लगाये, इन्होंने उस समय सुने। इस असेम्बली में किसी पर चार्ज लगाया जाए तो उसका भी अधिकार है कि वह अपना स्पष्टीकरण करे अब स्पष्टीकरण किया। स्पष्टीकरण करने के बाद जब दूसरे विधायकों ने मांग की कि जिस अपराधी का जिक्र इन्होंने किया, जिसको सजा मिली, जिस पर जुर्माना हुआ, उसका इन लोगों से एसोशियेशन किस प्रकार से बना है, इसकी जांच की जाये.... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : मंत्रीजी से उसकी पहचान कैसे हुई ?

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी,... (व्यवधान)... इन सब तथ्यों की जांच होनी चाहिए, इनसे क्यों

(श्री परसादीलाल मीणा)

मिले, कैसे जानकारी हुई, इनसे कब-कब मिले, कब मिलते रहे, जांच करनी चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप फायदे में रहोगे साहब, जांच करवा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पूरे चैप्टर की जांच होगी तो फायदा ही होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, फायदा ही होगा। एक से तो पीछा छूटेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए। पीछा तो जांच के बाद में किससे छूटेगा, मैं आज के दिन नहीं कह सकता। मैं समझता हूं, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाये, आरोपों का उत्तर सुनने का साहस भी आप में होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर वह नहीं है तो आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आरोप वही लगा सकता है जो आरोप का उत्तर सुन सके। इन्होंने आरोप बिलकुल स्पष्ट कर दिये। अब आपके पास और कोई मैटीरियल हो, इसके अलावा, जो कुछ आपने कहा वह सिर्फ अखबारों के आधार पर कहा, इन्होंने रिकार्ड के आधार पर उसका खंडन किया। किस बात का भरोसा किया जाये ? अखबार का किया जाये या अदालती रिकार्ड का किया जाये ? इसलिए मैं कहता हूं.... (व्यवधान) .. आप ठहर जाइये, जोश में मत आइये, आपके पास अगर तथ्य हो, और तथ्य हो तो बता दें, मैं आवश्यकता समझूंगा तो देख लूंगा। ...(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : आवश्यकता समझूंगा तो देख लूंगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता समझूंगा तो ही करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आप क्यों आवश्यकता समझेंगे ? आपके दामन पर, मुख्य मंत्रीजी, ऐसे लोगों को बचाने के दाग हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने से दाग नहीं लगने वाला है। मेरा दामन तो 50 वर्ष का है।

श्री परसादीलाल मीणा : लगेगा। राजस्थान की सारी जनता देखेगी। ऐसे लोगों को बचायेंगे तो आपके ऊपर भी अंगुली उठेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे दामन पर आपके कहने से दाग नहीं लगने वाला है। मेरा दामन ऐसा नहीं है, मेरा दामन 50 वर्ष का है और, माननीय सदस्य, किसी के दामन पर बात करो तो सावधानी से करो।

श्री परसादीलाल मीणा : हम आपकी नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत करो आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बचाओगे तो।

श्री मदन दिलावर : मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी मानसिक विमंदित संस्था के 10 बालक-बालिकाओं ने राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर सिकन्दराबाद में आयोजित विमंदित बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता में भाग

(श्री मदन दिलावर)

लिया एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किये। यह भी प्रसन्नता की बात है कि तीन बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किये हैं। हमारे ये बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। विकलांग कल्याण कार्यक्रम (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : उसका इलाज आप करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस इलाज का नहीं, मंद बुद्धि का जिक्र हो रहा है। यहां मंद बुद्धि के मामले में लोगों को समझाने के लिए आवश्यकता है कि मामलों को डिटेल्स में बताया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आपका घर है, मर्जी आवे तब करते जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा घर नहीं है, इन्होंने आवश्यकता बताई कि मंद बुद्धि के बच्चों को भी, आदमियों को भी हम पेंशन देंगे। (व्यवधान) ..

श्री हरिसिंह (महुआ) : इधर तो 11 हैं, उधर तो 100 बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी कहा है कि वह परिचय पत्र देंगें। अब अगर फोटो भी लगाने हैं, अब अगर सारी पूर्ति यहीं हो रही हो तो बाहर जाने की जरूरत क्या है ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : इन मंत्रीजी को दिला दो सबसे पहले परिचय पत्र।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग कल्याण कार्यक्रम में गैर शासकीय संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि इस वर्ष प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वैच्छिक संगठन का विकलांग कल्याण कार्यक्रम के लिए चयन किया जा सके। गत वर्ष के दौरान गंगानगर में हमने स्वयंसेवी संस्था को ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए भी 20 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है और इस प्रेस ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में चर्चा की, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसे सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

मांग संख्या 33 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या–33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,70,05,91,000/– (एक अरब सत्तर करोड़ पांच लाख इकरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री नन्दलालजी मीणा।

मांग संख्या 30 का पारण

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : अध्यक्ष महोदय,

(272)

(श्री नन्दलाल मीणा)

सर्वप्रथम मैं मांग संख्या-30 के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव के जरिये और अपने विचारों के जरिये जिन-जिन माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों के विकास के बारे में, जिनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास कैसे हो, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता के जरिये अब तक किस प्रकार विकास की गति उन्हें मिली है, इसका लेखा-जोखा मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे आदिवासियों के विकास के बारे में आजादी के बाद से ही राज्य सरकारों ने प्रयास किये। पहली पंचवर्षीय योजना से ही इस जनजाति विकास विभाग ने क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम बनाये, लम्बी-चौड़ी योजनाएं बनीं और इन योजनाओं का हिस्सा उन आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे, इसके लिए प्रयास किये गये। परन्तु मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो सहज भाव से माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के विकास में, आदिवासियों के विकास में राजनीति ने एक बहुत प्रभावी भूमिका अदा की है। आज बांसवाड़ा जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति को देख लें बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र को देख लें और बांसवाड़ा की बागीडोरा तहसील को देख लें, बांसवाड़ा में अन्य तहसीलों की तुलना में जो नाम मैंने आपके सामने इंगित किये हैं इन इलाकों में विकास की गति काफी धीमी रही है। यही हालत डूंगरपुर जिले की है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील अन्य तहसीलों के मुकाबले में आज भी काफी पिछड़ी हुई है। उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील को छोड़कर धरियावद से लेकर कोटड़ा तक का सारा इलाका विकास की दौड़ में उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सका है। आबूरोड सिरोही जिले का, इसी तरह प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों में विकास के नाम पर आज भी असमानता पाई जाती है। तो सहज भाव से सवाल उठता है कि आजादी के बाद से आज तक इन आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जिन-जिन लोगों ने अहम् भूमिका निभाई, उन्होंने अनबेलेन्स्ड डवलपमेंट की प्रक्रिया अपनाई और इसी का परिणाम है कि, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, यह इलाके आदिवासी योजना क्षेत्र के इलाकों के मुकाबले में पिछड़ते चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार, सन् 1975-76 में जिस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का जब निर्माण किया गया और उसके बाद लगातार यह योजनाएं बराबर इलाके में चलती रहीं विकास की, और इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, उदयपुर जिले के गोगुन्दा, बड़ गांव और सिरोही का पिंडवाड़ा ब्लाक, ये जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल किये जाये, भारत सरकार को इसके प्रस्ताव भेजे हैं ताकि इन इलाकों के आदिवासियों को जो वास्तव में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या में जिनको लाभ से वंचित किया जाता रहा है, उनको समुचित लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय....

श्री खेतसिंह राठौड़ : भारत सरकार किसकी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार उनकी है जिनके विरुद्ध आपकी पार्टी ने यहां से अविश्वास का प्रस्ताव भेजा है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी समझ में वह बात आई ही नहीं ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग राजस्थान में अन्य विभागों के साथ सामजस्य कायम कर जनजाति विकास के लिए राज्य मद का जो पैसा होता है, सम्बन्धित विभागों के माध्यम से उसको उप-योजना क्षेत्र में खर्च करता है । माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की कि इस वर्ष उप-योजना क्षेत्र के लिए विभिन्न विभागों को जो राज्य में से पैसा आवंटित किया गया था, उन पैसों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य मद से जो पैसा उप-योजना क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है, इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता भी जनजाति विकास विभाग के माध्यम से खर्च की जाती है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इसलिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि भारत सरकार से मिलने वाली सहायता फरवरी और मार्च के महीने में हमको प्राप्त होती है और बी. एफ. सी. के जरिये वित्त विभाग की सलाह के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हमें मिलती है इसलिए 31 मार्च तक वह पैसा खर्च नहीं हो सकता और जो माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि पैसा लेप्स हो गया तो भारत सरकार से आने वाला पैसा लेप्स नहीं होता है, वह पी. डी. अकाउंट में जमा होता है और आने वाले वित्तीय वर्ष में वह पैसा उसी हिसाब से खर्च में लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन आदिवासियों की मूल समस्या है । इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की ओर दृष्टिपात करना होगा । जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 1991 में 3.6 प्रतिशत वहां पर साक्षरता थी और 1981 में यह बढ़कर 10.27 प्रतिशत हो गयी और 1991 में यह जो साक्षरता का प्रतिशत था, 19.44 प्रतिशत ट्राइबल सबप्लान एरिया का हुआ परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं । आज भी आदिवासियों के योजना क्षेत्र में और राजस्थान में रहने वाली जनजातियों में बालिका शिक्षा का प्रतिशत 0.80 प्रतिशत है । एक प्रतिशत भी बालिकाएं शिक्षित नहीं हैं । भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार मुख्य मंत्री जी के निर्देशन पर बालिका शिक्षा के ऊपर आने वाले वित्तीय वर्ष में बहुत ज्यादा जोर देना चाहती है । उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा के साधन मुहय्या हों, विद्यालय में और छात्रावासों में व्यवस्था हो, इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था साक्षरता का प्रतिशत आदिवासी योजना क्षेत्र में किस तरह से हो । मैं एक छोटा सा उदाहरण बांसवाड़ा जिले का देना चाहता हूं कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

पीपलखूंट जैसा क्षेत्र जहां पर गैर-आदिवासी लोग भी निवास करते हैं फिर भी वहां पर 11.10 प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत है परन्तु उसके साथ ही साथ गढ़ी पंचायत समिति है जहां पर 34.04 प्रतिशत साक्षरता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राजनैतिक नजरिये के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों का विकास पिछले समय के कांग्रेस के शासन में इस इलाके में किया गया है और इसी का नतीजा है कि आज आदिवासी पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को राजस्थान के आदिवासी समाज की ओर से और खासकर आदिवासी योजना क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी इसलिए पिछड़े हुए रहते थे कि राज्य की सेवाओं में उनको जो आरक्षण 12 प्रतिशत मिलता था, उसकी भी पालना नहीं हो रही थी। आरक्षण की पालना के लिए प्रावधान जो संविधान में किये गये परन्तु आरक्षण की पालना नहीं करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि जिसकी नीयत में खोट था उन्होंने आदिवासियों को कटघरे में खड़ा कर दिया और जिनकी नीयत साफ थी, उन्होंने दया का पात्र समझकर उनको रोजगार पर लगाया लेकिन आज खुशी की बात है, इस आदिवासी योजना क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी अहम बात है, यदि बांसवाड़ा जिले में 100 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए साक्षात्कार के होंगे तो 45 उम्मीदवार आदिवासी वहां से चयनित होंगे। न डूंगरपुर के हो सकते हैं, न चित्तौड़ के हो सकते हैं और न उदयपुर के हो सकते हैं। अब तक होता यह रहा था कि आरक्षण के नाम पर सवाई माधोपुर से, भरतपुर से और अलवर से उस आदिवासी इलाके में जाते और उस समाज के नाम से और उस वर्ग के नाम से आरक्षण का लाभ उठाते और नौकरी प्राप्त करने के बाद राजनैतिक संबंध स्थापित करके वह स्थानान्तरण कराकर वापस अपने क्षेत्र में चले जाते थे। आज इसी का नतीजा है कि उस आदिवासी इलाके में लगभग 40 प्रतिशत स्थान जो सामाजिक सेवा के हैं, वे खाली पड़े हैं। आज विद्यालय वहां पर नहीं हैं, अस्पतालों में व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, न नर्सेज हैं और न कम्पाउन्डर हैं। इस तरह की हालत पर काबू पाने के लिए और इस तरह के हालात को व्यवस्थित बनाने के लिए यह 45 प्रतिशत का आरक्षण न केवल उनको आर्थिक सम्बल प्रदान करेगा बल्कि उस इलाके में आने वाली भावी पीढ़ी को एक नयी दिशा देने का भी कदम होगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जनजाति विकास विभाग में 111 छात्रावास चल रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज किसी भी माननीय सदस्य ने जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में किसी प्रकार की भी कोई कमी-खामी नहीं बताई। यह इसलिए है कि आजादी के बाद से अब तक इस इलाके में जो छात्रावास समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलते रहे हैं, वहां दसवीं क्लास में जाने के बाद कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वह अनुत्तीर्ण हो जाते थे। नतीजा यह होता था कि वह न घर का रहता था न घाट का और माता

(श्री नन्दलाल मीणा)

पिता के लिए बोझ बनकर रहता था। इसलिए पहली बार इसी वर्ष से इस जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित 111 छात्रावासों में इस दृष्टि से हमने व्यवस्था की। सारे छात्र-छात्राओं को, जो वहां पर आवासीय छात्रावास में रहते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था की है। प्राय: यह देखा गया है कि बालक अंग्रेजी, गणित और साईंस में कमजोर होते हैं, इसकी वजह से आगे नहीं पढ़ सकते। अध्यक्ष महोदय, इसलिए पहली बार हमने साईंस के लिए, गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए एक-एक छात्रावास में तीन-तीन ट्यूटर की व्यवस्था की है। प्रति वर्ष एक छात्रावास पर दो हजार रुपया खर्च करके 111 छात्रावासों में 69 प्रतिशत परिणाम हमारे सामने आये हैं।

इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था, प्रश्न के समय में कि यह 45 प्रतिशत आरक्षण केवल इसलिए नहीं है कि हम घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं; यह संवेदनशील सरकार आदिवासी इलाके के लिए और आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहती है। पहले यह विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कहा जाता था और अध्यक्ष महोदय, जब आप उदयपुर में वकालत करते थे, जब हम धरियावद चले थे, तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी धरियावद में बिजली का उद्घाटन करने के लिए गए, मैं भी वहां मौजूद था। दूसरे दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिजली का बटन दबाया और सारा आदिवासी इलाका जगमगा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी हालात यह हैं कि आदिवासी इलाके में वे गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं जहां पर नान-आदिवासी लोग निवास करते हैं। पहली बार हमने इस वर्ष यह व्यवस्था की है कि जिस गांव में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की होगी, वहां पर जनजाति विकास विभाग का पैसा खर्च किया जायेगा, वहां पर सिंचाई पर पैसा खर्च किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले राजनीतिक सोच इसलिए था कि मानो, मैं प्रतापगढ़ से विधायक बन कर आया और माननीय शेखावत साहब ने मुझे जनजाति विकास विभाग का मंत्री बना दिया तो मेरी यह कोशिश रहती थी कि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र को इस कदर सम्पन्न कर दूं, इस तरह साधन-सम्पन्न कर दूं भले ही दूसरा इलाका उपेक्षित रह जाय परन्तु पहली बार यह सोच बनी है कि आदिवासी इलाके को, आबादी को सामने रखकर विकास करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आदिवासी इलाके में तकनीकी शिक्षा सीधे जब तक आदिवासी इलाके के लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी तब तक उनकी माली हालत नहीं सुधर सकती। इस दृष्टि से जो क्षेत्रीय योजनाएं थीं, उन पर ध्यान कम देकर आदिवासियों को सीधे राज्य योजना मिले, उनको रोजगार मुहय्या हो, इस दृष्टि से सारी योजनाएं बनाईं और इसी दृष्टि से तकनीकी शिक्षा भी इनको मिले, यह प्रयास किया है।

(276)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मुख्य मंत्रीजी ने काबिल आदिवासी को मंत्री बनाया है। जो काबिल नहीं हैं वे मंत्री नहीं हैं। सीधी सी बात है।

श्री नन्दलाल मीणा : ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक काबिल हैं और सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें। कृपया बोलने दें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति उप-योजना क्षेत्र में 22 लघु औद्योगिक संस्थान चल रहे हैं। इन लघु औद्योगिक संस्थानों में जनजाति क्षेत्र के बालक और बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि आगे चलकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह रोजगार प्राप्त कर सकें परन्तु हमने यह अनुभव किया है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। दूर दराज से आने वाला बालक उस औद्योगिक संस्थान में जब तक उसको रहने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आने वाले 1995–96 के बजट में सभी आई टी. आईज. में आदिवासी बालकों के लिए छात्रावास हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान में माही डैम बना हुआ है, माही नदी निकलती है, जाखम निकलती है, सोम कागदी निकलती है, सोम, अम्बा, कमला निकलती है। इसी तरह से उदयपुर-गोगुन्दा के पास कुछ स्थायी बांध हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर मत्स्य के द्वारा उन आदिवासी इलाकों में किस कदर रोजगार दिया जा सकता है उसके लिए हमने योजना बनाई है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इनमें ज्यादा से ज्यादा बीज डालकर लगभग 20 हजार आदिवासियों को उससे रोजगार मिले, यह व्यवस्था कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में पानी उपलब्ध है, जाखम का पानी धरियावद में उपलब्ध है। इसी तरह से डूंगरपुर में सिमलवाड़ा, बिच्छुवाड़ा, गलियाकोट का इलाका और उदयपुर जिले का कोटड़ा और झाड़ोल का इलाका, यहां पर आदिवासी किसानों को प्रोत्साहित कर सैरीकल्चर के जरिये उनकी माली हालत सुधारी जाएगी। इससे अब तक 800 कृषक लाभान्वित हो गये हैं और आने वाले टाइम में रेशम और हाथकर्घे के जरिये 12,000 लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी मालूम है कि उदयपुर सम्भाग में तेन्दू पत्ता काफी तादाद में पाया जाता है। जन जाति सहकारी निगम के माध्यम से पिछले वर्ष हमने तेन्दू पत्ता संकलन करवाया है। इस सारे आदिवासी इलाके में पढ़े-लिखे और अनपढ़ बेरोजगार लोग दर-दर की ठोकर खाते फिरते हैं या गुजरात अथवा मध्य प्रदेश की ओर पलायन करते हैं। राजससंघ के माध्यम से हमने बीड़ी बनाने के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ताकि निकट भविष्य में अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षण

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्राप्त करके बीड़ी बनायें जिससे रामनारायण जी आराम से सुख की, चैन की नींद निकाल सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इस ट्राइबल सब-प्लान इलाके के हर जिले में दो-दो प्रतिभावान छात्रावास चल रहे हैं। ऐसे बालक जो मेरिट में आते हैं परन्तु सामान्य छात्रावास में रहकर वह अपनी शिक्षा का स्तर मेनटेन नहीं रख पाते, यह स्वाभाविक भी है, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में प्रतिभावान छात्रावास की व्यवस्था की गई है। उस छात्रावास में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें, अच्छे साधन और अच्छा वातावरण उनको मिले, यह व्यवस्था की गई है। इस वर्ष हमने यह माना है कि बालिकाओं के लिए भी इस तरह के प्रतिभावान छात्रावास होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान के पांचों जिलों में जहां-जहां भी लड़कियों के लिए प्रतिभावान छात्रावास नहीं है, आने वाले 1995–96 के सत्र में वहां पर प्रतिभावान छात्रावास खोल दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति विकास विभाग का मामला, जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न, उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास का प्रश्न, यह केवल भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि केवल आंकड़ों के आधार पर इसको देखेंगे या किसी के राय-मशविरा के आधार पर देखेंगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। आज इसी का परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता भी हूं कि आजादी से पहले किसी आदिवासी के घर पर अगर 100 ग्राम चांदी भी थी तो आज की तारीख में, आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद उस घर की महिला के पैरों में 100 ग्राम गिलिट भी नहीं। यदि यह मूल्यांकन है और यह वास्तविकता है तो इस सबके लिए भारतीय जनता पार्टी के बजाय यह कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जिन्होंने आदिवासियों का आर्थिक शोषण किया है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, उन माननीय सभी सदस्यों का, जिन्होंने वाद-विवाद में हिस्सा लिया, जिन्होंने अच्छे-अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव दिए, आभार प्रकट करता हूं, और उप चुनाव के बाद जून के महीने में सारे विधायकों से, चाहे वह माडा स्कीम के हों, चाहे वह ट्राइबल उप-योजना क्षेत्र के हों या चाहे बिखरी हुई आबादी के हों, सुझाव मैं माउंट आबू में आमंत्रित करूंगा और जितना भी सम्भव हो सकेगा, आने वाले वर्ष से ही बजट में सारे प्रावधान करके वह योजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

अन्त में आप सब के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

278

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,38,28,60,000/– (दो अरब अड़तीस करोड़ अट्ठाइस लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही दिनांक 25 अप्रेल, 1995 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.41 बजे मंगलवार; दिनांक 25 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 488 की सूची

सूची—अ

राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	नाम तहसील
1.	सिरोही	अर्बुदा (आबूरोड़)	आबूरोड़
2.	सिरोही	अम्बाजी (आबूरोड़)	आबूरोड़
3.	सिरोही	ग्रोथ सेन्टर आबूरोड़	आबूरोड़
4.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
5.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर
6.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	सागवाड़ा
7.	डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	डूंगरपुर
8.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	कुशलगढ़
9.	बांसवाड़ा	पीपलवा	बांसवाड़ा
10.	बांसवाड़ा	ठीकरिया द्वितीय चरण	बांसवाड़ा
11.	बांसवाड़ा	ठीकरिया (हस्तान्तरित औ. क्षेत्र)	बांसवाड़ा

सूची—ब

अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार/विकास हेतु अवाप्तीधीन भूमि की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	तहसील
1.	बांसवाड़ा	परतापुर	गढ़ी
2.	बांसवाड़ा	कोहला	बांसवाड़ा
3.	बांसवाड़ा	ठीकरिया	बांसवाड़ा

(280)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 490 की प्रति

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जोधपुर

क्रमांक : एफ–33/लेखा/कैरोसिन दर/95/93–192 दिनांक : 8-2-95

आदेश

भारत सरकार पैट्रोलियम रसायन एवम् खान तथा धातु मंत्रालय के कैरोसिन (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश 1970 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की अधिसूचना 45 (1) खा. ले. निती/92 दिनांक 2-6-92 के अनुसार देय कमीशन व परिवहन व्यय आदि खर्चे को सम्मिलित करते हुए दिनांक 1-7-94 से रेलवे शटिंग चार्ज में वृद्धि होने से कैरोसिन डिपो दर में वृद्धि होने से मैं ओ. पी. सोनी, जिला कलक्टर, जोधपुर, जोधपुर जिले में फलौदी क्षेत्र में प्रदाय किये जाने वाले कैरोसिन दर निम्न अनुसार निर्धारित करता हूं।

यह दरें तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जावेगी।

क्र. सं.	स्थान का नाम	थोकदर	खुदरा दर प्रतिलीटर	क्र. सं.	स्थान का नाम	थोकदर	खुदरा दर प्रतिलीटर
1.	लोडिया	2871	2.95	13.	एछां	2887	2.96
2.	छीला	2865	2.94	14.	मोघेरी	2893	2.97
3.	जालोड़ा	2872	2.95	15.	घोल पाबजी	2910	2.98
4.	लोहावट	2843	2.92	16.	घोल राठौड़ा	2915	2.99
5.	ढेलाणा	2850	2.92	17.	कचलावा	2884	2.96
6.	सदरी	2855	2.93	18.	भइयों की ढ़ाणी	2887	2.96
7.	फतेहसागर	2872	2.95	19.	सावरिया	2919	2.99
8.	राजाला	2855	2.93	20.	बायज	2927	3.00
9.	पीलवा	2867	2.94	21.	भालेरियों की ढाणी	2910	2.98
10.	भोजाकोर	2876	2.95	22.	मडला घला	2893	2.97
11.	माचिद की ढ़ाणी	2876	2.95	23.	मडला खुर्द	2896	2.97
12.	दयाको	2879	2.95	24.	बीठड़ी	2899	2.97

क्र. सं.	स्थान का नाम	थोक दर	खुदरा दर प्रति लीटर
25.	घलरा	2906	2.98
26.	खारा	2917	2.99
27.	उग्रास	2926	3.00
28.	दया सागर	2914	2.99
29.	ढद	2930	3.00
30.	डडीया	2904	2.98
31.	बेगटी खुर्द	2920	2.99
32.	बेगटी घसला	2926	3.00
33.	टेकरा	2942	3.02
34.	टेप	2937	3.01
35.	मोहरां	2893	2.97
36.	बावड़ी घसला	2898	2.97
37.	शेखासर	2915	2.99
38.	राबोरी	2931	3.01
39.	देवालरी	2942	3.02
40.	बास	2970	3.04
41.	मलार	2893	2.97
42.	हिन्डाल गोल	2898	2.97
43.	बाप	2918	2.99
44.	बड़ी सीड	2928	3.00
45.	कल्याणसिंहकीसी	2942	3.02
46.	खिदरत	2948	3.02
47.	सावरो गांव	2915	2.99
48.	कानासर	2942	3.02
49.	कानासर मेवा	2959	3.03
50.	नूरे की भुर्ज	2849	3.02
51.	नूरे की भुर्ज अचेरी	2953	3.03
52.	नमेऊ	2904	2.98
53.	ननेऊ की ढ़ाणी	2909	2.98
54.	जावां	2915	2.99
55.	मालमसिंहकीसीड	2928	3.00
56.	मोटाई	2926	3.00
57.	खीचन	2887	2.96
58.	आमला	2895	2.97
59.	शैतानसिंह नगर	2867	2.94
60.	मोरीया	2910	2.98
61.	पलीमा	2882	2.96
62.	चेनपुरा	2876	2.95
63.	घोलासर	2871	2.95
64.	देनोक	2915	2.99
65.	मायलों की ढ़ाणी	2917	2.99
66.	पंडियारों की ढ़ाणी	2926	3.00
67.	रंगीसर	2876	2.95
68.	पडियाल	2878	2.95
69.	रड़ का बेरा	2287	2.96
70.	आउ	2857	2.93
71.	नोघड़ा	2863	2.94
72.	जेसलां	2876	2.95
73.	केलनसर	2882	2.96
74.	भोजासर	2863	2.94
75.	घटियाली	2881	2.96
76.	चिमाना	2887	2.96
77.	चाघु	2912	2.99
78.	लणा	2907	2.98
79.	उदर	2909	2.98
80.	चाडी	2854	2.93
81.	चोतीणा	2861	2.94
82.	मामेवड़ा	2871	2.95
83.	चौपासर	2876	2.95
84.	रोहीणाअजासर	2882	2.96
85.	बगड़ी	2887	2.96
86.	रिडमलसर	2865	2.94
87.	इसरू	2849	2.92
88.	सुवाप	2854	2.93

(282)

(1) जहां पर नगरपालिका/पंचायत कर लगता है वहां पर थोक विक्रेता को उक्त कर राशि उपरोक्त दरों के अतिरिक्त वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(2) उपरोक्त दरों में सम्मिलित परिवहन दर थोक विक्रेता की खुदरा विक्रेता के व्यापार स्थल तक तेल पहुचाने की शर्त पर देय है।

(3) अति दुर्गम क्षेत्रों में यहां लॉरी द्वारा तेल पहुंचाना सम्भव नहीं है वहां आपूर्ति बिन्दु से (नान मोटरेबल मार्ग) पर थोक विक्रेता से तेल प्राप्त कर स्वयं के साधनों से परिवहन करने पर परिवहन कर व्यापार स्थल पर ले जाने हेतु खुदरा विक्रेता को निम्न दर से परिवहन व्यय देय होगा। यह व्यय सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापन की शर्त पर ही चार्ज किया जा सकता है।

(1) आरम्भ से 50 किमी.	10 पैसा प्रति लीटर
(2) आरम्भ से 100 किमी. तक	13 पैसा प्रति लीटर
(3) 100 से अधिक किमी.	15 पैसा प्रति लीटर

यह व्यय केवल खुदरा विक्रेता को ही देय होगा। थोक विक्रेता किसी भी स्थिति में इसे वसूल नहीं कर सकता है।

(4) जिला रसद अधिकारी द्वारा आवंटित केरोसीन सप्लाई का पूर्ण दायित्व थोक विक्रेता को होगा।

(5) केरोसिन दर गणना जोधपुर डिपों से दूरी के आधार पर की गई है दूरी में तथा गणना में किसी प्रकार की कमी बेशी होने पर सम्बन्धित थोक विक्रेता तुरन्त प्रमाण आवेदन प्रस्तुत करें ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके।

(6) जोधपुर डिपों से दूरी परिवहन व्यय कमीशन अथवा अन्य किसी भी कारण से गणना में त्रुटि होने पर वसूल योग्य राशि नियमानुसार जमा कराने का दायित्व थोक विक्रेता को होगा। सम्बन्धित थोक विक्रेता तत्कालीन राशि राजकोष में जमा करायेंगे।

(7) इस आदेश की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

(ओ. पी. सैनी)
जिला कलक्टर (रसद)
जोधपुर

क्रमांक: एफ–33/लेखा/परि. दर/94/92–192 दिनांक: 8-2-95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) श्रीमान् खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग राजस्थान जयपुर।

(2) उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर/फलौदी को मय अतिरिक्त प्रतियों के भेजकर लेख है कि आम जनता, खुदरा विक्रेता आदि को अवगत कराने हेतु।

जिला कलक्टर (रसद)
जोधपुर।

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 496 का विवरण "परिशिष्ट—अ"

राज्य में माह मार्च, 1995 तक स्थापित लघु एवं आर्टिजन इकाइयों की संख्या एवं उनमें पूंजी विनियोजन का जिलेवार विवरण

क. सं.	नाम जिला	लघु एवं आर्टिजन इकाइयों की संख्या	पूंजी विनियोजन राशि (लाख रु. में)
1.	जयपुर	20398	24541.02
2.	अजमेर	9038	8605.95
3.	अलवर	13939	21993.65
4.	भीलवाड़ा	9661	8656.37
5.	जोधपुर	11039	11331.07
6.	कोटा	7691	4860.88
7.	पाली	6433	4691.22
8.	उदयपुर	11238	11878.05
9.	बांसवाड़ा	5411	2215.05
10.	भरतपुर	5780	2811.24
11.	बीकानेर	5530	5414.84
12.	चित्तौड़गढ़	4285	3167.81
13.	झुंझनूं	3841	2018.82
14.	नागौर	10476	7939.11
15.	श्रीगंगानगर	5810	6740.17
16.	सवाई माधोपुर	4691	959.67
17.	सीकर	4723	3483.89
18.	टौंक	5830	1925.19
19.	बाड़मेर	3321	1534.04
20.	बूंदी	2643	892.82
21.	चूरू	4277	3433.47
22.	डूंगरपुर	1856	556.45
23.	जैसलमेर	1253	491.97
24.	जालोर	2608	1304.30
25.	झालावाड़	4969	799.38
26.	सिरोही	2846	4998.34
27.	धौलपुर	1118	597.87
28.	दौसा	581	284.38
29.	बारां	239	165.52
30.	राजसमंद	490	2043.17
	योग :	172015	150035.72

परिशिष्ट—"आ"

राज्य में माह मार्च, 1994 तक स्थापित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या विनियोजन राशि का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या	कुल पूंजी विनियोजन राशि (लाख रु.)
1.	अजमेर	15	21782.44
2.	अलवर	99	198916.26
3.	बांसवाड़ा	6	7835.19
4.	बारां	1	1271.02
5.	भरतपुर	4	13042.02
6.	भीलवाड़ा	28	52265.70
7.	बीकानेर	7	4226.36
8.	बून्दी	4	5500.34
9.	चित्तौड़गढ़	8	110986.85
10.	चूरू	1	352.00
11.	धौलपुर	2	1065.56
12.	डूंगरपुर	1	4224.00
13.	जयपुर	35	66119.55
14.	जालोर	1	246.28
15.	झालावाड़	3	32872.27
16.	झुन्झुनूं	4	49184.60
17.	जोधपुर	13	19118.57
18.	कोटा	21	252338.48
19.	नागौर	7	6895.90
20.	पाली	4	8085.81
21.	राजसमंद	4	81429.68
22.	सवाईमाधोपुर	2	1743.44
23.	सीकर	3	5472.62
24.	सिरोही	15	33004.07
25.	श्री गंगानगर	11	10647.88
26.	टौंक	2	31873.19
27.	उदयपुर	34	60028.02
	योग :	335	1080528.10

285

परिशिष्ट—4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

भरतपुर शहर एवं सेवर क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें

497 श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर व पंचायत समिति सेवर में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां, किस-किस समय से चल रही हैं ?

(2) क्या उक्त दुकानों से क्षेत्र में राशन की वितरण व्यवस्था सही ढंग से चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में और उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि जनसंख्या के आधार पर भी उचित मूल्य की दुकान खोलना अनिवार्य है ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में व पंचायत समिति सेवर में उचित मूल्य की दुकानें जहां-जहां, जिस-जिस समय से चल रही हैं, का विवरण संलग्न है ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां । उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है । चयन समिति द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का चयन करने पर आबंटित कर दी जायेगी ।

(4) जी हां । भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने के लिये 2000 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने का लक्ष्य निर्धारित है ।

विवरण

क. सं.	स्थान का नाम जहां उचित मूल्य की दुकान कार्यरत है	प्रारम्भ की तिथि
1	2	3
	भरतपुर शहर	
1.	वार्ड संख्या–1 बी	18-11-81
2.	" 1 सी	14-1-93
3.	" 1 डी	12-1-93
4.	" 2 ए	26-7-89
5.	" 2 बी	9-4-84
6.	" 2 सी	7-1-93
7.	" 3 ए	4-3-85
8.	" 3 बी	11-11-83
9.	" 3 सी	17-9-91
10.	" 3 डी	18-12-92
11.	" 3 ई	29-12-92
12.	" 4	27-8-82
13.	" 5 ए	18-9-91
14.	" 5 बी	
15.	" 6 ए	17-5-85
16.	" 6 बी	25-2-91
17.	" 7	2-8-86
18.	" 8 ए	4-3-85
19.	" 8 बी	29-12-92
20.	" 9 ए	1-8-80
21.	" 9 बी	
22.	" 10	
23.	" 11 ए	1-8-80
24.	" 11 बी	14-1-93
25.	" 12	
26.	" 13	
27.	" 14	2-8-86
28.	" 15	2-11-81
29.	" 16	14-11-83
30.	" 17	4-10-79

1	2	3
31.	" 18	
32.	" 19	17-3-82
33.	" 20 ए	2-8-86
34.	" 20 बी	1-8-80
35.	" 21 ए	10-6-80
36.	" 21 बी	2-8-86
37.	" 21 सी	3-1-83
38.	" 22 ए	29-12-80
39.	" 22 बी	25-2-91
40.	" 23	4-3-85
41.	" 24	28-2-80
42.	" 25 बी	26-2-80
43.	" 26	8-10-93
44.	" 27	2-5-92
45.	" 28	4-8-80
46.	" 29	4-3-85
47.	" 30	4-3-85
48.	" 31	22-7-86
49.	" 32 ए	27-3-80
50.	" 32 बी	17-9-91
51.	" 33	2-11-81
52.	" 34 ए	3-8-82
53.	" 34 बी	18-11-92
54.	" 35	
55.	" 36 ए	26-8-82
56.	" 36 बी	3-10-79
57.	" 37 ए	18-11-81
58.	" 37 बी	26-2-77
59.	" 37 सी	15-6-94
60.	" 38	19-12-88
61.	" 39	4-4-94
62.	" 40 ए	15-6-84
63.	" 40 बी	4-3-85
64.	" 40 सी	28-12-92
65.	वार्ड संख्या–एमईएस	

2088

1	2	3
	पंचायत समिति–सेवर	
1.	अघापुर	11-2-91
2.	बछामदी	I—13-6-94 II—25-7-91
3.	बिलोठी	I—9-5-90 II—10-1-90
4.	तुहिया	I—1-5-92 II—11-2-91
5.	घुसियारी–उदरा	I—14-3-90 II—21-8-80
6.	बाँसीखुर्द	16-11-89
7.	लुघावई–पार	I—5-9-92 II—25-4-85
8.	पीपला	19-3-90
9.	गावड़ी–फुलवारा	15-10-82
10.	इकरन–रूधईकरन	2-7-90
11.	खेमरा–सुनारी	7-11-88
12.	मड़रपुर	17-4-80
13.	महुआ	1-9-92
14.	मलाह	1-5-81
15.	झारोली–मूढ़ोता	18-9-89
16.	कूम्हा–खडेरा	6-1-80
17.	मौरोलीकलां	21-10-92
18.	एकटा	4-2-80
19.	हथैनी	6-7-85
20.	जाटोली रथमान	12-2-90
21.	चिकसाना	30-1-91

1	2	3
22.	चिचाना	I—4-4-94
		II—25-5-88
23.	सेवर	23-7-90
24.	जघीना	I—9-4-84
		II—8-3-90
		III—3-4-86

पंचायत राज संस्थाओं की आय के स्रोत

498. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो इन संस्थाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रत्येक स्तर की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो निम्न बातों का अध्ययन कर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा :—

1. राज्य के और सभी स्तरों पर की पंचायतों के मध्य राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण, जो संविधान के भाग 9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों के सभी स्तरों पर की पंचायतों के मध्य उनके अपने-अपने अंशों का आबंटन ।

2. ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो सभी स्तरों पर की पंचायतों को समानुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे ।

3. राज्य की संचित निधि में से सभी स्तरों पर की पंचायतों को सहायता अनुदान ।

4. पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपायुपाय ।

उपरोक्त तथ्यों पर वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जावेगा ।

सिरोही-सोजत मार्ग पर बस संचालन

499. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही डिपो द्वारा निगम की बस सिरोही से सोजत चलती थी ? यदि हाँ, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी आय प्रति किलोमीटर निर्धारित मात्रा से अधिक आती थी ? यदि हां, तो सिरोही डिपो का तथा इस बस का प्रति किलोमीटर आय का औसत पृथक्-पृथक् कितना था ? पिछले दो वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस बस को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(4) क्या सरकार जनता की सुविधा को देखते हुए इस बस को फिर से चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। सिरोही से सोजत बस सेवा का संचालन माह जुलाई, 91 से प्रारम्भ किया गया था।

(2) जी, नहीं। इस बस सेवा की औसत आय एवं सिरोही डिपो की औसत आय का तुलनात्मक विवरण (परिशिष्ट-1) पर है।

(3) जी, हां। संचालन आय कम होने के कारण उक्त सेवा को दिनांक 14-9-94 से बन्द कर दिया गया।

(4) जनता की सुविधा देखते हुए सोजत से सुमेरपुर एक बस का संचालन जनवरी, 95 से प्रारम्भ किया गया है।

(परिशिष्ट–1)

सिरोही सोजत सेवा की औसत आय एवं सिरोही आगार की औसत आय का तुलनात्मक विवरण पिछले 4 वर्ष का निम्न प्रकार रहा :—

क्र. सं.	अवधि	सिरोही-सोजत सेवा की औसत आय प्रति कि. मी.	सिरोही आगार की औसत आय
1.	माह जुलाई, 91 से मार्च, 92	5.29	6.44
2.	अप्रेल, 92 से मार्च, 93	5.69	6.85
3.	अप्रेल, 93 से मार्च, 94	6.88	7.37
4.	अप्रेल, 94 से 13 सितम्बर, 94	6.86	8.90

तहसील डेगाना के ग्रामों की पेयजल समस्या का निराकरण

500. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिरवरनियां खुर्द, ईग्यासनी, डाबोलीमीठी, मेहराणा, तहसील डेगाना (नागौर) में पेयजल की भयंकर समस्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई स्रोत नहीं है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामों के अतिरिक्त डेगाना विधान सभा क्षेत्र (नागौर) के अन्य ऐसे कितने ग्राम हैं जिनको अभी तक किसी भी जल प्रदाय योजना से नहीं जोड़ा जा सका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बिरवरनियां खुर्द, ईग्यासनी, डाबोलीमीठी, मेहराणा क्षेत्रों में उपलब्ध स्रोतों से पानी की कमी, गुणवत्ता एवं विजली आपूर्ति आदि के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्या होती रहती है।

(2) 1 के उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों हेतु समस्या समाधान सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:—

1. ग्राम बिरवरनियां खुर्द में ग्राम गोल से पाइप लाइन डालकर स्रोत से जोड़ने के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

2. ग्राम ईग्यासनी में विद्युत सप्लाई की अनियमितता के कारण हो रही समस्या के निदान हेतु तकनीकी औचित्यता वाले प्रयास किये जा रहे हैं।

3 ग्राम डाबोलीमीठी के नलकूप में पम्प असेम्बली गिर जाने के कारण जल उत्पादन बन्द हो गया था। इसके समाधान हेतु योजना संवर्धन प्रस्ताव राशि रुपये 7.99 लाख मात्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। एक नलकूप का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं विद्युतीकृत होते ही पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा।

4. ग्राम मेहराणा की पेयजल समस्या के निवारण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि रु. 25.52 लाख की एक योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। योजना में स्रोतों के विद्युतीकृत होने के बाद तथा पाइप लाइन टेस्टिंग पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) अभी तक ग्राम "अचला का खेत" को जल प्रदाय योजना से नहीं जोड़ा जा सका है क्योंकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उक्त ग्राम की आबादी मात्र दो है तथा विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आबादी बहुल क्षेत्र पर ध्यान देना उचित प्रतीत होता है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के स्वीकृत एनीकट्स

501. श्री हीरालाल (बामनवास) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कहां-कहां एनीकट स्वीकृत हैं ?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या सरकार स्वीकृत एनीकट्स का कार्य प्रारम्भ करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बाटोदा, भादरा, रिवाली, सीतौड़ का नाला सीसोलाव व बिछोड़ का नाला में एनीकट्स स्वीकृत हैं।

(2) एनीकट निर्माण हेतु विशिष्ट योजना संगठन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग आवश्यक कार्यवाही करता है।

पंचायत समिति पीपलखूंट (बांसवाड़ा) हेतु जीप व्यवस्था

502. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में वाहनों का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) किन-किन पंचायत समितियों में जीप उपलब्ध नहीं है ?

(3) बांसवाड़ा जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति को जीप कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। दो पंचायत समितियों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समितियों में वाहन उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी एवं आहोर में वाहन उपलब्ध नहीं हैं।

(3) बांसवाड़ा जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति में मारूती जिप्सी नम्बर आर. एन. बी. 1010 उपलब्ध है।

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ आगारों के परिचालक

503. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ आगार में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में कौन-कौन से परिचालक किस-किस कारण से निलम्बित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिचालकों में से किस-किस को बहाल किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष परिचालकों को किस-किस कारण से बहाल नहीं किया गया ? नाम एवं कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष परिचालकों को भी बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ आगारों में वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान जिन-जिन परिचालकों को निलम्बित किया

(राज्य मंत्री, यातायात)

गया है उसके कारण दर्शाते हुए वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त परिचालकों में से जिन परिचालकों को बहाल किया जा चुका है उनका आगार-वार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) शेष परिचालकों जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है उनका नाम एवं कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-3)

(4) इन मामलों में समय-समय पर गुणावगुण के आधार पर समीक्षा कर निर्णय लिये जाते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम तिघरिया (टोडाभीम) की जल प्रदाय योजना

504. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम के गांव तिघरिया में जल प्रदाय योजना के स्रोत का पानी खारा (फ्लोराइड-युक्त) होने के कारण पीने योग्य नहीं है ? इस जलदाय योजना की क्रियान्विति कब हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से इस गांव को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार मीठे पानी के लिये कोई दूसरा जल स्रोत बनवाकर गांव वालों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि गांव मूंडिया में जलदाय योजना के तहत नलकूप बनवा दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसको चालूकर कब तक ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध करवा देगी ?

उत्तर

(1) उल्लिखित ग्राम में योजना हेतु पूर्व में बने नलकूप का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं पाया गया था। इस प्रदाय की क्रियान्विति वर्ष 1988-89 में की गई थी।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी, हां। उक्त सम्बन्ध में एक वैकल्पिक स्रोत केविटी बोर का निर्माण करा लिया गया है जिसका पानी पीने योग्य है। शीघ्र ही विद्युत संबंध मिल जाने के उपरांत ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(4) उल्लिखित ग्राम में पूर्व में बना हुआ नलकूप चालू है। द्वितीय नलकूप पर विद्युत सम्बन्ध शीघ्र ही प्राप्त करा, इसे भी चालू कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उप-खण्ड कामां में फ्लड जल निकासी के पम्प सैट

505. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिंचाई विभाग उपखण्ड

(श्री तैयब हुसैन)

कामां में फ्लड जल निकासी हेतु पम्प सैट उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सभी पम्प सैट चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। 32 पम्प सैट उपलब्ध हैं।

(2) जी, नहीं। सभी 32 पम्प सैट लगभग 11 वर्षों से उपयोग में न आने के कारण चालू हालत में नहीं हैं।

जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा में विचाराधीन निगरानी संख्या 323/91

506. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या निगरानी संख्या 323/91 जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा को जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने जांच रिपोर्ट में रास्ता साबित होने के उपरान्त भी निरस्त कर दिया है ? क्या उक्त फैसले के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा पुनः विचार याचिका/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत प्रसार अधिकारी ने पंचायत समिति मण्डल के स्टे-आर्डर के उपरान्त भी निर्माण कार्य होना बताया है ? यदि हां, तो उसको कब तक तुड़वा दिया जायेगा तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त पुनः विचार याचिका पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? अब उक्त याचिका/प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री डूंगरसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत निवासी मेजा तहसील मांडल की ओर से न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 323/91 पर दर्ज किया गया, दिनांक 28-7-1992 को निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया, न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं होगा।

उक्त फैसले के खिलाफ कोई पुनः विचार याचिका/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं। पंचायत प्रसार अधिकारी ने इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अतः किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने व निर्माण कार्य तुड़वाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी, नहीं। चूंकि निगरानीकार के द्वारा ऐसा कोई निगरानी/प्रार्थना-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र सिकराय हेतु निगम बस सेवा

507. श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की दौसा जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो डिपो कब से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा ?

(2) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में निगम की बसें चलाने हेतु किन-किन मार्गों का सर्वे हो चुका है तथा कितनों का सर्वे होना बकाया है ।

(3) क्या यह सही है कि पहले सिकराय मुख्यालय पर जयपुर से चार बसें आती जाती थी लेकिन उन्हें अब बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार इन्हें पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सिकराय तहसील मुख्यालय से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ।

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में चार मार्गों पर वाहन संचालित हो रही है एवं दो मार्गों का सर्वेक्षण होना बकाया है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर है ।

(3) वर्तमान में जयपुर से सिकराय के बीच दैनिक 8 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं । कोई सेवा बन्द नहीं की गई है ।

(4) जी, नहीं ।

परिशिष्ट–1

सिकराय विधान सभा क्षेत्र के निम्न मार्गों पर वाहन संचालित हो रहे हैं :—

क्र. सं.	मार्ग	सिकराय विधान सभा क्षेत्र के मार्ग में आने वाले ग्राम
1.	जयपुर–महुवा	कालाखोह, दुब्बी, कैलाई, सिकन्दरा, रायपुर, मानपुर, ठिकरिया ।
2.	जयपुर–बहराउण्डा	गुमानपुरा, रानोली, लांका, बहराउण्डा ।
3.	जयपुर–गीजगढ़	कालाखोह, दुब्बी, कैलाई, सिकन्दरा, रामगढ़, गीजगढ़ ।
4.	जयपुर–सिकराय	कालाखोह, दुब्बी, कैलाई, सिकन्दरा, रायपुर, मानपुर, पांचोली, सिकराय ।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में निम्न मार्गों पर वाहन संचालित करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनका सर्वेक्षण कराया जाना है ।

1. जयपुर से कालवान वाया सिकराय
2. जयपुर से अचलपुरा (सरूण्डला)

राज्य की पेयजल समस्या के निराकरण की योजनाएं

508. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आने वाले गम्भीर पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(2) विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित पेयजल समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या निर्णय लिये ? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) सरकार ने राज्य में पेयजल संकट दूर करने के लिए केन्द्र के पास कितनी योजनाएं भेजीं, उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं और कितनी लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं में विदेशी सहायता से पूरी की जाने वाली योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अजमेर जिले और विशेषकर किशनगढ़ में गत वर्ष अत्यन्त गम्भीर पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष कोई अलग से एक्शन प्लान का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में सम्भावित पेयजल संकट की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से विभाग को 7.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। जिसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन, हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य, तथा विशेष समस्याग्रस्त ग्रामों/शहरों हेतु इसी अवधि के दौरान हो सकने वाले कार्य सम्पादित कर तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी।

(2) उल्लेखित पेयजल समस्या समाधान समिति से प्राप्त सुझावों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना विचाराधीन है तथा यह घोषणा, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा वर्तमान सत्र में बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में की थी जो सदन के पटल पर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

(3) विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में केवल पूर्व में स्वीकृत जर्मन सरकार की सहायता (के.एफ.डब्लू.) से चूरू व गंगानगर जिलों के 325 ग्रामों व 2 शहरों हेतु 253 करोड़ रुपये की लागत की योजना पर कार्य प्रगति पर है।

(5) वर्तमान ग्रीष्म काल हेतु, अजमेर जिले में समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हेतु 16.43 लाख रुपये की धनराशि तथा शहरी क्षेत्र के लिए रु. 20.00 लाख की राशि क्रमशः आबंटित की गई है। बीसलपुर परियोजना से केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, अजमेर और ब्यावर को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। किशनगढ़ शहर को भी शीघ्र नसीराबाद से, अतिरिक्त पानी दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट "क"

ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	अजमेर परियोजना	130 करोड़	644	1. इस योजना को भारत सरकार द्वारा उपमिशन फ्लोरोसिस पर नियन्त्रण के अन्तर्गत आंशिक सहमति दे दी थी, जिसके तहत 94 ग्रामों की योजना जिसकी अनुमानित लागत 1680.41 लाख रुपये की है, की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 2. इसके अतिरिक्त 3 प्रोजेक्ट, जिनकी अनुमानित कुल लागत 72.85 करोड़ रुपये की योजना, भारत सरकार द्वारा कुछ स्पष्टीकरण चाहे गये हैं।
2.	नागौर	1250 करोड़	—	सीडा द्वारा नागौर जिले के लिए बनायी गई फिजीबिलिटी रिपोर्ट, भारत सरकार को बाहरी सहायता हेतु प्रेषित है, जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है।
3.	जोधपुर	71.14 करोड़	132	भारत सरकार को बाहरी सहायता के लिए यह योजना भेजी गई थी। ई.ई.सी. के द्वारा यह योजना "ग्रान्ट" हेतु पूर्व में अस्वीकृत कर दी गई। अब यह योजना भारत सरकार को ए.आर.पी. की स्वीकृति हेतु भेजी गई है, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है।
4.	जयपुर	5.28 करोड़	195	भारत सरकार को चाकसू तहसील जिला जयपुर, के लिए उपमिशन फ्लोरोसिस पर स्वीकृति के लिए भेजी गई थी, जो स्वीकृत हो चुकी है।

परिशिष्ट "ख"

शहरी क्षेत्र की योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ में)	केन्द्र सरकार को प्रेषित करने की दिनांक एवं सन्दर्भ	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का दिनांक एवं सन्दर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	452.00	एसई(यू)ईई-II-यू/ई.ए.पी./93-94/2091-93 दिनांक 29-1-94	विश्व बैंक के विचाराधीन	केवल जल प्रदाय योजनाओं की लागत की सहायता हेतु।
2.	बीकानेर	46.36			
3.	जोधपुर	219.15			
4.	कोटा	57.30			
5.	उदयपुर	864.20			
6.	बाड़मेर लिफ्ट केनाल प्रोजेक्ट	590.32	63 (4) प्लान/क्यूईसी/91/ दिनांक 6-8-1994	केन्द्र सरकार के विचाराधीन	
7.	कोटा	8.42	एसई(यू)ईई-II/कोटा/(9)93/ 93-94/10297/दिनांक 4-12-93	8976 दिनांक 15-3-94	
8.	पुनर्गठित योजना, जोधपुर	2341.00	—	क्यू 17026/1/93/ सीपीएल/ईईओ/ दिनांक 29-12-93	

पंचायत समिति केलवास (सोजत) के एनीकट का पुनर्निर्माण

509. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत पंचायत समिति की केलवास पंचायत में माताजी के मन्दिर का एनीकट टूट गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार उक्त एनीकट का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। माताजी के मन्दिर का एनीकट वर्ष 1990 में टूट गया था।

(2) जी नहीं।

जिला परिषद, बूंदी में अध्यापकों के रिक्त पद

510. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिला परिषद में वर्ष 1994–95 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे ? क्या इन रिक्त पदों पर अध्यापकों का पदस्थापन किया गया है ? यदि हां, तो कितने पदों पर एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार शेष रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी में वर्ष 94–95 में 207 पद रिक्त थे उनमें से 183 पद भर दिये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान में 24 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 7-4-95 से रोक लग जाने के कारण 24 पद नहीं भरे जा सके हैं। रोक हटने के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार नियुक्ति कर उक्त 24 पदों को भर दिया जायेगा।

डूंगरपुर–उदयपुर मार्ग पर संचालित बस सेवा

511. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर-उदयपुर मार्ग पर कितनी निजी बसें चलती थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गाड़ियों को कब से बन्द किया गया व बन्द करने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार का बन्द की गई बसों को पुनः चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत किये जाने के पूर्व डूंगरपुर-उदयपुर मार्ग पर 14 निजी बसें चलती थी जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) उदयपुर से डूंगरपुर वाया टिडी, केशरियाजी मार्ग का राष्ट्रीकरण हो जाने से इन वाहनों को दिनांक 3-1-74 से बन्द किया गया।

(3) जी, नहीं।

300

उदयपुर से डूंगरपुर वाया टिडी, परसाद, केशरियाजी, खैरवाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 3-1-1974 को किये जाने से पूर्व निम्नलिखित निजी वाहनें संचालित हो रही थीं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	अनुज्ञाधारी का नाम	परमिट सं.	वैधता	वाहन संख्या
1.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	965	1-9-75	आरएसएल-2171
2.	श्री दलीचन्द टांक	357	8-10-75	आरजेजे-265
3.	श्री दलीचन्द टांक	420	12-3-74	आरजेजे-371
4.	मै. ग्रीन बस प्रा. लि.	893	30-6-75	आरजेवाई-4378
5.	मै. ग्रीन बस प्रा. लि.	893	30-6-75	आरजेवाई-2493
6.	श्री विभूती भूषण नन्दा	356	7-10-75	आरजेवाई-4611
7.	श्री मुखी गोरधन दास	425	12-3-74	आरजेवाई-6421
8.	श्री अहमद हुसैन	534	4-4-74	आरजेवाई-1583
9.	मै. राजस्थान ट्रासपोर्ट	1270	10-11-75	आरजेवाई-3981
10.	श्री जाकिर हुसैन	416	12-3-74	आरजेएल-7014
11.	श्री पूनमचन्द	632	25-11-75	आरजेवाई-3941
12.	मै. उत्तम ट्रान्सपोर्ट	658	20-1-76	आरजेवाई-1340
13.	मै. प्रभात बस सर्विस	659	21-1-76	आरजेवाई-1343
14.	मै. राजस्थान बस सर्विस	1533	2-2-76	आरजेवाई-2701

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका जहाजपुर का रिक्त पद

512. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, जहाजपुर में अधिशाषी अधिकारी का पद लम्बे समय से रिक्त है ? यदि हां, तो इस पद पर पदस्थापन क्यों नहीं किया गया ? इस पद पर सरकार कब तक पदस्थापन करना चाहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका शाहपुरा को अपने कार्य के साथ लगाया गया है ? यदि हां, तो वे कब-कब वहां कार्यरत रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पदस्थापन के आदेश दिनांक 22-3-95 को जारी किये जा चुके हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, हां। दिनांक 22-6-94 से आवश्यकता अनुसार निरन्तर कार्यरत रहे हैं।

मेजा सिंचाई परियोजना, भीलवाड़ा का आधुनिकीकरण

513. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेजा सिंचाई परियोजना जिला भीलवाड़ा पर आधुनिकीकरण का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ किया गया था तथा इस योजना की कुल लागत क्या थी एवं इसके क्या उद्देश्य थे ? उद्देश्यों की पूर्ति वर्षवार क्या रही है तथा आधुनिकीकरण कार्य वर्तमान में किस स्थिति में पहुंच गया है ?

(2) मेजा परियोजना की दायीं मुख्य नहर की कुल कितनी लम्बाई है और कुल कितनी लम्बाई में मुख्य नहर, विस्तार शाखाओं व धोरों पर पक्का कार्य हुआ है ? कुल कितना व्यय हुआ और इनसे कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है ?

(3) परियोजना की बायीं मुख्य नहर की कुल कितनी लम्बाई में मुख्य नहर, विस्तार शाखाएं (डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनर) तथा धोरों पर पक्का कार्य किया गया है तथा प्रत्येक पर कुल कितनी लागत आई है और इससे कितनी अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध हुई है ?

(4) उक्त मेजा परियोजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये जाने शेष हैं ? बायीं व दायीं मुख्य नहर, बांध पर क्या-क्या कार्य करने शेष रहे हैं ? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण व अनुमानित लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें। इन कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

(5) आधुनिकीकरण के कार्य के लिए आबंटित राशि क्या समाप्त हो गई है और इस कार्य को क्या बन्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कार्यों को किसी अन्य योजना के तहत पूर्ण करा लिया जायेगा अथवा इस योजना को रिवाइज कर इसे निरन्तर रखा जायेगा ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) व (3) विवरण परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट–"स" पर संलग्न है। बचे हुए कार्यों को 1995–96 में पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

(5) जी, नहीं। योजना को वर्ष 1995–96 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

मेजा आधुनिकीकरण कार्य बाबत विवरण

मेजा सिंचाई परियोजना जिला भीलवाड़ा के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ हुआ एवं योजना की लागत 1981-82 की दरों पर 500.54 लाख रुपये आंकी गई थी, इस परियोजना की वर्ष 1989-90 की दरों पर संशोधित लागत 732.00 लाख रुपये आंकी गई है। योजना के मुख्य उद्देश्य नहरों की क्षमता को डिजाईन के अनुरूप करना, कच्ची नहरों से हो रहे रिसाव को लाईनिंग करके रोकना, 40-8 हैक्टेयर ब्लॉक तक (माइनरों) को पक्का करना एवं पूर्व निर्मित पक्के कार्यों की क्षमता बढ़ा कर 1694 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। आधुनिकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा मार्च, 1995 तक 1459 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	अतिरिक्त क्षमता का सृजन (है. में)
1.	1978-79	50
2.	1979-80	50
3.	1980-81	150
4.	1981-82	145
5.	1982-83	90
6.	1983-84	30
7.	1984-85	45
8.	1985-86	100
9.	1986-87	51
10.	1987-88	115
11.	1988-89	115
12.	1989-90	105
13.	1990-91	48
14.	1991-92	50
15.	1992-93	100
16.	1993-94	110
17.	1994-95	105
	योग :—	1459 है.

परिशिष्ट "ब"

मेजा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत दायीं व बायीं मुख्य नहर व उसकी विस्तार शाखाओं पर किये गये कार्य व अर्जित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विवरण

क्र. सं.	मुख्य नहर	कुल लम्बाई (कि.मी.)	आधुनिकीकरण से पूर्व की गई लाईनिंग (कि.मी.)	आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत की गई लाईनिंग का विवरण		विस्तार शाखाओं पर लाईनिंग कार्य का विवरण		मुख्य नहर एवं विस्तार शाखाओं पर लाईनिंग		धोरों की लाईनिंग	अब तक अर्जित सिंचाई क्षमता (है. में)
				लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख रु. में)	लम्बाई (कि.मी)	लागत (लाख रु. में)		
1.	दायीं मुख्य नहर प्रणाली	25.95	18.15	7.80	119.00	105.03	370.00	112.83	489.14	—	973
2.	बायीं मुख्य नहर प्रणाली	36.40	9.00	20.50	96.00	40.00	135.73	60.50	156.23	—	486
	कुल :—	62.35	27.15	28.30	215.67	145.03	505.73	173.33	645.37	—	1459

परिशिष्ट 'स'

मेजा आधुनिकीकरण के तहत शेष रहे कार्यों की सूची (3/95 के पश्चात्)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	खर्च की गई राशि	कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि
1	2	3	4
1.	बायीं मुख्य नहर की तसवारिया माइनर पर लाईनिग का कार्य चैन 50 से 106	2.55	4.09
2.	बायीं मुख्य नहर का लाइनिग का सुधार कार्य अबाउ माण्डल टैंक चैन 0. से 20	—	3.49
3.	बायीं मुख्य नहर का काजवे एवं अन्य पक्के कार्यो का सुधार कार्य अबाऊ माण्डल टैंक चैन 0. से 110	—	4.50
4.	बायीं मुख्य नहर का लाइनिग कार्य अबाउ माण्डल टैंक चैन 470 से 490	1.78	2.86
5.	बायीं मुख्य नहर का रैलिग बैंड गिट्टी कराने का कार्य अबाऊ माण्डल चैन 300 से 420	1.06	2.23
6.	बायीं मुख्य नहर का लाईनिग कार्य एवं काजवे चैन 150 से 338 एवं लाईनिग कार्य सब माईनर चमनपुरा (बिलो माण्डल)	—	4.94
7.	बायीं मुख्य नहर का लाइनिग कार्य बिलो माण्डल टैंक चैन 110 से 150	—	5.12
8.	बायीं मुख्य नहर का रेलिग एवं सब माइनर अबाऊ माण्डल चैन 20. से 200	2.08	2.82
9.	माण्डल नहर नम्बर–1 का लाईनिग कार्य चैन 30 से 80	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
10.	माण्डल नहर नं. 2 का लाईनिग कार्य चैन 40 से 90	—	2.63

1	2	3	4
11.	माण्डल नं. 3 का कार्य का लाईनिंग कार्य चैन 41 से 60	—	2.89
12.	बायीं मुख्य नहर के सिदडियास माइनर के लाईनिंग का कार्य चैन 22 से 73	3.77	5.29
13.	बायीं मुख्य नहर के तसवारिया माइनर की सब माइनर का लाईनिंग का कार्य चैन 0 से 40 तक	—	2.52
14.	दायीं मुख्य नहर रेंजिग एवं लाईनिंग सुधार कार्य चैन 375 से 780 एवं वी.आर.बी. का सुधार कार्य चैन 634 एवं 658	2.28	2.79
15.	दायीं मुख्य नहर का रेंजिग एवं लाईनिंग सुधार कार्य चैन 25 से 315 एवं काजवे का सुधार कार्य चैन 40 एवं 73	1.91	3.23
16.	दायीं मुख्य नहर अगरपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी चैन 0 से 210 के मध्य सी. डी. वर्क्स का सुधार कार्य	0.84	2.30
17.	दायीं मुख्य नहर सवाणा माइनर का लाईनिंग सुधार कार्य चैन 11 से 119	2.07	2.91
18.	दायीं मुख्य नहर की डांग माइनर की लाईनिंग का कार्य चैन 0 से 46 मय वी.आर.बी. का कार्य	2.72	2.31
19.	दायीं मुख्य नहर की समेलिया माइनर का लाईनिंग कार्य चैन 150 से 225 मय सी.डी. वर्क्स।	4.66	0.52
	योग :—		57.24

57.00 लाख रु.

(378)

306

पंचायत समिति आहोर एवं जालोर के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

514. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति आहोर एवं जालोर की किन-किन प्राथमिक शालाओं में छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बे समय से रिक्त पड़े इन पदों पर शीघ्र अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) छात्रों की संख्या के अनुपात के अनुसार पंचायत समिति, आहोर में 60 व पंचायत समिति, जालोर में 34 अध्यापकों के पद वर्ष 1991-92 से रिक्त हैं। विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वर्ष 91-92 के पदों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के हटने के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे व वर्ष 94-95 में स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

सूची

क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	अध्यापक होने चाहिये	कार्यरत अध्यापक	अध्यापकों की कमी
1	2	3	4	5	6
(अ)	**पंचायत समिति, जालोर**				
1.	धबला	139	4	3	1
2.	मामाजी का ऊण	62	2	1	1
3.	थानपुर	149	4	2	2
4.	डूडसी	356	9	5	4
5.	कडा खेडा	121	3	1	2
6.	आकोली (बालिका)	116	3	2	1
7.	सांथ	484	12	10	2
8.	केसरीबाई सियाणा	251	7	5	2
9.	कोलरी सियाणा	97	3	2	1

1	2	3	4	5	6
10.	नागनी	63	2	1	1
11.	भेटाला	75	2	1	1
12.	देवदा	27	1	—	1
13.	काणदर	110	3	1	2
14.	रायपुरिया	132	4	2	2
15.	माडवाड़ा	115	3	1	2
16.	रायपुरिया (बालिका)	145	4	3	1
17.	मीठडी	150	4	3	1
18.	नरपडा	117	3	1	2
19.	रानीवाडा काबा	94	3	2	1
20.	डकातरा	156	4	2	2
21.	नून (बालिका)	99	3	1	2
			83	49	34

कुल स्वीकृत पद : 154 कुल कार्यरत अध्यापक : 139

(ब) पंचायत समिति, आहोर

1.	आहोर नं. 2	425	11	9	2
2.	सनवाड़ा	177	5	3	2
3.	खारा	167	4	3	1
4.	अजीतपुरा	56	2	1	1
5.	छांगाडी	78	2	1	1
6.	भैंसवाड़ा (बालिका)	167	4	3	1
7.	गुडा बालोतान	355	9	8	1
8.	मादड़ी	178	5	4	1
9.	जोडा	135	4	3	1
10.	नांगावा	139	4	1	3

1	2	3	4	5	6
11.	वेदाना	200	5	4	1
12.	पलासिया खुर्द	58	2	1	1
13.	उम्मेदपुर (बालिका)	103	3	2	1
14.	चांदरोई	287	7	6	1
15.	गुडा इन्द्रपुरा	136	4	3	1
16.	थम्बा	105	3	1	2
17.	मलेवा	170	4	3	1
18.	नीरवणा	90	2	1	1
19.	रूण्डमाल ढाणी	123	3	2	1
20.	वल्दरा	54	2	1	1
21.	भूति	285	7	4	3
22.	भूति (बालिका)	112	3	2	1
23.	मोहीवाडा	124	3	2	1
24	शंखवाली	382	9	4	5
25.	किशनगढ़	127	3	2	1
26.	माद्राजून ढाणी	256	7	5	2
27.	माद्राजून	100	3	2	1
28.	पीपरला ढाणी	110	3	1	2
29.	बागुन्दा	50	2	1	1
30.	निम्बला ढाणी	93	3	2	1
31.	रामा (बालिका)	98	3	1	2
32.	भंवरानी	427	11	5	6
33.	भंवरानी (बालिका)	105	3	2	1
34.	सुगालिया जोधा	118	3	1	2
35.	भोरडा	304	8	5	3
36.	बिजलो	119	3	2	1
37.	नीलकंठ	168	4	3	1
38	रामा ढाणी	73	2	1	1
		योग :–	165	105	60

	II ग्रेड	III ग्रेड
कुल स्वीकृत पद	1	255
कुल कार्यरत अध्यापक	1	220

(399)

जयपुर शहर हेतु प्रस्तावित ट्राम सुविधा

515. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जयपुर शहर के तेजी से बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर एवं तीव्रगामी ट्राम सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) जयपुर में ट्राम सेवा उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को देखने हेतु केन्द्र सरकार की केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान प्राथमिक सर्वेक्षण जयपुर विकास प्राधिकरण के समन्वय से कर रही है।

जयपुर शहर की कालोनियों में सीवरेज लाइन की व्यवस्था

516. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में चार दिवारी के बाहर बसी अधिकांश कालोनीज में सीवरेज लाइन नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन कालोनीज में सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण एवं सोकपिट होने के कारण शहर का भूमिगत जल प्रदूषित होता जा रहा है जिसके कारण भयंकर बीमारियाँ होने की आशंका बनी हुई है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार शहर की ऐसी कालोनीज में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की चार दिवारी के बाहरी क्षेत्र में आंशिक सीवरेज व्यवस्था है।

(2) सीवरेज व्यवस्था के अभाव में तथा सोकपिटों के माध्यम से भूमिगत जल का प्रदूषण होना प्रमाणित नहीं है तथा इसके अन्य कारण भी सम्भव हैं। वास्तव में तकनीकी रूप से उचित सोकपिट बनवाकर मल विसर्जन आदि उल्लेखित समस्या के निदान का एक तरीका है। विभाग द्वारा नियमित रूप से नलकूपों के पानी की रासायनिक एवं बेक्टीरियोलाजिकल जांच कराई जाती है तथा विभागीय निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही पाये जाने पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

(3) इस सम्बन्ध में नगरीय विकास व आवासन विभाग द्वारा प-15 (76) नविआ. दिनांक 17-4-95 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को नियम 13 के अन्तर्गत तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है समस्या के समाधान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा एकीकृत योजना बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

कमेरी बांध (सिरोही) निर्माण पर व्यय

517. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले की सिरोही तहसील के कमेरी बांध का निर्माण कब एवं कितने वर्षों में हुआ ? बांध निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) बांध में कुल कितने पानी का संग्रह होता है ? बांध की वितरिका की स्वीकृति कब दी गई व इसका निर्माण कब हुआ ? इसके निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बांध की डूब में आने वाली जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मुआवजा देना अभी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कामेरी बांध का निर्माण वर्ष मार्च, 1990 में पूर्ण हुआ इस बांध का निर्माण 3 वर्ष 3 माह में पूरा हुआ परियोजना पर मार्च, 1995 तक 167.60 लाख रु. व्यय किये गये ।

(2) बांध की प्रस्तावित कुल भराव क्षमता 167.43 एम. सी. एफ. टी. है । परन्तु वर्ष 1990 की अतिवृष्टि से टूट जाने के कारण बांध में अभी कोई भराव नहीं होता है । बांध की वितरिकाओं की स्वीकृति वर्ष 1988 में प्रदान की गई थी तथा कार्य वर्ष 1992 में पूर्ण हुआ । वितरिकाओं के निर्माण में 26.47 लाख रु. व्यय किये गये ।

(3) जी, नहीं ।

सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

518. **श्री भगवान दास** (चौहटन) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौहटन के सरपंच श्री रूप सिंह के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच ने दिनांक 17-4-1990 को ग्राम सभा में नियम विरुद्ध कार्यवाही करके पंचायत को करीब एक करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था ? क्या जांच सहायक कलक्टर गुड़ामालानी ने की और आरोप सही पाये गये थे ? यदि हां, तो इस जांच के आधार पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन ने आज तक सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु नहीं भेजी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए दोषी कौन है ?

(4) क्या पंचायत के पुराने कानून में ग्राम सभा को कोई प्रशासनिक या वित्तीय

(श्री भगवान दास)

अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो दिनांक 17-4-90 की कार्यवाही आज तक निरस्त क्यों नहीं की गई है ?

(5) क्या सरकार इस नियम विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चौहटन के पूर्व सरपंच श्री रूप सिंह के विरुद्ध एक शिकायत दिनांक 26-12-90 को प्राप्त होने पर सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी, मु. बाड़मेर से जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(2) पूर्व सरपंच ने 17-4-90 को ग्राम सभा की बैठक में पात्रता की जांच किये बिना निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी मु. बाड़मेर द्वारा जांच की गई। उक्त जांच रिपोर्ट पर तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जो विचाराधीन हैं। 17-4-90 को आयोजित पंचायत की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जारी 300 पट्टों को निरस्त करने बाबत निगरानी जिला कलक्टर को प्रस्तुत करने पर 17-4-90 की कार्यवाही को दिनांक 17-2-95 को निरस्त कर दी गई।

(3) जी, हां। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर बाड़मेर के स्तर से जांच विचाराधीन है।

(4) निगरानियां प्रस्तुत होने पर दिनांक 17-4-90 की कार्यवाही को दिनांक 17-2-95 को निरस्त कर दिया गया है।

(5) दिनांक 17-4-90 की कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पाली में निगम डिपो की स्थापना

519. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो खोलने बाबत क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं एवं इन मानदण्डों के अनुरूप राज्य में किन-किन स्थानों पर निगम के डिपो खोले गये हैं इनकी आय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित मानदण्डों की परिधि में पाली में निगम का डिपो खोला जाना न्यायोचित है ? यदि हां, तो कब से एवं अब तक डिपो किन कारणों से नहीं खोला गया है ?

(3) क्या सरकार घाटे में चल रहे रोडवेज डिपो को बन्द करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह डिपो बन्द कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आम तौर पर, निगम का डिपो खोलने हेतु प्रस्तावित स्थान से लगभग 30 वाहनों का प्रस्थान विभिन्न मार्गों पर होना चाहिये, उस स्थान के पास राष्ट्रीयकृत मार्ग होने चाहिये और अन्य पूर्व में स्थापित डिपो बहुत करीब नहीं होने चाहिए। खोले गये डिपो का विवरण परिशिष्ट–1 पर एवं उन पर प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट–2 पर है।

(2) पाली शहर के निकट जोधपुर फालना व ब्यावर में पूर्व से ही आगार स्थापित है, अतः वर्तमान में पाली में डिपो खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(3) घाटे में चल रहे निगम आगारों को लाभ की ओर ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट–1

निगम द्वारा वर्तमान में निम्न स्थानों पर आगार स्थापित किये हुए हैं :—

क्र. सं.	स्थान	आगारों की संख्या	क्र. सं.	स्थान	आगारों की संख्या
1.	जयपुर	6	19.	खेतड़ी	1
2.	अजमेर	2	20.	सरदारशहर	1
3.	ब्यावर	1	21.	बीकानेर	1
4.	नागौर	1	22.	हनुमानगढ़	1
5	भीलवाड़ा	1	23.	अनूपगढ़	1
6.	चित्तौड़गढ़	1	24.	गंगानगर	1
7.	उदयपुर	1	25.	कोटा	1
8.	डूंगरपुर	1	26.	टोंक	1
9.	बांसवाड़ा	1	27.	बून्दी	1
10.	जोधपुर	1	28.	झालावाड़	1
11.	सिरोही	1	29.	बारां	1
12.	बाड़मेर	1	30.	भरतपुर	2
13.	फालना	1	31.	हिण्डौन	1
14.	फलौदी	1	32.	धौलपुर	1
15.	जालौर	1	33.	अलवर	2
16.	आबूरोड	1	34.	तिजारा	1
17.	सीकर	1	35.	कोटपूतली	1
18.	झुन्झुनूं	1			

परिशिष्ट–2

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

Profit and Loss Account for the period of April, '94 to Feb. '95

S. No.	Name of depot	Total Income (in lacs)	Income P. Km. (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Alwar	948.20	9.00
2.	Matsyanagar	869.39	8.80
3.	Bharatpur	735.52	8.62
4.	Lohagarh	494.27	8.36
5.	Dholpur	734.23	9.16
6.	Hindaun	647.06	8.22
7.	Tijara	324.81	8.21
8.	Jaipur	1605.89	9.01
9.	Vaishalinagar	789.11	8.23
10.	Delux	1541.03	9.78
11.	Jawaharnagar	957.74	7.59
12.	Vidhyadharnagar	647.96	7.58
13.	Sanganer	543.45	7.81
14.	Kotputli	595.84	7.84
15.	Sikar	1190.83	8.38
16.	Jhunjhunu	894.29	8.56
17.	Khetri	571.06	8.17
18.	Kota	800.45	7.86
19.	Baran	442.51	7.62
20.	Bundi	666.08	8.37
21.	Jhalawar	655.30	7.58
22.	Tonk	742.19	8.28
23.	Ajmer	980.25	9.19
24.	Ajaymeru	794.55	8.60
25.	Beawar	968.70	8.09

(344)

1	2	3	4
26.	Bhilwara	750.31	8.31
27.	Nagaur	735.95	7.70
28.	Jodhpur	1538.72	7.38
29.	Aburoad	428.96	8.51
30.	Sirohi	474.18	7.78
31.	Jalore	656.80	7.60
32.	Falna	353.14	7.19
33.	Barmer	932.74	6.97
34.	Phalodi	543.41	6.81
35.	Udaipur	992.80	8.31
36.	Dungarpur	644.16	7.36
37.	Banswara	553.12	7.41
38.	Chittorgarh	807.85	8.81
39.	Bikaner	1263.73	8.44
40.	Ganganagar	1244.85	8.99
41.	Hanumangarh	1016.29	8.78
42.	Sardarshahar	745.36	8.14
43.	Anoopgarh	697.56	8.63

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 719 की सूची

नगरपालिका इन्द्रगढ़ बूंदी की गत तीन वर्षों की आय व विकास कार्यों पर व्यय

क्र. सं.	वर्ष	विभिन्न स्रोतों से आय	विकास कार्यों का विवरण जिन पर राशि व्यय की गई	व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	91–92	20,58,154-22	1. शमशान घाट पर टीनशेड निर्माण	21,659-70
			2. दुकान निर्माण पर व्यय	3,924-00
			3. अन्य विभागीय स्तर पर करवाये गये कार्य जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है	23,915-98
			योग :—	5,49,499-68
2.	92–93	15,00,389-19	1. खरन्जा व नाली निर्माण वार्ड 6 व 8	54,108-00
			2. खरन्जा व नाली निर्माण वार्ड नं. 4 किले के नीचे	37,059-00
			3. खरन्जा व नाली निर्माण वार्ड नं. 4 अम्बार के पास	31,942-00
			4. खरन्जा व नाली निर्माण वार्ड नं. 8 लोहियों से खेडली दरवाजा	51,614-00
			5. खरन्जा व नाली निर्माण वार्ड नं. 10 खेडली दरवाजे से बिजली कार्यालय	72,847-00
			6. शमशान घाट बरामदा निर्माण वार्ड नं. 9	47,743-00
			7. अन्य विभागीय स्तर पर करवाये गये कार्य जिनका विवरण उपलब्ध नहीं	1,34,049-36
			योग :—	4,39,362-36

(3-48)

316

1	2	3	4	5
3.	93–94	19,00,714-35	1. विद्युत विस्तार हेतु विद्युत मण्डल में जमा करवाये	42,740-00
			2. कटला हनुमानजी सब्जी मण्डी टीन शेड निर्माण	27,460-00
			3. स्लाटर हाउस निर्माण वार्ड नं. 10	14,611-00
			4. ए. पी. पी. कमरा व बरामदा निर्माण	3,986-00
			5. दो सूखे शहारतों का निर्माण वार्ड 8	4,000-00
			6. चुंगी नाका माताजी रोड मरम्मत	54-00
			योग :—	92,857-00

ह०/–
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका इन्द्रगढ़ (बूंदी)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 724 की सूचना

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर (राज०)

नगर सुधार न्यास, अजमेर की योजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	नाम योजना	योजना के प्रारम्भ होने की दिनांक (धारा 32(1) की अधिसूचना की दि.)	योजना की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति	पूर्ण क्रियान्विति नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	भगवान गंज योजना	16-5-68	लगभग 90% क्रियान्वित	न्यायालय का स्थगन होने से क्रियान्विति शेष
2.	बकरा मण्डी योजना	28-7-89	लगभग 90% क्रियान्वित	शेष भूखण्डों की कार्यवाही जारी है
3.	ज्वाला प्रसाद नगर योजना	13-1-83	लगभग 75% क्रियान्वित	उच्च न्यायालय के स्थगन होने से क्रियान्विति शेष
4.	आनासागर सरक्यूलर रोड योजना	27-8-63	लगभग 80% क्रियान्वित	उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों के स्थगन होने से क्रियान्विति शेष
5.	वैशाली नगर योजना	11-10-73	लगभग 75% क्रियान्वित	उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय के स्थगन होने से क्रियान्विति शेष

1	2	3	4	5
6.	पंचशील नगर योजना	11-8-89	लगभग 40% क्रियान्वित	न्यायालयों के स्थगन एवं मुआवजा भुगतान शेष होने से क्रियान्विति शेष
7.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना	10-1-83	—	अवाप्ति की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय का स्थगन होने से अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होने से क्रियान्विति शेष
8.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार	—15-9-90	लगभग 75% क्रियान्वित	खातेदारी की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही जारी होने से शेष
9.	कोटड़ा आवासीय योजना	19-6-90	—	खातेदारी की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही की जानी है
10.	बालकृष्ण कौल योजना	11-1-83	—	खातेदारी की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है
11.	चन्दबरदाई नगर योजना	19-5-84	—	मुआवजे का भुगतान किया जाकर विकास कार्य करवाये जाकर क्रियान्विति की जावेगी
12.	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	26-3-89	—	भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही होनी है
13.	घोलाभाटा योजना	18-7-75	लगभग 25% क्रियान्वित	खातेदारी की भूमि के मुआवजे का रेफरेंस न्यायालय में विचाराधीन होने से क्रियान्विति शेष है
14.	अर्जुनलाल सेठी नगर योजना	19-5-84	लगभग 70% क्रियान्वित	खातेदारी की भूमि के अवार्ड का रेफरेंस विचाराधीन होने से क्रियान्विति शेष है

1	2	3	4	5
15.	अर्जुनलाल सेठी नगर विस्तार योजना	30-9-88	—	अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है
16.	ट्रान्सपोर्ट नगर–II योजना	7-4-93	—	अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है
17.	खनिज नगर योजना	19-6-90	—	अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है
18.	दीपक नगर योजना	15-9-90	लगभग 5% क्रियान्वित	मुआवजे का मुगतान किया जाकर क्रियान्विति की जानी है
19.	संयोगिता नगर योजना	20-7-76	—	उच्च न्यायालय के स्थगन से क्रियान्विति शेष
20.	फूसवाली कोठी योजना	7-7-80	—	मुआवजे का मुगतान किया जाकर क्रियान्विति की जानी है
21.	कोतवाली वाणिज्यिक योजना	23-4-74	लगभग 85% क्रियान्वित	शेष क्षेत्र में सदर कोतवाली पुलिस थाना आने से क्रियान्विति नहीं हो सकी है
22.	पहाड़गंज योजना	26-11-70	लगभग 50% क्रियान्वित	अवैध अतिक्रमण होने से नियमन की कार्यवाही विचाराधीन

ह०/–
सचिव
नगर सुधार न्यास, अजमेर

परिशिष्ट —7

अतारांकित प्रश्न संख्या 729 की प्रति प्रपत्र-अ

विषय :— पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के भांवता व गनाहेडा से अजमेर शहर को पानी सप्लाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव द्वारा श्री विष्णु मोदी ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन

अजमेर शहर की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणनानुसार 4.017 लाख थी एवं वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 4.30 लाख है । अजमेर शहर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु बीसलपुर बांध पर आधारित वर्ष 1986 में स्वीकृत पुनर्गठित पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आकलन के आधार पर तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से निम्नानुसार 918.10 लाख लीटर जल प्रतिदिन अजमेर शहर को आपूर्ति हेतु किये जाने का प्रावधान था ।

क्र. सं.	स्रोत	दैनिक आपूर्ति (लाख लीटर में)
1.	बीसलपुर बांध से	850.00
2.	भांवता भूजल स्रोत	22.70
3.	गनाहेडा भूजल स्रोत	22.70
4.	फाईसागर बांध	22.70
	कुल	918.10 लाख लीटर प्रतिदिन

वर्तमान में अजमेर शहर की औसतन कुल 363 लाख लीटर पेयजल की ही आपूर्ति निम्नानुसार विभिन्न स्रोतों से की जा रही है :—

क्र. सं.	विवरण	औसतन दैनिक पेयजल आपूर्ति (लाख लीटर में)
1.	बीसलपुर बांध	190
2.	बनास भूजल स्रोत	91
3.	फाईसागर बांध	41
4.	गनाहेड़ा	22.7
5.	भांवता	6.80
6.	लीलासेवडी	11 50
	योग :—	363.00 लाख लीटर प्रतिदिन

(351)

बीसलपुर बांध से अजमेर शहर को आपूर्ति फरवरी, 95 के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ की गयी है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत वितरण पाइप लाइनों को जोड़ने, सुधार करने एवं अन्य कार्य अभी प्रगति में हैं, जिनके पूर्ण होने पर ही बीसलपुर से समुचित पेयजल की आपूर्ति अजमेर शहर के क्षेत्रों में की जानी सम्भव होगी।

प्रस्ताव में वर्णित भांवता एवं गनाहेडा जल स्रोतों से लाभान्वित क्षेत्रों में अभी बीसलपुर बांध से प्राप्त पेयजल की आपूर्ति वितरण पाइप लाइनों का कार्य प्रगति पर होने से सम्भव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उपयुक्त होगा कि स्वीकृत योजना के अनुसार सभी कार्य पूर्ण होने पर भी भांवता से 22.70 लाख लीटर प्रतिदिन एवं गनाहेडा से भी 22.70 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जानी सम्भावित है। विगत 4 वर्षों में वर्ष 1991 में गनाहेड़ा से क्रमशः 41 लाख लीटर, 1992 में 33 लाख लीटर, 1993 में 37 लाख एवं 1994 में 31 लाख लीटर प्रतिदिन आपूर्ति की जाती रही थी परन्तु वर्तमान में औसतन 22.50 लाख लीटर पेयजल ही प्रतिदिन गनाहेड़ा से लिया जा रहा है। इसी प्रकार भांवता भूजल स्रोतों से वर्ष 1991, 1992, 1993, 1994 में क्रमशः लगभग 12.50 लाख, 6 लाख लीटर, 9 लाख लीटर एवं 10.50 लाख लीटर की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन की जाती रही थी, जो वर्तमान में लगभग 7 लाख लीटर प्रतिदिन है। सामान्यतया भूजल स्तर गिर रहा है, फिर भी भांवता एवं गनाहेड़ा से लाभान्वित अजमेर शहर के क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति आवश्यकतानुसार बनाये रखने हेतु यहां से पेयजल प्राप्त करना तकनीकी कारणों से भी नितान्त आवश्यक है। भविष्य में दिये गये सुझाव पर विचार किया जायेगा।

प्रस्ताव में वर्णित बूढ़ा पुष्कर स्रोतों से रेलवे विभाग अजमेर द्वारा सीधे ही पेयजल लिया जा रहा है, जो वर्तमान में विभाग के कार्य क्षेत्र अधिकार में नहीं है। भविष्य में जल उपलब्धि को दृष्टिगत कर वैकल्पिक व्यवस्था यदि सम्भव हुई तो इस संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

विगत वर्षों में स्थानीय नागरिकों द्वारा और अधिक पेयजल स्रोतों के बनाने का विरोध हुआ जिसे ध्यान में रखते हुए अभी कोई अन्य नये पेयजल स्रोत बनाये नहीं गये तथा पुराने पेयजल स्रोतों में भी सुधार नहीं किया जा सका। वर्तमान पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित स्रोतों से ही की जा रही है जो कि वर्तमान आवश्यकतानुसार है। जैसा कि प्रस्ताव में स्वयं ही उल्लेख किया गया है, बीसलपुर योजना पूर्ण रूपेण सम्पूर्ण होने के पश्चात् दिये गये सुझावों पर तकनीकी औचित्यता दृष्टिगत कर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

———

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 736 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

गत 5 वर्षों में भरतपुर फीडर में प्राप्त पानी का माहवार एवं वर्षवार विवरण

(डिस्चार्ज क्यूसेक डेज में)

क्र. सं.	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वर्ष में प्राप्त कुल पानी की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1990	—	—	—	2250	535	763	324	3868	3497	—	—	—	11237
2.	1991	—	—	—	—	—	—	—	982	4389	2102	—	—	3473
3.	1992	—	—	—	—	—	636	1064	4148	—	—	—	—	5848
4.	1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	शून्य
5.	1994	शून्य	—	—	—	—	213	334	3347	1153	—	—	—	5047
6.	1995	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	मार्च, 95 तक भरतपुर फीडर के द्वारा पानी प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट "ब"

गत 5 वर्षों में गुड़गांव कैनाल में प्राप्त पानी का माहवार एवं वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वर्ष में प्राप्त पानी की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1990	—	1879	4154	224	21	1077	6065	6567	—	—	—	—	19987
2.	1991	362.25	—	—	224.10	21.03	1067.00	110.59	661.65	2544.50	2410.35	309.88	472.96	8183.81
3.	1992	—	924.24	194.25	95.57	618.54	197.54	1174.70	4704.85	2016.77	4958.12	647.28	262.28	15794.14
4.	1993	—	—	—	300	200	—	2598	6084	3540	3069	—	—	15791
5.	1994	—	—	—	—	—	—	2879	1915	3419	673	400	341	9627
6.	1995	126	131	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 739 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	अधूरी योजना का नाम	तहसील	अब तक व्यय की गई राशि (लाख रु.)	शेष कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित राशि (लाख रु.)	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर) सी.सी.ए.	मद जिसमें स्वीकृत हुआ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शक्करगढ़	जहाजपुर	47.80	221.46	829	एन.आर.ई.पी.	
2.	बेई गेसूला	,,	18.89	18.77	112	,,	
3.	झालरा बावड़ी	,,	28.93	16.26	206	,,	बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित
4.	सरसिया चारण	,,	20.41	14.81	146	,,	–एतद–
5.	नेगड़िया गुढ़ा	,,	23.79	16.93	113	,,	–एतद–
6.	गणेशपुरा	,,	9.39	79.41	212	एन.आर.ई.पी.	–एतद–
7.	गंधेर	,,	6.94	38.55	91	अकाल राहत	–एतद–
8.	पचानपुरा	,,	15.62	14.50	78	एन.आर.ई.पी.	–एतद–
9.	मोमलियाः	,,	13.02	47.33	136	आर.एल.ई.जी.पी.	–एतद–
10.	दबेलिया	,,	4.68	55.32	207	अकाल राहत	
11.	नवरतन सागर	,,	1.83	122.54	400	,,	
12.	रतन सागर	कोटड़ी	5.65	44.35	101	,,	–एतद–
13.	सरला सागर	,,	34.65	15.00	127	एन.आर.ई.पी.	–एतद–
		योग :—	231.60	705.23	2758.00		

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 746 का विवरण

वर्ष 1995–96 के दौरान उदयपुर जिले में नये मार्गों पर प्रस्तावित परिवहन निगम की बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित परिचक्र
1.	उदयपुर–हरिद्वार वाया जयपुर–दिल्ली–मेरठ–मुजफरनगर–रूडकी	2
2.	केलवाडा–सूरत वाया उदयपुर	2
3.	उदयपुर–अहमदाबाद वाया सोम	2
4.	उदयपुर–ओंकारेश्वर वाया बांसवाड़ा–इन्दौर	2
5.	उदयपुर–इन्दौर वाया भटेवर–भिन्डर–कानोड–बासी-धरियावद–प्रतापगढ़–अरनोद–सैलाना–रतलाम	2
6.	उदयपुर–नीमच वाया मंगलवाड़–निम्बाहेडा	4
7.	उदयपुर–मन्दसौर वाया भटेवर–भिन्डर–कानोड–बासी	6
8.	उदयपुर–मन्दसौर वाया प्रतापगढ़–राजपुरिया	2
9.	उदयपुर–रतलाम वाया बांसवाड़ा–दानपुर	1
10.	सोम–विजयनगर	2
11.	उदयपुर–डैयया	2
12.	उदयपुर–आमेर	2
13.	कांकरोली–चित्तोड़गढ़ वाया कुवारिया–रेलमगरा	2
14.	चित्तोड़ से सावा वाया ओछड़ी	2
15.	मंगलवाड़–जावद	2
16.	उदयपुर–ओगणा	2
17.	उदयपुर–बीकानेर	2
18.	डूंगरपुर–रास्ता	4
19.	उदयपुर–मन्दसौर	4
20.	सोम–खैरवाड़ा	2

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 748 का विवरण

वर्ष 1988 से 1994 तक निगम में मृतक कर्मचारियों/अधिकारियों की पदवार संख्या

क्र. सं.	नाम पद	संख्या
1.	सहायक सम्भाग प्रबन्धक	1
2.	आगार प्रबन्धक	3
3.	सहा. आ. प्र./यात. निरीक्षक	10
4.	सहायक यातायात निरीक्षक	15
5.	कार्यालय अधीक्षक	1
6.	प्रशासनिक अधिकारी	1
7.	श्रम कल्याण अधिकारी	1
8.	क. अभियन्ता/क. कार्यदेशक	8
9.	वाहन निरीक्षक	2
10.	कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार	3
11.	वरिष्ठ लिपिक	12
12.	कनिष्ठ लिपिक	8
13.	परिचालक	161
14.	चालक	260
15.	सुरक्षा प्रहरी	8
16.	तकनीकी	74
17.	संगणक	3
18.	च. श्रे. क.	33
19.	भण्डार निरीक्षक/उ. भ. नि.	2
	कुल	606